बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादकीय		2
अनुचिंतन		4
साक्षात्कार-अतीत के झरोके से		6
● वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय वंचन	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	17
● वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग	श्यामलाल गौड़	21
● वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास	डॉ. रमाकांत शर्मा	26
● वित्तीय समावेशन चुनौतियां और समाधान	डॉ. रामप्रकाश सिंहल	30
● वित्तीय समावेशन : विभिन्न बैंकों के प्रयास	काज़ी मुहम्मद ईसा	36
● भारत में वित्तीय समावेशन और लघु वित्त	डॉ. सुरेश कुमार	45
इधर उधर से	श्रीमती सावित्री सिंह	54
● वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी	के. पी. तिवारी	58
● वित्तीय समावेशन के कानूनी पहलू	डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल	61
● वित्तीय समावेशन - एक परिचयात्मक दृष्टिकोण	अंशुप्रिया अग्रवाल	65
● वित्तीय समावेशन-स्थिति और भावी परिदृश्य	रवि दिवाकर गिरहे	71
● भारतीय बैंकों के समक्ष चुनौतीः वित्तीय समावेशन	डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह	78
● वित्तीय समावेशन और बैंक लाभप्रदता	विनय बंसल	83
● वित्तीय समावेशन हेतु वातावरण निर्माण	राजेंद्र सिंह	90
● वित्तीय समावेशन से ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल	सुबहसिंह यादव	94
पुरस्कृत निबंध	सुंदर दास	98
पुस्तक समीक्षा		103
लेखकों से/पाठकों से		108

संपादक - मंडल

सदस्य

डॉ. शरद कुमार
निदेशक, सांख्यिकी और प्रबंध सूचना विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सुश्री रूपम मिश्र
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. रमाकान्त शर्मा
महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई

प्रभुता व्यास
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

डॉ. सुरेश कुमार
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक,मुंबई

सूरज प्रकाश
सहायक महाप्रबंधक, (राजभाषा)
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

डॉ. गजेंद्र कुमार
सहायक महाप्रबंधक, (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

प्रबंध संपादक

श्रीमती पी. कुमार
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई

कार्यकारी संपादक

पुष्प कुमार शर्मा
उप महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस,वरली, मुंबई
वर्ली, मुंबई-400 018.

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हों । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

श्रीमती पी. कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेंट हाउस, वर्ली, मुंबई-400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई-400 001. में मुद्रित।
इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध । E mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन : 2498 2076 फैक्स नं. - 2498 2077
मुखपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर

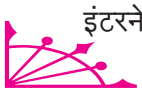

संपादकीय

हीयतेही मतिस्तात! हीनैः सह समागमात्।

समैश्च समातामतिं विशिष्टैश्च विशिष्टताम्॥

अर्थात् अपने से कम बुद्धिवाले की संगत करेंगे तो बुद्धिहीनता आ जायेगी, समान बुद्धिवाले की संगत हमें समानबुद्धि ही देगी, विकास नहीं होगा परंतु यदि संगति विशिष्ट या अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से होगी तो हम भी विशिष्ट बन जायेंगे। यह बात वैसे तो बहुत ही सामान्य प्रतीत होती है परंतु इसमें निहितार्थ बहुत ही गूढ़ है। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं- हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगता है। शायद यही कारण है कि हमें बचपन से कहा जाता है कि *अच्छे लोगों के साथ मेल-जोल करो*। अंग्रेजी की एक कहावत भी यही कहती है कि आदमी की पहचान उसके संगी-साथियों से होती है। प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास अपनी संगति चुनने का विकल्प है। देखा जाए तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि हम एक विशाल समाज के अंग हैं जहां हर प्रकार के लोगों से हम जुड़ते हैं। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि की कसौटी पर लोगों को देखें तो संभवतः चयन का विकल्प पैदा कर सकते हैं।

संगति का दूसरा पक्ष भी है, हम इतने निर्मल हो जाएं कि हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े और ऐसी स्थिति के लिये कहा जाता है - *'चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग'*। परंतु निर्मलता या स्थित प्रज्ञ होने का यह स्तर भी तब ही पा सकते हैं जब हमारी संगति साधु की हो जिसके लिये संत कबीर ने कई बार कहा कि 'कबीरा संगत साधु की..।' वास्तव में देखा जाए तो दोनों स्थितियों में एक बात स्पष्ट उभरती है कि हमें यदि अपना सही विकास करना है, सही रूप में उत्थान करना है, सही रूप में आगे बढ़ना है, सही सोच बनानी है तो अपनी संगति चुनने का विकल्प लागू करना होगा। घर या कार्यालय आदि में जहां हमारे विकल्प सीमित होते हैं, वहां हमें अपनी सीमा निर्धारित करते हुए संगति निर्धारित करनी होगी अन्यथा सकारात्मक विकास के स्थान पर हमें नकारात्मक दिशा मिलेगी जो किसी भी रूप में हमें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचायेगी। साथ ही, संगति सिर्फ व्यक्तियों की ही नहीं होती क्योंकि सबसे बढ़िया संगति तो अच्छी पुस्तकों की ही मानी जाती रही है -यह विकल्प हम कभी भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में चुन सकते हैं-पुस्तकों में समाया हुआ ज्ञान हमें दिशा देता है, हमारी प्रज्ञा को जागृत करता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है।

जिन जैसी संगत करी, वैसे ही फल लीन

कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन

संगति का प्राप्तकर्ता अर्थात् हम कैसे हैं- इस पर भी निर्भर करता है संगति का प्रभाव। स्वाति की एक बूंद कदली, सीप और भुजंग के साथ अलग-अलग गुण देती है। अच्छी संगति पाना और अच्छी संगति का लाभ उठाना, दोनों की स्थितियां हमारे लिये चुनौती है और इसका सामना हम इस सोच के साथ ही कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है। *'हमें क्या बनना'* की भावना ही हमारी संगति का निर्णय करेगी और इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होता। यही विकल्प भी है।

अनुचिंतन

रिज़र्व बैंक ने मिशन के तौर पर वित्तीय समावेशन को प्रारंभ किया है और गहराई से देखा जाए तो वित्तीय समावेशन वस्तुतः अब तक उपेक्षित रहे आम आदमी को बैंकों की संगत प्रदान करने का ही एक प्रयास है। वित्तीय समावेशन की संगति बिना किसी विकल्प के अपनायी जाने वाली संगति है क्योंकि इसमें निहित है कि सामाजिक विकास का लक्ष्य। आम आदमी यदि बैंकिंग जगत का हाथ पकड़ता है तो वह जीवनयापन रूपी नदी को सहज ही पार कर सकता है। यही समझाने के लिये वित्तीय शिक्षण का भी प्रयास जारी है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र आम आदमी से जुड़कर स्वाति की वह बूंद बनना चाहता है जो सीप के मुख में जाकर मोती बन जाती है। आम आदमी के जीवन में उत्थान लाने, उसका विकास करने और उसकी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिये वित्तीय समावेशन एक माध्यम बन गया है।

यह अंक इसी वित्तीय समावेशन के प्रयास को समर्पित है जहां पाठक इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझ पायेंगे। साक्षात्कार के अंतर्गत पाठक डाउन मेमोरी लेन में जाकर उन सब बातों को दोहरायेंगे जो अच्छी लगी थी मार्गदर्शक की तरह। एक नया प्रयोग पाठकों के लिये।

आशा है, यह अंक पहले की ही तरह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और अपनी बात पुख्ता तौर पर आप तक पहुंचायेगा। अस्तु!

सादर

पी कुमार

(श्रीमती पी. कुमार)

अनुचिंतन

आपकी सुन्दर एवं प्रतिष्ठित पत्रिका बैंकिंग-चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-सितंबर 2008 का संयुक्तांक मिला।

मैंने यह अंक भी अधोपांत देखा। अच्छा बना है। आप लोगों नें पत्रिका का सर्वोत्तम स्तर बनाये रखा है। पत्रिका का मुद्रण तथा साज-सज्जा आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण है और इसमें संकलित सामग्री भी रोचक एवं उपयोगी है। आपका सम्पादकीय प्रभावित करता है। आप लोगों का नया पता भी नोट कर लिया है। श्री पुष्प कुमार शर्मा द्वारा श्री सुहास आनन्द भट का लिया गया साक्षात्कार रोचक लगा। अंशुप्रिया अग्रवाल का लेख 'लघु ऋण- गरीबों की जीवन-रेखा' अच्छी जानकारी देता है। आशा है कि आप इस पत्रिका का उत्कृष्ट स्तर बनाए रखेंगे।

कृष्ण कुमार ग्रोवर
पूर्व सचिव
संसदीय राजभाषा समिति
नई दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-सितंबर 2008 सयुक्तांक प्राप्त हुआ। बैंकिंग विषय पर इस पत्रिका के समग्र लेख अपने आप में परिपूर्ण है। आपके भागीरथ प्रयास का प्रमाण संपादकीय पढ़कर मिला। आपके विचार विचारोत्तेजक एवं गंभीर है। वित्तीय शिक्षण, बैंकों में तकनीकी विकास और कर्मचारी प्रशिक्षण एवं धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) एवं इसे रोकने के उपाय इस अंक की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। रिवर्स मोरगेज योजना बुजुर्गों का सहारा एवं अमेरिका में सब प्राईम बन्धक बाज़ार : हाल की गतिविधियां लेखों का अंक में समावेश करके पत्रिका की गरिमा में वृद्धि ही की है। ऐसी सुन्दर बैंकिंग पत्रिका हेतु आप निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। स्तरीय लेख देने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।

डी. एस. चौहान
विवेकनगर, बिजनौर

वित्तीय शिक्षण पर संयुक्तांक मिला। सभी आलेख शोधपूर्ण एवं सूचनापरक लगे। संपादकीय प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, आईक्यू आदि जैसे प्रत्ययों में सूक्ष्म अंतर को बड़ी सटीकता से स्पष्ट करने वाला है। सदैव की तरह 'साक्षात्कार' और परिक्रमा स्तंभ के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के स्वरूप और बदलते बैंकिंग परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों के बरक्स उसके थिंकटैंक में चल रहे वैचारिक मंथन की एक झलक देखने को मिली।

पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर वित्तीय शिक्षण शीर्षक देखने से ऐसा लगता है कि पत्रिका इसी विषय पर केंद्रित है लेकिन भीतर इस विषय पर केवल एक आलेख है। यह विषय भारत में समकालीन बैंकिंग चिंतन के केंद्र में है - इसलिए अनुचिंतन जरूरी था। हिंदी में बैंकिंग की नवीनतम अवधारणाओं पर मौलिक लेखों को अधिकाधिक कवरेज देने की आवश्यकता है। आर्थिक मंदी के साए में बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष उपजी चुनौतियों, विशेष रूप उसके भारतीय निहितार्थों का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला एक अंक शीघ्र प्रकाशित किया जाए तो हिंदी में पढ़ने का इंतजार करने वाले इस पत्रिका के पाठक बहुत लाभान्वित होंगे।

एस. के. गोरे
प्रबंधक (राज.)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-सितंबर 2008 अंक 3-4 नये स्वरूप में मिला- बहुत- बहुत धन्यवाद। सम्पादकीय में चिंतन में आपने जो लिखा है वह एक प्रेरणा है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के चेयरमैन माननीय श्री सुहास आनन्द भट का साक्षात्कार वास्तव में एक जागृति है। बहुत कर्मठ व ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने में बहुत अनुभवी योग्य, व्यक्ति हैं। हमारे बैंक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, हसनपुर को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान है।

सुधीर अग्रवाल
भूरेका, मथुरा

जनवरी-मार्च 2008 अंक के लेख संग्रहणीय हैं। सुश्री अंशुप्रिया अग्रवाल लिखित लेख 'उत्कृष्ट ग्राहक सेवा-लाभप्रदता की दिशा में सार्थक कदम' बहुत अच्छा लगा। इस लेख में ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित सामायिक एवं व्यापक जानकारी प्रस्तुत की गई है जो हर बैंकर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पर सुश्री अग्रवाल द्वारा परोसी गई बेहतर सामग्री के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री महेंद्र पाल शर्मा ने अपने आलेख 'बैंकिंग के बदलते परिवेश में ग्राहक सेवा' में एक बहुत ही पते की बात का जिक्र किया है कि उत्तम ग्राहक सेवा में हम अगर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें तो बैंक को फायदा होगा, साथ ही ग्राहकों को शीघ्र सेवा मिलेगी तथा समय की बचत भी होगी। आज तकनीकी विकास अपनी बुलंदियों पर है फिर क्यों न इसका सार्थक प्रयोग ग्राहक सेवा के क्षेत्र में करके ग्राहक को संतुष्ट किया जाए।

बैंकिंग-चिंतन अनुचिंतन ने अपने प्रकाशन के बीस वर्ष पूर्ण किए है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस मौके पर संपादकीय दल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

● ताराचंद मकसाने
सहायक प्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

मुझे मेरी प्रिय पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी-मार्च-08 अंक प्राप्त हुआ। प्राप्त होते ही मुखपृष्ठ में विशेषांक का थीम एवं चित्ताकर्षक चित्र देखकर ही काफी आत्मसंतोष हुआ कि बैंकों के देवता अर्थात ग्राहक की सुधि लेकर उस पर केंद्रित विशेषांक के प्रकाशन की सोच केवल बैंकरों की एवं ग्राहकों की सच्ची हितैषी पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन ही रख सकती है तथा इस प्रकाशन के माध्यम से बैंकरों की अपेक्षाओं को आपने सार्थक कर दिखाया है, वह भी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी में। इसके लिए मैं आपकी पत्रिका के संपादक मंडल व संस्था को तहेदिल से साधुवाद देता हूं।

● एल. के. साहू
अधिकारी
दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, दुर्ग

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी मार्च 2008 का अंक प्राप्त हुआ। ग्राहक सेवा आधारित आवरण पृष्ठ काफी चित्ताकर्षक है। सम्पादकीय के शुरुआती शब्द 'सर्वे भवन्तु सुखिनः...' से लेकर सम्पादकीय का सम्पूर्ण आलेख ही प्रेरणादायक, सारगर्भित एवं उपयोगी है।

श्री सुबहसिंह यादव का निबंध 'आर्थिक उदारीकरण और किसान' बहुत ही प्रासंगिक लगा। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी.के. गुप्ता से साक्षात्कार एवं उनकी उक्ति 'यदि आप डिज़र्व करते हैं तो जरूर मिलेगा', काफी प्रेरणादायक रही। ग्राहक सेवा से संबंधित सारे लेख ही बैंकरों को विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों की महत्ता का परिचय तो देते ही हैं, उचित मार्ग निर्देशन भी करते हैं।

सम्पादक मंडल के सभी सदस्यों को बधाई एवं लेखकों को साधुवाद।

● रविंद्र कुमार
राजभाषा अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, दुर्गापुर

पिछले 20 सालों से मैं बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का नियमित पाठक रहता आया हूं। पत्रिका की सभी सामग्री उपयोगी और प्रेरणादायक होती है, यह कहना एक औपचारिकता मात्र है।

परंतु जनवरी-मार्च 2008 की अंक में श्री पी. के. गुप्ता से किए गये साक्षात्कार के कुछ अंश मुझे इतने भा गये कि मैं पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जनसंपर्क और कार्मिक संबंध के बारे में श्री गुप्ता के विचार निश्चित रूप से अनुकरणीय है। यदि हर संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी इस तरह के सकारात्मक एवं उन्मुक्त विचार के पक्षधर हों, तो शायद देश की स्थिति सुधरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसी सुंदर सामग्री के लिए धन्यवाद।

● उदयन सूपकार 'कुन्दन'
राजभाषा अधिकारी
यूको बैंक, भुवनेश्वर

साक्षात्कार

अतीत के आईने में

साक्षात्कार सिर्फ एक शब्द नहीं होता बल्कि शब्द के साथ-साथ एक आभास भी होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। वस्तुतः साक्षात्कार एक प्रक्रिया है। एक लंबी प्रक्रिया - व्यक्ति को समझने की, व्यक्तित्व को समझने की; व्यक्तित्व के निर्माण के सोपान को समझने की; अनुभव की आँच पर तपकर सोना हुए जीवन वृतांत को जानने की- प्रक्रिया है; एक अनुभव को जानने की साक्षात प्रक्रिया। कोई यूं ही अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं बनता। कुछ तो होता है उनके भीतर जिसे हम साक्षात समझने का प्रयास करते हैं। कुछ तो होता ही है जो उन्हें सफलता की सीढ़ियां और चढ़ाते रहता है। प्रश्न यह उठता है ***ये कुछ तो क्या है****- बस इसी का उत्तर पाने का प्रयास हम इस साक्षात्कार स्तंभ में करते रहे हैं। एक यात्रा के रूप में वर्ष 2003 में प्रारंभ साक्षात्कार का एक अटूट खज़ाना लेकर आपकी पत्रिका समृद्ध होती रही है और आगे भी होती रहेगी। बस, मानव-स्वभाव है कि यात्रा जारी रखने के दौरान भी यात्री रुककर, पलटकर एक बार देखता जरूर है अपने रास्ते को, और हमने भी रुककर, पलटकर देखा तो पाया कि* ***डाउन मेमोरी लेन*** *के खजाने में अनुभव के हीरे हैं, विचारों के जवाहरात हैं, और शब्दों के अनमोल मोती हैं। चलिए, देखते हैं- इस अनमोल खज़ाने में जीवंत शब्दों की उस अमूल्य निधि को जिसे बार-बार स्पर्श करने का मन करता है। यात्रा आगे बढ़ाने के पूर्व चलिए झांककर देखते हैं-अतीत के पन्नों में, ताकि भविष्य के चित्र में अनुभव सिद्ध रंग भरे जा सकें।*

- कार्यकारी संपादक

डॉ. दलबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
जनवरी-मार्च-2003

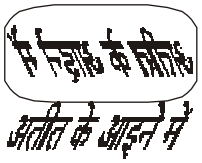

☛ **दे**खिए उनके पास अपने खाने-पीने के लिए धन नहीं है, अशिक्षा है, वे बैंकिंग का क्या करेंगे। पूरा का पूरा इस तरह का समुदाय है, उसे बैंकिंग की शिक्षा देकर भी क्या होगा। रही बात शहरी क्षेत्रों या अर्धशहरी क्षेत्रों की तो वहां मैं समझता हूं कि सभी बैंक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा प्रचार करते हैं, यहां तक कि स्थानीय भाषा में भी करते हैं। ग्रामीण जनता अभी भी बैंकिंग प्रक्रिया को जटिल मानती है। कारण क्या है कि हम सभी बैंक वाले एक सिस्टम में बंधे हैं, कायदे कानून हैं, उसके दायरे में काम करते हैं। जबकि गांववाले अपनी जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। वो उनकी जरूरतें समझता है और उन्हें आसानी से पूरा करता है। बैंकों के एवं एनबीएफसी के उद्देश्यों में अंतर है। फिर भी, इस पर चिंतन हो रहा है शायद धीरे-धीरे परिवर्तन होगा।

☛ बाज़ार की शक्तियां बैंकों का स्वरूप बदल देंगी, धीरे-धीरे निजीकरण और विनिवेश बढ़ता जायेगा और Board Driven Policies काम करेंगी। हो सकता है कि भविष्य में लक्ष्य (Targets) के बजाय लाभप्रदता (Profitability) ही बैंकों का मापदंड हो। आज धीरे-धीरे बैंकों की सामाजिक संस्कृति परिवर्तित हो रही है यह उसी का संकेत है। बैंक अपने नाम, आकार के स्थान पर लाभप्रदता से पहचान बनाएंगे।

श्री योगेश चन्द नंदा
अध्यक्ष
नाबार्ड
जुलाई-सितंबर-2003

☛ **ग्रा**मीण बैंकिंग एक रोमांचक क्षेत्र हैं। करोड़ों लोग जो हमारे लिये खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं उन्हें बैंकों से धन की जरुरत है। हो सकता है कि यह इतना आकर्षक क्षेत्र नहीं हो पर यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश की 65 प्रतिशत से ज्यादा की जनसंख्या से जुड़ता है। ग्रामीण बैंकिंग में नवोन्मेष की जरुरत है और साथ ही जरूरत है ग्रामीण ग्राहकों को उचित लागत पर गुणवत्ता वाली सेवा की। चूंकि अर्थार्जन पर लगातार दबाव बढ़ा रहेगा अतः बैंकों को नया सोचते रहना पड़ेगा। मेरे विचार से ग्रामीण वित्त में नवोन्मेष ही ग्रामीण बैंकिंग की जीवनधारा बन सकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि ग्रामीण शाखा प्रबंध को खेतों में ही उतरना पड़ेगा। आप अपनी शाखा में बैठकर अच्छे ग्रामीण बैंकर नहीं बन सकते। इस दिशा में, 'आपसी संबंधों की पूंजी ही महत्वपूर्ण है।'

डॉ. के. एम. भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
अक्तूबर-दिसंबर2003

☛ **बै**किंग एक सामाजिक सेवा है और उसकी प्रतिष्ठा समाज से जुड़ने से ही बढ़ती है, हमने वार्ड को अपना लिया, अकाल-ग्रस्त इलाकों में पशुओं के चारे आदि की व्यवस्था की। इससे बैंक की साख में बहुत बढ़ोतरी हुई जो शायद विज्ञापनों पर लाखों रुपये खर्च करने पर नहीं हासिल होती। पर हां, दूसरी तरफ यह भावना भी काम करती है कि हम समाज से ही सब कुछ ले रहे हैं तो कुछ लौटाने का धर्म भी हमारा बनता है और यही उत्तरदायित्व है जो हमारे बैंक को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ता है। सच कहूं, इससे हमें बहुत फायदा ही हुआ है।

☛ निजी क्षेत्र में आज स्पर्धा बहुत हो गयी है। कुछ बैंक aggressive marketing करके ग्राहकों को आकर्षित कर रहे है ऐसे में Traditional Banker के लिए काफी कठिनाई हो सकती है। आपका क्या विचार है?

☛ एक बात तो सभी मानते हैं कि विकास के लिये स्पर्धा का होना जरूरी है। मैं यह मानता हूं कि आप aggressive marketing से ग्राहक तो ला सकते हैं पर उनको बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है- सेवा में सुधार। हमने अपने क्रेडिट कम्पोज़िशन आदि को तर्कसंगत बनाया और अल्पावधि ऋणों को ज्यादा अहमियत दी। एनपीए वाले क्षेत्रों को धीरे-धीरे अलग करना शुरू किया और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। वितरण में हमने Speed को प्राथमिकता दी।

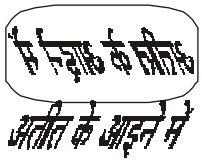

☛ जहां तक नये बैंकों से स्पर्धा की बात है तो मैं बताऊं कि इनमें से अधिकांश चाहे तो आईसीआईसीआई हो या एचडीएफसी या फिर आईडीबीआई बैंक सब के सब हमारे नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जहां हम Operate करते हैं वहां इनकी शाखाएं नहीं है। यहां तक की कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंक भी हमारे नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि पारस्परिक समझ से सभी अपने-अपने स्तर पर विकास कर रहे हैं और यह एक अच्छा संकेत है।

श्री अरुण कुमार पुरवार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक
अप्रैल-जून-2004

☛ **मैं**ने इस फलसफ़े को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि पूरी तरह लागू भी कर रखा है। हमने बैंक में 'पारिवारिक' या यूं कहे कि एक परिवार की भावना पैदा कर रखी है- और इसी कारण हमारा विकास हो रहा है, बैंक की प्रगति हो रही है। मैंने यह चाहा कि स्टेट बैंक, केवल स्टेट बैंक ही नहीं बल्कि सहयोग बैंक भी है, एक टीम की तरह काम करें- एकजुट हो जायें तो सफलता पाने में मुश्किल नहीं होगी। आप तो जानते ही हैं कि संगठन में शक्ति होती है। मैंने बैंक में 'सिंगल विन्डो' संकल्पना को लागू कर दिया और आज आपका सारा काम एक ही काउंटर पर हो जाता है। काउंटर पर बैठे कर्मचारी को अधिकार दिए गए हैं इससे ग्राहकों को फायदा हो रहा है। ऐसा पहले हमने विदेशों में खासकर जापान में देखा लेकिन हमने प्रयोग किया और हम सफल रहे। आपको बता दूं मैं जब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में था तब हमने यूनियन आदि को साथ लेकर यह प्रयोग 35 शाखाओं में शुरू किया और आज हमारी 6000 शाखाओं में 'सिंगल विन्डो' योजना लागू है। इससे काम करने वालों का जुड़ाव बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी और ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आप इस बात को जरूरी मानेंगे कि इसी से हम बाज़ार की ताकतों, विशेषकर प्रतिस्पर्धा का सही रूप में सामना कर सकते हैं। अब तो हम सरकारी काम भी इसी तरह कर रहे हैं। सरकार भी ऐसा ही चाहती है ना। यह तय है कि इसी से हम हिन्दुस्तान को विश्व में 'एट पार' ला सकते हैं।

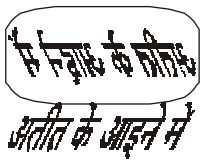

☛ देखिये, हिन्दुस्तान की आत्मा को यदि बैंकिंग में लाना है तो हमें भारतीय भाषाओं को उससे जोड़ना ही होगा। हमने ऐसा ही किया भी है। हम तीन भाषाओं को लेकर चलते हैं हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। 'कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स' में इसे ही प्रमुखता दी गयी है। हम ग्राहक का काम ग्राहक की भाषा में ही करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र गुप्ता
प्रबंध निदेशक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
जुलाई-सितंबर-2004

☛ **दे**खिए, जहां तक मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा तो पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। यह ठीक है कि निजी बैंक काफी आक्रामक मार्केटिंग करते हैं पर वे यह नहीं जानते कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास व्यापक नेटवर्क है और यही हम सब की ताकत है। रही बात फार्मूलों की तो, नीतियां तो सब के लिए एक समान है पर उन्हें लागू करने में प्रबंध तंत्र की सोच काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर नीतियों के प्रति सोच के साथ-साथ आज के युग की मांग- टेक्नॉलॉजी में भी हमें आगे रहना है, यह सोच हमें मजबूती देती है। वो कहते हैं न कि 'हम भी कुछ है' अपने आपमें बहुत ताकत देता है, आपको आत्मबल देता है जो सफल होने के लिए मूलभूत तत्व है। फिर यह भी सच है कि यह अपने पर निर्भर करता है कि हम बैंक को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं-सही दिशा, लाभप्रदता एवं सामाजिक सोच के बीच उचित संतुलन, तथा सार्वभौमिक सोच यही तो हमारे मानदंड है। अब देखिये हमारा ध्यान सिर्फ शहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है- हम ग्रामीण क्षेत्र को भी उतना ही जरूरी मानते हैं जितना शहरी क्षेत्र को। कौन कहता है कि ग्रामीण ऋण ही डूबते हैं- हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं है। हमने तो इस क्षेत्र को इग्नोर नहीं किया, हम तो 45 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देते हैं और हमें इसका गर्व भी है।

श्री बी.डी. नारंग
अध्यक्ष
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
अक्तूबर-दिसंबर-2004

- मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, बस, थोडा-सा मोटिवेट करना होता है। उसे पहचान देनी होती है। कुशल प्रबंधन का कार्य है कि वे उसके सामर्थ्य को पहचानकर उसके हिसाब से उसे काम दें और उसकी कार्य कुशलता बढ़ाएं। किसी संस्था की सफलता अच्छी नीतियां एवं योजनाएं बनाने पर ही निर्भर नहीं है, उन नीतियों को लागू करना भी जरूरी है और इसके लिए संस्था के प्रत्येक कर्मचारी की सहभागिता का होना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी 'आधार' पत्रिका के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को अपने सारे प्रोडक्टस की जानकारी दी है क्योंकि ग्राहक आते ही काउंटर पर पूछताछ करता है। हमने अपने कार्पोरेट लक्ष्यों को मात्र मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं रखा है अपितु इन्हें प्राप्त करने के लिए बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को इसमें शामिल किया है। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच हमने दोहरा सम्प्रेषण रखा है ताकि वे संस्था की नीतियों को भलीभांति समझ सके। कार्यालयीन मर्यादाओं को यदि हम छोड़ दें तो मेरी केबिन के दरवाजे सभी के लिए हरदम खुले हैं।
- मेरा यह मानना है कि 'मैन पावर' कभी रिप्लेस नहीं होता पर उसे अपग्रेड किया जा सकता है। प्रशिक्षण का अपना बजट हम पिछले दो सालों में बढ़ाते गये। देश विदेश में अपने लोगों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जिससे आपसी 'रोटेशन' बहुत आसान हुआ और मैनेजमेंट को इसका फायदा मिला क्योंकि मैरिट वाले लोग बढ़ते गये और हम आगे बढ़ने लगे।
- मैं प्रशिक्षण और मार्केटिंग दोनों को ही जरूरी समझता हूं। प्रशिक्षण किसी भी अच्छी संस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है और बैंकिंग इसका अपवाद नहीं है। बैंकिंग उद्योग में दिन-प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप कार्य करने के लिए हम अपने स्टाफ को योजनाबद्ध तरीके से बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षित करते रहते हैं। जहां तक मार्केटिंग का प्रश्न है, कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में केवल वे बैंक ही टिक पायेंगे जो अपने नए-नए प्रोडक्टों के साथ ग्राहकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे और इसके लिए एक प्रभावी मार्केटिंग का होना बहुत जरूरी है। पर जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग एग्रेसिव हो।

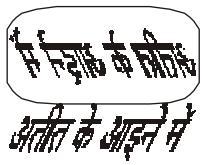

श्री सुकमल चंद्र बसु
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जनवरी-मार्च-2005

- मेरा यह मानना है कि 'मार्केट फोर्स' न केवल हमें अनुशासित करती है बल्कि अपने आघातों से हमें अपने आप को तैयार करने के लिये प्रेरित भी करती है इसलिए बहुत जरूरी है, बाज़ार की ताकतों को सही तरीके से और सही परिप्रेक्ष्य में समझना। मार्केट फोर्स से पहुंचने वाले आघातों से बचाव के लिए हमें संगठनात्मक पुनर्गठन और कारोबार प्रक्रिया के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसमें से कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन की गति धीमी रही है। इसके लिये यह जरूरी है कि टेक्नॉलॉजी और बैंकिंग दोनों साथ-साथ चलें।
- यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेंस को ताल से ताल मिलाकर चलना होगा और उन्हें कहीं न कहीं एक ही बिंदु पर आकर एक दूसरे से जुड़ना होगा। आप इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि भारत में बैंकिंग जगत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है बल्कि जरूरत है उनकी क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने की।
- 'कामर्शिअल बैंक' और 'रेग्युलेटरी एथॉरिटी' हमारे यहां बैंकिंग के दो स्तंभ हैं जरूरत है इन दोनों में उचित तालमेल की। बासल -II के परिप्रेक्ष्य में इनकी महत्ता और भी बढ़ गई है। इस दिशा में आदर्श स्थिति में पहुंचने में हमें अभी 3-4 वर्ष लग सकते हैं लेकिन कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन को हमें अभी से पूरी तरह से लागू कर देना होगा।

श्री वी. पी. शेट्टी
अध्यक्ष और
प्रबंध निदेशक
केनरा बैंक
अप्रैल-जून-2005

☛ **बैं**किंग में आमूल परिवर्तन हुए हैं और चूंकि मैंने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अनुभव लिया है इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की रूढ़िवादी बैंकिंग की तुलना में आज ऐसी बैंकिंग नजर आ रही है जो आक्रामक है, प्रतिस्पर्धी है और साथ ही साथ अद्यतन टेक्नॉलॉजी से सुसज्जित है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो ताकतवर है वही टिका रह सकता है। नरसिंहम कमेटी ने सुधारों का बिगुल बजाकर न केवल चुनौतियों का कुरुक्षेत्र तैयार कर दिया है बल्कि बैंकिंग जगत को अपनी ठोस जमीन तैयार करने के लिए भी बाध्य कर दिया है। रही-सही कसर पूरी कर दी है आक्रामक रूप से आए निजी और विदेशी बैंकों ने जिसके कारण परंपरावादी बैंकर चुनौतियों के नए अखाड़े में उतरने के लिए कमर कसने को बाध्य हो गए। है ना, क्रान्तिकारी परिवर्तन?

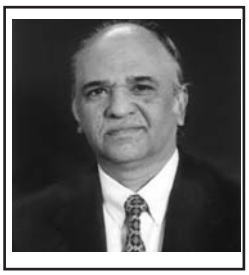

श्री के. आर. श्रीकण्ठन
प्रबंध निदेशक
स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर एण्ड जयपुर
जुलाई-सितंबर-2005

☛ **भा**ई, मेरा यह मानना है कि 1990 के दशक से शुरू हुए आर्थिक सुधारों से बैंकिंग जगत में पूरी तरह से बदलाव की जो बयार चली थी उसने आज एक नए निखरे बैंकिंग पटल को हमारे सामने खड़ा कर दिया है जिसने आपको कारोबार के तौर तरीके, ग्राहक संपर्क, टेक्नॉलॉजी प्रोग्रेस, ट्रेजरी मैनेजमेंट, नए उत्पादों एवं सेवाओं के आगमन के साथ ही नई कार्यप्रणाली से भी रूबरू कराया है। हां, विदेशी और निजी क्षेत्र में नए बैंकों के आगमन ने जरूर बैंकिंग जगत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। इसके अलावा, बासल-II समझौते और मुक्त विश्व व्यापार के इस दौर में हमें इन सभी घटकों में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बैंकिंग को अपनी कमियों को दूर झटककर अपने आपको मजबूत करने की ताकत भी प्रदान की है जिसे आप सभी महसूस कर रहे हैं।

☛ पूरा भारतीय बैंकिंग उद्योग एक पूर्णरूपेण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इससे भारतीय मूल्यों को कोई खतरा नहीं है। हालांकि बाजार की ताकतें और टेक्नो-फोर्सेस अपना दबाव बनाए हुए हैं लेकिन भारतीय बैंक अपने मानवीय चेहरे (ह्यूमन फेस) को कायम रखने में जरूर सफल होंगे। मौजूदा स्थितियों में कोई भी बैंक, फिर चाहे वह निजी क्षेत्र का ही बैंक क्यों न हो, भारतीय मूल्यों से मुह मोड़कर लंबे समय तक विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता।

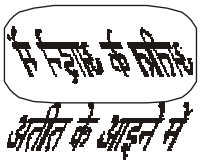

☛ आपकी यह बात ठीक है कि बैंकों में वाणिज्यिक एप्रोच ज्यादा आ गया है लेकिन भारतीय बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और मौजूदा मुद्रा नीति ने तो कृषि ऋण के महत्व को स्पष्ट करते हुए बैंकों के सामने भविष्य की संभावनाओं वाला एक विस्तृत क्षेत्र खड़ा कर दिया है। अब बैंक स्व-सहायता समूहों की मदद से गांवों के चौपाल से होते हुए हर घर तक पहुंच चुके हैं और इस क्षेत्र में एनपीए का प्रतिशत भी बहुत कम होने के साथ ऋण वितरण का दायरा फैला हुआ है।

☛ ग्राहकों का विश्वास जीतने का एक ही मंत्र है और वह है सेवा।

श्री ओ. एन. सिंह
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
इलाहाबाद बैंक
अक्तूबर-दिसंबर-2005

☛ देखिये लाभ तो किसी भी वाणिज्यिक संस्था का अंतिम लक्ष्य होता ही है - पर रही बात रिटेल बैंकिंग की तो जैसा कि मैं बता रहा था- 1969 के बाद बैंकों की भूमिका में बदलाव आया लेकिन कोई सही दिशा नहीं पकड़ में आ रही थी-विस्तार होता गया, योजनाएं बनती गयीं, अंधाधुंध विकास हुआ, कुछ मामलों में यह अच्छा ही रहा परंतु बिखराव आने लगा और स्थिति यह आई कि एनपीए नामक राक्षस भस्मासुर बनकर उभरने लगा। बैंकिंग जगत में एक ठहराव-सा आ गया। परंतु जैसा कि आप जानते हैं 1990 में, परिवर्तन की आंधी आई- नये दृष्टिकोण के साथ नये नियम आने लगे, बासल समझौता, कार्पोरेट गवर्नेन्स, प्रावधान करना, पूंजी पर्याप्तता आदि आदि। इस प्रकार बैंकों के सामने एक नयी दृष्टि आई, एक ऐसा दर्पण उन्हें दिखाया गया जिसमें उन्हें अपनी वास्तविक छवि नज़र आई अर्थात फिर बैंकों ने कमर कसी- नयी चुनौतियों का सामना करने के लिये। ऐसा सिर्फ हमारे यहां ही नहीं हुआ बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में हुआ-हम थोड़े सजग रहे अतः हमारे यहां नुकसान होने के पहले हमने सुधारात्मक राह पकड़ ली। पर हम बात कर रहे थे रिटेल बैंकिंग की- तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद बैंक तो शुरू से ही रिटेलर रहा है क्योंकि हमारे ग्राहकों की जरूरतें वैसे ही थीं, जहां तक मैं समझता हूं कि अभी भी रिटेल बैंकिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है-अभी तो शुरूआत ही समझिये, आगे बढ़ने का रास्ता खुला है, इसमें विस्तार होगा और सही रूप में विस्तार होगा।

☛ मेरा तो यह मानना है कि जो दूसरों से पहले सोचेगा वह जरूर कामयाब होगा। हमारे बैंक के संदर्भ में भी देखें, हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में दूसरों ने बहुत देर बाद ही सोचा।

श्री वी. के. चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्पोरेशन बैंक
जनवरी-मार्च-2006

☛ एग्रेसिव मार्केटिंग तो आजकल की बात है और भारतीय परिवेश में उसका क्या असर होता है ये तो बाद की बातें है। पर जो निजी बैंक या विदेशी बैंक इस तरह माहौल बना रहे हैं वे भी जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक टेक्नॉलॉजी में तो उनके बराबर हो ही गये हैं और जहां तक स्प्रेड की बात है वे हमारे सामने कहीं नहीं टिकते और जिसे हम लोग मार्केट फोर्स या ताकत कह रहे हैं हम उसे मांग कहते हैं। देखिये हर समय जब जब भी जैसा माहौल रहा है, उसकी अपनी मांग रही है और सरकारी बैंकों ने हर समय उस मांग को पूरा किया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निजी बैंकों के तरीके को नकार रहे हैं। परंतु यह बात जरूर सोचने लायक है कि हमारा तो अपना तंत्र है अपना ही स्टाफ है। जबकि वे अधिकांश काम आउटसोर्स कर रहे हैं। खासकर विदेशी बैंक। अब आउटसोर्स में वह पर्सनल टच कहां से आयेगा जो हम लोग दे सकते हैं। हैं ना। दूसरी बात उन बैंकों के पास इलाईट ग्रुप होता है जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक क्रॉस सेक्शन ऑफ कस्टमर की सेवा करते हैं। ऐसे में संतुलन की बात कहां से उठती है। रही बात प्रॉडक्टस की जानकारी देने की तो आज हर बैंक इस बारे में सज़ग है और अपने-अपने प्रॉडक्टस की जानकारी जनता को हर स्तर पर देते हैं। वैसे आज का कस्टमर भी तो जागरूक हो गया है। मांग करता है और हम पूर्ति करते हैं।

श्री के. रामकृष्णन
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
आंध्रा बैंक
अप्रैल-जून-2006

☛ ग्राहक की अपेक्षाओं को संतुष्टि के स्तर तक पूरा करना ही तो ग्राहक सेवा है और ग्राहक है, तो हम हैं, बैंक है। रही बात एचआर नीतियों की तो मेरा यह मानना है कि समय के साथ-साथ अपग्रेड करते रहना जरूरी है- सभी स्तरों पर नॉलेज गैप भरा जाना चाहिये, यदि गैप है तो तुरंत हटाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि नॉलेज आने से कर्मचारियों में कमिटमेंट की भावना अपने आप आ जाती है और फिर उससे आता है सेंस ऑफ बिलाँगिंग। यह विचार आना कि यह मेरा बैंक है जिसने मुझे आमदनी के साथ-साथ सोशियल स्टेटस भी दिया है, एक पहचान दी है अपने आप कमिटमेंट पैदा करेगा...। वस्तुतः एक स्थिति के बाद सेल्फ मोटिवेशन ही काम करता है।

☛ दूसरी बात मैं, यह बताना चाहता हूं कि मैं जब से यहां आया हूं मैंने ट्रैन्सपेरेंसी या खुलापन लागू कर दिया है, मेरे दरवाजे हर एक के लिये खुले हैं-ई-मेल से मुझसे कोई भी संपर्क कर सकता है.. मैं उन्हें लिखता हूं.. मैं शाखाओं में या कार्यालयों में जाकर मिलता हूं.. मैं यह नहीं दर्शाता कि मैं अध्यक्ष हूं। मैं तो एक कलिग हूं.. साथी हूं- मैं उनमें यही भावना भरता हूं - कोई है उनके साथ। 'बिईंग टेकन केयर' वाली बात पैदा की है मैंने- बस इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या होगा।

☛ जिन्दगी में अवसर बहुत कम आते हैं- आप बैंक में हो या बैंकिंग से बाहर, अपने अवसरों को मत छोड़िये.. पता नहीं किस अवसर से आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। बस किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दें...। मेरा ख्याल है इतना संकेत काफी है।

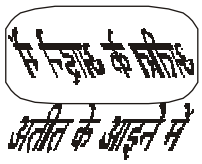

डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
इंडियन बैंक
जुलाई-सितंबर-2006

☛ **जो** बैंक समय की धारा में बहकर अपने आपको नहीं बदलेंगे तो उनकी हालत, उन्हें अंधकार के इतिहास का हिस्सा बना देगी। अरे भाई, ग्लोबलाईजेशन का जमाना है जिसमें रेग्युलेटर और सुपरवाईजर दोनों ही महत्वपूर्ण बनते गये। वास्तव में देखा जाए तो यह बिज़नेस अपोर्च्यूनिटी है- ऐसे माहौल में भी यदि कोई बैंक काम नहीं कर पाया तो फिर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न लग सकता है। यूं कहे तो कारोबार या बिज़नेस करने का सही समय है आज कल का माहौल। बासल -II की जो बातें हम लोग आजकल कर रहे हैं-भाई ये अपेक्षाएं तो पहले भी रही हैं बस केवल समय के साथ उसका रूप बदला है और उसमें होने वाला प्रतिलाभ बदला है। जोखिम वास्तव में कारोबार की एक जरूरत है यदि जोखिम नहीं होगा तो आप प्रतिलाभ की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, इसलिये तो कहते हैं ना कि जितना बड़ा जोखिम होगा उतना ही लाभ कमाने का अवसर।

☛ हजारों सालों बाद हमें वर्ल्ड मैप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अवसर मिला है, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं, हमें मैन काइन्ड को कुछ देने का मौका मिला है, उसका फायदा उठाकर हमें योगदान देना चाहिए। हमें 'नीड टू वर्क' के सिद्धांत को मानना होगा तभी हमें सही पहचान मिलेगी। हैं ना।

- **मैं** कहता हूं कि अवसर है फायदा उठाओ, अवसर आयेंगे तैयार रहो। कम्यूनिकेशन के धरातल पर उनसे सीधे जुड़ता हूं और यह अहसास दिलाता हूं कि अपने बैंक को अन्यों की तुलना में आगे ले आना है। मैं कार्य को मिशन के रूप में देखता हूं, करता हूं और कहता हूं कि मिशन के हिसाब से दृष्टिकोण बदलो वर्ना हम मिशन को हासिल करने में चूक जायेंगे। चुनौतियों को प्रेरणा में बदलना आज की आवश्यकता है।
- मैं मानता हूं कि डेडिकेशन की भूख पैदा करना और कार्पोरेट जगत में अपनी जगह बनाना लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है। बैंकों के प्रमुखों की जिम्मेदारी होती है कि वे एक मॉडल बनने के साथ-साथ संतुलक की भूमिका निभायें जिससे आपके साथ काम करने वाली टीम को आधार मिले। देखिये, सभी को पहचान की जरूरत होती है आप अपने कर्मचारियों को पहचान दीजिये-वो स्वयं प्रेरित होंगे और आपके लिये टीम भावना से ही काम करेंगे।
- एक बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मैं चाहता हूं कि राजभाषा का सम्मान हो, उसे सही स्थान मिले और मैं हिंदी से पूरी तरह सहमत हूं परंतु एक बात कहना चाहता हूं कि नीति सबके लिये समान होनी चाहिये- हम हिंदी में काम करते हैं हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं-हमारे कार्यनिष्पादन पर असर होता है- जबकि दूसरी तरफ हमारी तुलना की जाती है निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन से लाभप्रदता और लाभ से कुल कारोबार के साथ। अरे भाई सरकार या तो हिंदी में काम करने की भरपाई करे या फिर सभी बैंकों भले ही वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, पर राजभाषा नीति लागू करे। यह दोहरे मानदंड से परेशानी होती है। जब बाकी चीजों में समानता है तो राजभाषा में भी वो ही नीति होनी चाहिये.. आप मानते हैं ना मेरी बात।
- भई मैं तो यंग जनरेशन से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वे अपने कैरियर के लिये आईटी, इंजीनियरिंग या मेडिकल को चुनते हैं वैसे ही बैंकिंग को भी चुने, बैंकिंग में बहुत स्कोप है, गुंजायश है- यह ना भूले कि बैंकिंग बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र है.. और आगे और बढ़ेगा.. वे आयें और जुड़ें। यही कामना।

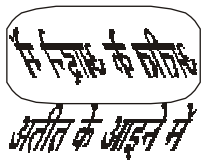

श्री वी. श्रीधर
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
यूको बैंक
अक्तूबर-दिसंबर-2006

अतीत के आइने में

- **श**त-प्रतिशत परफेक्शन पाना बहुत कठिन काम है। केनरा बैंक में मेरे सुपरिन्टेंडेंट रहे- हर मामले में वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने समझा कि परफेक्शन क्या होता है। इस प्रकार का काम करने से मन को शांति मिलती है..
- वैसे तो जिंदगी हर कदम पर एक टर्निंग पाईंट बनती जाती है-सभी तरह के उतार-चढ़ावों के बीच- जब भी मैं सोचता हूं -मेरे पिताजी की तस्वीर मेरे सामने आती है- वो अक्सर कहते थे कि 'यदि कोई आकर कुछ कहता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है तो रिएक्ट करने के पहले अपने आपको उसकी जगह रख कर देखो'-यही संस्कार मेरे जीवन के टर्निंग प्वाईंट रहे हैं। और यही कारण है कि मेरा इंट्यूशन बहुत ही स्ट्राँग है और मैं अपनी संस्था के प्रति बहुत ही ज्यादा पजेसिव हूं- इसे आप गॉड गिफ्ट कहें या कुछ और, मैं लोगों के दिलों की बात समझ लेता हूं।

श्री प्रकाश मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
विजया बैंक
जनवरी-मार्च-2007

☛ वास्तव में लोग मैनपावर को ज्यादा अहमियत नहीं देते जबकि मैं मानता हूं कि गिव इम्पोर्टेन्स टू मैनपावर, भई वास्तविक एसेट तो यही होते हैं-मैं जब विजया बैंक में आया तो जैसे कि मैंने बताया, मैं ड्रीम देखता हूं, एक ड्रीम लेकर आया और बैंक के हर स्तर के कर्मचारी तक अपनी बात पहुंचाई। मैंने कहा कि आज ग्राहक के पास बहुत सारे विकल्प हैं, यदि आप उन्हें सेवा नहीं देंगे तो वो दूसरे बैंक के पास जायेंगे और मैंने तुरंत निर्णय लेने के अपने सिद्धांत को भी लागू किया- अरे भई अवसर क्यों छोड़ें? मैं सुनता हूं -हर एक की बात सुनता हूं, समझता हूं और अपना निर्णय देता हूं-मैं टीम में विश्वास करता हूं - सबको साथ लेकर चलता हूं-मैं जब बैंक में लगा तो मेरा सपना डीजीएम बनने तक का ही रहा-पर बाद में लगा कि नहीं आसमान और भी है। मैंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में सोचा। मैं किसी पर कोई बात थोपता नहीं। मैं इमेज बिल्डिंग में विश्वास करता हूं, मैंने विजया बैंक जिसे स्मॉल बैंक कहा जाता था, को मीडियम रादर अपर मीडियम श्रेणी में पहुंचाया है और यह सब हुआ अपनी टीम के कारण, अपने लोगों की मेहनत के कारण-वैसे एचआर कोई सिद्धांत नहीं एक प्रक्रिया है- आप किसी के लिये अच्छा सोचें, उसका वेलफेयर सोचें-आपको अपने आप - अच्छा रिटर्न मिलेगा।

श्री एम. वी. नायर
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अप्रैल-जून-2007

☛ सब कुछ में तो नहीं लेकिन कुछ मामलों में तो हम बैंक ऑफ फर्स्ट चॉइस होना ही चाहते हैं.. मैंने पहले भी कहा है और अब दोहराता हूं कि हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुछ अलग दिखना चाहते हैं-मैं कम्प्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन चाहता हूं ताकि बैंक एक परम्परागत लेनदेन करता बैंक मात्र न लगे बल्कि तमाम प्रॉडक्ट का एक मॉल लगे, एक 'बैंकिंग स्टोर' जो सभी लोगों की सभी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है कि हमने अभी इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। हम अपने स्टाफ को रि-स्किल करना चाहते हैं-और यह होने का मतलब है 'ए बैंक ऑफ फर्स्ट चॉइस'। देखिये आई बिलिव इन ब्रांड बिल्डिंग.. यूनियन बैंक को एक ब्रांड के रूप में देखना चाहता हूं और साथ ही यह भी सोचता हूं कि हमारे प्रॉडक्ट नये हों, नयी आइडिया वाले आकर्षक हों ताकि हम दूर तक जा सकें।

☛ हमने अपना ध्यान एग्रीकल्चर, एसएमईज और रिटेल पर केंद्रित किया है क्योंकि आज की डिमांड के हिसाब से यही क्षेत्र है जहां हम नया कर सकते हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमारी योजनायें और प्रोडक्ट कृषि से संबंधित हैं।

☛ ट्रेनिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी ये ही दो चीजें हैं जो हमें टारगेट तक पहुंचायेंगी। रेग्यूलर प्रशिक्षण के अलावा हम डेडिकेटेड ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।

☛ यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि पूरे बैंकिंग में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। इसे हमें बढ़ाना ही होगा। पता नहीं क्यों लोग नॉलेज इन्डस्ट्री के नाम पर केवल आईटी की ही सोचते हैं, सच कहूं तो वास्तव में बैंकिंग है नॉलेज इन्डस्ट्री -क्योंकि इसमें कम्प्यूटर सहित सब कुछ शामिल होता है-एचआर, मशीन, विज्ञान, कला, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण मानवीय व्यवहार..समाजशास्त्र, मेरा मतलब है सब कुछ.. तो है ना बैंकिंग 'नॉलेज इन्डस्ट्री' .. मेरे विचार से हमें ट्रेनिंग को और अधिक जॉब ओरियन्टेड बनाना चाहिये.. मेरा बैंक प्रयास कर रहा है। वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग तो केवल एक ही पक्ष है, हम बैंकरों को सेल्फ लर्निंग की आदत भी डालनी चाहिये ताकि हम केवल ट्रेनिंग पर ही डिपेंड न रहे... ट्रेनिंग हमारे सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट कर सकती है।

श्री अमिताभ गुहा
प्रबंध निदेशक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
जुलाई-सितंबर-2007

☛ फुटबॉल में आप स्टान्स बदलते रहते हैं पर बैंकिंग में -दोनों का मिक्स ही होना चाहिए-देखिये, यहां हम सेवा देने के लिये हैं या कह लें कि सेवा आधारित कारोबार करने के लिये। मेरे हिसाब से बैंकिंग को विजीबल, एग्रेसिव, विभिन्न प्रोडक्ट वाली एवं व्यवहारिक होना चाहिए। इन सबका मिला-जुला रूप ही आपको सफलता दिखा सकता है। आज जब बैंकिंग के बाजार में स्पर्धा है, होड़ है तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे-इसलिये आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा और जब बैंक मैदान में उतरेंगे तो ये जो मैंने बताया वो सब क्वालिटी तो होनी ही चाहिये।

☛ माई स्पिरिट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट.. आत्मसम्मान की भावना। मैं अपना बेहतर करना चाहता हूं, ताकि जब रात्रि को सोने जाऊं तो मुझे गर्व महसूस हो कि मैंने कुछ किया, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के लिये कुछ करूं। इससे मुझे ताकत मिलती है, मेरा इनर मजबूत होता है, अपनों के प्रति सरोकार ही मुझे आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, मैं ट्रान्सपेरेंसी में विश्वास करता हूं स्टेट फारवर्ड हूं, जो है सो है।

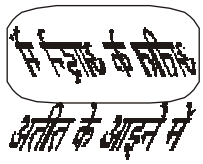

☛ रिलेशनशिप बैंकिंग- जी हां सही समझ रहे हैं आप। हम संबंधों की बैंकिंग में विश्वास करते हैं, हम बैंकिंग के माध्यम से एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की ग्रोथ को देखना चाहते हैं- वैसे भी सभी जानते हैं कि हमारा बैंक 'कॉमन मैन ' का बैंक कहलाता है-सच कहें तो कहलाता ही नहीं, बल्कि 'कॉमन मैन' का ही बैंक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा बैंक कई पीढ़ियों का बैंक है-मेरा मतलब है ग्राहक आपका ग्राहक ही नहीं बल्कि उसकी और हमारे बैंक की रिलेशनशिप उसकी कई पीढ़ियों से चल रही है-हम तो यह विश्वास करते हैं कि एक परिवार की जब ग्रोथ होती है तो उससे समाज ग्रो करेगा, समाज से कम्यूनिटी और कम्यूनिटी से स्टेट और फिर पूरा देश ग्रो करता है। एक परिवार, एक बैंक, महाराष्ट्र बैंक सिर्फ कैच लाइन ही नहीं बल्कि कस्टमर के साथ हमारे रिश्तों को डिफाइन करने की भावना है।

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अक्तूबर-दिसंबर-2007

☛ बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आती है और सर्विस में एचआर बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप बढ़िया सर्विस देना चाहते हैं तो आपको टेक्नॉलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा और इन दोनों के बीच में है ट्रेनिंग। अब आप ही सोचिये कि यह सफलता का गुरु मंत्र हुआ कि नहीं। मनुष्य को समझना, उसको समझाना, यह अपने आप में एक तपस्या है, एक साधना है और इस साधना में ही सफलता छुपी हुई है। हैं ना?

श्री पी. के. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
जनवरी-मार्च-2008

☛ **मैं** मानता हूं कि इंसान के गोल या लक्ष्य बदलते रहते हैं, एक हासिल होता है तो दूसरा गोल तय हो जाता है-जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसे आपके लक्ष्य बदलते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है-और इस यात्रा में एक स्टेशन नहीं हो सकता-यात्रा जितनी आगे बढ़ती है-स्टेशन बदलते रहते हैं। वैसा ही जीवन में होता है उम्र के साथ-साथ अनुभवों के साथ-साथ लक्ष्य बदलते रहते हैं, सपने बदलते रहते हैं। अरे भई ऐसा होगा तभी तो हम एक्टिव बने रहेंगे-है ना।

☛ वैसे तो जिंदगी का हर कदम एक पाठ सिखाता है, पर मुझे वो चीजें याद है जिन्होंने मुझे पूरी तरह से बदलकर रख दिया.. मेरा स्वभाव आज की तुलना में उन दिनों बहुत ही भिन्न था, उग्र कह लें या आक्रामक या कुछ और पर एक बार मैं घूमने गया था कन्याकुमारी- वहां विवेकानंद स्मारक गया और वहां स्वामी विवेकानंद की दो पंक्तियां पढ़ने को मिली कि यदि आप डिज़र्व करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती.. मुझे दिशा मिली, एक सोच मिली मुझे लगा कि हम क्यों परेशान होते हैं, आक्रामक होते हैं अगर हम मेहनत सही कर रहे हैं, सोच सही है और डिज़र्व करते हैं तो हमारा हमें मिलना ही है, बस वह मेरी जिंदगी का एक मोड़ साबित हुआ-मैंने उस पंक्ति को अपनी जिंदगी का फलसफा बना लिया।

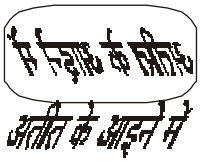

☛ भई मैंने तो एम. कॉम. तक हिंदी माध्यम से पढ़ा है और बाद में एलएलबी में पहली बार अंग्रेजी माध्यम से जुड़ा- पर मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया और सफलता प्राप्त की.. देखिये एक हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया हुआ बैंकर चेयरमैन बना-यही दर्शाता है हिंदी की शक्ति को.. हमें हिंदी के प्रति सहज होना चाहिये, उसे सहज बनाना चाहिये, फिर देखिये।

श्री सुहास आनंद भट
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
अप्रैल-सितंबर-2008

☛ **इ**टस् नॉट लाइक दॅट, आज टाइम किसके पास है-लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों के पास फीलिंग्स के लिए टाइम नहीं है- आज के ग्राहकों को काम चाहिए फीलिंग्स नहीं-उन्हें काम से मतलब है, रिश्तों से नहीं-ऐसे में आप ह्यूमन फेस की बात कैसे कर सकते हैं, जहां जरूरी है वहां अभी भी आपको ह्यूमन फेस मिल जायेगा-इटस् ऑल नीड बेस्ड।

☛ देखिये - मैं एग्री नहीं करता-हमारे विज़न और मिशन में कोई फर्क नहीं आया है-हां तरीके बदल गये हैं- एप्रोच बदल गया है जो कि समय के अनुसार जरूरी भी है-बाकी हम आज भी सोसायटी के लिए कमिटेड हैं- आज भी हमें सोशियल ऑब्जेक्टिव से जुड़े रहना है। मैं फिर कहता हूं कि तरीके जरूर बदल गये हैं।

☛ नो,आय एम नॉट ए फैल्योर-मैंने अपने सारे सपने पूरे किये हैं-मैं अपने सपनों को बदलता भी रहता हूं-सो, आय एम हैपी-आलवेज़।

☛ किसी भी नीति पर आर्डर का अनुपालन नहीं होगा तो फिर सर्किल पूरा कैसे होगा-यहां मैं बहुत एग्रेसिव होता हूं-निर्णय बेस्ट होते हुए भी अनुपालन नहीं है तो उसका फायदा क्या-हमें अनुपालन या कम्प्लायन्स के लिये एक्स्ट्रा एग्रेसिव होना चाहिए यदि सफल होना है तो।

प्रस्तुतिः **डॉ. पुष्पकुमार शर्मा**

वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय वंचन

● विजय प्रकाश श्रीवास्तव
बैंक ऑफ इंडिया मुंबई

आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलती हैं। आकार की विशालता के कारण हमारे देश में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को इस समस्या से निबटने के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

सामाजिक एवं आर्थिक समानता एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। कई बार सामाजिक असमानता के मूल में आर्थिक असमानता ही होती है। आर्थिक असमानता समाज में और विकारों को भी जन्म देती यह अपने आप में तो एक समस्या है ही कई और समस्याओं की वजह भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या चिंता का कारण बनी हुई है। गरीबी एवं आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जिस साधन पर इन दिनों सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है वह है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन की व्याख्या करने से पूर्व वित्तीय वंचन की व्याख्या करना उपयुक्त होगा।

वित्तीय वंचन से आशय

वित्तीय वंचन से आशय वित्तीय सुविधाओं से वंचित होना है। पूरी दुनिया में वित्तीय सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है और इनका व्यापक जाल फैला हुआ है। लेकिन वित्तीय सुविधाओं की पहुंच सब तक हो चुकी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

बैंक वित्तीय सुविधाओं के लिए अधिक स्वीकार्य एवं प्रचलित माध्यम है। अपने देश भारत को लें। 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था ताकि इनके माध्यम से देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएं संचालित की जा सकें एवं बैंकिंग की पहुंच सिर्फ देश के धनाढ्य वर्ग तक सीमित न रहे। जैसा कि राष्ट्रीयकरण के पहले हुआ करता था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों ने बड़ी संख्या में अपनी नयी शाखाएं खोली और वह भी ज्यादातर दूरस्थ एवं ग्रामीण इलाकों में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं शुरू कर बैंकों ने पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आय के साधन उपलब्ध कराये एवं लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद की। भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंकों ने जो योगदान दिया है उसकी मिसाल दुनिया के और किसी देश में नहीं मिलती।

लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3-4 दशकों में देश में बैंकिंग सुविधाओं का अत्यन्त व्यापक विस्तार हुआ है। परन्तु बैंकिंग की पहुंच देश के सभी जरूरतमन्दों तक हो पाई है या नहीं यह जानने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर नजर डालनी होगी।

भारत में करीब 71,000 बैंक शाखाएं हैं। इसके अनुसार प्रत्येक 16,000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा है। केवल 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास बैंक खाता है। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का केवल 9.2 प्रतिशत उनके हिस्से में आता है। 1991 से 2005 के दौरान ग्रामीण भारत में बैंक शाखाओं की संख्या की वृद्धि दर मात्र 0.6 प्रतिशत रही जबकि शहरी शाखाओं की संख्या के लिए यह वृद्धि दर 3.5% रही। आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले ही बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता एवं मात्रा में काफी बढ़त हुई हो पर देश की आबादी को इसका लाभ समान रूप से नहीं मिल पाया है। आधे से अधिक खेतिहर परिवार औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय सुविधाओं के दायरे से बाहर हैं। गैर-खेतिहर परिवारों में से 80 प्रतिशत को किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसकी मदद से वे आय उपार्जन कर सकें। ये परिवार जैसे तैसे अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं।

वित्तीय वंचन के कारण

वित्तीय वंचन के लिए बहुत से कारणों को उत्तरदायी

ठहराया जा सकता है। एक प्रमुख कारण ग्रामीण आबादी के पास जानकारी का अभाव होना है। भारतीय ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर अभी भी 25 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाई है। इस वर्ग के एक बड़े हिस्से को बैंक से मिलने वाली सुविधाओं के विषय में पता नहीं है। फलस्वरूप वे अपने क्षेत्र में महाजनों के चुंगल में फंसे हुए हैं। जो उनका शोषण करते हैं और उन्हें सही सलाह नहीं देते। भारत में करीब सात लाख गांव हैं और आधे से अधिक गांवों की आबादी 500 से भी कम है। ऐसे गांवों में शाखाएं खोलना बैंकों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है। बैंकों की परिचालन लागतें निरंतर बढ़ती जा रही है और उनकी लाभप्रदता पर भी दबाव है। अतः उपलब्ध विकल्पों में से वे उन जगहों पर अपनी शाखाएं खोलने को वरीयता देते हैं जहां उनकी लागत आसानी से वसूल हो सके और वे अधिक लाभ कमा सकें। हालांकि गांवों में बैंकों की काफी शाखाएं खुल चुकी हैं। ग्रामीण जनता का एक वर्ग उनके संपर्क में नहीं आ पाया है। इसके लिए जो कारण बताए जाते हैं वे हैं निवास स्थान से शाखाओं की दूरी, शाखाओं का कार्य समय जो इस वर्ग को सुविधाजनक नहीं लगता, लिखा-पढ़ी एवं कागजी कार्यवाही से घबराना आदि।

देश की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी एक अरब 27 करोड़ थी जिसमें से शहरों में रहने वालों की सख्या 28.5 करोड़ एवं गांवों में रहने वालों की संख्या 74.2 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का करीब 70 प्रतिशत है। इस 70 प्रतिशत आबादी के एक बड़े हिस्से का वित्तीय सुविधाओं से वंचित होना आर्थिक असंतुलन का कारण तो है ही, सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। आगामी वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच बने रहने का अनुमान है। इस विकास को पूरी तरह सार्थक तभी माना जाएगा जब इसका लाभ समाज के निम्नतम वर्ग तक भी पहुंचे। वित्तीय समावेशन की योजनाएं इसमें काफी मददगार साबित हो सकती हैं।

वित्तीय समावेशन

प्रचलित परिभाषा के अनुसार वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं को वहनीय लागत पर समाज के गरीब एवं अल्प आय समूह के विशाल वर्ग तक पहुंचाना है। चूंकि बैंकिंग सेवाओं की प्रकृति सार्वजनिक संपत्ति की है, अतः यह जरूरी है कि बैंकों की सेवाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण आबादी को मिले। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत, ऋण, बीमा, भुगतान एवं धन प्रेषण आदि शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य

शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली वंचित आबादी में बैंकिंग की आदत डालना एवं उन्हें सूद-खोरों तथा असंगठित मुद्रा बाजार द्वारा किए जा रहे शोषण से छुटकारा दिलाना है। उच्च एवं मध्यम आय वर्ग को बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाता है लेकिन वित्तीय समावेशन में उन सभी लोगों को ऋण प्रदान करना शामिल है जिन्हें वास्तव में ऋण की आवश्यकता है बशर्ते वे भरोसेमंद हों। भले ही उनके पास बैंक को देने के लिए कोई प्रतिभूति न हो। ऋण सुविधाओं में क्रमशः बढ़ोतरी करते हुए गरीब वर्ग के आर्थिक स्तर को उन्नत करना एवं उन्हें गरीबी के अभिशाप से मुक्त कराना वित्तीय समावेशन का मूलभूत लक्ष्य है।

दुनिया के तमाम देशों की सरकारों ने गरीबी को मिटाने एवं आर्थिक विषमताओं को कम करने हेतु वित्तीय समावेशन को एक नीतिगत उपाय के रूप में स्वीकार किया है। इनमें भारत भी शामिल है। यहां तक कि कई गैर-सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठन भी वित्तीय समावेशन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशन को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए भारत में महसूस की जाने वाली चुनौतियां मुख्यतः दो स्तरों पर हैं। एक तो पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाएं एवं उनकी शाखाएं स्थापित करना जो वित्तीय समावेशन को ऐसे स्थानों तक पहुंचाएं जो इससे वंचित हैं, दूसरे मौजूदा वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों का विस्तार करना ताकि वे वित्तीय समावेशन के कार्य में जोर-शोर से जुट सकें।

वर्तमान में जो संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही हैं वे हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां एवं लघु वित्त संगठन। वित्तीय समावेशन में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों की करीब 34,000 शाखाएं अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन्होने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया है। वित्तीय समावेशन में ये शाखाएं बड़े पैमाने पर योगदान कर सकें इसके लिए इन शाखाओं को लघु एवं अत्यंत लघु ऋणियों को ऋण प्रदान करने हेतु और अधिक कारगर बनाना होगा। गरीबों एवं किसानों के प्रति शाखाओं का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। शाखाओं में कार्यरत स्टाफ का दृष्टिकोण विकासपरक एवं गरीबों की मदद करने वाला हो। कर्मचारियों में इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करने में प्रशिक्षण की अहम भूमिका हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के वितरण में समानता नहीं है। उन जिलों में जहां प्रति शाखा आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कम राशि वाले ऋणों के मामले में दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया सरल हो और कागजी कार्यवाही बस उतनी रखी जाए जितनी कि बिल्कुल जरूरी हो।

स्वयं सहायता समूहों के साथ बैंकों की सम्बद्धता ने अत्यंत लघु ऋणियों को ऋण प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराया है। वित्तीय समावेशन में इससे अब तक काफी मदद मिली है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या 23 लाख तक पहुंच चुकी है। स्वयं सहायता समूहों ने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से उबारा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की है और उनमें बचत की आदत विकसित की है। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋण की वसूली दर भी अच्छी रही है।

ग्रामीण बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इसमें और ज्यादा योग-दान कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कम लागत वाली स्थानीय संस्थाओं के रूप में की गई थी लेकिन जल्द ही ये घाटा देन वाली संस्थाओं में परिवर्तित हो गई। परन्तु पिछले करीब एक दशक में इन बैंकों ने फिर से लाभप्रदता की राह पकड़ ली है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 15000 के आस-पास हैं। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण इलाकों में दिए जाने वाले ऋण में ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 37% है। बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों में से लगभग एक तिहाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहल से बने हैं। देश के 80 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं अब तक नहीं थीं। अब इस पर कार्य हो रहा है। शाखाएं खुलने से इन जिलों में और अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जा सकेगा। हाल ही में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो पुनर्गठन हुआ है उससे इन बैंकों के जरिए वित्तीय समावेशन की योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

लघु वित्त संस्थाएं

अब तक कई ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं जो पूरी तरह से वित्तीय समावेशन के कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यतः ये लघु वित्त संस्थाएं हैं जो गरीबों को छोटी राशि के ऋण प्रदान करती हैं। उन्हें उत्पादक कार्यों में लगने के लिए परामर्श देती हैं एवं बचत कर ऋण चुकाने के रास्ते सुझाती है। लघु वित्त संस्थाओं के कई विधिक रूप हैं जैसे स्वयं सेवी संगठनों के स्वरूप वाली लघु वित्त संस्थाएं, सहकारी लघु वित्त संस्थाएं एवं कंपनी के रूप में स्थापित लघु वित्त संस्थाएं। देश में ऐसी लघु वित्त संस्थाओं की संख्या 4000 से ज्यादा है लेकिन उनका भौगोलिक वितरण संतुलित नहीं है। दक्षिण भारत में उनकी मौजूदगी ज्यादा है जहां ग्रामीण इलाकों में काफ़ी बैंक शाखाएं पहले से ही हैं।

आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में लघु वित्त संस्थाओं ने लगभग 30 लाख नए ऋणी जोड़े और उनके द्वारा सहायता प्रदत्त ऋणियों की कुल संख्या एक करोड़ को पार कर चुकी है। इसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। लघु वित्त संस्थाओं द्वारा गरीबों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिभूति की कोई शर्त नहीं होती। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य हासिल करने के लिए लघु वित्त संस्थाओं की उपयोगिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है परन्तु उनकी कार्यपद्धति को लेकर कई सवाल भी उठाए गए हैं। ऐसा एक सवाल ब्याज दरों का है। अत्यंत लघु ऋणियों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के मामले में संव्यवहार लागत काफी ऊंची है जिसकी भरपाई लघु वित्त कंपनियां ऋणों पर ऊंची ब्याज दर लेकर करती हैं।

परामर्श सेवाएं प्रदान करने पर लघु वित्त संस्थाओं की लागत और बढ़ जाती है।

लघु वित्त संस्थाओं का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उनके ऋणियों की आय क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो ताकि वे ऋण की लागत को वहन कर सकें। उन्हें ब्याज लागतों को अन्य सेवाएं प्रदान करने से उत्पन्न लागतों से अलग रखना चाहिए। लघु वित्त संस्थाओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे ऋणियों पर उतनी ही लागत का बोझ डालें जो उनकी चुकाने की क्षमता के भीतर हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो चूककर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी।

बांग्लादेश में जैसे छोटे राष्ट्र में लघु वित्त आधारित वित्तीय समावेशन के माडल ने पूरे विश्व में उसको स्वीकार्यता दिलायी है। लघु वित्त की लागत को कम रखने के लिए प्रयोग भी हो रहें हैं। अब बड़े वित्तीय संस्थानों को लघु वित्त संस्थाओं से सीख लेने की बात कही जाने लगी है। प्रतिभूति के बावजूद अमेरिका के कई वित्तीय संगठनों को सब-प्राइम संकट से जूझना पड़ा जबकि बगैर प्रतिभूति के ऋण प्रदान करने वाली लघु वित्त संस्थाओं का आधार दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। इन संस्थाओं की मजबूती का एक मुख्य कारण यह है कि ये अपने ग्राहकों और उनकी वित्तीय जरूरतों के विषय में पर्याप्त जानकारी रखती हैं।

भारत में लघु वित्त संस्थाओं के नियमन के लिए सरकार ने कानून बनाएं हैं। कानून का उद्देश्य ऋणियों को शोषण से बचाना है। वर्तमान प्रवृत्तियां संकेत देती हैं कि आने वाले समय में लघु वित्त संस्थाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा एवं ऐसी नयी संस्थाएं अस्तित्व में आएंगी।

सरल बचत खाते

2005-06 वित्तीय वर्ष में मध्यावधि समीक्षा के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए सरल बचत खाते (नो फ्रिल्स) खोलने के निर्देश दिए ताकि समाज के गरीब तबकों को भी बैंक खाते रखने का लाभ मिले। ये खाते न्यूनतम या शून्य राशि से खोले जा सकते हैं। इनके लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों को आसान बना दिया गया है। इन खातों में लेन-देन की राशि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल पर बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों के अच्छे परिणाम निकले हैं। वर्ष 2006 में ऐसे सरल बचत खातों की कुल संख्या मात्र 5 लाख थी। अब यह संख्या बढ़कर 30 गुनी अर्थात 1.5 करोड़ हो गई है।

प्रौद्योगिकी का योगदान

वित्तीय समोशन को व्यापकता प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिर वित्तीय समावेशन इससे अछूता क्यों रहे। प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन की लागतों को कम कर सकती हैं। इसे और अधिक पारदर्शी बना सकती है। वित्तीय समावेशन के मामले में ऐसी प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जा रहा है जो बैंक विहीन इलाकों में गरीबों को बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। दूसरे प्रकार से कहा जाए तो वित्तीय सुविधाएं ग्राहक तक पहुंचे, न कि ग्राहक को उन तक जाने की जरूरत हो। इस विचार को मूर्त रूप देते हुए कई बैंकों ने गांवों एवम् दूरस्थ स्थानों में अपने प्रतिनिधि भेजकर खाते खोलने की शुरूआत की है। इन खातों में लेन-देन का रिकार्ड एक कम्प्यूटरनुमा छोटी मशीन के जरिए किया जाता है। यह मशीन बैंक के प्रतिनिधि के साथ ही रहती है। मशीन से लेन-देन की पर्ची ग्राहक को तुरंत उपलब्ध हो जाती है। वित्तीय समावेशन पर प्रौद्योगिकी विकास का कार्य जारी है।

वित्तीय साक्षरता की भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार, नियामक, बैंक एवं स्वयंसेवी संगठन वित्तीय साक्षरता के प्रसार में व्यापक योगदान कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्रों की परियोजना पर कार्य कर रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रोफाइनेंस फार वूमेन की अगले दो वर्षों में 10 लाख महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाने की योजना है।

वित्तीय समावेशन की सफलता इसी से निर्धारित होगी कि वित्तीय वंचन को कहां तक मिटाया या कम किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र में यदि वित्तीय वंचन मौजूद है तो विकास को अधूरा माना जाएगा। सामाजिक आर्थिक संतुलन के लिए वित्तीय वंचन को दूर करना जरूरी है और यह वित्तीय समावेशन के जरिए संभव हो सकता है।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग

श्यामलाल गौड
महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

आर्थिक/ बैंकिंग जगत में आजकल वित्तीय समावेशन शब्द हर किसी की जबान पर है। देश के समग्र विकास के संदर्भ में सभी को सहभागी बनाने के संदर्भ में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता रहा है। वित्तीय समावेशन शब्द को विभिन्न संदर्भों में विभिन्न समूहों में परिभाषित किया जाता रहा है। किसी के लिए विपन्न / साधनहीन गरीब लोगों के लिए 'नो फ्रिल्स' खाते बैंकों में खुलवाना वित्तीय समावेशन है तो किसी के लिए विभिन्न बैंकिंग उत्पाद आम आदमी को सरलता से उपलब्ध करवाना है। वस्तुतः वित्तीय समावेशन शब्द की व्याप्ति बहुत विस्तृत है। उपरोक्त धारणाएं इसका एक अंग है लेकिन इसे व्यापक अर्थों में समझा जाना होगा।

क्या?

देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने को लालायित हैं लेकिन अनेक कारणों से असमर्थ हैं। इनमें लघु/ सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषि मजदूर, दस्तकार, फेरी वाले, सब्जी बेचने वाले, निर्माण इत्यादि कार्यों में लगे अप्रवासी मजदूर, घरेलू काम करने वाले लोग, छोटी-छोटी दुकान चलाने वाले, फुटकर सेवाएं प्रदान करने वाले, असंगठित स्वरोज़गारी, मलिन बस्तियों के निवासी, अल्प अथवा अशिक्षित, महिलाएं इत्यादि शामिल हैं। यह एक विशाल वर्ग है जिसकी संख्या करोड़ों में है। देश में बैंकिंग सेवाओं के रिकार्ड विस्तार के बाद भी यह वर्ग इन सेवाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाया है। इन सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से लाभान्वित कराना वित्तीय समावेशन का व्यापक अर्थ है। मात्र बैंकों में खाता खुलवाने की सुविधा प्रदान करना अथवा कुछ योजनाओं के अंतर्गत इन वर्गों के कुछ लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा देना ही वित्तीय समावेशन की इतिश्री नहीं है। अतः वित्तीय समावेशन का अभिप्राय इस विशाल वंचित वर्ग को जो औपचारिक बैंकिंग वित्तीय प्रणाली से बाहर रह गया है, स्थायी/नियमित आधार पर सभी प्रकार की बैंकिंग/ वित्तीय सेवाएं जिनमें बैंक खाता खोलना, ऋण उपलब्ध कराना, धन प्रेषण की सरल/सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना, अल्प बचत को सुरक्षित रखना, बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना, एटीएम / क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। विशेष विचारणीय बात जो महत्वपूर्ण है वह है, ये सभी सुविधाएं सरल रूप में तथा वहनीय खर्च पर प्रदान करना/उपलब्ध कराना।

> अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित गुजरात राज्य की बहुप्रयोजनीय संस्था 'सेवा' (Self Employed Women's Association- SEWA) ने इस दिशा में कोई तीन दशक पूर्व एक सार्थक पहल की थी जो अब एक बहुचर्चित बड़ा उपक्रम बन गया है। सेवा ने ग्रामीण, अशिक्षित और असंगठित महिलाओं को अनेक आय-अर्जन योजनाओं के अंतर्गत संगठित करके उन्हें सफल समूह के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करने का सराहनीय और सफल प्रयास किया है।

क्यों?

एक साधारण प्रश्न होगा क्यों? इस वर्ग को ये सभी सुविधाएं प्रदान करने का विशेष आग्रह क्यों? बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का देश में विशाल संजाल खड़ा है जिसे चाहिए वह जाए और सेवाएं प्राप्त कर ले, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही बहुत भोलापन लिए लगते हैं, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर। भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस क्यों का उत्तर ढूंढ़ना होगा। हमारे देश में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं (बैंकों सहित) के मन में यह भ्रान्त धारणा अंगद के पैर की तरह जमी हुई है कि गरीब /वंचित न तो उधार का पात्र होता है और न ही अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की उसकी हैसियत होती है। वंचन उसकी नियति बन चुकी है। उसे अपने हाल पर ही जीना है, वित्तीय संस्थाएं अपने दुर्लभ और महंगे वित्तीय संसाधनों की कीमत पर अथवा अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर उन्हें सेवा प्रदान करने का बीड़ा क्यों उठाएं? यह दृष्टिकोण एकांगी है, समग्र विकास की परिकल्पना के अनुरूप भी नहीं है। इन संस्थाओं को अपने

दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर विचार करना होगा। इस वर्ग/समूह की वंचना की पृष्ठभूमि के निम्न में से कुछ कारण हो सकते हैं:

1. *आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित*
2. *वंचित*
3. *असंगठित*
4. *शोषित*
5. *अधिकांशतः निरक्षर / अल्प शिक्षित*
6. *मनोबलहीनता*
7. *सामाजिक दमन*
8. *असहाय होने की भावना से ग्रस्त*

इस वर्ग की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। किसी को ऋण की आवश्यकता होगी, किसी को नकदी प्रेषण की तो किसी को अल्प बचत के माध्यम से साधन जुटाने की अथवा कोई सामाजिक या स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बीमा पालिसी लेना चाहेगा। और ये सभी सुविधाएं उसे एक ही स्थान पर तथा कम (वाजिब) खर्चे पर उसकी सुविधानुसार समय पर मिले वह ऐसा चाहेगा।

कैसे?

अब मुख्य प्रश्न है इन वित्तीय सुविधाओं/सेवाओं की सरल और वाजिब कीमत पर उपलब्धि। यह एक बड़ा प्रश्न है। अनेक विकल्प इस विषय में उभरकर आए हैं और कुछ सफल प्रयोग भी हमारे देश में ही हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित गुजरात राज्य की बहुप्रयोजनीय संस्था **'सेवा'** (Self Employed Women's Association- SEWA) ने इस दिशा में कोई तीन दशक पूर्व एक सार्थक पहल की थी जो अब एक बहुचर्चित बड़ा उपक्रम बन गया है। **सेवा** ने ग्रामीण, अशिक्षित और असंगठित महिलाओं को अनेक आय-अर्जन योजनाओं के अंतर्गत संगठित करके उन्हें सफल समूह के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करने का सराहनीय और सफल प्रयास किया है। **सेवा** संगठन का पूरा नाम अंग्रेजी में SEWA है लेकिन उसकी कार्य संस्कृति उसके लोकप्रिय हिन्दी प्रतिध्वनि नाम को सार्थक करती प्रतीत होती है। **सेवा** ने विकास का सर्वथा नया देसी माडल विकसित किया है। स्वनियोजन इस संस्था का नारा रहा है और स्वनियोजन से समृद्धि इसका लक्ष्य। उपेक्षित और हीन समझे जाने वाले कार्यों में रत महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से रोजी-रोटी कमाने का तरीका सिखाने के साथ ही उन्हें बचत एवं स्वयं सहायता के माध्यम से साहूकारों और सूदखोरों के शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया है। आगे दिए जा रहे व्यवसायों में रत महिलाओं को संगठित करके लाभ अर्जन क्षमता का विकास कर अपनी नियति का स्वयं निर्धारण करने की क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त करने में इस संगठन ने अनेक अभिनव प्रयोग किये हैं। आज इनका अपना खुद का बैंक है। यह संस्था अपने सदस्यों को बिना प्रतिभूति का ऋण उपलब्ध करवाने, बचत खाते सुगमता से खुलवाकर बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने, नकदी प्रेषण की सरल सुविधाओं सहित विविध वित्तीय सेवाएं और परामर्श प्रदान कर उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने में सहायता, उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उचित मूल्य पर प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सेवाओं के माध्यम से यह सामर्थ्य दिलाना ही वित्तीय समावेशन का मुख्य या कहें तो अंतिम लक्ष्य है । वित्तीय समावेशन के माध्यम से वंचितों द्वारा सामर्थ्य अर्जन और उन्हें आर्थिक / सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह एक आदर्श माडल हो सकता है। वस्तुतः विकास के ये प्रतिमान स्वयं में प्रकाशित एक पुस्तक है।

व्यवसाय जिनमें सेवा द्वारा क्षमता अर्जन का सफल प्रयास कराया गया

1. *रद्दी कागज़/कचरा बीनने वाली महिलाएं*
2. *फटे पुराने कपड़े बेचने वाली महिलाएं*
3. *सब्जी/फल विक्रेता*
4. *गुड़िया/खिलौने बनाने वाली महिलाएं*
5. *गद्दे, रज़ाई सीने वाली महिलाएं*
6. *झाड़ू/टोकरी बनाने वाली महिलाएं*
7. *अगरबत्ती बनाने वाली महिलाएं*
8. *बीड़ी बनाने वाली महिलाएं*
9. *कसीदाकारी में कार्यरत महिलाएं*

10. रेडीमेड कपड़े बनाने वाली महिलाएं

11. पापड़/बड़िया बनाने वाली महिलाएं

12. कुली/मजदूर का काम करने वाली महिलाएं

13. हाथ ठेला खींचने वाली महिलाएं

14. फेरी लगाकर फुटकर सामान बेचने वाली महिलाएं

15. दूध उत्पादन कार्य में संलग्न ग्रामीण महिलाएं इत्यादि

हमारे देश में इस दिशा में अनेक प्रकार के अन्य प्रयोग भी किए गए हैं। जिनमें स्वयं सहायता समूहों का बड़े पैमाने पर गठन, अमूल जैसी दूध मंडलियों का प्रतिकृतिकरण इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार के प्रयोगों ने वित्तीय समावेशन की गति को आगे बढ़ाने में आधारभूत संरचना स्थापित करने का मार्ग दिखाया है लेकिन ये प्रयोग सीमित संदर्भ में अथवा अधिकांशतः विशेष प्रयोजनीय ही रहे हैं।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग

भारत में 1969 से पूर्व तक बैंकिंग परम्परागत बैंकिंग अथवा वर्ग बैंकिंग के रूप में कार्यरत थी। राजकीय नीति के अनुसरण में बैंकों की निधियों के प्रवाह की दिशा 1969 से प्रारम्भ हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बदल दी गयी। सम्पूर्ण बैंकिंग तंत्र को जनाभिमुखी बनाया जाकर सामाजिक बैंकिंग की परिधि में ले आया गया। वस्तुतः यह भारतीय परिस्थितियों की मांग के अनुरूप ही था। भारत जैसे विशाल गरीब और अशिक्षित जनों के प्राधान्य वाले देश में सरकार के कन्धों पर रोज़गार के अवसर बढ़ाने तथा विकासक्रम को आगे बढ़ाने जैसे गुरुत्तर दायित्व शामिल रहे हैं, वहीं बैंकिंग निधियों को *बहुजन हिताय* कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाने की नीति वस्तुतः एक महती आवश्यकता रही।

सामाजिक बैंकिंग क्या है?

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग में सह-संबंध का विवेचन करने से पूर्व सामाजिक बैंकिंग क्या है, इस पर जरा विचार करें।

सामाजिक बैंकिंग से आशय यह नहीं है कि सरकार अपने संसाधनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पैसा उपलब्ध कराती रहे। जैसे व जब आवश्यक हो सरकार ऐसा करेगी, लेकिन बैंकिंग को परमुखापेक्षी बनाए जाने की यह नीति नहीं है। बैकिंग व्यवस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना होगा। बैसाखियों के सहारे सफलता के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते।

सामाजिक बैंकिंग का आशय यह भी नहीं लिया जाना चाहिए कि वह गरीबों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित बैंकिंग है। सरकारी हस्तक्षेप किसी व्यावसायिक प्रकार की संस्था में बहुधा अच्छी नजर से नहीं देखा जाता लेकिन यदि कोई सार्वजनिक महत्व की संस्था मात्र गिने चुने लोगों या वर्गों के लिए ही कार्य करने लगे तो एक कल्याणकारी राज्य में इस स्थिति को भी सहज स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों यह कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। गरीब, उपेक्षित और प्रपीडित लोगों की ऋण आवश्यकताओं सहित सभी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति सहज-सरल ढंग से सुविधाजनक रूप से व वाजिब कीमत पर सुनिश्चित की जा सके ऐसी व्यवस्था सामाजिक बैंकिंग की परिधि में आती है।

सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों यह कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। गरीब, उपेक्षित और प्रपीडित लोगों की ऋण आवश्यकताओं सहित सभी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति सहज-सरल ढंग से सुविधाजनक रूप से व वाजिब कीमत पर सुनिश्चित की जा सके।

समाजोन्मुखी बैंकिंग की उपलब्धियां

सामाजिक बैंकिंग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय विभिन्न स्तरों पर किए गए जिनसे बैंकिंग की अवधारणा में ही परिवर्तन हो गया। समाजोन्मुखी बैंकिंग, वर्ग से जन बैंकिंग की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। इस दौर में बैंकों को परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में देखा जाने लगा तथा बैंकिंग का फोकस तीव्रगति से शाखा विस्तार और ऋणों का योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार वितरण था। भारतीय बैंकों द्वारा इस अवधि के दौरान शाखा विस्तार के कीर्तिमान स्थापित किए गए जिनमें ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर विशेष जोर दिया गया था जैसा कि आगे दी जा रही तालिका से स्पष्ट होगा।

वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का समूहवार शाखा तन्त्र

शाखाओं की संख्या

शाखा समूह	19 जुलाई 1969	30 जून 1991	30 जून 2007
ग्रामीण	1860	35212	30633
अर्द्ध शहरी	3344	11281	16310
शहरी	1456	7630	12925
महानगरीय	1661	6128	11913
कुल	8321	60251	71781

शाखा विस्तार कार्यक्रम के अलावा सामाजिक बैंकिंग के अन्य अवयव इस प्रकार हैं:

1. अग्रणी बैंक योजना
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को परिभाषित किया जाना एवं विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान करना
3. ऋण गारन्टी निगम के माध्यम से छोटे ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों के लिए सुरक्षा प्रदान करना
4. सरल शर्तों पर पुनर्वित्त सुविधा

सुनिश्चित दिशा निर्देशों ने आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका सक्रिय और प्रभावशाली बनाने में पहल की है और बैंकिंग तन्त्र उत्तरोत्तर अपने दायित्व निर्वहन में ठोस भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। वस्तुतः सामाजिक बैंकिंग ने बैंकों की अपनी पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों में बनाने तथा सुविधाहीन बैंक सेवाओं वाले क्षेत्रों में अपने परिचालनों का विस्तार करने के लिए एक पुख्ता आधार तैयार कर दिया है।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग - अन्तर संबंध

वस्तुतः सामाजिक बैंकिंग और वित्तीय समावेशन एक ही दिशा में उठाए गए कदम हैं। आधारभूत सामाजिक बैंकिंग पहला कदम था और वित्तीय समावेशन अगला कदम है जो तीव्र विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बैंकिंग तंत्र के परिचालनों में विन्यासगत सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिकाधिक लोगों को विकास की गंगा से आप्लावित करने के उद्देश्य से उठाया गया है लेकिन इस महत्वपूर्ण कदम को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय समावेशन का फोकस संकीर्ण दायरे में ही होकर न रह जाए। जैसे 'नोफ्रिल्स' खातों या अन्य विशेष प्रयोजन हेतु खोले गए खातों की बढ़ती हुई संख्या को ही बड़ी उपलब्धि न मान लिया जाए क्योंकि इस प्रकार के विशेष प्रयोजनीय खातों की आम प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाने की होती है। जैसे ही प्रयोजन पूरा हुआ खातेदार ऐसे खाते के बारे में भूल जाते हैं। अनुमानतः लगभग दो करोड़ के आसपास निष्क्रिय खाते वाणिज्यक बैंकों में अर्से से पड़े हुए हैं। काफी प्रतिबन्धात्मक होने के कारण 'नो फ्रिल्स' खातों के प्रति लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं है और कम लोगों को ही ये आकर्षित कर पाते हैं। एक बड़े वर्ग को सरल व सस्ती सुविधा अपेक्षित है जो इन खाता धारकों को उपलब्ध नहीं है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार के खाता धारक अपने आपको दोयम दर्जे का ग्राहक जैसा महसूस करते हैं।

इस महत्वपूर्ण कदम को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय समावेशन का फोकस संकीर्ण दायरे में ही होकर न रह जाए। जैसे 'नोफ्रिल्स' खातों या अन्य विशेष प्रयोजन हेतु खोले गए खातों की बढ़ती हुई संख्या को ही बड़ी उपलब्धि न मान लिया जाए क्योंकि इस प्रकार के विशेष प्रयोजनीय खातों की आम प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाने की होती है। जैसे ही प्रयोजन पूरा हुआ खातेदार ऐसे खाते के बारे में भूल जाते हैं।

वित्तीय समावेशन के प्रति संस्थागत लाभप्रदता को लेकर भी शंका-अशंका प्रकट की जाती रही है, जैसी सामाजिक बैंकिंग को लागू करते समय भी उठायी गयी थी। वस्तुतः बैंकों तथा अन्य संस्थानों की इस संदर्भ में कार्यनीति व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए तथा बैंकिंग / वित्तीय सेवाओं की उपलब्धि के दायरे को भी और व्यापक बनाना होगा तभी ये शंकाएं संभवतः निर्मूल साबित होंगी। इस क्रम को सक्षम बनाने और आगे बढ़ाने के लिए यह भी उपयोगी होगा कि प्रौद्योगिकी का समावेश करते हुए, शाखा रहित बैंकिंग प्रथाओं को नया रूप दिया जाकर उन्हें व्यावहारिक बनाया जाए

तथा गैर-सरकारी संगठनों , सक्षम सहकारिताओं, स्वयं सहायता समूहों, डाकघरों व अन्य प्रकार के मध्यस्थों को प्रारंभिक दौर में इन प्रयासों से जोड़ा जाए। सामर्थ्य विकास के साथ लोग स्वतः ही बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से जुड़कर बैंकिंग की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएंगे। सामर्थ्य निर्माण समावेशन का अभिन्न अंग होना चाहिए।

विकास की शर्त - वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग

विकास की परिकल्पना सीमित संदर्भों में एकांगी है। मात्र ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा देने या विशेष प्रयोजन खाते खोलकर या हिताधिकारियों को आर्थिक अनुदान का लालच देकर ऋण प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के आंकड़ों का मायाजाल खड़ा करने जैसे कार्यों से विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। ये सभी उपाय हैं, साधन हैं साध्य नहीं। यदि विकास सुविचारित नीति के अनुसार नहीं है और उसका लाभ सीमित वर्ग को ही प्राप्त होता है तो उस विकास की गति और दिशा शीघ्र ही अवरुद्ध हो जाती है। विकास प्रक्रिया के दौरान अनेक बातों से असहमति हो सकती है किन्तु एक बात अब सर्वमान्य तथ्य बन चुकी है कि विकास की प्रक्रिया में तीव्रता लाना तो दूर उसे तब तक सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसमें अधिकाधिक कार्यकर्ता भाग न लें और उससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित न हों। यही कारण है कि सामाजिक न्याय (वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग जिसके महत्वपूर्ण अवयव रहे हैं) द्वारा विकास करना या समाज के निर्बलतम /निर्धनतम वर्ग को वित्तीय व्यवस्था / प्रक्रिया की मुख्य धारा से जोड़ना एक अच्छी नीति या राजनीति ही नहीं वरन् एक स्वस्थ्य आर्थिक सिद्धांत भी है। पारदर्शी नीतियों को अपनाकर शोषण को असंभव बना दिया जाना विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में गत दिनों अनेक उपाय किए हैं तथा वित्तीय समावेशन के प्रयासों को सामान्य लोगों को बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को संवेदनशील बनाने के लिए उनसे आग्रह करते हुए घोषित उपायों को खुले मानकों वाली परिचालन प्रणाली और नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए सार्थक रूप से लागू करने का अनुरोध किया है।

'नो फ्रिल्स' खातों की संख्या*

निम्नलिखित दिनांक को

बैंक समूह	31.03 2006	31.03.2007	31.03.2008
सरकारी क्षेत्र के बैंक	332,878	5,865,419	13,925,674
निजी क्षेत्र के बैंक	156,388	860,997	1,879,073
विदेशी बैंक	231	5,919	33,115
कुल	489,497	6,732,335	15,837,862

*स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2007-08 से

वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास

डॉ. रमाकान्त शर्मा
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

हमारे देश की आधी आबादी ऐसी है, जिसका बैंकों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात् उनका बैंक में बचत खाता तक नहीं है, इसलिए जब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, अन्य बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की उन तक पहुंच की बात करना बेमानी होगी। इसे देखते हुए, **'वित्तीय समावेशन'** यानि समाज के कमजोर, उपेक्षित और निम्न आयवर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना आजकल सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल लक्ष्य यह रखा गया है कि ऐसे लोगों को बचत खाते के माध्यम से बैंकों से जोड़ा जाए और फिर उन्हें उचित तथा वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए जाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

> मानव संसाधन विकास की अवधारणा में लोगों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के साथ-साथ उनके कौशल विकास को भी शामिल किया जाता है। इसमें मानव अधिकारों के संरक्षण तथा आर्थिक संवृद्धि में उनकी सहभागिता और उपलब्ध विकल्पों में से चयन की उनकी स्वतंत्रता को भी शामिल किया जा सकता है।

यह काम जितना आसान लगता है, उतना है नहीं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिसकी वजह से बैंकों की पहुंच भौगोलिक दृष्टि से दुरूह और सुदूरवर्ती स्थानों तक होने में एक बड़ी बाधा मौजूद है। यह भी सच है कि जो लोग बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं, वे बैंकों और बैंकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और न ही वे स्वयं बैंकों से कोई संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। एक सच यह भी है कि पीढ़ियों से **ऋणग्रस्तता** का शाप भोग रहे लोग न तो बचत कर पाते हैं और न ही उसका महत्व समझ पाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना सामान्यतः फायदे का सौदा नहीं माना जाता और इसे सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियों का बेमन से पालन करने तक ही सीमित रखा जाता है। बैंक कर्मियों के लिए भी गांवों में काम करना बेबसी से ज्यादा कुछ नहीं है। इस सबको देखते हुए इस संबंध में मानसिकता में बदलाव की नितांत आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंकों में मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियों की समीक्षा की जानी होगी और उन्हें वित्तीय समावेशन के अनुकूल बनाने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे। साथ ही, यह भी देखा जाना होगा कि समाज के जिन वर्गों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाये जाने की बात की जा रही है, उनकी मानसिकता में बदलाव के लिए भी ठोस कदम उठाएं जाएं तकि वे बचत करने, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने तथा अपने कौशल का बेहतर उपयोग करने का महत्व समझ सकें। अतः बैंक अपने स्तर पर मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियों की समीक्षा करें और उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए तत्पर हों, यह तो आवश्यक है ही, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में मानव संसाधन विकास को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना होगा जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां शामिल हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास को निम्नलिखित स्तरों पर देखना और विवेचित करना उपयुक्त रहेगाः-

राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर

मानव संसाधन विकास की **अवधारणा** में लोगों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के साथ-साथ उनके कौशल विकास को भी शामिल किया जाता है। इसमें मानव अधिकारों के संरक्षण तथा आर्थिक संवृद्धि में उनकी सहभागिता और उपलब्ध विकल्पों में से चयन की उनकी स्वतंत्रता को भी शामिल किया जा सकता है।

जब तक लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक वे आर्थिक गतिविधियों से नहीं जुड़ सकेंगे तथा बेहतर रोजगार के अवसरों का भी लाभ नहीं उठा सकेगे। ठीक इसी प्रकार एक अनपढ़ व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह समझ बूझ कर निर्णय ले सके, अपने फायदे-नुकसान को समझ सके तथा आर्थिक क्रियाओं को बेहतर ढंग से संचालित कर सके।

ऐसे लोगों को साहूकार जैसे अनौपचारिक ऋणदाताओं के जाल में आसानी से जाते देखा जा सकता है तथा उनकी पीढ़ियां ऋणग्रस्त बनी रहती हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विश्व की कुल निरक्षर जनसंख्या का 35 प्रतिशत भारत में है। नवंबर 2007 के दौरान जारी यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग एक तिहाई निरक्षर हमारे देश में हैं तथा विगत वर्षों में वैश्विक शिक्षा मानदंड पर हम पहले के 99 के मुकाबले 105 वें स्थान पर जा पहुंचे हैं।

जब तक लोगों को आर्थिक क्रियाओं के और रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं होते तथा उनमें से अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती तब तक भी आर्थिक और सामाजिक उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी से जुड़ा हुआ है, कौशल विकास। जब तक लोगों की विभिन्न कार्य करने की **निपुणता** में वृद्धि नहीं होगी तब तक उनकी कार्यदक्षता और कार्यक्षमता का विकास नहीं होगा। परिणामस्वरूप वे उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

यदि देश से गरीबी को मिटाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन को बेहतर रूप से विकसित किए जाने के लिए और ठोस कदम उठाए जाने होंगे। विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान करना होगा और उसका उचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

यदि हम प्रकारांतर से देखें तो देश के नागरिकों का *स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, मानव अधिकार, आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता तथा उपलब्ध अवसरों में से चयन की स्वतंत्रता* ऐसे तत्व हैं जिन पर पूरे देश की आर्थिक प्रगति अवलंबित है। यदि देश की आर्थिक प्रगति होती है तो गरीबी में कमी आती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ती है। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

हमारे देश के मानव संसाधन विकास पर विचार करें तो हम यह देखते हैं कि इस मामले में हम काफी पीछे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित **ह्यूमैन डेवलपमेंट रिपोर्ट** में विश्व के 177 देशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं:- उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास तथा निम्न मानव विकास। भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों के वर्ग में रखा गया है और 177 देशों में उसे 127 वें स्थान पर रखा गया है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दशकों में भारत की **प्रति व्यक्ति आय**, **आर्थिक वृद्धि दर**, साक्षरता वृद्धि दर, प्रत्याशित आयु आदि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। पर, आज भी गरीबी की समस्या गंभीर बनी हुई है। आय की असमानता भी चिंता का कारण है *'जहां तक शिक्षा का संबंध है हमारा शिक्षा सूचकांक विश्व के औसत शिक्षा सूचकांक 0.77 के मुकाबले काफी कम अर्थात् 0.61 है। हमारा सकल घरेलू सूचकांक भी विश्व के औसत सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक 0.75 के मुकाबले मात्र 0.56 ही है।'* (डा. राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के लेख ह्यूमैन डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंस से उद्धृत)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यदि देश से गरीबी को मिटाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन को बेहतर रूप से विकसित किए जाने के लिए और ठोस कदम उठाए जाने होंगे। विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान करना होगा और उसका उचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डा. वी. एन. राजशेखरन पिल्लै के अनुसार किसी भी छोटे या बड़े विकसित देश में साक्षरता का स्तर 95 प्रतिशत या उससे भी अधिक है अर्थात् वे पढ़ना, लिखना तथा गिनती करना जानते हैं। वास्तव में, पढ़ने, लिखने और गिनती की क्षमता किसी भी व्यक्ति को आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान प्रदान करती है तथा वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस करता है जिसमें ये क्षमताएं नहीं हैं। इस तथ्य को भी समझा जाना चाहिए कि आधारभूत साक्षरता ही वित्तीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा आदि उपलब्ध कराती है। हमारे देश में बहुत सी उपलब्धियों के बावजूद 33 प्रतिशत वयस्क व्यक्ति साक्षर नहीं हैं। कारण है कि वे गरीबी के जाल से बाहर निकलने तथा अपने अधिकारों

को जानने-समझने तथा उनका उपयोग करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। जब हम 'इंक्लुसिव ग्रोथ' की बात करते हैं तो इन 33 प्रतिशत वयस्क लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह जरूरी है कि उन्हें साक्षर बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएं तथा उन्हें देश की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनाया जाए। इस प्रकार, मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीतियां बनाए जाने और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना बहुत महत्व रखता है। इससे वह रास्ता बनता है जिस पर चल कर वित्तीय समावेशन की मंज़िल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

बैंकिंग उद्योग/ बैंक स्तर पर

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में बैंकों को केंद्रीय भूमिका निभानी है क्योंकि हमारे देश में फिलहाल इस संबंध में यह लक्ष्य रखा गया है कि जिन लोगों के बैंक में खाते नहीं हैं, उनके खाते खोले जाएं ताकि वे वित्तीय सेवाओं के दायरे में आ सकें और अनौपचारिक क्षेत्र से ऊंची दरों पर ऋण लेकर आजीवन ही नहीं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऋणग्रस्त बने रहने की स्थिति से बाहर निकलें। इससे उन्हें बचत करने का महत्व भी पता चलेगा तथा वे कम दर पर ऋण लेकर अपने व्यवसाय / रोज़गार को गति दे सकेंगे और इस प्रकार अपने जीवन-स्तर में सुधार ला सकेंगे। लोगों की आय में वृद्धि होने से देश में विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे एक सकारात्मक चक्र की शुरूआत होगी।

बैंकों को इस संदर्भ में कई भूमिकाएं निभानी हैं। उन्हें शहरी और ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में शामिल करना है और उन्हें उचित तथा कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद भी उपलब्ध कराने हैं। बैंकों को यह भी देखना है कि ग्रामीण गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय रूप से शिक्षित किया जाए तथा उनके कौशल का भी विकास हो ताकि वे अपने व्यवसाय/रोज़गार को बेहतर ढंग से चला सकें और उनकी चुकौती क्षमता में वृद्धि हो सके।

बैंकों को अपनी उपर्युक्त भूमिकाओं को कारगर तरीके से निभाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की तो जरूरत होगी ही, उन्हें अपनी मानव संसाधन नीतियों में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे विचारणीय हैं:-

- शहरी जीवन का आदी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण बैंक स्टाफ ग्रामीण शाखाओं में काम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। यही कारण है कि ग्रामीण शाखाओं में अक्सर स्टाफ की कमी पाई जाती है और वहां बैंकिंग सेवाओं का स्तर भी वह नहीं होता जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसे देखते हुए ही अधिकारियों के लिए तीन वर्ष तक ग्रामीण शाखा में काम करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

- इस बात पर विचार किया जाना होगा कि बैंक कर्मियों को ग्रामीण शाखाओं में काम करने के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जाए ताकि वे स्वतः स्फूर्त इच्छा से ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हों और वहां जाकर अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए उद्यत हों। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डा. अनिल कुमार खंडेलवाल के अनुसार ग्रामीण क्षतिपूर्ति भत्ता देकर तथा लिपिकीय स्टाफ के लिए भी ग्रामीण शाखाओं में कुछ वर्ष की सेवा अनिवार्य करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन शहरी शाखाओं में आवश्यकता से अधिक स्टाफ हो, उसे हटाकर ग्रामीण शाखाओं में लगाया जा सकता है (बैंकर्स कांफ्रेंस-2006)। लेकिन, इससे औद्योगिक संबंधों की समस्या पैदा हो सकती है। अतः यह ऐसा विषय है जिसके संबंध में बहुत सोच-समझ कर कदम उठाने तथा उपयुक्त मानव संसाधन नीतियां विकसित करने की जरूरत है।

- ग्रामीण शाखाओं में ऐसे स्टाफ को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है जो वहां के परिवेश तथा लोगों की अच्छी समझ रखते हों। इस हेतु बैंकों को ऐसे स्टाफ की पहचान करनी होगी और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए अभिप्रेरित करना होगा।

- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्टाफ को कैरियर बनाने, पदोन्नति देने तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने पर विचार करना होगा।

- ग्रामीण शाखाओं में **नियोजन** के लिए नए सिरे से भर्ती नीति बनानी होगी ताकि नए स्टाफ को बैंक में नौकरी स्वीकार करते समय ही यह स्पष्ट हो कि उसे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ही भर्ती किया गया है और वह वहां जाने में आना-कानी नहीं करे। इसे भर्ती की एक शर्त के रूप में शामिल किया जा सकता है।

- कृषि वित्त अधिकारी तथा ग्रामीण विकास अधिकारी जैसे विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती किये जाने पर भी विचार करना होगा ताकि वे वित्तीय समावेशन संबंधी नीतियों को लागू करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

- ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए बैंक स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना होगा। इस संबंध में **व्यवहारगत प्रशिक्षण** की बहुत जरूरत है। गरीब ग्रामीणों को उचित सम्मान देना, उनकी समस्याओं और जरूरतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना-समझना तथा उनके स्तर के अनुरूप उनसे बातचीत करना आदि को प्रशिक्षण में शमिल किया जाना होगा।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से बनाए बैंकिंग उत्पादों/सेवाओं की पूरी जानकारी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपणन तथा वसूली आदि के संबंध में स्टाफ को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीक तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी देना तथा उनके उपयोग /प्रयोग का प्रशिक्षण भी स्टाफ को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा ताकि वे बेहतर तथा त्वरित सेवाएं दे सकें और उनके संबंध में ग्रामीण ग्राहकों आदि को यथोचित तथा यथावश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत / भेजे जाने वाले स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने होंगे।

- ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान हो। जब तक ग्रामीणों से उनकी भाषा में बात नहीं की जाएगी, वे बैंक से नहीं जुड़ेंगे। साथ ही बैंकिंग तथा बैंक के उत्पादों / सेवाओं की जानकारी भी उन तक तभी पहुंच पाएगी जब वह उन्हें समझ में आने वाली भाषा के माध्यम से दी जाएगी। इस बात को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए स्टाफ को अंग्रेजी भाषा के मोह से बचना होगा तथा भाषा के संबंध में अपनी मानसिकता को बदलना होगा। स्टाफ की नियुक्ति/नियोजन करते समय बैंकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि संबंधित स्टाफ क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञानी हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा बैंकिंग उद्योग और बैंक स्तर पर मानव संसाधन विकास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इस हेतु मानव संसाधन संबंधी नीतियों में अनुकूल परिवर्तन किये जाने आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हैं।

प्रयुक्त शब्दावली

वित्तीय समावेशन	Financial Inclusion	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income
ऋणग्रस्तता	Indebtness	आर्थिक वृद्धि दर	Economic Growth Rate
अवधारणा	Concept	नियोजन	Deployment
निपुणता	Efficiency	व्यवहारगत प्रशिक्षण	Practical Training

वित्तीय समावेशन चुनौतियां और समाधान

डॉ. रामप्रकाश सिंहल
उप महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय समावेशन एक व्यापक संकल्पना है जिसका उद्देश्य बैंकिंग की सुविधाओं के आधार पर समाज के ऐसे कमजोर तबके के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है जो अभी तक बैंकों की पहुंच से अछूते रह गये हैं। उन्हें बैंकिंग की धारा में शामिल करना है।

वित्तीय समावेशन का यह उद्देश्य या लक्ष्य जितना लुभावना और आकर्षक लगता है उसकी प्राप्ति के पथ में उतनी ही ज्यादा चुनौतियां हैं। इस संकल्पना का नाम भले ही नया हो, परंतु इस दिशा में प्रयास आजादी के बाद से ही शुरू हो गये थे। सन् 1969 में 14 बैंकों और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिशा में किये गये प्रयास थे। फिर भी आज तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके मार्ग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

वित्तीय समावेशन का यह उद्देश्य या लक्ष्य जितना लुभावना और आकर्षक लगता है उसकी प्राप्ति के पथ में उतनी ही ज्यादा चुनौतियां हैं। इस संकल्पना का नाम भले ही नया हो, परंतु इस दिशा में प्रयास आजादी के बाद से ही शुरू हो गये थे। सन् 1969 में 14 बैंकों और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिशा में किये गये प्रयास थे।

1. ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों में बैंकिंग की बुनियादी सुविधाओं और संरचना का अभाव होना।
2. लेनदेन की प्रणाली और ऋणों की लागत का अत्यधिक जटिल तथा खर्चीला होना।
3. आम आदमी की आय के नियमित और पर्याप्त स्रोतों का अभाव होना।
4. आम जनता में वित्तीय शिक्षा की कमी होना।
5. बैंकों का लाभ केंद्रित दृष्टिकोण का होना।
6. पिछड़े इलाकों में धन की सुरक्षा की चिंता होना।
7. बैंक कर्मचारियों के बीच पिछड़े इलाकों में असुरक्षा की भावना होना।
8. बैंकों में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, और स्थानीय भाषा के प्रयोग की हिचकिचाहट।
9. ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत स्टाफ को निम्न गुणवत्ता वाला कर्मचारी समझा जाना। अतः कर्मचारियों के मन में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने में संकोच।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनके कारण वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है।

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डा. रेड्डी का मानना था कि 'बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता और सर्वांगीण ऊर्जस्विता इन दोनों को बढ़ाने की दिशा में बैंकों में विस्तार, महत्तर प्रतिस्पर्धा तथा स्वामित्व का विशाखीकरण हुआ है। तथापि बैंकिंग संव्यवहार, जिनमें जो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, आम लोगों को आकर्षित करने की बजाय उन्हें छोड़ने की प्रवृत्ति झलकती है। इस संबंध में कुछ वैध चिंताएं हैं। निस्संदेह वाणिज्यिक लाभ का मुद्दा महत्वपूर्ण है, परंतु बैंकों को अनेक विशेषाधिकार दिये गये हैं, विशेषकर जनता की जमाराशियां बहुत कम दरों पर प्राप्त करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप उन्हें यह दायित्व स्वीकारना चाहिए कि वे जनसंख्या के सभी घटकों को सम्यक आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें'। परंतु दुर्भाग्य से बैंक, विशेषकर, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक इस दायित्व को अभी तक अंगीकार नहीं कर पाये हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है।

हम सभी भली भाँति जानते हैं कि गरीब और साधन-विहीन लोग जो दो जून की रोटी की जुगाड़ में, अपने तन ढँकने की फिराक में या अपनी टूटी/फूटी झोपड़ी/छप्पर को बांधने में लगे रहते हैं, बैंकों तक उनकी पैठ होना या बैंक में उनका खाता

खोलना उनकी सोच से भी दूर है। वह चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या अर्धशहरी क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति क्या बचायेगा या जोड़ेगा? कौन उसको उधार देगा? कौन उसका खाता खोलेगा? आजादी के 61 साल के बाद भी भारतीय समाज की यह आर्थिक विषमता क्या सोचनीय नहीं है? विशेषकर जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही हो। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक वृद्धि में पीछे छूट गये इन्हीं साधन-विहीन लोगों को आर्थिक विकास की गति में शामिल करना है, उन्हें भागीदार बनाना है।

वित्तीय समावेशन का पहला प्रमुख प्रयास- बैंकों का राष्ट्रीयकरण

यदि हम भारत में बैंकिंग और विशेषकर ग्रामीण बैंकिंग के विकास पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि 1969 में 14 और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिशा में लायी गयी पहली क्रांति सिद्ध हुआ है। इस क्रांति का उद्देश्य ही बैंकिंग सुविधा का विस्तार ग्रामों तक करना और विशेषकर किसानों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों तथा ग्रामीण निर्धन आबादी को भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इस क्रांति ने जहां ग्रामीणों को महाजनों के निर्मम चंगुल से छुड़ाया, वहीं उन्हें आर्थिक विकास में भागीदार बनाया।

ऐतिहासिक रूप से भारत सरकार और रिज़र्व बैंक देश में बैंकिंग के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं जैसे 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 1992 में स्वयं सहायता समूह और बैंक संपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत, तथा 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व जहां देश भर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल 6,000 बैंक शाखाएं थीं, वहीं राष्ट्रीयकरण के बाद जून 2006 के अंत तक इन शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 69,417 तक हो गयी। इस अवधि में बैंकिंग सरकारी नियंत्रण के अधीन आ गयी। उन्हें सामाजिक उत्थान का दायित्व सौंपा गया। इस अवधि में शाखाओं का जबरदस्त विस्तार हुआ और भारतीय बैंकिंग वर्ग बैंकिंग से निकलकर जन बैंकिंग के रूप में परिणत हो गयी।

ऐतिहासिक रूप से भारत सरकार और रिज़र्व बैंक देश में बैंकिंग के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं जैसे 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 1992 में स्वयं सहायता समूह और बैंक संपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत, तथा 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। बैंकिंग सुधारों में इतना सब होते हुए भी 'वित्तीय समावेशन' को नीति संबंधी दस्तावेजों में स्थान बहुत हाल ही में मिल पाया है। क्योंकि इतना सब कुछ किए जाने पर भी देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित बना हुआ है। अतः इस दिशा में दूसरी क्रांति के रूप में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से नये प्रयास किये जा रहे हैं।

रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने वित्तीय रूप से छोड़ी गयी जनसंख्या को बनी बनायी वित्तीय प्रणाली की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

वित्तीय समावेशन की दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये समाधान/प्रयास

इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें प्रमुख हैं:-

- नवम्बर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे 'निम्न' या 'शून्य' न्यूनतम निर्धारित शेष जमाराशि और प्रभारों वाले 'नो फ्रिल्स' खातों वाली बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायें ताकि ऐसे खातों की पहुंच जनसंख्या के व्यापक तबकों तक बढ़ायी जा सके। तब से अनेक बैंकों ने मूल्यवर्धन के विशेष लक्ष्यों के साथ या उनके बिना 'नो-फ्रिल्स' खाते खोलने की शुरुआत की है।
- रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसंबर 2007 के अंत तक 1.26 करोड़ 'नोफ्रिल्स' खाते खोले जा चुके हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खोले गये खातों की संख्या 1.1 करोड़ तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में खोले गए खातों की संख्या 15.60 लाख है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न आय समूहवाले किसी व्यक्ति को बैंक खाता

खोलने के संबंध में प्रक्रियागत किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, नया खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।

- आबादी के एक बहुत बड़े भाग को बैंकिंग सुविधा की पहुंच आसान हो इसके लिए दिसंबर 2005 में रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को ये निदेश दिये हैं कि खुदरा ग्राहकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली सारी सामग्री जैसे खाता खोलने के फार्म, पास बुक, जमा पर्ची, ऋण लेने के फार्म आदि अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करायें।

- जनवरी 2006 में बैंकों को कारोबारी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ./स्वयं सहायता समूहों) तथा लघु वित्त संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसाइटी के संगठनों की सेवाएं लेने की अनुमति दी गयी ताकि वे कारोबार-सुविधा दाता तथा कारोबारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेजी प्रदान कर सकें। सभी बैंकों से कहा गया है कि वे सभी बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक सुविधा प्रदान करें।

- ग्राहकों को झंझट मुक्त ऋण प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों को झंझट रहित ऋण प्रदान करने के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर मार्गदर्शी निदेशों को आसान बनाया गया ताकि ग्राहकों पर जमानत या ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिये बिना उनकी आसान शर्तों पर ऋण तक पहुंच हो सके। इसकी ऋण सीमा 25,000/- रुपये तक रखी गयी है।

- 25,000/- के मूलधन वाले ऋणों के लिए जो 30 सितंबर 2005 को संदिग्ध या हानिगत आस्तियां बन चुकी हों, उनके लिए एकबारगी निपटान की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया।

- सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण योजना के मामले में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा विकसित की जाने वाली राज्य विशेष के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पृथक मार्गदर्शी दिशा-निर्देश बनाएं।

- बैंकों को सूचित किया गया कि एकबारगी निपटान प्रणाली के अंतर्गत निपटाये गये ऋणों के उधारकर्ता नये ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्आकलन के लिए पात्र होगे।

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे इन सभी उपायों को सभी शाखाओं में लागू करें, ताकि महत्तर वित्तीय समेकन प्राप्त किया जा सके।

शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यस्तरीय बैंकर समितियों के सभी संयोजक बैंकों को यह कहा गया है कि वे 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराकर शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले की पहचान करें तथा उसका क्रमिक विस्तार करें। इसके लिए बैंकों के बीच गांवों का आबंटन करें।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 160 जिलों की पहचान की गयी है और रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश संपूर्ण पांडिचेरी तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के 28 जिलों में शत प्रतिशत का वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया है।

एक अध्ययन के अनुसार 30 राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों में फैली 930 बैंक शाखाओं और 9300 जमाकर्ताओं और 13950 उधारकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। इस अध्ययन में काउंटर पर त्वरित सेवाएं प्रदान करना, तथा बैंक कार्मिकों और ग्राहकों के बीच पेशेवर व्यवहार ग्राहक संतुष्टि के प्रमुख मानदंड रहे।

- विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बैंकिंग सेवाओं

में सुधार के लिए विभिन्न कार्य दल गठित किये गये हैं।

- प्रायोगिक आधार पर ऋण परामर्श केंद्रों की स्थापना, तथा वित्तीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए मध्यस्थों जैसे गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, लघु वित्त संस्थाओं और नागरिक समितियों, डाकघरों, किसान क्लबों, पंचायतों आदि का एजेंटों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
- बैंकों को व्यापार सुविधादाता/प्रतिनिधि जैसे उनके एजेंटों द्वारा नकदी को स्वीकारने/वितरित करने के लिए बायो मैट्रिक कार्डों और मोबाइल हैण्ड होल्ड इलैक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया गया है। बैंकों से कहा गया है कि वे ग्राहकों को ऋण परामर्श के लिए बैंक ऋण परामर्शदाता समितियां या दल बनायें।
- वित्तीय शिक्षा प्रचार-प्रसार के लिए नये-नये अभियान चलाये जा रहे हैं।
- बैंकों से कहा गया है कि वे जनता के सम्पर्क बिंदुओं में काम आने वाली सभी लेखन सामग्री, फार्म आदि संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करायें। रिज़र्व बैंक ने स्वयं 13 भारतीय भाषाओं में अपनी वेबसाइट प्रारंभ कर दी है जिसमें बैंकिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं डाली जाती हैं।

रिज़र्व बैंक यह मानता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से सम्पन्न सेवाएं उन चुनौतियों का सामना कर सकती हैं जो बुनियादी संरचना की कमी, उच्चतर अंतरण लागत तथा लेनदेन की निम्न मात्रा जैसे मुद्दों से निपटने तथा वित्तीय समावेशन की व्याप्ति और प्रसार को बढ़ाने के लिए जरूरी है। रिज़र्व बैंक ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस संबंध में कार्रवाई करने की पहल पहले ही कर दी है।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं और अधिक लोगों को उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक लोगों तक सुविधा को पहुंचाने के प्रयोजन से एक समिति गठित की गयी जिसकी प्रमुख सिफारिशें हैं:-

- अगले चार सालों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के विचार से बैंक प्रत्येक माह प्रति शाखा में कम से कम 50 परिवारों के 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने की योजना बनाएं।
- बैंक रहित स्थानों से बैंकिंग जमाराशियां प्राप्त करने और लेनदेन करने के लिए बैंक स्वयं सहायता समूहों, लिंकेज कार्यक्रम और कारोबार-प्रतिनिधि, कारोबार-सहायक मॉडल तथा (स्मार्ट कार्ड आधारित और मोबाइल फोन समेत) आइ टी आधारित समाधान का अधिकाधिक सहारा लें। सरल वैकल्पिक व्यवस्थाओं जैसे समूह / स्थानीय जातीय निकायों / किसान क्लबों / ग्रामीण विकास बोर्डों से भूमि कब्जा प्रमाणपत्र, उधारकर्ता द्वारा भूमि पर खेती करने के अधिकार के संबंध में इसे अपनाया जाए।
- मुद्रा प्रबंध, ऋण के वितरण तथा भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए संबंधित क्षेत्रों में प्रयत्न किये जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लाने के लिए वित्तीय समावेशन को सार्थक और सक्षम हथियार बनाने की दृष्टि से बैंकों को ग्राहकों से अपने पास आने की अपेक्षा करने के बजाए बैंक को स्वयं भावी ग्राहकों को तलाशना और उसके पास उसकी आवश्यकता के समाधान के साथ जाना होगा।
- भारत में लघु वित्त और स्वयं सहायता समूह की गतिविधियां अपने शैशव काल में हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के आदर्श का अनुसरण करते हुए भारत में भी हमें उनका सार्थक प्रयोग करना होगा। वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कारोबारी सुविधा दाताओं और प्रतिनिधियों के रूप में और अधिक नवोन्मेष करने होंगे।

इस प्रकार यदि वित्तीय समावेशन पूरी निष्ठा से और पूरे जोश से देशभर में लागू किया जाये तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आयी पहली क्रांति के बाद यह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दूसरी क्रांति सिद्ध होगी। इसके लिए एक सुखद आधार भी मौजूद है। आज देश में 1 करोड़ मोबाइल फोनधारक हैं जो 5 से 7 लाख प्रति माह की दर से बढ़ रहे हैं। अतः यदि इन मोबाइल फोनों

को आधार माना जाये तो देश में उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि की जा सकती है और उन्हें वित्तीय समावेशन में शामिल किया जा सकेगा।

आज प्रौद्योगिकी का जमाना है। अतः इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बैंक अपनी शाखाओं को चार दीवारी से बाहर निकालें और मोबाइल फोनों तथा अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से नये-नये ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी आय के स्रोतों, उनकी अभिरुचि तथा भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नवोन्मेषी उत्पाद उपलब्ध कराये जा सकते हैं। 'नो फ्रिल्स' खातों के माध्यम से छोटे-मोटे ओवरड्राफ्ट तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सकता है।

इसके लिए साप्ताहिक जनसम्पर्क अभियान, साप्ताहिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अनुषंगी कार्यालय, ग्रामीण एटीएम तथा डाकघरों का प्रयोग किया जा सकता है।

दक्षिणी अफ्रीका में 'मजान्सी खाता' नामक एक ऐसा नेशनल 'नो फ्रिल्स' बैंक खाता होता है जो बैंक सुविधा रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका अनुसरण भारत में भी किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में पेंशन के भुगतान के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है यही कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तथा बैंकिंग लेनदेनों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोमैट्रिक पहचान के साथ इसे बहुउद्देशीय बनाया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए आइटी सोल्यूशनों पर एक परामर्शी समूह का गठन किया है। यह आशा की जाती है कि इस समूह के प्रयासों के फलस्परूप बैंक, सरकार तथा डाकघर के लिए गठित परामर्शी समूह द्वारा प्रस्तुत आलेख में शाखा रहित बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए संभावित दो मॉडलों का ब्यौरा दिया गया है- अर्थात् बैंक एजेंट मॉडल तथा ई-बैंकिंग मॉडल जहां बिना बैंक खाते के भी अनेक प्रकार के वित्तीय लेनदेन किये जा सकते हैं। इसके अलावा- बैंक सुविधा-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा या वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह, बैंक सम्पर्क कार्यक्रम भी एक साधन है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अपनी सहूलियत के आधार पर एनजीओ, किसान क्लबों, समुदाय आधारित संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं के आइटी सक्षम ग्रामीण केंद्रों, डाकघरों, बीमा एजेंटों, सुव्यवस्थित पंचायतों, कृषि विज्ञान केंद्र, खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों की इकाइयों को भी मध्यस्थ एजेंसी के रूप में या कारोबार सहायक के रूप में सेवाएं लेने की अनुमति दी है और उसके लिए उचित कमीशन / या फीस का भुगतान कर सकते हैं। अब ग्रामों में ई-चौपाल की नयी संकल्पना उभर रही है उसका भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य कदम

- बैंकिंग सुविधा के विस्तार का सर्वप्रथम जोर बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों पर होना चाहिए। बैंक के ग्राहकों में और उनकी बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि की जाए।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं, उसके सही समय, सही मात्रा और सही उपयोग को समझ कर तदनुसार उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर मुख्य जोर दिया जाये, मात्र खातों की गिनती बढ़ाकर नहीं।
- वित्तीय समावेशन तभी सफल होगा जब बैंकिंग की कृत्रिमता, औपचारिकता, रूढ़िवादिता तथा अनावश्यक झंझटों को दूर करके ग्राहक की भाषा में, उसके साथ अनौपचारिक व्यवहार करते हुए सरल प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए उसे सचमुच सहायता पहुंचाने की मनोवृत्ति हो। नये संभावित ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की अपेक्षा की बजाए ग्राहक के पास बैंक एजेंट या मध्यस्थ संस्था या कर्मचारी को जाना होगा।
- ग्राहक की सुविधानुसार बैंक उत्पाद बनाये जाने चाहिए।
- ऋण-मंत्रणा, वित्तीय साक्षरता तथा उसकी आवश्यकता, चुकौती क्षमता के अध्ययन का कार्य ऋण सुपुर्दगी से पहले किया जाना चाहिए।
- बैंक के कार्य, प्रक्रिया सामग्री तथा प्रविष्टियां ग्राहक की

भाषा में हों।

- ग्राहक संबंधी सभी सूचनाओं को एकत्रित करने, उन्हें अन्य बैंकों की शाखाओं को प्रेषित करने, भुगतान और निपटान प्रणालियों को कम लागत वाली, अधिक दक्ष और सटीक बनाया जाये।
- कृषक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ग्रामीण विकास तथा स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की गतिविधियों, नीतियों, कार्यक्रमों की सूचना का प्रसार और उनकी समझ विकसित की जाए।
- स्वयं सहायता समूह, डाकघरों तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं में वित्तीय समावेशन के प्रति जागरूकता विकसित करने, उनके द्वारा सुपुर्दगी प्रणाली को बढ़ाने तथा उनकी गतिविधियां ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में बढ़ाने के विविध प्रयास किये जाएं।
- बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक योजना को अपनाया जा सकता है, महिला बैंक, महिला उद्यमी, लघु और मध्यम कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण रोज़गारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक वित्तीय समावेशन पर ध्यान दिया जाए।
- वित्तीय समावेशन के सफल प्रयोग के लिए सूचना के सम्यक प्रसारण पर पूरा जोर दिया जाए।
- वित्तीय समावेशन अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय बैंकों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ राज्य सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बैंकों और राज्य सरकारों के बीच सहयोग स्थापित करके प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जाए और उसे ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए जैसे भूमि बन्दोबस्त, जल संसाधन प्रबंधन, भूमि का रिकार्ड, ग्रामीण उत्पादों के भाव और मूल्य में उतार-चढ़ाव, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी, कृषि मशीनरी का उपयोग, बीज तथा खाद की सही दामों पर उपलब्धता, सामाजिक बुनियादी संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र आदि की व्यवस्था आदि कार्यक्रम भी शामिल किये जाएं और उनकी जानकारी प्रसारित की जाए। इसके लिए सामूहिक प्रयासों को महत्व प्रदान किया जाए। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, उनके रोज़गार बचत और निवेश, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी इसका एक भाग हो सकता है।
- वित्तीय शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करने के लिए उसका लोकप्रिय माध्यमों से प्रचार किया जाए।

इस प्रकार वित्तीय समावेशन एक सामाजिक क्रांति है जो अब तक बैंकिंग सुविधा से वंचित, असंगठित क्षेत्रों के व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। सारे विश्व में आज इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और हमारे देश में यदि इसे निष्ठा और उत्साहपूर्वक लागू किया गया तो निःसंदेह यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद दूसरी क्रांति के रूप में उभरेगा। परंतु वित्तीय शिक्षा के प्रसार और प्रचार तथा सरकारों और बैंकों की सच्ची कोशिश के बिना इसे प्राप्त करना मृगतृष्णा ही होगी। परंतु हमारा विश्वास है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग भारतीय आम जनता को पूरी तरह से बैंकिंग परिवेश से जोड़ने के लिए उचित प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए इस दूसरी बैंकिंग क्रांति को सफल बनायेगा।

वित्तीय शिक्षण के आलोक

में वित्तीय समावेशन की सफलता है

वित्तीय समावेशन : विभिन्न बैंकों के प्रयास

काज़ी मुहम्मद ईसा
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वित्तीय समावेशन की संकल्पना उन 70% जनसंख्या के लिए वरदान के रूप में अवतरित हुई है जो कमोबेश बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। दरअसल, यह अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि खेत के सभी भाग को खाद-पानी बराबर मात्रा में मिले ताकि पूरे खेत में चारों तरफ हरी-भरी लहलहाती फसल हो। बैंकिंग/वित्तीय जगत आर्थिक विकास के पर्याय हैं। आर्थिक विकास में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन का संग्रहण और धन का वितरण दो ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनका सीधा संबंध समस्त आर्थिक/सामाजिक गतिविधियों से होता है। बैंक ऐसे स्रोत हैं जो देश के आर्थिक ढांचे की धमनियों में धन के रूप में ऊर्जा प्रवाहित करते रहते हैं। वित्तीय समावेशन के पीछे केंद्रीय बैंक की मंशा यही है कि सिक्कों की खनक, बचत की आदत और वित्तीय मदद उन लोगों तक भी पहुंचे जो देश के विकास में कल, आज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन का मकसद दूर-दराज के उन घरों को भी रोशन करना है जिनके घरों में दीपक की लौ मयस्सर नहीं है। इसका प्रयोजन उन देशवासियों को साहूकारों के कर्ज़ की लानत से मुक्ति दिलाना है जिसके बोझ तले उनकी कमर झुककर कमान हो चुकी है। कर्ज़ की मार सहते-सहते जिनके भूखे-अधूरे पेट रीढ़ से चिपक गए हैं, जिनके खेत-खलिहान पैसे के अभाव में सूख चुके हैं, जिनकी आंखे आने वाले सुखद कल का स्वप्न लिए पथरा चुकी हैं और जिनके आंगन गरीबी और मजबूरी के सतत दंश से वीरान हो चुके हैं। वित्तीय समावेशन इन्हीं अभावग्रस्तता का उपचार है। इसलिए इसे बैंकिंग-समावेशन न कहकर वित्तीय समावेशन से अभीहित किया गया है। फसल बोने और काटने में समय लगता है। इस अंतराल में आर्थिक मदद देने वालों को प्रतीक्षा की कठिन घड़ियों से गुज़रना पड़ सकता है, किंतु यह तय है कि इसका दूरगामी प्रभाव ऐसा होगा जो चारों तरफ से आर्थिक विकास की एक नई लहर लेकर उठेगा। तब आर्थिक विकास की दर में देश के जर्रे-ज़र्रे का योगदान होगा और भारतीय आर्थिक सिंहासन के हर पाये इतने मजबूत होंगे कि आने वाला कल उसकी सफलता की दास्तान कुछ और ही लिखेगा, जिसमें देश के हर कोने में मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे, खुशहाली होगी और तब केंद्रीय बैंक देखे गए स्वप्न को साकार पाकर गर्व करेगा जिसमें पूरे बैंकिंग तंत्र का सक्रिय योगदान होगा।

वित्तीय समावेशन न केवल निर्धनों, ग्रामीणों, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा अपितु किसानों/ग्रामीण परिवारों को राहत की सांस देगा जो आर्थिक तंगी से आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। ये उनके जीवन में आशा की एक नई किरण बनकर उतरेगा और उनके जीवन को रोशनी से भर देगा। यह संकल्पना का सकारात्मक एवं रोशन पहलू है जिसके सत्य होने में अभी काफी समय दरकार है। इस स्थिति को प्राप्त करने में एक लंबी जद्दोजेहद है, एक जोखिम भरा प्रयास है। इस कार्य में लाभ भी है, हानि भी है। किंतु वह हानि भी स्वीकार्य होगी जो देशवासियों के उत्थान के लिए उठाई जाए। यही इस मिशन का मंतव्य है।

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य समाज के उस तबके को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने से है जिनकी आय बहुत कम है और जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। प्रारंभ में बैंकिंग सेवाएं वर्ग-विशेष तक सीमित थीं, जिन्हें अब जनसामान्य तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी गई है। 1969 एवं 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अग्रणी बैंक योजना (1970), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (1975), स्वयं सहायता समूह का निर्माण (1992), किसान क्रेडिट कार्ड योजना (2001) लागू करना, अपने ग्राहक को जानिए, ग्राहक सेवा पर निरंतर जोर दिया जाना जैसे कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए गए हैं जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनुभव किया कि बैंकिंग गतिविधियों को व्यापक बनाने में एक लंबा समय बीत चुका है, किंतु समाज के कई हिस्से ऐसे हैं जो बैंकिंग सेवाओं से या तो अछूते हैं या उन तक बैंकिंग सुविधाओं

की पहुंच नहीं है। अतः वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया।

बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्ग

समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वित्तीय सेवाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। ये वर्ग है-सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, स्वरोजगार व्यक्ति एवं असंगठित उद्यम क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती के रहिवासी, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं, सामाजिक रूप से कमतर माने जाने वाले लोग आदि। देश के अधिकांश हिस्से में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, पूर्वी एवं मध्य भारत की खासी आबादी इस वंचन की शिकार है।

वित्तीय वंचन के कारण

प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- *क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव*
- *अनेक क्षेत्रों में बैंकों का न होना*
- *अशिक्षा तथा जानकारी का अभाव*
- *बैंक शाखा से दूरी*
- *बैंक के कार्य-समय ग्रामीणों के लिए उपयुक्त न होना*
- *बैंक द्वारा अनेक दस्तावेज़ों की मांग, लंबी प्रक्रिया तथा वांछित उत्पाद का न होना*
- *भाषा की समस्या, बैंक स्टाफ का रवैया आदि।*

भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पहल

वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों से यह आग्रह किया था कि वे अपनी वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करें तथा उन्हें वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के अनुरूप बनाएं। शून्य अथवा अत्यधिक न्यूनतम राशि से 'सादा खाता' (नो फ्रिल अकाउंट) खोलें जिस पर प्रभार की दर बहुत कम हो ताकि देश की आबादी का अधिकांश हिस्सा ऐसे खाते खोल सके और बैंक से जुड़ सके। रिज़र्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को सूचित किया कि वे अपने राज्यों में कम से कम एक ऐसे जिले की पहचान करें जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन किया जा सके। 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदण्डों को और भी आसान बनाया गया ताकि कम आय वर्ग के लोग खाता खोल सकें। बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे नगर सामाजिक संगठनों, कृषक क्लबों, एनजीओ, स्वयं सहायता समूहों, डाक घरों आदि की सहायता से अपने कार्यकलापों को दूर तक फैलाएं। पांडिचेरी संघशासित राज्य में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना एक वर्ष के लिए प्रारंभ की गई तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने में बैंकों ने अनेक उपाय किए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ बैंकों द्वारा उठाए गए कदम एवं उनके प्रयासों की विवेचना यहां प्रस्तुत है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बैंकों ने इस दिशा में कितने गंभीर प्रयास किए हैं।

इंडियन बैंक

बैंक द्वारा वर्ष 2006 में देश में पहली बार पांडिचेरी में वित्तीय समावेशन से संबंधित राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई। पांडिचेरी का अग्रणी बैंक होने के नाते इंडियन बैंक ने इस परियोजना को अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया। यह निश्चय किया गया कि एक वर्ष के भीतर सभी पात्र आबादी को बैंकिंग सेवाओं के अधीन लाया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बैंक रहित क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना था। परियोजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा अब तक 141075 बचत बैंक खाते खोले गए। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन बैंक ने व्यापार सर्वेक्षण कार्य किया और ऐसे गृहस्थों के आंकड़े एकत्रित किए जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। इस प्रक्रिया में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सहायता की। इंडियन बैंक ने अन्य बैंकों को भी आंकडे आदि उपलब्ध करवाने में सहायता की। 23464 व्यक्तियों को 203.04 लाख रुपए ओवड्राफ्ट के रूप में दिए गए। दो बीमा उत्पाद प्रारंभ किए गए: (क) जनश्री बीमा योजना जिनमें 27895 स्वयं सहायता समूह (157555 व्यक्तियों को शामिल किया गया) तथा (ख) यूनिवर्सल

हेल्थ केयर बीमा जिसके अंतर्गत 3150 साधा खाताधारकों (15517 व्यक्तियों सहित) को शामिल किया गया। पांडिचेरी में इंडियन बैंक ने इस परियोजना को एक वर्ष में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

बैंक ने केरल में कोल्लम में वित्तीय समावेशन परियोजना को लागू किया। इसके अतिरिक्त देश में अग्रणी जिलों में बैंक ने शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन परियोजना प्रारंभ की है। बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 196214 सादे खाते खोले, 839 ओवरड्राफ्ट जारी किए और 605.10 लाख रुपए के परिव्यय के साथ 3225 जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किए। बैंक ने शहरी वित्तीय समावेशन के प्रयास के रूप में देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी, मुंबई में फरवरी 2007 में कोर बैंकिंग साल्यूशन एवं एटीएम सुविधा सहित शाखा खोली। चेन्नै में माइक्रोस्टेट शाखा मुख्य रूप से कम-आय वर्ग तथा दूर-दराज के इलाकों से आए हुए लोगों के लिए खोली गई। बैंक का देश के 10 अन्य महानगरों एवं शहरी केंद्रों में इस प्रकार की विशेष शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। बैंक के धारावी मॉडल के अनुरूप आंध्र प्रदेश में गुंटुर कस्बे में, चेन्नै में, तरमणी में वित्तीय समावेशन को लागू किया और उन व्यक्तियों के खाते खोले जो अब तक बैंकिंग से अनभिज्ञ थे। बैंक ने अब तक देश के 1233 गांवों को वित्तीय समावेशन से जोड़ा है, 406168 व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई है। 46703 सादे खाते खोले गए जिनमें 7.13 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक

वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रायोगिक परियोजना को पंजाब नैशनल बैंक ने 3 अक्तूबर 2007 से राजस्थान में प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 'सादा खाता' उपलब्ध कराना तथा अगले चार वर्षों में अपने ग्राहकों की संख्या 100 मिलियन करना थी। यह परियोजना इस दिशा में प्रारंभिक प्रयास था। बैंक की इस पहल को 1.5 करोड़ की लागत से देश के अन्य 10 राज्यों में भी लागू करने की योजना हैं। बैंक, उन ग्रामों तक संपर्क साधेगा जहां बैंक शाखाएं नहीं हैं। उन्हें बैंकिंग कारोबार से जोड़ेगा, ऋण प्रदान करेगा तथा स्वास्थ्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद मुहैया कराएगा। खातों में लेनदेन हेतु बैंक ग्रामीण ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। बैंक का मार्च 2008 तक एक मिलियन सादा खाता खोलने का लक्ष्य था। बैंक का 2010 तक 15 मिलियन गृहस्थों को इस योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है।

पंजाब नैशनल बैंक ने 18 मई 2008 को लुधियाना में शहरी वित्तीय समावेशन प्रायोगिक परियोजना को प्रारंभ किया। इसके उदघाटन कार्यक्रम में 12,000 सादे खाते खोले गए। बैंक इसके अंतर्गत बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड शीघ्र जारी करेगा। बैंक ने परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु दो मॉडल; कारोबार संपर्क तथा कारोबार सहायता मॉडल अपनाए हैं। बैंक का उद्देश्य है कि बैंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके संपर्क में बिल्कुल नहीं हैं। लुधियाना परियोजना में कुल 31250 सादे खाते खोले गए और 26000 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। बैंक ने 27 प्रायोगिक परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं (20 ग्रामीण क्षेत्रों में और 7 शहरी क्षेत्रों में) जिन्हें 13 राज्यों में लागू किया जाएगा। 20 ग्रामीण प्रायोगिक परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं नीमराणा,अलवर (राजस्थान); तिनेरी पंचायत, पटना, (बिहार); मटकी झरोली, सहारनपुर, (उत्तरप्रदेश); गरारू जिला-गया, (बिहार); मौली जारगन, चंडीगढ़ तथा कुल्लू, (हिमाचल प्रदेश) में प्रारंभ कर दी गई है। पंजाब नैशनल बैंक ने आठ कृषक प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं और सितंबर 2007 तक 109614 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत बैंक ने किसान बंधु योजना शुरू की है जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति गांवों में दरवाज़े-दरवाज़े वित्तीय समावेशन के कार्य को अंजाम देगा। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएनबी बागबां (रिवर्स मार्टगेज ऋण) योजना प्रारंभ की है अब तक इसके अतर्गत 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।

सिंडिकेट बैंक

वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के कुछ प्रमख उपाय इस प्रकार रहे हैं:

- सामाजिक उधार बैंक का प्रारंभिक उद्देश्य था जिसके केंद्र में आम आदमी को रखा गया है।
- अल्प आमदनी से रोजी-रोटी चलाने वाले व्यक्तियों के लिए

पिग्मी डिपाजिट योजना लागू की गई है।

- बैंक ने आम आदमी के लिए सादा खाता के रूप में 'सिंडसामान्य बचत बैंक खाता' (2.5 मिलियन खाते) प्रारंभ किया है तथा छोटी आय के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 'सिंडिकेट जनरल क्रेडिट कार्ड (3076 कार्ड जिसकी कुल राशि 5.20 करोड़ रुपए है) जारी किए हैं।
- बैंक ने वर्ष 2006-07 में 1123 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं की मदद से 2246 ग्रामों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाए प्रदान की हैं।
- ग्रामीण सर्वेक्षण किए गए हैं, खातारहित प्रति परिवार एक खाता खोला गया है तथा बचत, बीमा, ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- प्रत्येक परिवार के लिए 'गृहस्थ कारोबार मॉडल' तथा गांवों के लिए 'ग्राम कारोबार मॉडल' विकसित किया गया है।
- 7.30 लाख सादे खाते खोले गए तथा 2246 ग्रामों में से 2052 ग्रामों में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन घोषित किया गया।
- बैंक ने 30 जून 2007 तक 5.20 करोड़ रुपए के 3076 जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किए।
- बैंक द्वारा नियंत्रित 25 अग्रणी जिलों में से कर्नाटक में बागलकोट, बीजापुर, बेल्लारी, बेलगाम, दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड तथा उडिपी ; केरल में से कासरगोड एवं कन्नूर, हरियाणा में मेवात; उत्तर प्रदेश में बागपत जिलों को शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन की श्रेणी में लाया गया है।
- वर्ष 2007-08 में बैंक ने 2256 अतिरिक्त ग्रामों को वित्तीय समावेशन में लाने की योजना बनाई है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम दो प्रमुख चरणों में लागू किया गया है:

  क) सादा खाता खोलना तथा उनका डाटाबेस तैयार करना

  ख) ग्रामवार कारोबार मॉडल लागू करना

- सिंड स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड योजना पर 8.26 करोड़ रुपए व्यय करते हुए 1844 खातों को सुविधा प्रदान की गई। सिंडिकेट किसान कार्ड योजना के अतर्गत 8.73 लाख कार्ड जारी किए गए, सिंड जयकिसान योजना में 2893 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम मुहैया कराया गया, सिंड स्मॉल क्रेडिट योजना, ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण देने की योजना बैंक ने कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने गृहस्थों के लिए डाटाबेस हेतु साफ्टवेयर विकसित किया है। बैंक को 'छोटे आदमी का बड़ा बैंक' के नाम से जाना जाता है।

केनरा बैंक

बैंक ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है। संक्षेप में बैंक ने दिसंबर 2007 तक कुल 23.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जिस पर 9486 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। स्वयं सहायता समूह के 1.69 लाख व्यक्तियों में से 1.38 लाख को दिसंबर 2007 तक ऋण-कवरेज के अतर्गत लाया गया। एसएमई को 17025 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। बैंक ने दिसंबर 2007 तक 5.87 लाख सादा खाता खोले जिनकी कुल राशि 9.35 लाख रुपये थी। बैंक ने 13 अग्रणी जिलों को शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन की श्रेणी में ला दिया है: केरल में पालक्काड, मलप्पुरम, वायनाड, कालिकट, तथा त्रिशुर, कर्नाटक में देवांगीरे, शिमोगा, चित्रदुर्ग, हासन कोलार, चिकबल्लापुर,बेंगलूर (ग्रामीण) तथा बेंगलूर (शहरी) क्षेत्र। बैंक ने पूरे देश के 1639 गांवों को वित्तीय समावेशन की परिधि में ले लिया है। बैंक, केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी नामक मल्टीमीडिया युक्त 50 वाहनों का प्रयोग कर रहा है जो भारत के 50 जिलों में ग्रामीण जन में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बैंक का वित्तीय वर्ष 2008 में एक मिलियन सादे खाते खोलने तथा 24 जिलों को शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।

नाबार्ड

नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन में निम्नलिखित सेवाओं को प्रमुखता दी है:

- धन निकालने एवं भुगतान करने हेतु एक सादा खाता हो

- गरीब गृहस्थ की कमाई के अनुरूप बचत उत्पाद मुहैया हो
- धन अंतरण सुविधाएं हों
- उत्पाद, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रयोजन हेतु छोटे किस्म के ऋण एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध हो।
- लघु बीमा (जीवन एवं जीवनेतर) की उपलब्धता हो

नाबार्ड ने समाज के कमज़ोर वर्ग तथा कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश में वित्तीय समावेशन योजना को गहनता से लागू किया है। इस प्रक्रिया में नाबार्ड ने प्रमुखतया स्वयं सहायता समूह मॉडल को अपनाया है ताकि वे समाज के निचले तबके तक पहुंच सकें। इसके अलावा, साझेदारी, खेतिहर, किराये के कृषक आदि को भी बैंक ने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। बैंक, राज्य के 85 ग्रामों में वित्तीय परामर्शी सेवाएं दे रहा है। इस परियोजना को प्रारंभ करने हेतु उत्तरप्रदेश के पांच गांवों का प्रायोगिक तौर पर चयन किया गया है। ये गांव हैं: लखीमपुर खीरी, हरदोई, सुलतानपुर, उन्नाव तथा रायबरेली। नाबार्ड में वित्तीय समावेशन के लिए दो प्रकार की निधियों का सृजन किया गया है:

(क) *वित्तीय समावेशन निधि:* इसके अंतर्गत कृषक सेवा केंद्र, ग्रामीण उद्यमिता विकास, स्वयं सहायता समूह तथा फेडरेशन को बढ़ावा देना, बैंकों के मानव संसाधन को विकसित करना, संसाधन केंद्रों का संवर्धन तथा कारोबार सहायता एवं कारोबार संपर्क मॉडल की क्षमता का निर्माण करना शामिल है।

(ख) *वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि:* इसके अंतर्गत कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का निधीयन शामिल है। प्रत्येक निधि कुल राशि 500 करोड़ रुपए है। नाबार्ड इन निधियों का समुचित उपयोग करने तथा वित्तीय समावेशन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है। प्रत्येक शाखा के लिए यह लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 250 अतिरिक्त खातों का वित्तपोषण किया जाए, 100 किसान क्रेडिट कार्ड तथा 100 सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड तथा 100 माइक्रो बीमा योजना जारी की जाए। बैंक, फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि क्षेत्र हेतु सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दे रहा है ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

इलाहाबाद बैंक

इलाहाबाद बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 5 रुपए से बचत खाता खोलने की अनुमति दी है और इन खातों पर न्यूनतम राशि शेष रहने अथवा निष्क्रिय हो जाने पर कोई प्रासंगिक प्रभार नहीं लगाया जाएगा। बैंक ने 250 रुपए की न्यूनतम राशि के बचत खाते पर चेकबुक तथा एटीएम कार्ड जारी किया है। बैंक ने प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने, अधिक से अधिक एटीएम स्थापित करने, सीबीएस कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि तीव्रता से कम समय में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैंक ने एसएमई क्षेत्र को सितंबर 2007 तक 4134.94 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया है। दरवाज़े तक बैंकिंग सुविधाएं देने हेतु बैंक ने अन्य बैंकों की तरह कई पहल की हैं और अनेक क्षेत्रों में बैंकों के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को सक्रियता से लागू कर रहा है। बैंक ने जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करना, खाद्य एवं कृषि संयंत्रों का वित्तपोषण, गोदामों/कोल्डस्टोरेज, रोपाई तथा बागबानी, माइक्रोफाइनांस कंपनियों को उधार देना आदि को राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अंगीकार कर लिया है।

कार्पोरेशन बैंक

कारपोरेशन बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु अनेक कदम उठाए हैं:

बैंक ने ग्राम सर्वेक्षण का कार्य किया है और ऐसे परिवारों, गृहस्थों, व्यक्तियों की सूचना एकत्रित की है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें सादा खाता खोलने हेतु प्रेरित किया है। बैंक का सादा खाता 'कार्प प्रगति खाता' के नाम से जाना जाता है। चूंकि अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति बैंक शाखा में आने से झिझकते हैं, इसलिए बैंक ने, 'शाखारहित बैंकिंग' सेवा प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बैंक द्वारा कार्प जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और कारोबार संपर्क मॉडल का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की बचत को एकत्रित करके उनका उपयोग किया जाए, ग्रामीण लोगों में छोटी-छोटी बचत करने की आदत डाली जाए एवं ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो और वित्तीय समावेशन का लाभ

अशिक्षितों, निर्धनों, बेरोज़गारों, एवं दीन-हीन व्यक्तियों तक पहुंच सके। बैंक द्वारा किए गए उपायों से ग्राहक को नकदी जमा करने, रकम निकालने, विवरण लेने हेतु शाखा में आने की आवश्यकता नहीं है। इससे शाखा तक आने-जाने के समय की बचत होगी और उस समय का उपयोग अन्य कृषि अथवा ग्रामीण गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति छोटी-बड़ी राशि जमा करने अथवा आहरित करने में किसी प्रकार की शर्मिंदगी या हिचक महसूस नहीं करेगा। बैंक का प्रयास है कि ग्रामीण व्यक्ति बैंक से संपर्क करने में सहजता का अनुभव करें।

आंध्रा बैंक

बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य में लघु वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में कुल 918 शाखाओं की सहायता से ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन अभियान के तहत गरीबों, पीड़ितों एवं असहाय व्यक्तियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने का अथक प्रयास किया है। बैंक ने 141826 सादे खाते खोले हैं। सादे खाते की न्यूनतम राशि 5 रुपए है। प्रारंभ में बैंक ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले तथा उड़ीसा राज्य में गंजम जिले में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु प्रायोगिक योजना प्रारंभ की। बैंक की यह भी योजना है कि वह इसे राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित करेगा। सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ-साथ बैंक ने आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी है। इन समूहों को बैंक के 9 ग्रामीण विकास संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बैंक ने इन समूहों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष निर्धारित की है। बैंक ने जनश्री बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि को भी लागू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से वारंगल जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना (स्मार्ट कार्ड के माध्यम से) में भारी सहभागिता की है। बैंक उचित संगठनों को कारोबार संपर्की के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। भुगतान हेतु गांवों में ग्राहक सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ये संपर्की, बचत, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं देने में बैंक की मदद करेंगे। बैंक ने 21 आदर्श गांवों का चयन शत-प्रतिशत कवरेज के लिए किया है। बैंक ने जीवन बीमा, समूह बीमा, लघु वित्त, कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों को बीमा आदि सुविधाएं दी हैं। बैंक की भावी योजना है कि- सभी अग्रणी जिलों (श्रीकाकुलम, गुंटुर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गंजम तथा गजपति) में स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जाए, लघु वित्त शाखाएं खोली जाएं, छह जिलों में वित्तीय शिक्षा केंद्र खोलने, मलिन बस्तियों में वित्तीय समावेशन परियोजना को लागू करने, मार्च 2009 तक सभी स्वयं सहायता समूहों को लघु वित्त के अंतर्गत लाने, आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में प्रत्येक में आदर्श ग्राम विकसित करने का प्रस्ताव है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार से कार्यान्वित किया है:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीड़ी बनाने वाले कारीगरों, जो दैनिक मज़दूरी पर कार्य करते हैं, के लिए सादे खाते खोलने की मुहिम चलाई गई और 6000 कामगारों ने बचत बैंक खाते खोले।

बरहामपुर जिला (प.बं.) में झाड़ूवालों, रसोइयों, माली तथा श्रमिकों के खाते शून्य राशि से खोले गए। जेल में सज़ा भोग रहे व्यक्तियों के खाते खोले गए ताकि जेल से निकलने के बाद वे बचत के पैसों से कोई छोटा-मोटा कारोबार कर सकें और समाज की मख्य धारा से जुड़ सकें।

बैंक ने गोबारगढ़ ग्राम (प.बं.) में हरिहरपारा शाखा की सहायता से 'साथी समूह' का गठन करके जरी तथा एम्ब्रायडरी के कार्य का प्रशिक्षण दिलवाया और उनमें बचत की आदत डालकर उनके जीवन-स्तर में सुधार किया। लक्ष्मी मंडल नामक स्वयं सहायता समूह जो 'मेरुअल निवेदिता' स्वयंवर गोष्ठी महिला सदस्यों पर आधारित है, को बैंक द्वारा 8000 रुपये से 40,000 रुपये तक के ऋण प्रदान किए और महिला सशक्तिकरण की ओर उन्हें उन्मुख किया। घोषपुर मैत्री महिला उन्नयन समिति को बचत की ओर अग्रसर किया और अब 30 रुपए से 40 रुपए प्रतिमाह की बचत से उनकी कुल बचत 60,625 रुपए हो गई है। अग्रदूत, स्वनिर्वाण गोष्ठी, दत्तापुकुर में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की प्रतिमाएं बनाने वाले समूह की महिला सदस्यों को बचत करने की दिशा में मदद की गई। इस प्रकार से बैंक ने ताहेरपुर, नादिया में भादुडी पश्चिमपरा शिव शंकर स्वयंवर गोष्ठी, बारसाट में अष्ट स्वनिर्वाण दल तथा भगवती स्वनिर्वाण गोष्ठी, बारसाट जागरणी स्वनिर्वाण दल आदि को खाता खोलने एवं बचत करने

के लिए प्रोत्साहित किया तथा छोटे-छोटे कार्य जैसे बीड़ी बनाने, लकड़ी के सामान बेचने, गलीकूचों में साड़ियां बेचने, फूल बेचने वालों को ऋण प्रदान किए। बैंक ने राज्य में उद्यमिता विकास हेतु राजपुर में वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है।

पश्चिम बंगाल और वित्तीय समावेशन

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पश्चिम बंगाल ने सर्वप्रथम हुगली जिले में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है। स्थिति इस प्रकार हैः

बैंकवार वित्तीय समावेशन - जिला हुगली (31 मई 2007 की स्थिति)

बैंक का नाम	कितने गृहस्थों के बचत बैंक खाते खोले गये	खोले गए कुल सादे खाते (नो फ्रिल्स)	शून्य राशि के सादे खातों की संख्या	वित्तीय समावेशन में शामिल कुल गृहस्थ	जारी किए गए सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड
भारतीय स्टेट बैंक	59789	44863	6	104652	1862
इलाहाबाद बैंक	61674	10755	0	72429	1150
युनाइटेड बैंक	23150	59836	0	82986	120
यूको बैंक	37342	11282	38367	48624	382
पंजाब नैशनल बैंक	18953	6128	0	25081	376
बैंक आफ इंडिया	32852	1771	0	34623	0
सेंट्रल बैंक	23065	309	0	23374	0
बैंक आफ बड़ौदा	35652	102	0	3654	0
इंडियन ओवरसीज बैंक	1002	743	0	1745	0
यूनियन बैंक	17370	642	0	18012	51
इंडियन बैंक	1826	984	0	2810	0
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1110	144	0	1254	3

तदुपरांत, पश्चिम बंगाल में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए 8 अन्य जिलों का चयन किया गया। मार्च, 2008 की स्थिति इस प्रकार हैः

क्रम सं.	जिले का नाम	आबंटित ग्रामों की संख्या	खोले गये सादा खाता की कुल संख्या	वित्तीय समावेशन में शामिल गृहस्थों की संख्या	कुल जारी जीसीसी कार्ड
1.	कूच बिहार	1236	29364	399717	4917
2.	उत्तर दिनाजपुर	3192	13459	377174	216
3.	दक्षिण दिनाजपुर	2317	215493	215493	389
4.	मालदा	3701	32621	41249	315
5.	मुर्शिदाबाद	1503	76210	849825	10248
6.	बीरभूम	2483	25116	519629	1315
7.	बांकुरा	3926	32035	608973	2105
8.	पुरुलिया	2534	39090	177728	1430
	कुल	**20892**	**463388**	**3189788**	**20935**

बिहार और वित्तीय समावेशन

100% वित्तीय समावेशन में बैंकों का निष्पादन : 31.03.2008 की स्थिति

जिले का नाम	100% वित्तीय समावेशन के लिए आबंटित ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनमें 100% वित्तीय समावेशन पूरा किया गया	गृहस्थों की संख्या जिन्हें 100% समावेशन के लिए आबंटन किया गया	गृहस्थों की संख्या जिन्हें 100% समावेशन में पूरा किया गया	वित्तीय समावेशन का प्रतिशत
1. पूर्णिया	1281	--	335800	241811	72.01
2. सहरसा	474	--	218134	165319	75.79
3. सुपौल	565	126	308453	197410	64.00
4. बक्सर	1112	4	280479	228073	81.32
5. राहतास	26	20	16980	4551	26.80
6. भोजपुर	119	2	273760	1060	0.39
7. गया	165	29	410110	6124	1.19
8. कटिहार	424	421	115064	110159	95.74
9. सीवान	1110	504	357000	26061	7.30
10. गोपालगंज	1302	555	403761	270520	67.00
11. मधुबनी	767	301	600000	468000	78.00
12. वैशाली	1335	237	385923	47016	12.18
13. सारण	226	160	112000	10220	9.13
14. सीतामढ़ी	386	60	184462	163464	88.62
15. शिवहर	95	24	47214	34343	72.74
16. खगडिया	218	148	255335	22585	8.85
17. शेखपुरा	133	115	54860	26884	48.93
18. मुंगेर	91	57	110839	7382	6.66
19. बांका	128	55	320000	4240	1.33
कुल	**9957**	**2818**	**4790174**	**2035182**	**42.49**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों को ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित पहल की हैः

- बैंक ने सादा खाता शून्य राशि अथवा न्यूनतम राशि से खोलने की सुविधा प्रदान करके मूलभत बैंकिंग की ओर कदम बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक लोग खाताधारक बन सकें।
- बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जनरल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ये किसान क्रेडिट कार्ड की भांति ही हैं तथा बिना जमानत के और बिना किसी व्यवधान के इसपर ऋण सुविधा प्राप्त हो जाती है।
- बैंक ने श्रमिकों, कृषकों, भूमिहीनों तथा साझेदारी की खेती करने वालों के लिए भूमिहीन जनरल क्रेडिट कार्ड सुविधा दी है जिसकी सहायता से बिना किसी प्रत्यक्ष जमानत के ऋण प्रदान किया जाता है।
- बैंक ने कारोबार सहायक/कारोबार संपर्की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य शुरू किया है। महाराष्ट्र के छह जिलों में 56 शाखाओं की सहायता से प्राथमिकता क्षेत्र के उत्पादों के विपणन का कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र के खेतवाड़ी तथा कोरहाले में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रस्तावों के संग्रहण हेतु आइएल एंड एफएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

- आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण हेतु वारंगल में प्रायोगिक परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- उत्तरप्रदेश के चंदौली और वाराणसी में दूर-दराज के इलाकों तथा देहाती व्यक्तियों एवं बैंक रहित क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु परियोजना प्रारंभ की है जिसके लिए फाइनेंशियल इन्फार्मेशन नेटवर्क एंड आपरेशंस प्रा. लिमि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- बैंक ने कृषक क्लब का निर्माण किया है जिससे उन्हें ऋण, प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जा सके और उनमें क्षमता निर्माण के प्रति जागरूकता पैदा हो।

गांवों को शत-प्रतिशत बैंकिंग प्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने ग्राम ज्ञान केंद्र की स्थापना की पहल की है, जिससे कृषकों एवं बैंक में परस्पर संबंध विकसित हो सके। यह एक छोटी इकाई है जो बैंक की शाखा से जुड़ी होती है। प्रत्येक केंद्र कम्प्यूटर और नेटवर्क से जोड़ा गया है। देश में 198 ग्राम ज्ञान केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र फसल के पैटर्न, संकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नई प्रौद्योगिकी आदि के बारे में किसानों को निःशुल्क सूचनाएं प्रदान करेंगे। क्षेत्र में कृषि जलवायु संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कृषकों को स्वयं सहायता समूहों के संबंध में, कृषक क्लब के बारे में तथा किसानों के कौशल उन्नयन के संबंध में प्रशिक्षित करेंगे। बैंक की विभिन्न योजनाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा। खाता खोलने, बैंक उत्पाद, बचत करने, कर्ज को नियंत्रित करने आदि के संबंध में वित्तीय शिक्षा के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। ग्राम को शत-प्रतिशत बैंक सेवायुक्त ग्राम बनाया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक ने यह उद्देश्य रखा है कि सभी क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाना है। बैंक ने कुछ प्रयास इस प्रकार किए हैं:

- क्षेत्र विशेष में कारोबार संपर्की मॉडल अपनाया गया है ताकि बैंक की पहुंच सभी स्थानों पर हो।
- बैंक ने 'बाक्स में बैंक' के रूप में एसबीआई लघु परियोजना बनाई है जिसमें एक सेल फोन की मदद से उंगली निशान रीडर, लघु प्रिंटर उपलब्ध कराया गया है। 'सादा खाते', स्मार्ट कार्ड पर खोले जाते हैं तथा वे ई-पर्स की भंति होते हैं जिसमें ग्राहक का खाता नंबर, उंगली के निशान, खाते की राशि दर्ज होती है। स्मार्ट कार्ड में 16 खाते एकसाथ हो सकते हैं। इसमें वास्तविक समय में अद्यतन करने की सुविधा है।
- भारतीय स्टेट बैंक कई स्थानों पर जैसे आइज़ाल (मिज़ोरम), मेडक और वारंगल (आंध्र प्रदेश), पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), पश्चिमी गरो पहाड़ियां (मेघालय) में प्रायोगिक परियोजनाएं चला रहा है।
- एसबीआई-टाइनीः यह बैंक की वित्तीय समावेशन की दिशा में आईटी युक्त प्रयास है।
- बैंक मध्य प्रदेश के 15 क्षेत्रों में शीघ्र ही आईटी युक्त वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा जिसके अंतर्गत ग्रामीण व्यक्ति स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं पा सकेंगे। इस कार्य में निजी बैंक सहित नौ वाणिज्यिक बैंकों को एक जिले में दो ब्लाक का आबंटन किया गया है। सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब, अपेक्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ इंडिया, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एक्सिस बैंक इस परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और भारतीय स्टेट बैंक उस पहल में नेतृत्व की भूमिका अदा करेगा।

वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंकों के उपर्युक्त प्रयास उदाहरण रूप में देखे जा सकते हैं परंतु ये निःसंदेह परिणामपरक होंगे और इनका प्रभाव न केवल जन-जन पर पड़ेगा अपितु देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका सकारात्मक असर होगा क्योंकि वित्तीय समावेशन संकल्पना का चिंतन उन देशवासियों को वित्तीय मदद देने की योजना से जुड़ा हुआ है जो आर्थिक सहूलियतों से सर्वथा वंचित हैं।

भारत में वित्तीय समावेशन और लघु वित्त

● डॉ. सुरेश कुमार
उप महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक मुंबई

भारत में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में निरंतर विकास किया है। किंतु लाभप्रदता, अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे कुछ निष्पादन-पैरामीटरों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के बावजूद वह ऐसी ही सफलता वित्तीय समावेशन में प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। जनसाधारण और बैंकिंग - सेवाओं के बीच अभी भी बड़ा फासला है। यह एक दुःखद सच्चाई है कि राष्ट्रीयकरण के चालीस वर्षों बाद भी भारत में बैंक अपनी सेवाओं का आधार बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं और वे जनसंख्या के व्यापक खंडों को, विशेषकर समाज के दलित-शोषित तबकों को अपनी सेवाओं के दायरे में लाने में असफल रहे हैं।

बैंकिंग-सेवाओं की लोगों तक पहुंच का पता लगाने के लिए विश्व भर में 100 देशों को शामिल कर किए गए आइ.सी.आर.आइ.ई.आर.के शोध निष्कर्षों में भारत को 50 वें स्थान पर रखा गया है। दुर्भाग्य से हम कुछ अफ्रीकी देशों जैसे कि मोरक्को (37 वां स्थान) और केन्या (40 वां स्थान) तथा दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना (45 वां स्थान) से भी पीछे रहे हैं।

इस संबंध में भारतीय बैंकों का कमजोर निष्पादन दिल्ली की एक शोध-संस्था इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस (आइ.सी.आर.आइ.ई.आर.) द्वारा किए गए एक शोध के निष्कर्ष से जाहिर है। आइ.सी.आर.आइ.ई.आर. द्वारा तैयार किए गए अब तक के पहले वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारत को बहुत पीछे स्थान मिला है। बैंकिंग-सेवाओं की लोगों तक पहुंच का पता लगाने के लिए विश्व भर में 100 देशों को शामिल कर किए गए आइ.सी.आर.आइ.ई.आर.के शोध निष्कर्षों में भारत को 50 वें स्थान पर रखा गया है। दुर्भाग्य से हम कुछ अफ्रीकी देशों जैसे कि मोरक्को (37 वां स्थान) और केन्या (40 वां स्थान) तथा दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना (45 वां स्थान) से भी पीछे रहे हैं। आइ.सी.आर.आइ.ई.आर.का सर्वेक्षण बैंकिंग-सेवाओं को समाज के कमजोर तबकों तक पहुंचाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

वित्तीय समावेशन बनाम वित्तीय वंचन

प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग ने भारत में बैंकिंग-जगत को परंपरागत ईंट-गारे की संस्थाओं के बजाय ऑटोमेटिड मशीनों (एटीएम), डेबिट/क्रेडिट कार्डों, इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग से लैस निच टैक-सैवी नवयुगीन बैंकों में बदल दिया है। किंतु प्रौद्योगिकी अपनाने में दिखाई गई इस तेजी के बावजूद विवादास्पद बात यह है कि यह समाज के कुछ विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों तक ही सीमित है और उसने व्यापक जनसमूह की अनदेखी की है। ग्राहकों के कुछ विशेष वर्गों को ज्यादा सटीक तरह से लक्षित करने वाली वर्तमान प्रौद्योगिकी कुछ खास खंडों के लिए वित्तीय सेवाओं की सीमित पहुंच में परिणत हो गई है। उच्च आय वाली और मध्यम आय वाली जनसंख्या के एक खंड को अधिकाधिक वैयक्तिक वित्तीय विकल्पों की उपलब्धता और एक अति व्यापक जनसमूह को सर्वथा मूलभूत बैंकिंग-सेवाओं के भी अभाव से इन दोनों के बीच का अंतराल बढ़ता ही गया है। इस सामाजिक-आर्थिक घटना को वित्तीय समावेशन का अभाव अथवा वित्तीय वंचन कहा जाता है। ये वित्तीय रूप से अपवर्जित अथवा बहिष्कृत लोग, जो आम तौर पर कम आय वाले लोग होते हैं, इस स्थिति में नहीं होते कि मूलभूत वित्तीय उत्पादों जैसे कि बैंक खाते, वित्तीय परामर्श सेवाएं, बीमा-सुविधाएं आदि, तक पहुंच बना सकें। किंतु वित्तीय वंचन की ज्यादा उपयुक्त परिभाषा उन लोगों पर केंद्रित होनी चाहिए जो वित्तीय सेवाएं पाने के इच्छुक हैं पर जिन्हें ये सेवाएं दी नहीं जातीं। अगर वित्तीय सेवाओं के वास्तविक दावेदारों को उन सेवाओं से वंचित रखा जाता है तो यह वित्तीय वंचन का एक सटीक मामला है।

डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समावेशन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन की एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, *'कमजोर वर्गों और कम आय*

वाले समूहों' जैसे असुरक्षित समूहों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं और आवश्यकतानुसार समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है'।

वित्तीय समावेशन का आदर्श वाक्य यानी मोटो है - यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करना कि उपयुक्त वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला हर व्यक्ति को उपलब्ध हो और उसे इन सेवाओं को समझने तथा प्राप्त करने योग्य बनाना। साधारण वित्तीय मध्यस्थता के अलावा इसमें भुगतान करने और पाने के लिए एक मूलभूत सादा यानी नो-फ्रिल बैंकिंग खाता, गरीब परिवारों की जरूरतें पूरी करने वाला बचत-उत्पाद, धन-अंतरण सुविधाएं, छोटे ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, बीमा-सुविधाएं आदि शामिल हो सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसे लघु वित्त कहा जाता है, जिस पर आगे विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। एक सीमित अर्थ में वित्तीय समावेशन में इन सेवाओं में से कोई एक या कुछ सेवाएं शामिल हो सकती हैं। पर वित्तीय समावेशन की एक ज्यादा व्यापक अवधारणा में इन सेवाओं का एक पूरा सेट शामिल होगा।

वित्तीय समावेशन/वंचन की सीमा

हालांकि वित्तीय समावेशन का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु वित्तीय समावेशन की मात्रा और किसकी किन वित्तीय उत्पादों तक पहुंच है, इसके बारे में कम ही जाना जाता है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने का कोई पैमाना उपलब्ध नहीं है।

अलबत्ता उपलब्ध आंकड़ों से भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शोध फर्म आइ.आइ.एम.एस. डेटावर्क्स द्वारा 2007 में किए गए इनवेस्ट इंडिया इनकम्स एंड सेविंग्स सर्वे के अनुसार केवल लगभग 50% कमाऊ भारतीय ही बैंक खाते रखते हैं, जिनकी दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। आइ.आइ.एम.एस. डेटावर्क्स के आंकड़े बताते हैं कि 62% शहरी वैतनिक कामगारों की तुलना में केवल 38% ग्रामीण वैतनिक कामगारों के ही खाते हैं। इसके अलावा संस्थागत स्रोतों से प्राप्त ऋण वितरण के आंकड़े भी भारत में वित्तीय समावेशन का धुंधला परिदृश्य ही दिखाते हैं। भारतीय परिवारों के निचले आधे (बॉटम हाफ) के एक तिहाई अभी भी साहूकारों जैसे अनौपचारिक सूदखोरी स्रोतों पर निर्भर हैं और उनमें से 15% की ही बैंक-ऋण तक पहुंच है। इसलिए पिछले दशकों में बैंकिंग-प्रणाली के तगड़े विकास के बावजूद तथाकथित पिरामिड का अधोभाग (बॉटम ऑफ द पिरामिड) संस्थागत ऋण से अभी भी वंचित है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 893.5 लाख परिवारों में से 459.26 लाख (51.4%) किसान-परिवार न तो संस्थागत स्रोतों से और न ही गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने की स्थिति में हैं। साथ ही कुल किसान-परिवारों में से केवल 27.3% परिवार ही संस्थागत ऋण लेने की स्थिति में हैं जिसका मतलब है कि 72.7% किसान-परिवारों की औपचारिक ऋण तक पहुंच नहीं है। उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में कुल किसान-परिवारों में से औपचारिक स्रोतों से उपलब्ध ऋण तक पहुंच रखने वाले किसान-परिवारों का प्रतिशत बहुत कम अर्थात क्रमशः 4.09% और 18.74% है। एनएसएसओ के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कर्जरहित किसानों का अनुपात उत्तरी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर (68.2%) और हिमाचल प्रदेश में (66.6%) , पूर्वी क्षेत्र में बिहार (67%) और झारखंड में (79.1%) , उत्तरपूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में (61.2% से 95.9%) और मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (59.8%), उत्तर प्रदेश में (59.7%) और उत्तरांचल में (92.8%) सबसे ज्यादा है। दक्षिणी क्षेत्र की औपचारिक/अनौपचारिक ऋण-स्रोतों तक बेहतर पहुंच (72.7%) देखने को मिलती है, जो मुख्यतः बेहतर बैंकिंग आदतों और अच्छी बुनियादी सुविधाओं के कारण है।

वित्तीय वंचन का स्वरूप और कारण

वित्तीय वंचन के स्वरूप, उसके रूप और उनके लिए जिम्मेदार कारक अलग-अलग हैं, इसलिए इनका कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। वित्तीय सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता की राह में प्रमुख अड़चनें हैं- बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ऊँचे प्रभार और जुर्माने, उत्पादों से जुड़े कुछ मानदंड जो उन्हें अनेक लोगों की पहुंच से दूर कर देते हैं, और अंत में वित्तीय सेवा संस्थाओं का कम आय वाले लोगों के लिए

अस्वागतकारी समझा जाने वाला सदियों पुराना रवैया। इसके अलावा वित्तीय समावेशन की राह में आने वाली अनेक भौगोलिक और भौतिक बाधाएं भी वित्तीय वंचन की ओर ले जाती हैं। वित्तीय वंचन के अनेक प्रकार पहचाने गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

- **पहुंच वंचनः** वित्तीय सेवा-प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की आड़ में वित्तीय उत्पादों तक पहुंचने में आने वाली बाधाएं।
- **शर्त वंचनः** वित्तीय उत्पादों के प्रयोग पर लगाई गई कुछ शर्तों के कारण वित्तीय समावेशन में बाधाएं।
- **कीमत वंचनः** कभी-कभी वित्तीय उत्पादों की कीमतें बहुत ज्यादा और अनेक लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं।
- **विपणन वंचन :** कभी-कभी वित्तीय उत्पादों का विपणन समाज के एक वर्ग विशेष को ही लक्षित करके किया जाता है।
- **स्व-वंचनः** कभी-कभी कुछ लोग सेवा-प्रदाताओं द्वारा मना कर दिए जाने के डर से किसी वित्तीय उत्पाद से अपने को खुद ही अलग कर लेते हैं।

वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में भी वित्तीय वंचन के कारणों का पता लगाने और गरीबों और वंचितों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां बनाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु वित्तीय वंचन का स्वरूप और कारण अलग-अलग देशों में अलग-अलग है इसलिए इन समस्याओं के समाधान भी अलग-अलग ही हो सकते हैं। फिर भी इतना तो सर्वमान्य ही है कि वित्तीय समावेशन को सचमुच 'समावेशी' बनाने के लिए सर्वत्र गहन प्रयासों की जरूरत है ताकि गरीबों और वंचितों की वित्तीय स्थिति और जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सके, खासकर भारत जैसे विकासशील देश में।

जनसाधारण तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए डॉ. रंगराजन ने कहा है 'वित्तीय समावेशन अब कोई विकल्प नहीं बल्कि बाध्यता है और स्वयं सहायता समूह तथा गैर-सरकारी संगठन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं'।

जनसाधारण तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए डॉ. रंगराजन ने कहा है 'वित्तीय समावेशन अब कोई विकल्प नहीं बल्कि बाध्यता है और स्वयं सहायता समूह तथा गैर-सरकारी संगठन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं'।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 2006 में निर्दिष्ट व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया है। इस मॉडल के तहत बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आस-पड़ोस के लोगों को उनके गांवों में बैंकिंग-गतिविधियां शुरू करके बैंकिंग-सेवाओं के दायरे में लाती है ताकि ग्रामीणों को छोटे-मोटे लेनदेन के लिए बैंक-शाखाओं तक न दौड़ना पड़े।

इसके अलावा, दूरस्थ जिलों में पूर्णरूपेण ईंट-गारे की बैंक-शाखाएं खोलने के बजाय, जो अपने-आप में एक खर्चीला काम भी है, यह प्रस्ताव किया गया कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से और व्यवसाय प्रतिनिधियों की पर्यवेक्षकीय क्षमताओं की बदौलत बैंकिंग-सेवाएं दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा सकती हैं।

सब जानते हैं कि बैंकिंग-सेवाएं प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों (जैसे कि एटीएम) के इस्तेमाल ने लेनदेन - लागतें घटा दी हैं। इस संबंध में संपूर्ण बैंकिंग-प्रणाली, लघु वित्त संस्थानों और डाकघरों द्वारा खास भूमिका निभाए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय वंचन से निपटना अब तक एक महत्वपूर्ण पॉलिसी-एजेंडा बन चुका है और वह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय शिक्षण, धन-प्रबंधन संबंधी सलाह, कर्ज-परामर्श, बचतों और वहनीय ऋण के संबंध में जागरूकता पैदा करने में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ठोस प्रयास किए जाने की मांग करता है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए निजी बैंकों से लेकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तक पूरी बैंकिंग-प्रणाली को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्षित कार्यनीतियां विकसित करनी होंगी। लागत-दक्ष तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका लघु वित्त संस्थाओं (एम.एफ.आइ.) और स्थानीय समुदायों के साथ गठजोड़ करना हो सकता है। बैंकों को सादे खातों के प्रावधान का खुला प्रचार करना चाहिए। इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग-उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

संक्षेप में, बैंकों को अपने व्यवसाय मॉडलों में बदलाव लाकर उनमें अल्प आय वर्ग के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उसे व्यवसाय के अवसर तथा एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व दोनों समझने की निश्चित नीतियां शामिल करनी चाहिए। बैंकों को प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता तथा लघु वित्त संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों सहित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना होगा। पहली नजर में 'पिरामिड के अधोभाग' यानी 'बॉटम ऑफ द पिरामिड' बनाने वाले सामाजिक खंडों तक बैंकिंग को ले जाना अलाभप्रद लग सकता है, पर यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक मात्राओं यानी हाइ वोल्यूम्स पर अल्प मार्जिन भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है।

लघु वित्त

मोटे तौर पर लघु वित्त का मतलब है अति निर्धन परिवारों को बहुत छोटे ऋण (लघु ऋण यानी माइक्रोक्रेडिट) उपलब्ध कराना ताकि उन्हें उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करने या उनके अत्यंत लघु व्यवसाय बढ़ाने में सहायता की जा सके। समय के साथ लघु वित्त में सेवाओं की व्यापक श्रृंखला (ऋण, बचत, बीमा आदि) शामिल हो गई है क्योंकि हम जान गए हैं कि परंपरागत औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच न रखने वाले निर्धन और अति निर्धन परिवारों को विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता है।

मोटे तौर पर लघु वित्त का मतलब है अति निर्धन परिवारों को बहुत छोटे ऋण (लघु ऋण यानी माइक्रोक्रेडिट) उपलब्ध कराना ताकि उन्हें उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करने या उनके अत्यंत लघु व्यवसाय बढ़ाने में सहायता की जा सके। समय के साथ लघु वित्त में सेवाओं की व्यापक श्रृंखला (ऋण, बचत, बीमा आदि) शामिल हो गई है।

लघु ऋण 80 के दशक में उभरा, हालांकि इसके प्रारंभिक प्रयोग 30 साल पहले बांग्लादेश, ब्राजील और कुछ अन्य देशों में हुए। लघु ऋण का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि उसने चुकौती पर जोर दिया, ऋण देने की लागत को कवर करने वाली ब्याज दरें लगाई और उन ग्राहक समूहों पर फोकस किया, जिनका कि ऋण का वैकल्पिक स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र था, और ऐसा करके उसने पिछले दौर के लक्षित विकासात्मक ऋणदान यानी टार्गेटिड डिवलपमेंट लेंडिंग की कमियों को दूर किया। अब जोर वित्तीय सहायता प्राप्त ऋणों अर्थात सब्सिडाइज्ड लोंस के द्रुत संवितरण के बजाय लक्षित क्षेत्रों के सहारे गरीबों के सहायतार्थ स्थानीय और टिकाऊ संस्थाओं के निर्माण पर हो गया। लघु ऋण मुख्यतः एक निजी (लाभेतर) क्षेत्र की पहल रहा है जिसने खुल्लमखुल्ला राजनीतिक होने से परहेज किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने विकासपरक ऋणदान के अन्य सभी रूपों से अच्छा निष्पादन किया।

परंपरागत रूप से लघु वित्त का फोकस अति मानकीकृत ऋण-उत्पाद उपलब्ध कराने पर रहा। गरीबों को भी अन्य सबकी तरह वित्तीय लिखतों की एक वैविध्यपूर्ण श्रृंखला चाहिए ताकि वे आस्तियों का निर्माण कर सकें, उपभोग को स्थिर बना सकें और स्वयं को जोखिमों से बचा सकें। इस तरह हम लघु वित्त की अवधारणा में विस्तार आता देखते हैं और हमारी वर्तमान चुनौती लघु वित्त उत्पादों का ज्यादा समृद्ध मेन्यू उपलब्ध कराने के कुशल और विश्वसनीय तरीके ढूंढ़ना है।

लघु वित्त और लघु ऋण में अंतर

लघु वित्त से आशय अल्प आय वाले ग्राहकों को लक्षित करके बनाए गए ऋणों, बचतों, बीमा, अंतरण-सेवाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों से है। लघु ऋण किसी बैंक या अन्य संस्था द्वारा किसी ग्राहक को दिया गया छोटा ऋण है। लघु ऋण अक्सर बिना संपार्श्विक के किसी व्यक्ति को अथवा समूह - ऋण के माध्यम से दिया जा सकता है।

लघु वित्त के ग्राहक

लघु वित्त के ठेठ ग्राहक अल्प आय वाले वे लोग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच नहीं रखते। आम तौर पर वे स्वरोजगारी और अक्सर परिवार-आधारित उद्यमी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे सामान्यतः छोटे किसान और खाद्य प्रसंस्करण तथा छोटे व्यापार जैसी थोड़ी आय सृजित करने वाली गतिविधियों में संलग्न अन्य लोग होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लघु वित्त गतिविधियां ज्यादा वैविध्यपूर्ण होती हैं जिनमें दुकानदार, सेवा-प्रदाता, कारीगर, पटरियों पर सामान बेचने वाले आदि शामिल हैं। लघु वित्त ग्राहक गरीब और कमजोर तबके के होते हैं जिनका अपेक्षाकृत आय का स्थायी स्रोत होता है।

परंपरागत औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच अनेक कारणों से सीधे आय से संबंध रखती है। आदमी जितना गरीब होगा, इन संस्थाओं तक उसकी पहुंच की संभावना उतनी ही कम होगी। दूसरी ओर संभावना इस बात की भी रहती है कि आदमी जितना गरीब होगा, उतनी ही ज्यादा महँगी और दूभर अनौपचारिक वित्तीय व्यवस्थाएं होंगी। इतना ही नहीं, अनौपचारिक व्यवस्थाएं कतिपय वित्तीय सेवा आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा नहीं भी कर सकतीं या वे गरीब आदमी को हर हाल में वंचित अथवा बहिष्कृत भी कर सकती हैं। इस वंचित और अल्पसेवित बाज़ार खंड में आने वाले व्यक्ति लघु वित्त के ग्राहक हैं।

लघु वित्त गरीबों की सहायता कैसे करता है?

अनुभव बताते हैं कि लघु वित्त गरीबों को आय बढ़ाने, अर्थक्षम व्यवसाय खड़े करने और बाहरी आघातों से अपनी असुरक्षा घटाने में मदद करता है। यह गरीबों और खासकर महिलाओं को परिवर्तन के आर्थिक एजेंट बनाकर उनके स्व-सशक्तिकरण का सशक्त उपकरण भी हो सकता है।

गरीबी बहुआयामी होती है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाकर लघु वित्त गरीबी के अनेक आयामों के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय से पैदा होने वाली आमदनी व्यावसायिक गतिविधि के विस्तार में ही सहायक नहीं होती, बल्कि पारिवारिक आमदनी बढ़ाने और उससे संबंधित खाद्य सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा आदि लाभों में योगदान भी करती है। यही नहीं, अनेक प्रसंगों में सार्वजनिक स्थल से अलग कर दी गई महिलाओं द्वारा औपचारिक संस्थाओं के साथ लेनदेन उनका विश्वास बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण में भी सहायक हो सकता है। हाल के अनुसंधान बताते हैं कि गरीबी -रेखा के आसपास के लोग अपने परिवार के कमाऊ सदस्य की बीमारी, मौसम, चोरी आदि जैसे आघातों से किस कदर असुरक्षित हैं। ये आघात पारिवारिक इकाई के सीमित वित्तीय स्रोतों पर भी भारी दबाव डालते हैं और कारगर वित्तीय सेवाओं के अभाव में परिवार गरीबी की खाई में इतने गहरे तक धँस सकता है कि उससे उबरने में उसे बरसों लग सकते हैं।

लघु वित्त कब तक उपयुक्त उपकरण नहीं होता?

लघु वित्त से आशय ज्यादातर वित्तीय सेवाओं के समूह से लिया जाता है, जिसमें बचतें, ऋण, बीमा, विदेशों से धन-प्रेषण और अन्य उत्पाद शामिल हैं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि विश्व में आज कोई परिवार ऐसा होगा जिसके लिए किसी प्रकार की औपचारिक वित्तीय सेवा डिजाइन न की जा सकती हो और उपयोगी न बनाई जा सकती हो। किंतु तथ्य यह है कि ज्यादातर लोग लघु वित्त को अभी भी लघु ऋण ही समझकर चलते हैं।

लघु ऋण केवल कुछ ही परिस्थितियों में और कुछ ही प्रकार के ग्राहकों के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम देखते हैं, एक बड़ी संख्या में गरीब, और खासकर अत्यधिक गरीब ग्राहक खुद को लघु ऋण से, जैसा वह वर्तमान में डिजाइन किया गया है, अलग कर ले रहे हैं। अत्यधिक गरीब लोग, जिनकी कोई स्थायी आमदनी नहीं होती, जैसे कि अत्यंत दीन-हीन और बेघर लोग, लघु वित्त के ग्राहक नहीं होने चाहिए क्योंकि वे उन ऋणों द्वारा, जिन्हें वे चुका नहीं सकते, और कर्ज तथा गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। लघु ऋण, जैसा कि वह वर्तमान में डिजाइन किया गया है, गरीब परिवारों से स्थायी, नियमित और अक्सर उल्लेखनीय भुगतानों की अपेक्षा रखता है। कुछ स्तरों पर गरीबी का असली कारण स्थायी, नियमित और उल्लेखनीय आमदनी का अभाव है। हालांकि किसी परिवार की कुछ अवधि तक उल्लेखनीय आमदनी हो सकती है, पर वह कुछ महिनों तक शून्य आमदनी का सामना भी कर सकता है जिससे आज ज्यादातर लघु वित्त संस्थाओं द्वारा अपेक्षित निष्ठा का पालन करने की उसकी काबिलियत घट जाती है। कुछ लोग इतने गरीब

होते हैं और उनकी आमदनी इतनी भरोसे के काबिल नहीं होती कि वे आज के ऋण -उत्पादों के बारे में सोच सकें। गरीबी-रेखा के नीचे रहने वालों के बॉटम पर्सेंटाइल वाले इन अत्यधिक निर्धन लोगों को ऐसे सुरक्षा कार्यक्रमों की दरकार है जो उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करने में सहायक हो सकें।

कई बार सरकारें और सहायता-एजेंसियां लघु वित्त को किसी अन्य सामाजिक समस्या, जैसे कि बाढ़, दंगाग्रस्त शरणार्थियों का पुर्नवास, हाल ही में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके आए स्नातक और नौकरी से निकाले गए अतिरिक्त कामगार आदि की क्षतिपूर्ति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। चूंकि लघु ऋण को गरीबी उन्मूलन के उपकरण के रूप में पेश किया गया है, अतः उससे अक्सर उन परिस्थितियों में काम आने की उम्मीद की जाती है जिनमें लोगों के सभी वर्ग 'गरीब बना दिए गए' हैं। इस तरह की स्थितियों के लिए संचालित लघु ऋण कार्यक्रम शायद ही कभी सफल हो पाते हैं। सफल होने के लिए ऋण को 98% हिट दर चाहिए। इसका मतलब है कि व्यावसायिक स्कूलों के हाल के स्नातकों और वापस लौटने वाले शरणार्थियों में से 98% का लघु उद्यमों की स्थापना में सफल होना जरूरी है ताकि चुकौती की दरें इतनी ऊँची रह सकें कि कार्यक्रम टिकाऊ बना रहे। यह स्पष्टतया अवास्तविक है। अत्यधिक चूक-दर वाला कार्यक्रम चलाना ऋण की संकल्पना को ही नष्ट कर देता है और उन ऋणियों में ऋण-अनुशासन खत्म कर देता है जो तत्परता से ऋण चुका सकते हैं पर यह देखकर हतप्रभ रह जाते हैं कि बहुत से लोग ऋण नहीं चुका रहे।

लघु ऋण उन लोगों के लिए सबसे अच्छी तरह काम आ सकता है, जो एक आर्थिक गतिविधि की पहचान कर लेते हैं और तत्काल एक छोटी नकद राशि दिए जाने पर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वे गरीब, जो स्थिर या संवृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं में काम करते हैं, जिन्होंने प्रस्तावित गतिविधियाँ उद्यमपूर्ण तरीके से चलाने की काबिलियत दिखाई है और जिन्होंने (ऋण को किसी तरह की सामजिक सुरक्षा समझने के बजाय) अपना कर्ज चुकाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, लघु ऋण के सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं। अलबत्ता लघु वित्त की व्यापक अवधारणा को ध्यान में लेने पर संभावित ग्राहकों की दुनिया उतनी ही व्यापकता से बढ़ जाती है।

लघु वित्त संस्थाएं गरीबों से क्यों लेती हैं ऊंची दरों पर ब्याज

गरीबों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना काफी खर्चीला है, खासकर लेनदेन के आकार के संदर्भ में। बैंकों द्वारा छोटे ऋण न दिए जाने का यह एक सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए 5000/- रुपए के ऋण के लिए भी उतने ही कार्मिकों और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जितनी 1,00,000 रुपए के ऋण के लिए, जिससे प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। ऋण-अधिकारियों को ग्राहक के घर या दफ्तर जाना, उसके परिजनों और संदर्भित व्यक्तियों से साक्षात्कार कर उसकी ऋण-पात्रता का मूल्यांकन करना और कई मामलों में चुकौती-संस्कृति पर जोर देने के लिए आगे भी मेल-मुलाकात करते रहना अनिवार्य होता है। एक लघु ऋण देने में 1,250 रुपए तक आसानी से लग सकते हैं। समग्र रूप में जहाँ यह नावाजिब नहीं लगेगा, वहीं यह ऋण - राशि का 25% बैठता है और संस्था को अपने ऋण-प्रबंधन की लागत वसूलने के लिए उच्च ब्याज दर लगाने पर बाध्य कर सकता है।

लघु वित्त संस्थाएं गरीबों के लिए ऋण अधिक 'सहनीय' बनाने हेतु ऋणों पर वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी दे सकती हैं। अनेक लघु वित्त संस्थाएं ऐसा करती भी हैं। किंतु संस्था तब स्थायी सब्सिडी पर निर्भर हो जाती है। सब्सिडी-आधारित कार्यक्रम हमेशा बजट में कटौतियों के खिलाफ अपनी गतिविधि का स्तर बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और उल्लेखनीय रूप से शायद ही विकास कर पाते हैं। सच तो यह है कि वे जीवित रह ही नहीं पाते, खासकर जब अन्य लघु ऋण परिचालन यह प्रदर्शित करते हों कि वे 'उच्च' ब्याज दरों पर ऋण दे सकते हैं और विकास कर सकते हैं और इस दौरान ज्यादा बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं।

साक्ष्य बताते हैं कि ग्राहक ऋण तक दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इच्छापूर्वक उच्च ब्याज दरें अदा करते हैं। वे जानते हैं कि उनके विकल्प यहां तक कि अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र (साहूकार आदि) में उच्चतर ब्याज दरें या फिर ऋण तक पहुंच न होना उनके लिए कहीं कम आकर्षक है। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दरें कुछ शहरी बाज़ार विक्रेताओं के बीच 20%

प्रति दिन तक हो सकती हैं। अनेक आर्थिक गतिविधियां, जिनमें गरीब लोग संलग्न होते हैं, श्रम पर अल्प प्रतिलाभ देती हैं और चलनिधि तथा पूंजी तक पहुंच गरीबों को उच्च प्रतिलाभ पाने या आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे निवेशों पर मिलने वाला प्रतिलाभ वसूली गई ब्याज दर से कई गुना ज्यादा हो सकता है।

यही नहीं, ब्याज दर उनके ऋण की समग्र लेनदेन लागत का एक छोटा हिस्सा होती है और अगर लघु वित्त संस्थाएं ज्यादा सुगम्य आधार पर ऋण प्रदान करती हैं तो समय, यात्रा, कागजी कार्रवाई आदि की दृष्टि से काफी लागत कम की जा सकती है और गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अध्ययनों की एक लंबी शृखंला बताती है कि सब्सिडीयुक्त ब्याज दरें वसूल करने वाले अनेक कार्यक्रम अधिक मांग के फलस्वरूप ऋण वितरित करने के लिए राशनिंग-प्रक्रिया का इस्तेमाल करने लगते हैं। इन प्रक्रियाओं से ऋणकर्ताओं का समय और धन नष्ट होता है। वस्तुतः ये लेनदेन लागतें ब्याज लागतों से बारंबार ऊंची होती हैं जिससे ऋणकर्ता को ब्याज-दर-सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। बहरहाल, जहाँ लंबी अवधि और सतत आधार पर ऋण तक गरीब की पहुंच उसे उल्लेखनीय लाभ दिला सकती है, वहीं लघु वित्त संस्थाओं को दक्षता-स्तर सुधारने और पैमाना बढ़ाने की दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। इससे ऋण प्रदान करने की लागत घटेगी और उसका लाभ ऋण उत्पादों में सुधार, ऋणों तक बेहतर पहुंच और ऋण लेने की लागत में कमी के रूप में गरीबों तक पहुंचेगा।

क्या गरीब बचत कर सकता है?

गरीब उन तरीकों से पहले से बचत करता आया है, जिन्हें हम सामान्य बचत नहीं समझेंगे। उदाहरण के लिए, वह ऐसी आस्तियों में निवेश करता है जो भविष्य में नकदी में बदली जा सकती हैं, जैसे गहने, घरेलू जानवर, निर्माण-सामग्री आदि। आखिरकार हमारी ही तरह उन्हें भी बीमारी, स्कूल-फीस, घर का विस्तार, कफन-दफन शादी-ब्याह जैसी जरूरतों के लिए नकदी की अचानक मांग का सामना करना पड़ता है। किंतु बचत के उनके तरीके समस्याओं से मुक्त नहीं हैं। नकदी की छोटी सी रकम की अचानक जरूरत आ पड़ने पर परिवार की बचत-प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाली बकरी की एक टांग काटकर काम नहीं चलाया जा सकता। या अगर किसी गरीब औरत ने अपना 'बचाया हुआ' धन चोरी से बचाने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य या पड़ोसी को दिया हुआ है (क्योंकि इसका विकल्प धन गद्दे के नीचे छिपाना होगा), तो यह धन महिला की जरूरत के अनुसार तत्काल सुलभ होना आवश्यक नहीं। गरीबों को ऐसी बचत चाहिए जो सुरक्षित और तरल यानी लिक्विड दोनों हो। उन्हें बचत पर मिल सकने वाले ब्याज दर की उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि वे वित्तीय लिखतों में बचत करने के आदि नहीं होते और वे आकस्मिक जरूरतें पूरी करने और आस्तियां संचित करने के लिए बचतों की तुरंत सुलभता को ज्यादा महत्व देते हैं।

ये बचत सेवाएं गरीबों की खास मांग की पूर्ति और उनके नकदी-प्रवाह-चक्र को ध्यान में रखते हुए रूपांतरित की जानी चाहिए। अक्सर गरीबों की आय ही कम नहीं होती, बल्कि उनकी आय का प्रवाह भी अनियमित होता है। अतः गरीबों की बचत की प्रवृत्ति अधिकतम करने के लिए संस्थाओं को लचीले अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जमा की गई राशियों और जमा-नामे की बारंबारता दोनों दृष्टियों से। लघु वित्त उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसने अभी तक अत्यंत लघु जमाराशियां लाभप्रद तरीके से हासिल करने के गहन प्रयास नहीं किए हैं।

लघु वित्त संस्था क्या है?

सरल शब्दों में, लघु वित्त संस्था (एम.एफ.आइ.) अल्प आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन है। अक्सर ये सभी लघु ऋण प्रदान करते हैं और अपने ऋणकर्ताओं से, न कि आम जनता से, छोटी बचत राशियां लेते हैं। लघु वित्त उद्योग के भीतर 'लघु वित्त संस्था' शब्द ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले संगठन की एक व्यापक शृखंला को इंगित करते हैं... गैर-सरकारी संगठन, क्रेडिट यूनियनें, सहकारी समितियां, निजी वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (जो गैर-सरकारी संगठनों से विनियमित संस्थाओं में बदल गए हैं) और सरकारी स्वामित्व वाले कुछ बैंकों के अंग।

एम.एफ.आइ. को लेकर हममें से ज्यादा के मन में एक वित्तीय गैर-सरकारी संगठन की छवि उभरती है, वह गैर-सरकारी संगठन जो पूर्णतः और वस्तुतः एकांतिक रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित है; ज्यादातर मामलों में उन्हें आम जनता से बचत-जमाराशियां उगाहने की अनुमति नहीं होती। कुछ सौ-एक गैर-सरकारी संगठनों के इस समूह ने विश्व भर में लघु ऋण और बाद में लघु वित्त के विकास की अगुवाई की है। इनमें से ज्यादातर उस समूह का गठन करते हैं जिसे सर्वोत्तम प्रथा संगठन कहा जाता है, जो अपनी कामयाबी के लिए नवीनतम ऋणदान-तकनीकें इस्तेमाल करता है जिससे उन्हें सतत आधार पर अर्थव्यवस्था के निर्धन क्षेत्रों तक पहुंचने में सहूलियत होती है।

लघु वित्त प्रदान करने वाले अनेक गैर-सरकारी संगठन, बल्कि उनमें से ज्यादातर, अन्य अनेक गैर-वित्तीय विकासपरक कार्य करते हैं और स्वयं को अनिवार्यतः वित्तीय संस्थाएं कहे जाने से असहमत हो सकते हैं। किंतु उद्योग के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि वे गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं, अतः हम उन्हें एम.एफ.आइ. कहते हैं। यही स्थिति लघु वित्त प्रदान करने वाले कुछ वाणिज्यिक बैंकों के साथ भी है। अपने प्रयोजनों के लिए हम उन्हें एम.एफ.आइ. कहकर बुलाते हैं, भले ही उनकी आस्तियों का एक छोटा हिस्सा ही वास्तव में गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं से संबद्ध हो। दोनों ही मामलों में जब उद्योग एम.एफ.आइ. का जिक्र करता है तो वह संस्था के उस भाग को संदर्भित करता है जो लघु वित्त प्रदान करता है।

किंतु कुछ संस्थाएं हैं जो खुद को लघु वित्त के व्यवसाय में संलग्न समझती हैं और वे यकीनन बदले हुए और गहन वित्तीय क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। वे हैं समुदाय-आधारित वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं। इनमें से कुछ सदस्यता-आधारित हैं जैसे क्रेडिट-यूनियनें और सहकारी आवास समितियां। अन्य संस्थाएं स्थानीय उद्यमियों अथवा नगरपालिकाओं द्वारा संचालित हैं। इन संस्थाओं का ग्राहक आधार वित्तीय गैर-सरकारी संगठनों से ज्यादा व्यापक है और वे स्वयं को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का अंग समझती हैं। अलग-अलग देशों में ये अलग-अलग प्रकार की हैं, पर अनेक गरीब लोगों की इन संस्थाओं तक कुछ न कुछ पहुंच जरूर रहती है।

क्या लघु वित्त लाभप्रद हो सकता है?

हाँ, हो सकता है। माइक्रोबैंकिंग बुलेटिन के आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व की 63 लघु वित्त संस्थाओं की औसत प्रतिलाभ दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने और कार्यक्रमों को मिली सब्सिडी लेने के बाद कुल आस्तियों का लगभग 2.5% रही। इसकी तुलना वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र को मिलने वाले प्रतिलाभ से भली-भाँति की जा सकती है और इससे आशा को बल मिलता है कि मुख्य धारा की फुटकर बैंकिंग के लिए भी लघु वित्त काफी आकर्षक हो सकता है। अनेक लोगों का ख्याल है कि लघु वित्त के मुख्य धारा में आते ही ग्राहकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है। हाँलाकि कुछ लोग यह आशंका भी प्रकट करते हैं कि लघु वित्त में लाभ की ज्यादा चिंता लघु वित्त संस्थाओं को बड़ी ऋण राशियां आत्मसात कर सकने वाले खुशहाल ग्राहकों की सेवा के लिए अप-मार्केट की तरफ अग्रसर कर देंगी। इसे वे ह्रासमान प्रभाव यानी क्राउडिंग इफेक्ट कहते हैं। बेशक यह संभव है क्योंकि अति निर्धनों, निर्धनों और कमजोर अनिर्धनों की एक बड़ी संख्या है जिन तक बैंकिंग क्षेत्र नहीं पहुंच पाया है।

यह जानना रोचक होगा कि निर्धनतम लोगों तक पहुंचने वाले कार्यक्रम कुछ हद तक खुशहाल ग्राहक खंड तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों की अपेक्षा कम सफल होते हैं, फिर भी उनका निष्पादन कुछ साल पहले व्यापक आधार वाले ग्राहक-वर्ग के लिए चलाए गए कार्यक्रमों जितनी ही गति से तेजी से सुधर रहा है। ज्यादा से ज्यादा एम.एफ.आइ. प्रबंधक समझ गए हैं कि बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए टिकाऊपन एक पूर्वशर्त है। इसके चलते अग्रणी लघु वित्त संस्थाओं के प्रबंधक नाटकीय रूप से परिचालन क्षमता बढ़ाने वाले उपायों का सहारा ले रहे हैं। संक्षेप में, यह उम्मीद करना अकारण नहीं कि निर्धनतम लोगों तक पहुंचने वाले कार्यक्रम परिपक्व और प्रतिबद्ध होने पर टिकाऊ हो सकते हैं।

लघु वित्त को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका

लघु वित्त के संदर्भ में सरकार की भूमिका बड़ी जटिल है। अभी हाल तक सरकारें समझती रही हैं कि वंचित लोगों के लिए ऋण-कार्यक्रमों सहित विकास-वित्त का सृजन उनकी जिम्मेदारी

है। ग्रामीण ऋण-कार्यक्रमों की गहन समीक्षा से पता चलता है कि गरीबों को ऋण प्रदान करने में सरकारों का निष्पादन खराब रहता है। सरकार-नियंत्रित ऋण-संस्थाओं के लिए अल्पकालिक राजनीतिक लाभ बड़ा लुभाऊ रहता है; वे तेजी से (और बिना विचारे) ऋण बाँटती हैं और (चूककर्ताओं के प्रति कठोरता से पेश न आकर) अनियमित तरीके से उसकी वसूली करती हैं। शहरी क्षेत्रों में सरकारें उतनी सक्रिय नहीं होतीं, जहाँ सब्सिडीयुक्त लघु उद्यमी ऋण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अभी भी दुर्लभ है।

अब जबकि लघु वित्त काफी लोकप्रिय हो गया है, सरकारें लघु ऋण प्रदान करने के लिए बचत बैंकों, विकास बैंकों, डाकघर बचत बैंकों और कृषि बैंकों का इस्तेमाल करने के लिए आतुर नजर आती हैं। यह कोई अच्छा विचार नहीं है, जब तक कि सरकार के पास भूतकाल की कमियों को दूर करने की स्पष्ट स्वीकार्यता और वैसा करने के स्पष्ट साधन न हों। अनेक सरकारों ने बहुपक्षीय एजेंसियों से लघु वित्त संस्थाओं को निधियां पहुंचवाने के लिए शीर्ष संगठन बना दिए हैं। शीर्ष संगठन काफी जटिल हो सकते हैं और लघु वित्त के क्षेत्र में उनकी सफलताओं के कम ही उदाहरण मिलते हैं। लघु वित्त में शीर्ष संगठन सफल लघु वित्त संस्थाओं की आधारशिला पर निर्मित हुआ करते हैं, न कि लघु वित्त संस्थाएं शीर्ष संगठनों की सफलता पर। और अंत में, सरकारें अति निर्धनों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की काबिलियत पर आधारित विनियामक ढाँचे से जुड़कर भी लघु वित्त में संलग्न हो सकती हैं।

लघु वित्त के विकास में वित्तीय विनियामक की भूमिका

अनेक लोगों का खयाल है कि लघु वित्त के विकास में सहायता करने में वित्तीय विनियामक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका एक वैकल्पिक प्रकार की संस्था का सृजन करना है जो सुदृढ़ वित्तीय गैर-सरकारी संगठनों, क्रेडिट यूनियनों और अन्य समुदाय-आधारित मध्यवर्ती संस्थाओं को आम जनता को जमा सेवाएं प्रदान करने और शीर्ष संगठनों के माध्यम से निधियां प्राप्त करने का लायसेंस लेने की अनुमति दे। कुछ देशों में यह एक उपयुक्त कार्यनीति हो सकती है। किंतु ज्यादातर देशों में लघु वित्त उद्योग के विकास का सामान्य स्तर अभी भी गरीबों के सेवार्थ वित्तीय संस्थाओं की एक अलग श्रेणी को लायसेंस देने की अनुमति नहीं देता। साथ ही, अनेक देशों में बैंक विनियामकों पर लगे बजटीय प्रतिबंध उनके द्वारा छोटी संस्थाओं के पूरे समूह का पर्यवेक्षण नामुमकिन बना देते हैं। इन संस्थाओं की कुल आस्तियां कुल वित्तीय प्रभावों का बहुत छोटा प्रतिशत बैठती हैं किंतु उनके उपयुक्त पर्यवेक्षण की लागत एजेंसी के कुल बजट का 25 से 50 % तक हजम कर सकती है।

इसके बजाय विनियामक ब्याज के उपयुक्त स्तर निर्धारित करने, चूककर्ता ऋणियों के एक लघु वित्त संस्था से दूसरी लघु वित्त संस्था में जाने पर रोक लगाने के लिए उनसे संबंधित सूचनाएं बाँटने हेतु सूचना समाशोधनगृह सृजित करने, मूलभूत कानूनी ढाँचे के भी अभाव वाली संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी ऋण-करारों की अदालतों में मान्यता सुनिश्चित करवाने के लिए सिविल प्राधिकरणों के साथ काम करने और लघु वित्त संस्थाओं को अंततः विनियमित होने के लिए तैयार करने हेतु अपेक्षाएं सूचित करने के लिए उदीयमान लघु वित्त उद्योग के साथ काम कर सकता है।

विनियामक परंपरागत बैंकिंग संस्थाओं की लघु वित्त का काम करने की योग्यता सीमित करने वाले कानूनों, डिक्रियों और आंतरिक विनियमों की जाँच भी कर सकता है। इन विनियमों में गैरजमानती आधार पर दिए जा सकने वाले ऋण पोर्टफोलियो का प्रतिशत सीमित करना, समूह गारंटी तंत्र की सीमा तय करना, रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करना, शाखा कार्यालय परिचालनों को प्रतिबंधित करना और ऋण-फाइलों की विषय वस्तु संबंधी अपेक्षाएं सूचित करना शामिल हैं। साथ ही विनियामकों को बड़े बैंकों में लघु ऋण पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने के तरीकों पर नजर डालना भी जरूरी है।

संकलन : श्रीमती सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यह विशेषांक मौजूदा बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के सबसे ज्वलंत पहलू वित्तीय समावेशन पर आधारित है, इसलिए आइए इस बार हम इधर उधर स्तंभ के अंतर्गत कुछ ऐसी संकल्पनाओं के बारे में जानकारी हासिल करें जो इस आंदोलन का अहम हिस्सा हैं।

Financial Exclusion वित्तीय वंचन

वित्तीय वंचन से तात्पर्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के दायरे से बाहर रहना है। वित्तीय रूप से वंचित लोगों तक बैंकिंग अथवा वित्तीय सेवाएं पहुंच नहीं पाती और वे बैंकिंग तथा उसके तहत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का उपभोग करने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें न तो बैंकों की भुगतान प्रणाली का लाभ मिल पाता है और न ही वे बैंकों की ऋण सुविधा का लाभ उठा पाते हैं।

Financial Inclusion वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के लोगों को, जिसमें वंचित एवं कम आय वाले लोगों का समावेश है, आर्थिक दृष्टि से कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका मतलब है जरूरतमंद और समाज के गरीब तबके के लोगों को जमा और ऋण जैसे वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं को वहनीय लागत पर उन तक पहुंचाना। इसके अंतर्गत बैंकों में खाता खोलने, राशि जमा करने तथा ऋण लेने की सुविधाओं का समावेश है।

Financial Education वित्तीय शिक्षण

वित्तीय शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्तीय ग्राहक/निवेशक वित्तीय उत्पादों, संकल्पनाओं एवं जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा इन उत्पादों के उपभोग एवं जोखिम से बचाव के उपाय का पता लगाता है। वित्तीय शिक्षा हासिल करने के बाद ग्राहक सतर्क रहकर अपने फैसले करता है एवं जोखिम से बचाव में सक्षम बनने के साथ ही बेहतर वित्तीय उत्पादों के प्रयोग की स्थिति में होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर किससे संपर्क करना है इसकी जानकारी भी उसे होती है। इस तरह से वित्तीय शिक्षण में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके पास मध्यस्थों के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेनदेन की जटिलताओं को समझने के लिए व्यक्तिगत हैसियत में सीमित संसाधन एवं जानकारी होती है।

No Frills Account नो फ्रिल खाता/सरल/सादा खाता

कम से कम पांच रुपए या शून्य राशि से खोले जाने वाले खाते नो फ्रिल खाते कहलाते हैं। समाज के अति गरीब लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाने के उद्देश्य से इन खातों की संकल्पना तैयार की गई और न्यूनतम जमाराशि के द्वारा खाता आरंभ करने की सुविधा ऐसे लोगों को प्रदान की गई। इस तरह के खाताधारकों को नॉमिनल ब्याज दर पर निर्धारित न्यूनतम राशि बैंक से उधार लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है ताकि वे कोई छोटा-मोटा कारोबार कर सकें और इस तरह के उधार की चुकौती सुविधाजनक किस्तों में करने के लिए भी उन्हें अनुमति दी गई है। इन खातों के परिचालन में किसी भी तरह की छुपी हुई लागत शामिल नहीं होती है। इन खातों में बिना कोई जमानत लिए सीमित ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

Bank Agent Model बैंक एजेंट मॉडल

आम जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बैंक एजेंटों की सहायता भी लेती है। आम तौर पर लघु वित्त संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन,सरकारी संगठन और किसान क्लब एवं डाकघर बैंकों के एजेंटों की भूमिका निभाते हैं। ये बैंकों की ओर से

जमाराशियों के संग्रहण के साथ ही ऋण के वितरण और वसूली का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को दूरदराज स्थित बैंक शाखाओं तक आने जाने से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें निकटतम स्थान पर बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।

E -Banking Model ई-बैंकिंग मॉडल

ई-बैंकिंग अर्थात इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली बैंकिंग। तकनीकी विकास के साथ बैंकिंग जगत में आए महत्वपूर्ण बदलावों ने द्वार पर बैंकिंग की संकल्पना को वास्तव में साकार कर दिया है। वित्तीय समावेशन में इस माध्यम की महती भूमिका है क्योंकि इसकी सहायता से दूरदराज गांवों के लोगों तक बैंकिंग को आसानी से पहुंचाना संभव हो पाया है। ई-बैंकिंग मॉडल में बैंक के एजेंटों की प्रमुख भूमिका होती है। ये एजेंट अक्सर गैर सरकारी संगठन के स्वयंसेवक होते हैं जो स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में खाते खोलने में मदद करते हैं और उनकी ओर से पैसों का लेनदेन करने के साथ ही उन्हें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता करते हैं। इस मॉडल में एजेंट बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड तथा मोबाइल हैंडसेट का उपयोग करते हैं।

SHG -Bank Linkage Prog.
स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम

स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से प्रायोगिक रूप में आरंभ हुआ। इसमें स्वयं सहायता समूह, बैंक और गैर सरकारी संगठन इन तीनों के बीच भागीदारी के द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। गैर सरकारी संगठन गरीबों को संगठित कर उन्हें एक सक्षम एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करते हैं और इस तरह से गठित स्वयं सहायता समूह सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया से पूरे समूह द्वारा की जानेवाली आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से संपर्क कर ऋण जैसे संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऋण सुविधा प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं सहायता समूहों को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करें। लेकिन यह ऋण बाज़ार दर पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का लाभ स्वयं सहायता समूहों को निश्चित तौर पर मिलता है क्योंकि उन्हें 'द्वार पर बैंकिंग' जैसी सुविधा मिलती है और समूह के सदस्यों के आर्थिक स्तर में निश्चित सुधार देखा जा सकता है।

Financial Intermediaries वित्तीय मध्यस्थ

वित्तीय समावेशन के संदर्भ में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंकों के एजेंट की भूमिका निभानेवाली संस्थाओं का समावेश होता है जबकि परंपरागत तौर पर साहूकार एवं महाजन वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। वे सभी संगठन एवं संस्थाएं जो बैंक एवं आम लोगों के बीच बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने की कड़ी के रूप में काम करती हैं वित्तीय मध्यस्थ के रूप में जानी जाती हैं।

Credit Plus Services
ऋण के अलावा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

अधिकाधिक लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन के तहत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि बैंक के पास ऋण सुविधा लेने के लिए आने वाले ग्राहक को उससे जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाएं ताकि निधि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी सेवाओं में ग्राहक को उद्योग से जुड़ी परामर्शी सेवाओं, प्रशिक्षण आदि का समावेश है। ये सेवाएं आर्थिक रूप में न होकर कल्याणकारी स्वरूप में होती हैं। उदाहरण के तौर पर किसानों को फसल पद्धति, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नई प्रौद्योगिकी, संबंधित क्षेत्र के मौसम आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करना आदि जैसी सेवाओं का समावेश है।

Differential Rate of Interest
विभेदक ब्याज दर

वैसे तो यह संकल्पना काफी पहले से आर्थिक एवं बैंकिंग जगत में चली आ रही है लेकिन वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यदि अधिकाधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है तो यह जरूरी हो जाता है कि उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रभार लगाए जाएं। मसलन यदि हम चाहते हैं कि ठेले पर बिक्री करने वाले व्यक्ति के व्यवसाय को बढ़ावा प्रदान करने के लिए उसे ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो उसकी चुकौती करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें उसे

कम ब्याज दर पर यह सुविधा प्रदान करनी होगी तभी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। इसलिए विभेदक ब्याज दर वित्तीय समावेशन की एक अहम शर्त बन गयी है।

Micro Finance Institutions लघु वित्त संस्थाएं

लघु वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां गैर सरकारी संगठन और समितियां/ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थापित लघु वित्त संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है:- 1. अनौपचारिक संस्थाएं - इसमें सहकारी संस्थाएं, गैंर बैंकिंग संस्थाएं तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन शामिल हैं और 2. औपचारिक संस्थाएं- इनमें सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। नाबार्ड द्वारा लघु वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत में अब तक लघु वित्त संस्थाएं केवल वित्तीय मध्यस्थ के रूप में ही कार्य कर रही हैं।

E-Choupals ई- चौपाल

कंप्यूटर युग की देन ई-चौपाल ने कृषि के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ई चौपाल अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त करना और कारोबार करना। अब भारतीय किसान इंटरनेट की सहायता से कृषि की उन्नत तकनीकों, अच्छे किस्म के बीजों, मौसम, बाज़ार मूल्यों की जानकारी घर बैठे हासिल करने और विस्तारित बाज़ार तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हो चुका है। ई-चौपाल की मदद से किसान ऑन लाइन खरीददार एवं विक्रेता की भूमिका सहज ही निभा लेते हैं। हर गांव में ई-चौपाल के संचालक के रूप में एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता है जो कंप्यूटर के जरिए जानकारी प्राप्त कर उसे सभी हिताधिकारियों तक पहुंचाता है। इसे हम ग्रामीण सभ्यता में सदियों से चली आ रही चौपाल परंपरा का वर्चुअल स्वरूप भी कह सकते हैं।

Micro Credit लघु ऋण

लघु ऋण या लघु वित्त एक ऐसी प्रणाली है जो आम तौर पर निम्न आय वर्ग अथवा निर्धनों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। इस वर्ग में ऐसे लोगों का समावेश होता है जिनके पास बैंक के पास जमानत के तौर पर गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती है लेकिन वे सामाजिक जमानत देने की हैसियत रखते हैं। लघु वित्त में लेन देन की कम लागत के साथ-साथ वसूली के ऊंचे अनुपात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस सुविधा से गरीब एवं निर्धन अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर आमदनी में इज़ाफा कर सकते हैं जिससे उनके रहन सहन एवं सामाजिक स्तर में सुधार होता है। यह सुविधा बैंक, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाती है।

Biometric Smart Cards बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड

एक ऐसा कार्ड जिसमें खाताधारक की बायोमैट्रिक जानकारी दर्ज होती है और साथ ही उसका फोटो उंगलियों के निशान सहित मौजूद रहता है। यह इलेक्ट्रानिक पासबुक का काम भी करता है तथा इसमें खाताधारक के बारे में सभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है।

Business Facilitator Model व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल

जिन क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों एवं सहायक संस्थाओं के बीच एक कड़ी तैयार करने के ध्येय को ध्यान में रखकर व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल तैयार किया गया। इस मॉडल में स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठन, किसान क्लब, डाक एजेंट, बीमा एजेंट, पंचायत, ग्रामीण कियोस्क/ज्ञान केंद्र, बैंकों द्वारा वित्तपोषित एग्री क्लिनिक एवं के.वी.आइ.सी. इकाइयों का समावेश है। बैंक इनकी सहायता से 1.उधारकर्ताओं की पहचान करने 2. ऋण आवेदन पत्रों को इकठ्ठा करने 3. उनका प्राथमिक मूल्यांकन करने 4. वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों की मार्केटिंग 5. ऋण की वसूली पर निगरानी रखने तथा 6. स्वयं सहायता समूहों के निर्माण व विकास का कार्य करते हैं।

Business Correspondent Model व्यवसाय संवाहक मॉडल

बैंकिंग सेवाओं के दायरे को बढ़ाने अथवा वित्तीय समावेशन के लिए जो दूसरा मॉडल अपनाया गया वह है व्यवसाय संवाहक मॉडल। यह रजिस्टर्ड गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं,

माइक्रोफाइनांस संस्थाओं, प्राथमिक ऋण समितियों एवं डाकघरों जैसे एजेंटों/बाहरी निकायों की सहायता से कार्य करता है। व्यवसाय सुलभकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अलावा व्यवसाय संवाहक दो अन्य प्रमुख कार्य करते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. छोटी जमाराशियों का संग्रहण 2. स्वीकृत ऋणों के वितरण के साथ चुकौती की राशि को बैंकों तक पहुंचाना। इसके अलावा ये लघु बीमा/म्युचूअल फंडों की बिक्री का कार्य भी करते हैं।

Class Banking सीमित बैंकिंग

भारतीय बैंक अपनी स्थापना के दौर से लेकर राष्ट्रीयकरण के दौर तक समाज के आर्थिक रूप से सक्षम एवं संपन्न वर्ग को अपना ग्राहक बनाने में ही अपनी सफलता मानते थे और उसकी वजह से बैंकिंग सुविधा सीमित लोगों को ही उपलब्ध थी। अक्सर बैंक बड़े औद्योगिक घरानों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान करने में सहूलियत मानते थे जो आगे चलकर जोखिम की दृष्टि से बैंकों के लिए हानिकारक साबित हुआ। क्योंकि यदि आपने एक ही जगह अधिक वित्तपोषण कर रखा है और वह इकाई फेल हो जाती है तो अपका पूरा ऋण एनपीए बन जाता है। इसका दूसरा पहलू यह भी था कि इस तरह के उधार में वसूली में कम ही दिक्कतें आती थीं अतएव बैंक कम जोखिम उठाकर अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त करने में ज्यादा विश्वास करते थे।

Mass Banking व्यापक बैंकिंग

राष्ट्रीयकरण के बाद इस अवधारणा ने जोर पकड़ना आरंभ किया और आज वित्तीय समावेशन के दौर में केवल इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। आज की बैंकिंग सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की वकालत करती है बल्कि उसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि समाज के अत्यंत गरीब एवं निचले तबके के लोगों को विशेष रूप से बैंकिंग के दायरे में लाया जाए। अब बैंकिंग सुविधाओं को वर्ग विशेष तक सीमित न रखकर सभी वर्गों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Under Banked Areas बैंक सुविधा रहित क्षेत्र

पूरे देश में बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर एवं नागालैण्ड जैसे कई उत्तर पूर्वी राज्य ऐसे हैं जहां पर उपलब्ध बैंकिंग सुविधा के हिसाब से प्रति शाखा व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति शाखा औसतन 16000 व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता निश्चित करने का प्रयास वित्तीय समावेशन के माध्यम से किया जा रहा है।

Zymflation/ Hyper Inflation अति उच्च मुद्रास्फीति

क्या आप मुद्रास्फीति की उच्चतम दर का अंदाजा लगा सकते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 100 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच जाए तो उसे हम अति उच्च मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में करेंसी की खरीद शक्ति लगातार कम होती जाती है और ऐसे में रोजाना के कारोबारी लेनदेन में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था में अराजकता छा जाती है और देश की सरकार को नई करेंसी जारी कर स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास करने पड़ते हैं। मौजूदा दौर में इस स्थिति का ज्वलंत उदाहरण है जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था जहां पर असंभव लगनेवाली महंगाई दर 2.2 मिलियन प्रतिशत है। जिमफ्लेशन के बहुत से कारण होते हैं जिनमें राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों का समावेश है। विश्व इतिहास में अब तक जर्मनी वर्ष 1923, ग्रीस वर्ष 1941-44, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हंगरी में और युगोस्लाविया में वर्ष 1993-94 में कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई जब हर 15/16 घंटों में कीमतें दुगुनी हो जाती थीं।

Deflation मुद्रा अवस्फीति

मुद्रा अवस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती हैं। यह स्थिति निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैः

(i) जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है। (ii) जब सरकार लोगों पर भारी मात्रा में प्रत्यक्ष कर लगाती है अथवा बड़ी मात्रा में जनता से ऐच्छिक या अनिवार्य रूप से ऋण लेती है। (iii) जब केंद्रीय बैंक खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को बेचता है जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। (iv) जब साख मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक नकद कोषों के अनुपात में वृद्धि, साख का राशनिंग तथा सीधी कार्यवाही आदि उपाय अपनाता है। (v) जब केंद्रीय बैंक, बैंक दर में वृद्धि कर देता है जिससे साख की मात्रा में कमी हो जाती है।(vi) जब देश में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है अर्थात वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से अधिक हो जाती है एवं कीमतों में गिरावट आने लगती है।

वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी

के. पी. तिवारी
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आज के युग में वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी - ये दोनों शब्द ऐसे हो गये हैं कि लगभग प्रत्येक आर्थिक मंच पर इनकी गूंज सुनाई दे जाती है। अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या विकासशील, बैंकिंग और कम्प्यूटर का दखल अवश्य दिखाई देगा। जिस प्रकार कम्प्यूटर और उससे जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास है, ठीक उसी प्रकार बैंकिंग भी एक सामूहिक प्रयास है। इन दोनों सामूहिक प्रयासों ने समाज को ही नहीं बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कई-कई देशों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। कुल मिलाकर सामाजिक, आर्थिक, भौतिक प्रगति में बैंकिंग का उल्लेखनीय स्थान रहा है और रहेगा। बैंकिंग ने समाज के वित्त का प्रबन्धन करके आर्थिक पक्ष को मजबूत किया है तो सूचना प्रौद्योगिकी ने अलग-अलग देशों के कारोबारियों को बहुत करीब ला दिया है।

वित्तीय समावेशन या वंचन

वित्तीय समावेशन न केवल विकासशील बल्कि विकसित अर्थव्यस्थाओं में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में इस तरफ सबसे पहले 2004 में ध्यान दिया गया, जब रिज़र्व बैंक ने अपनी कार्य योजना में इसे शामिल किया। इसके पीछे यही चिन्ता है कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे लोगों को भी इनके दायरे में लाया जाए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाज के जिन वर्गों द्वारा बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है वे भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं- यही वित्तीय समावेशन है। अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का यह वर्ग बैंकिंग सेवाओं से वंचित कैसे रह गया। इसके कारण स्पष्ट हैं- अशिक्षा (विशेषकर वित्तीय जानकारी), आय, बैंकिंग शर्तें, पहचान-प्रमाण, बैंकिंग शाखाओं से दूरी आदि। ऐसा नहीं है कि केवल अशिक्षित या गरीब वर्ग ही उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा रहा है बल्कि शिक्षित और सरकारी सेवाओं में सेवारत लोग भी वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें सैनिक या ऐसे ही कई अन्य सरकारी सेवाओं में लगे लोग अपने घर परिवार को पैसे पहुंचाने के लिए तथाकथित आंगड़िया या हवाला सेवाओं का प्रयोग करते हैं।

इसी का एक और पक्ष यह भी है कि विगत पाँच बरस के दौरान बैंकिंग प्रणाली का विकास बहुत तेज गति से हुआ है। बैंकिंग प्रणाली में न केवल विविधतापूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है, बल्कि इसका दायरा, पहुंच, क्रिया-प्रणाली, उपलब्धता, गुणवत्ता और संक्रियाओं की तीव्रता में काफी बदलाव आए हैं। आधुनिक युग में बैंकों का कार्य केवल जमा और भुगतान करना ही नहीं रह गया है, बल्कि विभिन्न प्रकार के ऋणदाता कार्यों, बीमा, हामीदारी और निधि अंतरण जैसे कार्यों को भी इसमें शामिल किया जा चुका है। इन सब कार्यों की पृष्ठभूमि में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान रहा है। इस साइबरनेटिक्स या (आइ. टी.) ने बैंकिंग सेवाओं की गति, उत्कृष्टता, गुणवत्ता और सटीकता में कल्पनातीत बढ़ोतरी की है।

इसी का कटु पक्ष यह है कि इतनी प्रगति के बावजूद समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। इस वंचना का कारण मात्र अशिक्षा ही नहीं अपितु धन का अभाव भी है। भारत में यह समस्या तो विशेष रूप से है, यहां तो सैनिकों को मालूम ही नहीं है कि वे बैंक के माध्यम से भी अपने घर पैसे भेज सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित - असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग ने 2007 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कुल आय का 33 प्रतिशत हिस्सा मात्र 10 प्रतिशत लोगों के पास है। लगभग 17.59 प्रतिशत अर्थात 230 मिलियन भारतवासी गरीबी की रेखा से नीचे हैं और देश के 77 प्रतिशत लोग दूसरे शब्दों में कहें तो 836 मिलियन लोगों की दैनिक आय केवल 20 रुपये है। विचारणीय प्रश्न यह है कि वित्तीय समावेशन किसका और कैसे किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन को ही वित्तीय वंचन का नाम भी दिया गया है। इस वंचन का एक दुखद पहलू यह भी रहता है कि देशवासियों का अधिकांश भाग कर्ज लेने के लिए भी

बैंकिंग सेवाओं को छोड़ अन्य स्रोतों यथा महाजनों, साहूकारों के चंगुल में जा फंसता है। यहां भी आर्थिक हालत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इंडिया इनकम एंड सेविंग्स् सर्वे-2007 में उल्लेख किया गया है कि 4 लाख रुपये वार्षिक आय अर्जन करने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने संस्थागत स्रोतों से कर्ज लिया। दूसरी ओर 50 हजार रुपये वार्षिक अर्जन करने वाले मात्र 27.5 प्रतिशत लोग ही संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने आए। यह सर्वविदित है कि गैर-संस्थागत लोगों से लिए गए ऋण के दुष्चक्र में फंसने के बाद व्यक्ति की क्या हालत होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं

वर्तमान समय को यदि सूचना प्रौद्योगिकी या साइबरनेटिक्स युग कहा जाए तो गलत न होगा। मानव-प्रजाति के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि जितने अन्वेषण हुए हैं उनमें भाषा तो कुछ हद तक प्रकृति प्रदत्त रही है जिसने मानव को संप्रेषण में सक्षम किया और पहिया जिसने भौगोलिक दूरियों को कम किया। विगत 70 वर्षों की अवधि में कम्प्यूटर के प्रसार ने मानव को कहां से कहां पहुंचा दिया है। यह साइबरनेटिक्स ही है जिसने एटीएम, इंटरनेट, उपग्रह आधारित संचार, मोबाइल जैसी सुविधाओं को सफल बनाने में सहयोग किया है। आज बैंकों में भुगतान और निपटान की तेज प्रणालियां, आरटीजीएस, ईसीएस, एफटीएस, आदि हैं। इनकी सहायता से बैंकों ने अपने परिचालन को तेज और सुगम बना लिया है। सभी बैंक सीबीएस की ओर बढ़ रहे हैं, नेटवर्क आधारित कम्प्यूटरों, इंटरनेट बैंकिंग, स्मार्ट कार्ड आधारित परिचालन और नवीनतम है मोबाइल फोन की सहायता से बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करना।

वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर बैंकों के लिए आइ.टी. का उपयोग खासा लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसकी सहायता से मौजूदा शाखाओं के परिचालन का दायरा बढ़ा है। कार्यों में तेजी आई है और कर्मचारियों को कार्य का बेहतर वातावरण मिला है।

प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन

आइये अब देखते हैं कि प्रौद्योगिकी और समावेशन को किस तरह से मिलाया जा सकता है। दोनों के संयोग से किस प्रकार से वंचित वर्ग को बैंकिंग के दायरे में लाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की शुरुआत मानी जा सकती है- नो फ्रिल खातों से अर्थात ऐसे खाते जिन्हें खोलने के लिए बैंकों द्वारा ऐसी औपचारिकताओं में ढील दे दी जाती है, जिन्हें ग्राहक द्वारा तुरत-फुरत पूरा नहीं किया जा सकता। अपने ग्राहक को जानें- नियमों में ढील, आदि के माध्यम से बैंकों में दी जा रही सेवाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कतिपय कारणों से इन खातों के माध्यम से कोई लेन-देन नहीं हुआ अर्थात ये सुषुप्तावस्था में ही बने रहे क्योंकि जिस व्यक्ति ने खाता खोला भी वह दूरी, धनाभाव के चलते अपने खाते का परिचालन नहीं कर सका। इन खातों को परिचालन योग्य बनाए रखने के लिए बैंकों को चल-शाखाओं, दूरस्थ कार्यालयों, विस्तार काउंटरों या फिर स्वयं सहायता समूहों की मदद लेनी पड़ी।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में जितने लोगों के पास मोबाइल है, उतनों के पास यदि बैंक खाते भी हो जाएं, तो क्या कहने। लेकिन यहां भी समस्या आएगी, मोबाइल बैंकिंग के लिए जिस प्रकार का सेट चाहिए, वह सेट वंचित वर्ग के पास मौजूद होना ही कठिन है। फिर मोबाइल बैंकिंग सेवा का कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है आर्थिक स्थिति या माली हालत। हालांकि तकनीक जितना बढ़ती है उतनी ही सस्ती भी हो जाती है और वंचित वर्ग के लिए विशेष प्रयास के रूप में तकनीक को सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दिया जाए तो आगे चलकर बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ही लाभ प्राप्त होगा।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अन्य सुविधाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग इस दिशा में एक कदम हो सकता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के मुखिया के नाम से एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाए, जिसमें उस जिले या क्षेत्र के प्रमुख बैंक में उसके नाम का खाता स्वतः जुड़ा हो सकता है। इन कार्डों को चल बैंकिग के माध्यम से प्रति सप्ताह प्रयोग करने की सुविधा दी जा सकती है। यदि वित्तीय तौर पर वंचित वर्ग के सभी सदस्यों के पास स्मार्ट कार्ड पहुंच जाए तो सरकारी अनुदान की राशि निर्माता कम्पनियों को देने की बजाय सीधे हिताधिकारी के खाते में अंतरित की जा सकती है। उदाहरण के लिए खाद या उर्वरकों पर दिया जाने वाला अनुदान निर्माता की बजाय किसान को दिया जाए तो परिणाम अधिक सुखद होंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के लिए भी स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएं तो

बहुत से लोगों को न केवल बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाया जा सकेगा बल्कि किस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है इसका विवरण भी आसानी से सरकार को मिल सकेगा, एक पंथ दो काज वाली कहावत एकदम सच हो जाएगी।

हमारे सैनिक भाई भी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि उनकी बटालियन आज यहां तो दो तीन माह बाद किसी और शहर में। ऐसे में सीबीएस अर्थात कोर बैंकिंग समाधान के तहत सैनिकों का खाता उस शहर या गांव में खोला जा सकेगा जहां उनका परिवार स्थायी तौर पर रहता है। एटीएम के जरिए कहीं से भी धन निकासी की जा सकती है। इस प्रकार न केवल बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ेगा बल्कि आंगड़िया या हवाला जैसी सेवाओं का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होगी। इस दायरे में डाकघर बचत बैंक खातों को भी लाया जा सकता है। यह तरीका बैंकिंग सेवाओं के प्रचार प्रसार में बहुत कारगर सिद्ध होगा। अप्रैल 2009 से सभी बैंकों के एटीएम आपस में जुड़ जाएंगे और इनका प्रयोग करने वाले ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा, इससे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।

इसी प्रकार मोबाइल बैंकिंग का यदि विकास होगा तो वह भी कुछ ही समय में किफायती तौर पर मिलने लगेगी। अभी हाल ही के सर्वे में यह नतीजे मिले है कि वर्ष 2008 के दौरान भारत में 100 मिलियन से भी ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लिए गए। एनएक्सपी सेमी कन्डक्टर्स एक ऐसी खोज है जो बैंकिंग सेवाओं को बहुत से घरों या यों कहिए बहुत सी जेबों तक पहुंचा सकता है। यह सेवा रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से दी जाती है और उत्तराखंड, मिज़ोरम, मेघालय और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में सात बैंकों ने मिलकर 450 गांवों को इसके दायरे में लाया गया है। इसके माध्यम से नकदी जमा करना, नकदी निकालना, धन-ट्रांस्फर, माइक्रो इंश्योरेंस और नकदीरहित भुगतान जैसी सेवाएं लेने के लिए बैंक की शाखा तक जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए कि यदि सभी 100 मिलियन मोबाइल धारकों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाया जा सके तो कितना बड़ा वित्तीय समावेशन होगा। कुछ कठिनाइयां आ सकती है लेकिन उनके निवारण के लिए वित्तीय शिक्षण भी तो प्रारम्भ किया जा चुका है। वित्तीय शिक्षण के तहत सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों तथा आम जनता को वित्तीय जानकारी देने का कार्य शुरू किया है। यह जानकारी सभी भारतीय भाषाओं में दी जा रही है।

सरकार ने भी इस आशय के निर्णय लिए हैं। सामाजिक सुरक्षा और वर्ग विशेष को दिए जाने वाले सरकारी अनुदानों के भुगतान एनआरईजीए के माध्यम से होंगे। यह भुगतान हिताधिकारी के नो-फ्रिल खाते में सरकार द्वारा जमा किया जाएगा और खाताधारी को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वह अपने भुगतान बैंक से प्राप्त कर सकेगा। तकनीक का एक और लाभ उठाते हुए अपने ग्राहक को जानने (के. वाई. सी.) का कार्य और भी सुगम किया जा सकता है। उदाहरण के लिये बायोमैट्रिक पहचान-यह पहचान व्यक्ति के किसी भी पहचान चिन्ह या पहचान पत्र (यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) की तुलना में कई गुना कारगर और सटीक होती है। व्यक्ति का चेहरा या हस्ताक्षरों में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है, लेकिन अंगुलियों -अंगूठे के निशान में कोई अन्तर नहीं आएगा। इसकी सहायता से अपने ग्राहक को जानिए - से जुड़े मानदंडों का अनुपालन सुगमता और सटीक रूप में किया जा सकता है।

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए आइडीआरबीटी की ओर से ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। सभी बैंकों के एटीएम निशुल्क जुड़ जाने के बाद बैंकों का दायरा अवश्य ही बढ़ेगा। बहुभाषी एटीएम मशीनों का आगमन हो चुका है और आमजन को इसके प्रयोग का तरीका बस एक या दो बार समझाना ही तो पड़ेगा। हमारे पास यह तकनीक विदेशी भाषा में ही आयात की जा रही है। वंचित वर्ग के लिए इस तकनीक को उसी भाषा में उपलब्ध कराना भी एक बड़ी समस्या हो सकती थी लेकिन आइएमई और मशीन आधारित अनुवाद की सहायता से इससे भी पार पाया जा सकता है।

एक बार यदि प्रौद्योगिकी वंचित वर्ग की भाषा में उपलब्ध हो जाएगी, ज्ञान यदि उसकी भाषा में उसे मिल जाएगा तो शेष बंधन अपने आप टूट जाएंगे। और फिर तकनीक के पंखों पर सवार होकर हम कह सकेंगे -अब बैंकिंग सेवाएं सबके पास द्वार पर। यही नहीं इससे भी बढ़कर कि अब बैंकिंग सेवाएं आपकी जेब में।

वित्तीय समावेशन के कानूनी पहलू

डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल
सहायक महाप्रबंधक
कार्पोरेशन बैंक, मंगलूर

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को आजकल बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। यद्यपि भारत में वित्तीय समावेशन के बीजों का रोपण तो उस ही वक्त हो गया था जब सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 को पारित करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में वित्तीय समावेशन का शुभारंभ वस्तुतः उस वक्त ही शुरू हो जाना चाहिए था जब भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का परोक्ष रूप से उद्देश्य भी यही था; परन्तु वह दौर ऐसा था कि गरीब और वंचित तबकों की बात तो छोड़ ही दें, कुछ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। बैंकिंग व्यवस्था धनाढ्य वर्ग तक सीमित थी; अर्थात बैंकिंग में बड़े लोगों को (Class Banking) को ही प्रधानता दी जाती थी। राष्ट्रीयकरण के उपरांत मध्यम वर्ग बैंकिंग से जुड़ा व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (सर्विस एरिया एप्रोच) जैसी संकल्पनाओं के आने से बैंकिंग तंत्र में निम्न/मध्यम वर्ग व कृषक वर्ग का समावेश होने लगा तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खुलने लगी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने लगी। इस प्रकार बड़े लोगों की बैंकिंग का स्थान समुदाय की बैंकिंग (Mass Banking) ने ले लिया। आज की वित्तीय समावेशन की संकल्पना इसी का विस्तारित रूप है।

राष्ट्रीयकरण के उपरांत मध्यम वर्ग बैंकिंग से जुड़ा व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (सर्विस एरिया एप्रोच) जैसी संकल्पनाओं के आने से बैंकिंग तंत्र में निम्न/मध्यम वर्ग व कृषक वर्ग का समावेश होने लगा तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खुलने लगी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने लगी। इस प्रकार बड़े लोगों की बैंकिंग का स्थान समुदाय की बैंकिंग (Mass Banking) ने ले लिया।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा ने अभी हाल ही के वर्षों में जोर पकड़ा है। वस्तुतः सन् 2002 में साल्फोर्ड विश्वविद्यालय ने सामुदायिक वित्त समाधान पर एक शोधपरक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के परिणाम चौंकाने वाले थे। विश्व में समृद्ध या विकसित कहलाने वाले देशों में भी आबादी का कुछ हिस्सा ऐसा था जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित था। अतः इस उपेक्षित वर्ग को वित्तीय तंत्र में शामिल करने हेतु 'वित्तीय समावेशन संकल्पना' ने विदेशों में जन्म लिया। एक मोटे अनुमान के अनुसार आज भी विश्व में एक अरब से अधिक वयस्क ऐसे हैं जो वित्तीय सेवाओं/सुविधाओं से वंचित हैं। इस संख्या का सबसे बड़ा भाग भारत में है। भारत में यह संख्या 70 करोड़ के आसपास है।

वित्तीय समावेशन की विधिक पृष्ठभूमि

बैंकिंग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अनेक नियमों, अधिनियमों, कानूनों एवं विधिक एवं प्रशासनिक आदेशों का योगदान है। इनके कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए। इन अधिनियमितियों, कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा बैंकिंग तंत्र के नियंत्रक वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका सराहनीय रही है। आज इस क्षेत्र में बैंकिंग तंत्र ने जो सफलता पाई है उसका श्रेय निश्चित ही इन नियंत्रक एजेंसियों को मिलना चाहिए। कानून एवं नियंत्रक संस्थाओं के सही तालमेल से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे जन प्रतिनिधियों के प्रयासों व इस दिशा में पारित विभिन्न अधिनियमों तथा इन अधिनियमों के तहत गठित राष्ट्रीय संस्थानों के भरसक प्रयास के बावजूद अभी भी भारत में 60 से 65% जन समुदाय बैंकिंग सेवाओं से वंचित है।

यद्यपि भारत में अब इस दिशा में जागृति तो आई है परन्तु इस संबंध में कानूनी प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। कोई संकल्पना तब तक पूर्णतः प्रभावी नहीं हो सकती है जब तक कि उसे कानूनी जामा न पहना दिया जाए। इतना ही नहीं अपितु कानूनी प्रावधानों में दण्ड का भी विधान होना चाहिए। बिना शास्ति या दण्ड के कोई भी कानून प्रभावी नहीं होता है। किसी भी अवधारणा को या जन आन्दोलन को तब ही सफल बनाया जा

सकता है जब कि उस दिशा में इसके कानूनी पहलुओं को चाक चौबन्द कर लिया जाए।

वित्तीय समावेशन से संबंधित कानूनी क्षेत्र

वित्तीय समावेशन के परिचालन में निम्नलिखित क्षेत्र ऐसे हैं जहां कानूनी पेचीदगियां आने की संभावना हैः

- परिचालनगत पेचीदगियां तथा दस्तावेजीकरण, नियमों की व्याख्या, ग्राहक के अधिकार आदि।
- वित्तीय संकट की स्थिति में पड़ने वाले आर्थिक दबावों से उत्पन्न आर्थिक अपराधों का निपटान।
- दैनिक आधार पर वित्त का परिचालन एवं प्रबंधन।
- नए वितरण उत्पादों यथा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, काम्बी कार्ड आदि से जुड़े कानूनी प्रावधान एवं अशिक्षित ग्राहकों के विधिक अधिकार।
- ऋण न चुका पाने की स्थिति में सरकार की ओर से कानूनी सहायता।
- साक्ष्य अधिनियम से जुड़े कानूनी पहलू।
- इंटनेट बैंकिंग व साइबर अपराध तथा वित्तीय समावेशन

अतः वित्तीय समावेशन के कानूनी पहलू पर चर्चा करना अब नितांत प्रासंगिक हो गया है। वित्तीय समावेशन को लागू करने से लेकर इसके कार्यान्वयन व इसके परिचालनोत्तर परिणामों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु कानूनी प्रावधान पहले से ही कर लेने चाहिए। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी हो रहा है वह सब यादृच्छिक है या कामचलाऊ है। अतः प्रचार का लाभ लेने के लिए बैंकों द्वारा यत्र-तत्र प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ बैंक 'नोफ्रिल्स' अर्थात् सादे खाते खोल कर ही इसकी इतिश्री समझ रहे हैं, तो कुछ बैंक जो प्रौद्योगिकी में आगे हैं वे शाखारहित बैंकिंग द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में एक मशीन लगाकर उससे पैसे का लेनदेन करवा कर अपनी पहल बनाए हुए हैं। जबकि वित्तीय समावेशन का अर्थ 'शून्य शेष' पर खाते खोलना मात्र नहीं है बल्कि इसका अर्थ है वंचित वर्ग का समग्र आर्थिक विकास। अतः आगे इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है।

सतही समावेशन या अनियोजित समावेशन

वस्तुतः वित्तीय समावेशन के लिए सुपरिभाषित कानूनी व्यवस्था व कार्य योजना न होने से सतही समावेशन हो रहा है। इस सतही समावेशन की स्थिति के लिए बैंक दोषी नहीं है। एक निश्चित नीति नहीं है। एक संहिताबद्ध कार्यान्वयन योजना नहीं है। यहां तक कि अभी तक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें स्पष्टता न हो। स्पष्टता के लिए जरूरी है कि इसके लिए विधि (कानून) और विधान (व्यवस्था) हो तथा इसे कार्यान्वित करने के समुचित व व्यापक दिशा निर्देश हों। इस स्थिति में हमारा पहला दायित्व यह है कि हम अपने आर्थिक व बैंकिंग संबंधी कानूनों में सुधार करें। उदाहरण के तौर पर दृष्टिहीनों या दृष्टिबाधितों को अब तक बैंकिंग के नए वितरण चैनलों से वंचित रखा जा रहा था। इस वर्ग द्वारा कानून का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद आज भारतीय बैंक संघ व भारतीय रिज़र्व बैंक को इस दिशा में विशेष आदेश जारी करने पड़े ताकि इस वर्ग को भी वित्तीय तंत्र की सभी सुविधाएं मिल सकें।

वित्तीय समावेशन एवं बजटीय प्रावधान

वार्षिक आधार पर हमारी वित्त व्यवस्था की नीति को भारत का आर्थिक बजट नियंत्रित करता है। अतः वित्तीय समावेशन के कानूनी पहलुओं पर विचार करने से पहले यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी होगा कि वित्तीय समावेशन की सामान्य और कानूनी व्याख्या बजट 2007-08 में इस प्रकार दी गई हैः

'93 वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वंचित (कमज़ोर) तबके को आसान लागत पर व समय पर ऋण तथा वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें।'

बजट में वित्तीय समावेशन की जो स्थिति स्पष्ट की गई है उससे वित्तीय संस्थाओं को कानूनी अड़चनों का सामना करना होगा जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है।

अब जरा गौर फरमाएँ कि आप गरीब व कमज़ोर तबके का 'नो फ्रिल्स' खाता तो खोल देंगे लेकिन उसे समय पर ऋण

सुविधा कैसे देंगे? इससे उत्पन्न जोखिम का निस्तारण कैसे होगा?

वित्तीय समावेशन और जोखिम नियंत्रण- कतिपय विधिक पहलू

वित्तीय तंत्र में एक सीमा तक ही जोखिम उठाया जा सकता है। इस सीमा से अधिक जोखिम उठाने के लिए विधि द्वारा संस्थापित संस्था द्वारा विधिवत् कानूनी प्रावधान होने चाहिए। ऐसे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बिना मार्जिन, बिना गारंटी, बिना प्रतिभूति ऋण देने पर वसूली प्रक्रिया कैसी होगी। वित्तीय समावेशन के तहत आने वाले व्यक्तियों का अपना घर-बार या खेती-बाड़ी हो यह जरूरी नहीं। फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए **'अपने ग्राहक को जानिए'** (KYC) मानदंडों का क्या होगा? आज आतंकवाद एवं काले धन को छुपाने के लिए दुर्बल वर्ग का दुरुपयोग हो रहा है। अतः वित्तीय तंत्र तक अवांछित व्यक्तियों की पहुंच को रोकने के लिए कौन से कदम उठाएं जाएं; इस पर सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए एवं उचित कानूनी प्रावधान होने चाहिएं।

इस जोखिम निवारण के लिए निम्नलिखित कानूनी व्यवस्थाओं में संशोधन की तत्काल आवश्यकता है:

- *जमानत एवं प्रत्याभूति (गारंटी) संबंधी विधिक प्रावधान।*
- *ग्राहकों को जानिए मानदंडों में शिथिलता।*
- *साक्ष्य अधिनियम।*
- *परिसीमा अधिनियम (लॉ ऑफ लिमिटेशन)।*
- *दस्तावेज़ीकरण एवं अनुबंध एवं करारों के निष्पादन संबंधी कानूनी पहलू जैसे नियमों/करारों /दायित्वों को स्थानीय भाषा में पढ़कर सुनाना व साक्षी की उपस्थिति में यह तथ्य दर्ज करना आदि।*

सरकारी बैंक एवं निजी बैंक - कानूनी भेदभाव

बैंक या वित्तीय संस्थाओं के कार्य की प्रकृति लगभग समान होती है। अतः उनमें कानून व नियंत्रण भी समान होना चाहिए। वित्तीय समावेशन केवल सरकारी बैंकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहां यह भी कहना उचित होगा कि किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्र विकास के कार्य में सरकारी और निजी बैंकों में भेदभाव करना उचित न होगा। वित्तीय समावेशन की नीति के तहत भारत में कार्यरत सभी बैंकों, चाहे वे सरकारी हों या निजी हों अथवा विदेशी, सभी को वित्तीय समावेशन का दायित्व सौंपा जाए तथा लक्ष्य दिए जाएं। इसके लिए एक विशिष्ट अधिनियम बनाया जाए ताकि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके साथ ही इससे कानूनी भेदभाव समाप्त होगा।

शीर्ष बैंक की अनिवार्यता

संसद द्वारा विधिवत् अधिनियम पारित करके वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड की तर्ज पर ही एक शीर्ष बैंक स्थापित किया जाए तथा वित्तीय समावेशन के सभी क्रियाकलाप व गतिविधियां इस बैंक के माध्यम से संचालित हों तो इस कार्यक्रम में अधिक तेजी आएगी। नाबार्ड को केवल कृषि और कृषीतर ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही ध्यान केंद्रित करने दिया जाए। इस प्रकार के शीर्ष बैंक के गठन के साथ ही वित्तीय समावेशन के लिए एक अन्य विशिष्ट अधिनियम बनाया जाए जो संपूर्ण वित्तीय तंत्र पर लागू हो तथा इसके प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दण्ड का भी प्रावधान हो। निजी व विदेशी बैंक यदि प्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम में शामिल न होना चाहें तो उनके लाभ से कुछ प्रतिशत हिस्सा काटकर वित्तीय समावेशन के लिए बनने वाले ऐसे राष्ट्रीय बैंक में जमा करने का विकल्प होना चाहिए। इस हेतु एक विशेष कोष स्थापित किया जाना चाहिए व इस प्रकार प्राप्त धन इस कोष में जमा किया जाना चाहिए।

नए वित्तीय खिलाड़ियों के लिए नए कानून

वित्त जगत में किसी भी संस्था को व्यापार चलाने के लिए किसी न किसी कानूनी ढांचे में रहना होता है। आज बैंकिंग क्षेत्र के अलावा वित्त क्षेत्र में नए-नए खिलाडी आ रहे हैं जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, देशी और विदेशी म्युचुअल फण्ड, बीमा कंपनियां आदि। वित्तीय समावेशन में इनकी भागीदारी के लिए अलग से कानूनी प्रावधान किए जाएं तथा ऐसी कंपनियों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देने से पूर्व वित्तीय समावेशन हेतु कुछ राशि पहले ही ले ली जाए। अतः नियमों में पहले से ही ऐसे

प्रावधान बना लिए जाएं। आज जरूरत इस बात की है कि बीमा नियामक प्राधिकरण और म्युचुअल फण्ड के व्यापार हेतु बने संगत नियमों तथा अधिनियमों में उचित संशोधन करके वित्तीय समावेशन हेतु इनके दायित्वों को निर्धारित किया जाए व इनकी नियामक/नियंत्रक एजेंसियों को इस क्षेत्र में भी निगरानी का दायित्व सौंपा जाए।

वित्तीय शिक्षा- प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार

हमारे मौलिक अधिकार की भांति ही वित्तीय जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आज अनेक संगठन जैसे सेबी, बीमा निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक व वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों को वित्तीय जानकारी देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते हैं समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं लेकिन यह सब शिक्षित एवं वित्त तंत्र से जुड़े ग्राहकों के हितों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। ग्रामीणों, गरीबों, अशिक्षितों को वित्तीय शिक्षा व बैंकिंग लेन-देन सिखाने के लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा ऐसे कार्यक्रम नियमित आधार पर चलाए जाने चाहिए। अतः वित्तीय शिक्षा देने हेतु भी कानूनी प्रावधान किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः प्रत्येक संस्था के लिए यह अनिवार्य हो कि वह ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें।

वित्तीय समावेशन एवं भाषा संबंधी कानूनी प्रावधान

वित्तीय समावेशन के भाषा संबंधी पहलू का जायजा लेना भी नितांत जरूरी है। इनमें सबसे प्रमुख है भाषा संबधी कानूनी प्रावधान। वित्तीय समावेशन में हम जिन लोगों को शामिल करना चाहते हैं वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे वर्ग से तो होंगे नहीं। वे तो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही लेनदेन करना चाहेंगे। इसलिए यह आरंभ में कानूनी प्रावधान द्वारा ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन से संबंधित समस्त क्रियाकलाप व पत्राचार आदि द्विभाषी होगा और ये दो भाषाएं होंगी हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा!! अतः यदि वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम व जानकारियां हम अंग्रेजी में देंगे तो यह कार्यक्रम कैसे सफल होगा? अतः वित्तीय समावेशन से संबंधित अधिनियमों व नियमों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि वित्तीय समावेशन से संबंधित सभी शिक्षण/प्रशिक्षण, लेनदेन, पत्राचार, प्रचार, प्रसार सभी हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा में हों। यह तब ही संभव है जब हम वित्तीय समावेशन में भाषा संबंधी कानूनी प्रावधानों का कठोरता से पालन करें। इस संबंध में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित (1987) के प्रावधानों में उपधाराएं व उप नियम जोड़ कर इस व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़त को देखते हुए भारत की संसद ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000** पारित किया था। इस अधिनियम के पारित हो जाने के उपरांत बैंकिंग संबंधी वर्तमान अधिनियमों की संगत धाराओं में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

वित्तीय समावेशन संकल्पना का कार्यान्वयन होने से एक अन्य प्रश्न उठता है कि क्या वित्तीय समावेशन से जुड़ी समस्त प्रौद्योगिकी में भी दोनों भाषाओं का विकल्प दिया जाए? यद्यपि कुछ बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो बायोमैट्रिक एटीएम लगाए हैं उनमें तीन भाषाओं का विकल्प मौजूद है। यह खुशी की बात है कि बैंकिंग जगत ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप भाषा का विकल्प यथासंभव उपलब्ध करवा रहा है परंतु इसे भी संगत विधि (कानून/आदेश) द्वारा सुस्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि भाषा की जानकारी न होने संबंधी भावी दावों व मुकद्दमों से बचा जा सके।

वित्तीय समावेशन जैसी कल्याणकारी राष्ट्रीय मुहिम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधायन होना चाहिए व संगत कानून बना कर इस मुहिम को गति प्रदान की जानी चाहिए। यह प्रत्येक बैंकर का दायित्व होना चाहिए कि वित्तीय समावेशन के पीछे जो कल्याणकारी उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति में सरकार को पूरा सहयोग दें तथा सरकार का यह दायित्व है कि वह वित्तीय समावेशन की विस्तृत नीति बना कर इस कल्याणकारी कार्य को गति प्रदान करें।

वित्तीय समावेशन - एक परिचयात्मक दृष्टिकोण

● अंशुप्रिया अग्रवाल
पंजाब नैशनल बैंक, रांची

वित्तीय समावेशन क्यों?

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाकर हमने अपने आर्थिक क्षितिज को सतत् विकसित किया है। विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात के आंकड़े, विदेशी निवेशक सभी मिलकर भारत की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। पर विचारणीय है कि देश का एक बड़ा वर्ग इन परिवर्तनों एवं विकास के लाभों से वंचित है। देश की आबादी का लगभग 70% अभी भी गांव में निवास करता है। अभी भी भारतीय जनसंख्या का काफी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे विपन्नता में जीवन यापन कर रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी बैंकिंग सेवाएं केवल समाज के कुछ वर्गों तक सीमित रही।

किसी भी स्तर पर विकास की प्रक्रिया वित्त एवं वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से शुरू होती है। समाज के निचले, गरीब, दलित तथा पिछड़े वर्ग का संपूर्ण वित्तीय जुड़ाव आज एक बहुत सामयिक, सारवान और प्रभावपूर्ण लोकतांत्रिक तकाज़ा है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच इतनी कम है कि मोटे तौर पर बैंकों में जमा राशि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 60% है जबकि चीन में यह 190% तथा जापान में 142% है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के बावजूद भारत में आर्थिक विषमताएं लगातार बढ़ रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और भी गरीब। अतएव जरूरी है कि बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन की तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जाए।

वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर एवं गरीब वर्गों को वहन करने योग्य लागतों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहाँ वित्तीय योजनाओं/सेवाओं से हमारा आशय न केवल बैंक से मिलने वाले ऋण है, अपितु आर्थिक प्रणाली द्वारा प्रदत्त सभी वित्तीय सेवाओं की सुलभता से है। बैंकिंग सेवाओं का भारत की गरीब जनता में समावेश, बैंकिंग सुविधाओं को न्यूनतम लागत पर अन्त्योदय के रूप में समाज के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है। न्यूनतम लागत को बैंकिंग भाषा में 'नो फ्रिल' खाता कह सकते हैं। वर्तमान में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य का किसी भी बैंक में खाता खुलवाया जाए परंतु अंतोगत्वा यह भी अनिवार्य होगा कि हर परिवार के प्रत्येक सदस्य का बैंक से जुड़ाव अवश्य हो।

> किसी समाज में यदि सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की अबाधित पहुंच नहीं है तो इसे पूरी तरह मुक्त और सक्षम समाज नहीं कहा जा सकता। बैंकिंग सेवाएं भी सार्वजनिक प्रकृति की है, बगैर किसी भेदभाव के इनको सभी वर्गों तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है।

वास्तव में किसी भी समाज या देश के आर्थिक विकास के लिए बैंक का जन-जन तक पहुंचना अत्यंत अनिवार्य है और यही है वित्तीय समावेशन।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य

किसी समाज में यदि सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की अबाधित पहुंच नहीं है तो इसे पूरी तरह मुक्त और सक्षम समाज नहीं कहा जा सकता। बैंकिंग सेवाएं भी सार्वजनिक प्रकृति की है, बगैर किसी भेदभाव के इनको सभी वर्गों तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 100 वयस्क जनसंख्या के पीछे बैंक खातों की संख्या लगभग 59 है जबकि ब्रिटेन में ये संख्या 90 है। 69% भारतीय आबादी जो अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है उन्हें अल्प एवं वहनीय लागत पर विशाल वर्ग तक पहुंचाना इसकी

सार्थकता है।

वित्तीय समावेशन से जुड़े अन्य पहलू

(क) लघु वित्त (लघु ऋण)

लघु वित्त, लघु ऋण या व्यष्टि ऋण एक ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो आमतौर पर निम्न आय वाले लोगों, विशेषकर निर्धन और अतिनिर्धन लोगों और उन लोगों को जिनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, वित्तीय सेवा प्रदान करती है।

1997 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित व्यष्टि ऋण सम्मेलन के घोषणा पत्र में व्यष्टि ऋण कार्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- *'आय सृजित करने वाली स्वरोज़गार परियोजनाओं के लिए गरीब लोगों को छोटे ऋण देना ताकि वे अपना और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें।'*

भारत में स्वयंसेवी संगठनों ने यह साबित कर दिखाया है कि लघु वित्त को गरीबी हटाने के लिए, शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक शक्तिशाली औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

लघु वित्त की गरीबी उन्मूलन में अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी वर्ष 2005 को अंतर्राष्ट्रीय लघु वित्त वर्ष के रूप में घोषित किया था।

लघु वित्त को वित्तीय समावेशन का एक निहायत कारगर जरिया माना गया है। लघु वित्त का महत्व इस तथ्य में निहित है कि गरीबों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें छोटी राशि की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सकें, साहूकारों के ऋण चुंगल से बच सकें एवं अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर को उन्नत बना सकें।

(ख) लघु बीमा (माइक्रोइंश्योरेंस)

वित्तीय समावेशन की एक और कड़ी के रूप में लघु बीमा की पद्धति विकसित की गई है। विविध वित्तीय उत्पादों, यथा मौसम से जुड़ी फसलों को होने वाली हानि संबंधी बीमा, प्राकृतिक आपदाओं, शारीरिक बीमारियों एवं दुर्घटनाओं से उत्पन्न विपत्ति का सामना करने हेतु गरीब लोगों के लिए लघु बीमा एक सशक्त सहारा है। लघु बीमा में प्रीमियम अत्यंत कम रखा जाता है, ताकि व्यापकता बढ़ाकर लागत को घटाया जा सके।

नोबल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2006 का नोबल पुरस्कार बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं लघु वित्त के जनक श्री मोहम्मद यूनुस को प्रदान कर वित्तीय समावेशन की महत्ता को स्वीकारा है। उन्होंने 1970 से ही लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी जिसके तहत गरीबों विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इसके नतीजे इतने सफल हुए और उनकी सफलता इस हद तक कामयाब रही की आज लघु वित्त एवं वित्तीय समावेशी आंदोलन विश्व की 7 हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है जिससे लगभग 1 करोड़ 6लाख लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है।

वित्तीय समावेशन कैसे हो?

वित्तीय समावेशन का विस्तार दो तरीके से किया जा सकता है:-

क) सरकार द्वारा वैधानिक रूप से कानून बना कर लागू करना।

ख) बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से विभिन्न योजनाएं बनाकर अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ना।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा गया है कि जो देश जितना विकसित है उसमें उतना ही अधिक वहाँ के साधारण आदमी व कम आय वाले लोगों को सुविधाएं व शक्तियां प्रदान करने पर जोर दिया जाता है यथा-

- अमेरिका में कम्यूनिटी रिइनवेस्टमेंट एक्ट नाम से सिविल राईटस् कानून बनाया गया है। यह कानून वहाँ के बैंकों को कम आय वाले लोगों को उनकी ऋण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बाध्य करता है। हावर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर यह नियम बैंक व सर्वसाधारण लोगों, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क बैंकिंग डिपार्टमेंट ने

लोगों को न्यूनतम लागत पर बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए एक बैंकिंग अधिनियम बनाया है जिसमें सभी बैंकों को मूल बैंकिंग खाता (बेसिक बैंकिंग एकाउंट) खोलना अनिवार्य किया गया है।

- फ्रांस में बैंक में खाता खोलना वहाँ के नागरिकों का वैधानिक अधिकार है।
- इंग्लैंड में वित्तीय समावेशन के लिए गठित टास्क फोर्स ने तीन प्रकार की प्राथकिताएं बनाई है।

(i) लोगों की बैंकों तक पहुंच बनाना

(ii) लोगों को आसान ऋण उपलब्ध कराना

(iii) लोगों को मुफ्त वित्तीय सलाह उपलब्ध कराना

इतना ही नहीं वित्तीय समावेशन कोष का गठन किया गया है तथा क्रेडिट यूनियनों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। बैंकों में नो-फ्रिल्स खाते खोले जा रहे हैं। जो बैंक में खाता नहीं खोल पा रहे या जो बैंक खाता नहीं खोलना चाहते उनके लिए डाकघरों में खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। कम आय वाले लोगों के लिए सेविंग गेटवे बनाया गया है जिसमें इन लोगों को एक पौंड खर्च करने पर एक पौंड सरकार द्वारा एवं अधिकतम 25 पौंड प्रतिमाह दिए जाते हैं।

भारतीय परिदृश्य

कैसे हो शत-प्रतिशत वित्तीय जुड़ाव (कुछ पहल-कुछ उपाय)

क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 की अपनी वार्षिक आर्थिक नीति में समाज के निम्न वर्ग के लोगों को बैंक से जोड़ने हेतु खाता खोलने के नियमों में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों में काफी ढ़ील दी है। सभी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि शून्य या बहुत ही कम राशि से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के बचत खाते खोले जाएं और इन खातों पर किसी भी तरह का न्यूनतम शेष न रखने पर किसी प्रकार का शुल्क न वसूला जाए।

ख) समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग की सहायता हेतु बहुत ही आसान शर्तों पर सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना किसी सहायक प्रतिभूति के चक्रीय ऋण देने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा इसमें कोई संशय नहीं है। यह कार्ड ऋण एवं बचत राशि दोनों के लिए होगा, प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए यह एक व्यावहारिक उपाय है।

ग) नाबार्ड द्वारा भी शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन आंदोलन की सफलता हेतु स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक सहायता समूह गठित करने एवं बैंक से जोड़ने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

घ) उन्नत प्रौद्योगिकी की पहुंच ग्रामीण इलाकों में सुनिश्चित की जा रही है। बायोमेट्रिक एटीएम, मोबाइल बैंकिंग इकाइयों, ब्रांच - ऑन व्हील्स पर एटीएम की स्थापना जिसके तहत विभिन्न गांवों में जाकर जमा संग्रहण, पैसा निकासी का कार्य किया जा रहा है। पिन नंबर की जगह अंगुली के निशान से सत्यापन, ध्वनि द्वारा निर्देशित कमांडस् (आदेश) एवं एनीमेटेड स्क्रींस द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है ताकि निरक्षर लोग भी बैंकिंग का लाभ उठा सकें।

ङ) बैंकों की सहायता से18,000 किसान क्लबों की स्थापना की गई है ताकि प्रौद्योगिकी, फसल बीमा तथा बैंकिंग की मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सके।

च) कृषक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना द्वारा ग्रामीणों को खेती संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का निवारण, बैंक की ऋण योजनाओं की जानकारी तथा लघु वित्त जैसी गतिविधियों द्वारा उन्हें बैंकिंग मुहिम से जोड़ने का प्रयास करना।

छ) बैंकिंग प्रणाली की सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए डाकघर जैसी एजेंसियों की सेवाएं लेना। महाराष्ट्र में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ कर दिया गया है।

ज) सरकारी मशीनरी के सहयोग से वित्तीय शिक्षण, जागरूकता

अभियान, स्वयं सहायता समूहों के साथ गठबंधन, ग्रामीण विपणन संस्थानों के साथ गठबंधन कर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों हेतु नवीनतम उत्पादों का सृजन करना तथा इनके बारे में जनता को शिक्षित कर उन्हें सुविधाएं पहुंचाना वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं दायित्व पूरा कर सकेगी।

झ) किसी भी बैंक की नई शाखा खोलने के लिए अनुमोदन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक से मिलता है जिसमें शर्त होती है कि ऐसी शाखाओं में कम से कम आधी शाखाएं रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए गए बैंकिंग सुविधायुक्त क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए।

ञ) कृषि और लघु उद्योगों की ओर ऋण प्रवाह में कमी की समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन किया है। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, लघु उद्योग जैसे रोज़गार की अति गहनता वाले क्षेत्रों, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋण और कम लागत के आवास ऋण को शामिल किया गया है।

क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के बिना ग्रामीण जनमानस में विश्वास नहीं जगाया जा सकता। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जब तक बैंकर उनके परिवेश का हिस्सा नहीं बनते, उनकी समस्याओं में रूचि नहीं लेते, उनकी संवेदनाओं को नहीं समझते तब तक उन्हें सुदृढ़ ग्राहक नहीं बना सकते।

ट) लघु वित्त संस्थाओं की और अधिक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने लघु वित्त विकास कोष की 100 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया और उस फंड का नाम बदलकर 'लघु वित्त डेवलपेंट एवं इक्विटी फंड' कर दिया जिसका प्रबंधन नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों तथा लघु वित्त प्रणाली का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कुछ अन्य प्रतिनिधियों को दिया गया। लघु वित्त गतिविधियों में संलग्न गैरसरकारी संगठनों को संसाधन जुटाने के अतिरिक्त माध्यम के रूप में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनुमत अंतिम उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख अमरीकी डालर तक का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकने की अनुमति है।

ठ) नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम ने उसे भारत में व्यष्टि वित्त का विश्व नेता बना दिया है। विश्व के व्यष्टि बाजार में हमारे देश का अंश 15% के लगभग है।

ड) वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा फरवरी 2007 में प्रस्तुत बजट में विकास एवं संवर्धन लागत हेतु नाबार्ड के पास वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि सृजित करने की घोषणा की गई थी जिसमें प्रत्येक निधि हेतु प्रारंभिक अंशदान 500 करोड़ रुपये रखा गया।

ढ) सरकार ने लघुवित्त की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2007 में लघु वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनियम) बिल को संसद में पेश किया।

अतएव ये विदित है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए बैंकों को विशिष्ट नीतियां बनानी होगी। प्रौद्योगिकी के विवेक सम्मत प्रयोग के साथ-साथ हर प्रकार की मुद्रित सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाए। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के बिना ग्रामीण जनमानस में विश्वास नहीं जगाया जा सकता। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जब तक बैंकर उनके परिवेश का हिस्सा नहीं बनते, उनकी समस्याओं में रूचि नहीं लेते, उनकी संवेदनाओं को नहीं समझते तब तक उन्हें सुदृढ़ ग्राहक नहीं बना सकते। क्षेत्रीय भाषा की इस अहम भूमिका को नकारा नही जा सकता क्योंकि ग्रामीणों को उन्हीं की भाषा में यह समझाया जा सकता है कि बैंकों की योजनाएं उनकी सुविधा एवं सुखद भविष्य के लिए है।

वित्तीय समावेशन हेतु योजनाएं

क) व्यवसाय सुलभकर्ता (फेसिलिटेटर) मॉडल

बैंकों को चाहिए कि गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, लघु वित्त संस्थानों आदि मध्यवर्ती संस्थाओं की सेवाएं लेते हुए वित्तीय पहलुओं का समावेश विस्तार किया जाए। व्यवसाय सरलीकरण मॉडल के रूप में बैंक किसान

क्लबों, कोऑपरेटिव, डाकघरों, बीमा एजेंटों, ज्ञान केंद्रों, कृषि-केंद्रों, पंचायतों आदि की सेवाएं बैंक अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं।

ख) व्यवसाय संपर्की मॉडल

सोसायटी ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों/ म्युचुअल फंड इंडस्ट्री या पंजीकृत नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल सोसायटी जो जनता की जमा पूंजी स्वीकार नहीं करते परंतु डाकघर आदि व्यवसाय संपर्की मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं, उनको बैंकों के द्वारा जोड़कर वित्तीय समावेश प्राप्त करे। इस मॉडल के अंतर्गत लघुवित्त संस्थाएं बैंक की ओर से या बैंक की प्रतिनिधि के रूप में गरीबों से बचत की राशियां एकत्र कर सकती हैं।

> वित्तीय वंचन का प्रमुख कारण ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों को बैंकिंग और बैंकों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी न होना है। वित्तीय साक्षरता का अभाव है जिससे बैंकिंग, बचत तथा सही जगह से ऋण लेने की समझ विकसित नहीं हो पाई है।

ग) शिकायत निवारण कक्ष

उपरोक्त दोनों मॉडलों के विरूद्ध शिकायतों को निपटाने के लिए बैंक में आंतरिक रूप से शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाए ताकि शिकायत निपटान प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

घ) स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क मॉडल

इसके अंतर्गत बचत को प्राथमिकता दी जाती है जिसके अनुसार किसी भी समूह के अंतर्गत अपने ही द्वारा सृजित निधि की सहायता से ऋण संबंधी अनुशासन सीखने का अवसर मिलता है। बैंकों द्वारा ऐसे समूहों को ऋण देना लाभप्रद कारोबार समझा गया है क्योंकि ये समूह किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने से पहले ही अपनी बड़ी निधि तैयार कर चुके होते हैं।

ङ) गैर सरकारी संगठन/लघुवित्त संस्था थोक ऋण मॉडल

इसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन या लघु वित्त संस्था को निधि उपलब्ध कराई जाती है जो बाद में यही निधि ऋण के रूप में अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। सिडबी, फ्रेंडस ऑफ वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग और राष्ट्रीय महिला कोष ने भी इस व्यवस्था को प्रमुखता से अपनाया है।

आर्थिक सुविधाएं-विकास के साध्य और साधन

आर्थिक सुविधाओं का उन अवसरों से संबंध है जिनका वास्ता लोगों द्वारा उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय के लिए आर्थिक संसाधनों की प्रयुक्ति के अधिकारों से है। विकास प्रक्रिया देश की आय और संपत्ति में वृद्धि करती है तो निश्चित रूप से लोगों की आर्थिक अधिकारिताओं के प्रसार में परिलक्षित होती है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि राष्ट्रीय आय तथा संपत्ति और लोगों की आर्थिक अधिकारिताओं के बीच संबंधों के साथ-साथ केवल समग्रवाची ही नही वरन् हरेक व्यक्ति के बीच समग्र के विभाजन-आबंटन के प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण है।

वित्तीय अपवर्जन (वित्तीय वंचन)

वित्तीय समावेशन का विपरीत शब्द है वित्तीय वंचन। वित्तीय वंचन का अर्थ है - कोई बचत खाता न होना, कोई आस्ति न होना, बीमा न कराना, ऋण की लागत वहन करने में असमर्थ होना। अर्थात् बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहना।

वित्तीय वंचन के दुष्परिणाम

क) बैंकिंग सेवाओं की पहुंच नहीं होने से उपेक्षित वर्ग का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं होता। वे गरीबी की चक्रवात में फँसते चले जाते हैं।

ख) अपराध, नक्सलवाद में वृद्धि हुई है।

ग) साहूकारों आदि से बहुत ऊंची लागत पर ऋण मिलने के कारण ऋणग्रस्तता बढ़ती है जिससे एक बड़ा वर्ग शोषित एवं तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर हो जाता है।

घ) बेरोज़गारी में वृद्धि, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने को अभिशप्त हुई जनता देश के सर्वांगीण विकास में कोई योगदान नहीं दे पाती।

वित्तीय वंचन के कारण

वित्तीय वंचन का प्रमुख कारण ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों को बैंकिंग और बैंकों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी न होना है। वित्तीय साक्षरता का अभाव है जिससे बैंकिंग, बचत तथा सही जगह से ऋण लेने की समझ विकसित नहीं हो पाई है। अतएव समाज के कमजोर वर्ग के लोग बचत करने, धन-प्रबंधन, सही उपयोग तथा लाभप्रद आर्थिक कार्य प्राप्त करने में असमर्थ है।

वित्तीय समावेशी आंदोलन इसी हेतु अनिवार्य है, आवश्यक है ताकि वे अपेक्षितों को वित्तीय रूप से साक्षर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं वित्तीय मुख्यधारा के बेहतर प्रयोग के लिए प्रवृत्त कर सके। अतः यह बहुत जरूरी है कि लोगों को वित्तीय रूप से शिक्षित किया जाए। इसे देखते हुए आज विश्व भर में वित्तीय शिक्षण को काफी महत्व दिया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय शिक्षण

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षण हेतु 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' नाम से एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा कर्मचारियों तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित लक्ष्य समूहों को केंद्रीय बैंकिंग तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित जानकारी प्रदान करना है।

वर्तमान में आर्थिक जगत को समाविष्ट विकास संबंधी गतिविधियों को अपनाने से फायदा ही फायदा है। यह एक तरह से सहकारिता का नया, तृणमूल आधारित तथा गैर-नौकरशाहीपूर्ण और फलतः ज्यादा हितैषी या मित्रवत् भागीदारी का आंदोलन है। लाभप्रदता के नए आयाम, विपणन हेतु नवीन बाजार के रूप में वित्तीय समावेशन के द्वारा सफलता के नए आयाम छुए जा सकेंगे।

वित्तीय समावेशी आंदोलन उपेक्षितों एवं वंचितों का भला एवं हमें समग्र राष्ट्रीय विकास में लंबी छलांग लगाने के लिए प्रयासरत कर पाएगा। कर्ज प्रक्रिया से लालफीताशाही हटाकर उसे त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए तब ही प्रोफेसर यूनुस का ये कथन कि वे 2030 तक गरीबी को म्यूजियम में कैद कर देंगे सिद्ध हो सकेगा।

जरूरत के अनुसार विभिन्न उत्पादक तथा सामाजिक सुरक्षादायी मकसदों के रूप में लघु वित्त आदि के जरिए स्वायत्तता, स्वावलंबी और अच्छी गुणवत्ता वाला जीवनस्तर प्राप्त करने में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना ही इस मुहिम की सार्थकता है।

वित्तीय समावेशन के द्वारा वित्तीय शिक्षण हो ताकि वित्तीय क्षेत्र में समावेशीकरण को प्रोत्साहन मिले, वित्त को उत्पादन रोजगार तथा अच्छे पर्यावरण से जोड़कर गरीब किसान, दस्तकार, लघु इकाइयों से जुड़े उपेक्षितों, सेवाप्रदाता आदि को बिना कमीशन, दलाली और समुचित ब्याज तथा अनावश्यक रूप से जूते घिसे बिना उचित शर्तों पर ऋण मिले।

अंत में प्रो. सी.के. प्रहलाद का एक बहु प्रचारित सिद्धांत उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 'विश्व में सबसे उत्तेजक, आकर्षक और सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले बाजार वही होते हैं जहाँ आपको उनकी बिल्कुल आशा नहीं होती, पिरामिड के नीचे'। अतएव भारतीय बैंकों को इससे प्रेरणा लेकर ग्रामीण गरीबों की तरफ प्रतिबद्धता के साथ देखना शुरू करना होगा। गांव वालों को ई-कियोस्क (ई-गुमटियों) और एजेंटों के नेटवर्क के जरिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की तेजी, विस्तार पा रही प्रौद्योगिकी और बदलती मानसिकता का शुक्र है कि बैंकिंग व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। चारों ओर हवा में उत्सुकता और उत्तेजना भरी हुई है। इसका प्रत्यक्ष संकेत रिटेल सेक्टर में तेजी एवं वस्तुओं के निर्माताओं का गांव की ओर रूख करना है।

असंभव कुछ भी नहीं है आवश्यक है प्रतिबद्धता के साथ-साथ मुश्तैदी, गर्मजोशी और संवेदनशीलता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए कदम आगे बढ़ाए जाएं। वह दिन दूर नहीं जब भारत के 6 लाख गांवों में तमाम प्रकार की वित्तीय सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध होंगी।

वित्तीय समावेशन-स्थिति और भावी परिदृश्य

● रवि दिवाकर गिरहे
बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर

हमारे देश के संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन को समझना आवश्यक होगा क्योंकि संतुलित विकास तथा वित्तीय समावेशन दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाने चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों ही वित्तीय समावेशन पर जोर दे रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएं और इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हटकर कदम उठाएं। यह सत्य है कि अभी भी हमारे देश के करीब 65 प्रतिशत लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ नहीं पाये हैं।

> वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशन के जरिये समाज के एक बड़े अलक्षित वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिसका सीधा अर्थ कि हमारे बीच पनपती आर्थिक तथा सामाजिक दूरियां कम करना तथा इस देश का संतुलित आर्थिक व सामाजिक विकास करना है।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा को निम्न रूप से समझा जा सकता है:

☞ जो लोग बैंकिंग सेवाओं के दायरे से बाहर हैं या उनका किसी भी प्रकार का खाता किसी भी बैंक में नहीं है, उन्हें बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

☞ यह देखा गया है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर या फिर सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तथा जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण होता आ रहा है, ऐसे जरूरतमंद लोगों के पास वित्तीय उत्पाद तथा अन्य सेवाएं पहुंचाने हेतु प्रयास करना।

☞ बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद बिना किसी भेदभाव के याने धर्म, जाति, लिंग तथा आर्थिक स्थिति को आधार न बनाते हुए कमजोर वर्गों सहित देश के सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए।

☞ बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध होनी चाहिए जिसे गरीब या कमजोर वर्ग आसानी से वहन कर सके। अगर ऐसी सेवाओं की लागत समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लोग वहन न कर सकें तो वित्तीय समावेशन का वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो जाएगा।

☞ देश के संविधान के अनुसार देश की सार्वजनिक संपत्ति पर सभी का अधिकार है। चूंकि बैंकिंग और भुगतान सेवाएं भी सार्वजनिक संपत्ति का अंग है, अतः यह जरूरी है कि देश की जनता के सभी वर्गों की बैंकिंग और भुगतान सेवाओं तक निर्बाध पहुंच हो, चाहे वह गरीब या कमजोर वर्ग के क्यों न हों।

☞ वित्तीय समावेशन में बैंकों में खाता खोलने, राशि जमा करने तथा ऋण लेने की सुविधाएं शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि अभी भी हमारे देश में वित्तीय रूप से वंचित लोग अधिकांश संख्या में बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं रखते तथा इन लोगों का अभी तक बैंक में किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं है। वर्तमान में देश के करीब 65 प्रतिशत से अधिक लोग बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। ऐसे लोगों को आर्थिक धारा से जोड़ना हमारे लिए एक चुनौती है।

वित्तीय समावेशन- चुनौतियां

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशन के जरिये समाज के एक बड़े अलक्षित वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसका सीधा अर्थ कि हमारे बीच पनपती आर्थिक तथा सामाजिक दूरियां कम करना तथा इस देश

का संतुलित आर्थिक व सामाजिक विकास करना है। वित्तीय समावेशन के इस कार्य में बड़ी चुनौतियां तथा समस्याएं हमारे सामने हैं, जिसे समझे बिना हम इस कार्य को सफल नहीं बना पाएंगे।

वित्तीय वंचन के दुष्परिणाम

समाज के एक बड़े वर्ग को जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा है उसे बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। इस वित्तीय वंचन के विपरीत परिणाम सामने आए हैं- जैसे इस वर्ग के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार न होना, अपराधों में वृद्धि होना, आत्महत्याएं बढ़ना, साहूकारों से ऊंची दरों पर ऋण लेने के कारण ऋणग्रस्तता बढ़ना, शोषण बढ़ना, बेरोज़गारी में वृद्धि, लघु और कुटीर उद्योगों को हानि आदि। निश्चित ही बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के संकुचित दायरे के कारण समाज को, विशेषकर ग्रामीण समाज को, भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन लोगों को यथाशीघ्र बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने का कार्य करना वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से यह कार्य करने की बड़ी चुनौती अब उनके सामने है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चुनौतियां

वित्तीय समावेशन के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र की चुनौतियां बड़ी समस्याएं मानी जा सकती हैं, क्योंकि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसे दूर करने में अत्यधिक कठिनाइयां आती है।

1. कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा मौसम पर आधारित खेती।
2. रोज़गार का अभाव तथा बढ़ती हुई बेरोज़गारी, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी के रूप में हो सकती है।
3. खेती का स्तर केवल जीवन यापन के स्तर तक ही सीमित रहना।
4. बड़ा परिवार, खेती पर अधिक लोगों का निर्भर रहना, बढ़ती आबादी एवं ज़मीन का बंटवारा।
5. उत्तराधिकार कानून का दुरूपयोग।
6. जमींदारी व्यवस्था एवं साहूकारों का प्रभाव।
7. वित्तीय संस्थाओं के ऋण देने के पेचीदा कानून, उधार लेने की समस्या तथा ऋण की अदायगी में कठिनाई।
8. सामाजिक व आर्थिक असमानता, निरक्षरता, बाल विवाह, स्त्रियों का शोषण, गरीबी, भुखमरी, छूताछूत या जाति व्यवस्था के दोष।
9. वैकल्पिक उद्योगों का अभाव।
10. आर्थिक क्षेत्र में फैलता भ्रष्टाचार।
11. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शौचालय समस्या एवं पीने के पानी की समस्या।
12. शिक्षा का विकास न होना व प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध न हो पाना।
13. ग्रामीण रास्तों का विकास न होना।
14. योग्य व सस्ते बीजों तथा खाद का अभाव।
15. बिजली की अपर्याप्तता।
16. आधुनिक तकनीक का अभाव।

सामाजिक तथा आर्थिक विषमता

हमारे देश की विडंबना यही है कि आज भी हमारा देश जाति एवं धर्म के बीच बंटा हुआ है, जिसका सीधा परिणाम हमारे आर्थिक विकास पर पड़ा है। पूंजीपति अधिक संपन्न हो रहा है तथा गरीब अधिक गरीब हो रहा है। सामाजिक अन्याय के कारण आज भी गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार तो हो ही रहे हैं तथा उन्हें प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बनाएं रखना वास्तव में एक चुनौती ही है।

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का अभाव

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कम नहीं हो पा रही है। जिसका विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्था के साथ-साथ गरीबी तथा जीवन यापन के स्तर पर पड़ रहा है। ग्रामीण लोग जब अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे

हैं, तो उन्हें भविष्य की योजनाएं बनाना, बचत करना या वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी से कोई सरोकार नहीं होता।

साहूकारों का प्रभाव कम न होना

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा ग्रामीणों को बहुत ऊंची ब्याज दर पर अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो साहूकारों द्वारा ग्रामीणों का शोषण ही हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी ग्रामीण या किसान साहूकारों से ऋण लेने को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि आज भी कई क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं का अभाव है। जहां पर वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध है, वहां समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता। कई बार बैंकों के जटिल नियम उन्हें ऋण उपलब्ध कराने में बाधा डालते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों की कमी

कृषि क्षेत्र का योग्य विकास न होना, कृषि पर आधारित व्यवस्था तथा समुचित रोज़गार उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। जिसके लिए दोषपूर्ण वित्तपोषण भी जिम्मेदार है। 1990 में निर्माण व सेवा क्षेत्र की विकास दर तो बढ़कर चौगुनी हो गई लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ना तो दूर उल्टे दो प्रतिशत पर आ गई जबकि कृषि पर निर्भर आबादी करीब 45 प्रतिशत से भी अधिक है।

शिक्षा तथा साक्षरता का अभाव

निरक्षर व्यक्ति जब साक्षर होता है तो वह अधिक उत्पादन कर सकता है। 1950 में यू.एन.ओ. ने वैश्विक सामाजिक परिस्थिति पर 75 देशों की जानकारी प्राप्त की थी। इसमें यह देखा गया कि साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आय का निकट संबंध है। जिन देशों में 80% साक्षरता थी वहां पर प्रतिव्यक्ति आय 300 डॉलर थी। जिस देश में साक्षरता 49% या कम थी वहां पर प्रतिव्यक्ति आय 150 डॉलर थी। लेकिन हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अभाव ने निरक्षरता के प्रमाण को बढ़ा दिया है, फिर वित्तीय शिक्षा का क्या कहना। जिसका मुख्य कारण गरीबी, बेरोज़गारी एवं अज्ञान ही कहा जा सकता है। **इन्वेस्ट इंडिया इन्कम्स एन्ड सेविंग्ज सर्वे 2007** के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, वरन् शहरी क्षेत्र की जनता भी वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं है।

दूरदराज के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

भारत में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। घने जंगल, अतिवृष्टि, परिवहन के साधनों का अभाव आदि कारणों से वित्तीय संस्थाओं का इन क्षेत्रों में संपर्क ही संभव नहीं हो पाता। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारी बोलचाल की भाषा भी नहीं समझी जाती। इन स्थानों पर वित्तीय समावेशन चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।

ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं का असफल होना

जिन उद्देश्यों के साथ ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया था, वह सफल नहीं हो पाया है। ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में इन बैंको का असफल होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो रहा है। वित्तीय समावेशन में निश्चित ही इन संस्थाओं का बड़ा योगदान हो सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कमजोर वर्ग के लिए वित्तपोषण में अल्प सहयोग

1969 में निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह उम्मीद की गई थी कि अब बैंक कमजोर वर्ग के लिए वरदान साबित होंगे तथा उन्हें आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा में लेकर आएंगे। लेकिन व्यावसायिकता तथा शहरी बैंकिंग के कारण इन बैंकों ने कमजोर तथा गरीब वर्ग के लोगों को वित्तपोषण देने में विशेष रूचि नहीं दिखाई है। हालांकि वित्तीय समावेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा नई तकनीक के विषय में जानकारी का अभाव

1991 के बाद आए आर्थिक सुधार की आंधी के बाद सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति ने वित्तीय संस्थाओं का चेहरा

ही बदल दिया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ग्रामीण जनता में इस जानकारी का अभाव देखा जा सकता है। देश में बिजली की कमी तथा निरक्षरता से इस तकनीक को समझने में काफी परेशानियां आ रही हैं। योग्य प्रशिक्षण के अभाव में वित्तीय समावेशन के लिए आने वाली दिक्कतें दूर करना आसान नहीं हैं।

वित्तीय समावेशन - कुछ समाधान

बांग्लादेश में नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कथन है कि वे 2030 तक गरीबी को एक म्यूजियम में कैद कर देंगे। वास्तव में प्रोफेसर युनूस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीब व संपत्तिहीन लोगों को ऋण प्रदान कर जो सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति की है उससे हमें सबक लेना होगा। इस ग्रामीण बैंक के 6.91 मिलियन ऋणग्राही है जिसमें 97% महिलाएं हैं। इस बैंक ने 2010 तक समस्त गरीब परिवारों को लघु ऋण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है तथा सभी ग्रामीणों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना भी बनाई जा रही है। इस बात का उल्लेख करना इसलिए जरूरी हो गया है जब हमारे देश में हम वित्तीय समावेशन की समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो इसका समाधान हमें प्रोफेसर यूनुस के सफल प्रयासों से मिल सकता है। न तो हमारे पास विद्वत्ता की कोई कमी है, न ही सामाजिक चेतना की। जिस देश में गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए तथा जिस देश ने अमर्त्य सेन जैसे महान अर्थशास्त्री को जन्म दिया, उस देश में कमजोर तथा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास क्यों नहीं किया जा सकता। वित्तीय समावेशन का प्रश्न केवल आर्थिक ही नहीं सामाजिक भी है। इसलिए हमें इसके समाधान हेतु दोनों पहलूओं पर विचार करना आवश्यक होगा।

वित्तीय समावेशन के लिए आर्थिक पहलुओं पर विचार/ बैंक में खाता खोलने के लिए नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करना

अन्य विकसित देशों में जिस प्रकार बैंकों को सभी नागरिकों के लिए खाते खोलने का कानूनी अधिकार है, उसी प्रकार भारत में भी कानून बनाकर यह अधिकार प्रदान करना चाहिए जिससे कोई भी बैंक बचत या चालू खाता खोलने के लिए इन्कार न कर सके। आंकड़े बयान करते हैं कि देश में प्रति 100 व्यक्ति बैंक जमा खातों की संख्या मात्र 31 और प्रति 100 वयस्क व्यक्ति बैंक जमा खातों की संख्या मात्र 59 है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 लोगों पर मात्र 185 जमा खाते हैं जो यह दर्शाता है कि मात्र 18.5% लोग ही बैंकिंग के दायरे में आते हैं और लगभग 82% लोग बैंक के संपर्क में नहीं हैं।

साहूकारों के चुंगल से बचाने हेतु सहज ऋण सुविधा का प्रावधान

आज की स्थिति में कुल ग्रामीण ऋण का 78 प्रतिशत भाग अनौपचारिक स्रोतों से अर्थात् साहूकारों और महाजनों आदि से लिया जाता है। कुल ऋण में इन स्रोतों का हिस्सा बढ़ ही रहा है। वर्ष 1991 में जहां यह 17.5 प्रतिशत था, वर्ष 2002 में बढ़कर 27 प्रतिशत तक जा पहुंचा था। वित्तीय समावेशन के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र में सहजता से तथा शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। साथ ही उत्पादक ऋणों के साथ ही अनुत्पादक कार्यों के लिए जैसा कि सामाजिक कार्यों आदि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

'नो फ्रिल्स खातों' का व्यापक प्रचार प्रसार करना

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात पर जोर दे रहा है कि बैंकों को नो फ्रिल्स खाते खोलने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कमजोर वर्ग के लोग बैंक में खाते खोलने के लिए आकर्षित होंगे। वित्तीय समावेशन के लिए ये खाते कारगर साबित हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा नई तकनीक को ग्रामीण जनता तक सरलता से उपलब्ध कराना

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग माना जा रहा है। बैंकिंग व्यवसाय में अच्छी एवं शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग सफल माना जा रहा है, साथ ही ग्राहकों के समय की बचत भी संभव हो रही है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस तकनीक का उपयोग शिक्षित तथा शहरी लोगों के लिए ही संभव हो रहा है जो संख्या में कम हैं। वित्तीय समावेशन के प्रयोग में इस तकनीक का उपयोग करने के लिए वंचित लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना होगा तथा इस

तकनीक को अधिक सरल बनाना होगा जो ग्रामीण जनता को आसानी से समझ आ सके। इसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे जो स्थानीय भाषा में तथा हिंदी में जानकारी दे सकें।

स्थानीय या सर्वसम्मत भाषा का प्रयोग

यह ध्यान में रखना होगा कि वित्तीय समावेशन के प्रयोग में हमें वंचित तथा गरीब वर्ग के समूहों को प्रोत्साहित करना है जो निरक्षर हैं या अशिक्षित हैं। इसलिए इनकी बोलचाल की भाषा का या उनमें प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिससे उन्हें वित्तीय संस्थाओं की सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। जहां तक संभव हो क्षेत्रीय भाषा या हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।

लघु वित्त की विशेषताओं का उपयोग

लघु वित्त के अंतर्गत बिना सम्पार्श्विक जमानत के ऋण दिया जाता है। लघु वित्त इकाइयां अपने सदस्यों को बचत और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराती हैं। गरीबों के हित में बैंकिंग करने की तीन पद्धतियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए करना होगा।

1. परंपरागत बैंक ऋण के माध्यम से
2. स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर
3. लघु वित्त संस्थाओं को बैंक ऋण देकर

सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में विभिन्न परंपरागत व्यवसायों की संभावनाएं एवं रोज़गार के अवसर देखते हुए फसल ऋण के अतिरिक्त बैंकों को परंपरागत सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए अच्छी योजनाएं मिल सकेंगी तथा देशी कारोबार के साथ ही निर्यात के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं।

लघुतम, लघु एवं कुटीर उद्योग

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघुतम, लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान परिदृश्य में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को देखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना जरूरी हो गया है, जो वित्तीय समावेशन के लिए कारगर साबित होंगें।

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट तथा एग्री क्लीनिक / एग्रो व्यवसाय का प्रयोग

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट तथा एग्रो क्लिनिक/ एग्री व्यवसाय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे अनेक कृषि उत्पादों को लाभप्रद बनाया जा सकता है तथा रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

ग्रीन हाऊस में वित्तपोषण

ग्रीन हाऊस को प्रोत्साहित कर फल, फूल, मशरूम, टिश्यू कल्चर के लिए वित्त पोषण से बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

आवास ऋण, शिक्षा ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण हेतु वित्तपोषण

बदलते हुए सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्र में आवास एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा वित्तपोषण की योजनाओं से सामाजिक दायित्व भी निभाया जा सकता है जो वित्तीय समावेशन का एक भाग ही माना जाएगा।

परिवहन या यातायात व्यवसाय

कृषि व्यवसाय के विकास में परिवहन व्यवसाय का बड़ा योगदान है। अगर परिवहन के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है तो कृषि क्षेत्र को काफी हानि हो सकती है। योग्य परिवहन व्यवस्था से फसल को उचित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचाने, उद्योगों को कच्चे माल की समय पर सप्लाई, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, वितरण एवं विपणन में सहायता मिलती है। रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना-ले जाना है। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक्स, लॉरी आदि अनेक परिवहन के साधन हैं जिनके वित्तपोषण द्वारा बैंकिंग उद्योग वित्तीय समावेशन में मदद कर सकता है।

वित्तीय साक्षरता

हमारे देश में वित्तीय साक्षरता का प्रमाण बहुत ही कम है। विशेषकर अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं है, या फिर बहुत ही कम जानकारी है। यदि उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया जाए तो वे बैंकों जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं जो उन्हें साहूकारों के चुंगल से मुक्त कर सकता है। वित्तीय साक्षरता से बैंकिंग बचत तथा सही जगह से ऋण प्राप्त करने की समझ समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में आएगी, जो उन्हें लाभप्रद आर्थिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में बैंक बीमा

देश में बीमा कंपनियों ने बैंकों के साथ गठबंधन कर बीमा उत्पाद का विक्रय करना चालू किया है। अगर समाज के कमजोर तथा वंचित वर्ग के लिए बीमा व्यवसाय का उपयोग किया जाता है तो इस क्षेत्र में सुरक्षा की भावना के साथ ही वित्तीय समावेशन के लिए अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। ग्रामीण परिवेश में बीमा व्यवसाय की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं को कारोबार का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र में सभी कार्यों हेतु वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उसके लिए कई साधन उपलब्ध होने के बाद भी ग्रामीण साहूकारों का आतंक बना ही रहता है। इसके निराकरण हेतु बैंकों द्वारा वर्ष 1998 से किसानों को अल्पकालीन कृषि कार्यों तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं जैसे डेरी, मुर्गीपालन तथा नये किस्म के खाद, बीज, कृषि उपकरणों तथा कार्यशील पूंजी हेतु क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया करायी गयी है। यदि बैंक इस योजना को अधिक सरल एवं सुसंगत बनाएं तो मात्र किसानों को ही नहीं, करोड़ों ग्रामीणों को वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध होगी।

स्वॉट (SWOT) विश्लेषण

मजबूती, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती को स्वॉट कहते हैं। बदलते परिवेश में बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कृषि ऋण की मजबूती का ज्ञान हो जिससे वे व्यवसाय में वृद्धि तथा देश के आर्थिक विकास हेतु इसका उपयोग कर सकें। इसके कमजोर पक्षों का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए ताकि कमजोरियों को दूर किया जा सके।

कृषक क्लब कार्यक्रम

बैंकों, शासकीय एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से कृषक क्लब की स्थापना की जाती है, जो बैंकों और किसानों, ग्रामीणों के बीच एक विश्वास की कड़ी बनाते हैं। यह ऐसा कार्यक्रम है जिससे 'साख से विकास' सिद्धांत साकार हो सकता है। कृषक क्लब से बैंकों का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है, जिससे बैंक और कर्जदारों के बीच में अच्छे संबंध बनने में मदद मिलती है।

स्वयं सहायता समूह

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्गों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करने, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद अपनी क्षमता विकसित करने तथा बाद में व्यावसायिक रूप से बैंक ऋण प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता उत्साहित होकर स्वयं एकजुट होकर नियमित रूप से अल्प बचत करने के साथ साथ आपस में छोटे-छोटे ऋण देने लगी। सामाजिक बैंकिंग की इतनी अच्छी मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगी इसलिए वित्तीय समावेशन में इसका सफल प्रयोग होना आवश्यक है।

ग्रामीण विकास में लघु ऋण संस्थाओं की भागीदारी

लघु वित्त के व्यापक उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही हाल के वर्षों में वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 'ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूहों' का बैंक द्वारा साख संबद्धता के जरिये औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचाने में अभिरूचि ली है जो वित्तीय समावेशन का ही एक भाग माना जा सकता है।

संरक्षित वर्ग के ग्राहक समूह के लिए रिटेल विपणन की रणनीति

संरक्षित वर्ग के ग्राहक समूह जिसमें गरीबी रेखा से नीचे

रहने वाले ऋणकर्ता लघु व सीमान्त कृषक, दस्तकार, कृषि मजदूर, कुटीर उद्योग व लघु ऋणकर्ता वर्ग का वित्तपोषण, एक सार्वजनिक नीति के अंतर्गत बैंकों द्वारा किया जाना एक अनिवार्यता है। लघु मात्रा में गरीब वर्ग को ऋण प्रदान करना वित्तीय समावेशन का ही एक भाग है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा आर्थिक विकास

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से देश में 10,000 करोड़ रुपये के नए निवेश होने तथा इनसे 5,00,000 रोज़गार के नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। साथ ही इन क्षेत्रों में विश्व स्तर की उन्नत, बुनियादी संरचनाओं, प्रौद्योगिकी कौशल तथा प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास होगा। इस क्षेत्र के कृषि भूमि के साथ जुड़ा होने के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए वित्तपोषण हेतु बैंकों द्वारा अच्छी योजनाएं बनाई जाती हैं तो वित्तीय समावेशन के लिए यह एक लाभप्रद बात साबित हो सकती है।

कृषि मेलों का आयोजन

वित्तीय समावेशन के प्रयोग हेतु वित्तपोषण के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्रामीण जनता के लिए कृषि मेलों के आयोजन काफी फायदेमंद हो सकते हैं। कृषि मेलों के सफल आयोजन से बैंक की अपनी छवि भी बनती है, गांवों में जागरूकता पैदा होती है तथा ग्रामीणों व बैंकों के बीच बेहतर रिश्ते बनते हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक पहलुओं पर विचार

वित्तीय समावेशन के सफल मंचन के लिए हमें सामाजिक दायित्वों को भी समझना होगा जिसका सीधा परिणाम हमारे वंचित व कमजोर वर्ग पर पड़ता है।

जाति तथा धर्म के भेदभाव को दूर करना

हमारे देश में वर्तमान में फैल रही जाति तथा धर्मविरोधी बातों को दूर करने का कार्य मात्र सरकार का नहीं है। इसके लिए हमें सामाजिक चेतना जगाकर इस भेदभाव को दूर करने का प्रयास करना होगा। वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए यह आवश्यक कदम है।

सामाजिक संगठनों का सक्रिय योगदान

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, कमजोर एवं वित्तीय रूप से वंचित वर्ग को संगठित करने तथा साक्षर बनाने का कार्य स्वयं सेवी तथा सामाजिक संगठनों को करना होगा। वित्तीय समावेशन की सफलता इस पर ही निभर करती है।

भारत जैसे विशाल देश में जहां अपार जनसंख्या के साथ ही विविध भाषा, विविध धर्म तथा विविध जाति के लोग रहते हैं, वहां देश के संतुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना आवश्यक होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हमारे देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनता वित्तीय संस्थाओं से जुड़ नहीं पाई है, जिसमें ज्यादातर लोग गरीब, कमजोर तबके के तथा वित्तीय रूप से वंचित कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग वित्तीय रूप से निरक्षर भी हैं। वित्तीय समावेशन की मुख्य अवधारणा ऐसी है कि सभी लोगों को जो वित्तीय रूप से वंचित रहे हैं, कमजोर तबके के हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना। उन्हें कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराना तथा बिना भेदभाव के जैसे धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति को आधार न बनाते हुए बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना। हमारे देश में अभी भी वयस्क व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से दूर है, इसलिए वयस्कों तथा युवाओं को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य पाने के लिए जिस प्रकार सरकारी स्तर पर प्रयास आवश्यक है उसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ग्रामीण कारीगरों, व्यापारियों, किसानों और छोटा-मोटा काम करने वालों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना किया जा सकता है तथा उन्हें साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बाहर निकाला जा सकेगा। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की अवधारणा को न्याय देना अब सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक का ही कार्य नहीं, यह कार्य अब बैंकर होने के नाते हमारा भी है, साथ ही हमारी शिक्षित जनता का भी है, जो हमारे देश के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। वित्तीय समावेशन में दिख रही चुनौतियां दूर करने के लिए हमें अधिक सशक्त तथा सजग होने की आवश्यकता होगी जो सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति लाने में सहायक हो सकती है।

भारतीय बैंकों के समक्ष चुनौतीः वित्तीय समावेशन

डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
रीडर, वाणिज्य संकाय
साहू जैन कालेज, नजीबाबाद

हमें अपना विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को भी गति प्रदान करनी होगी जिसके लिए सभी वर्गों की बराबर की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि समाज के सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके किन्तु सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक विकास के परिणाम गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसख्या को समान रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों के लोग निरंतर उत्पन्न नयी-नयी समस्याओं को झेलते रहते हैं और विकास का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर निरन्तर प्रगतिशील है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का यही ध्येय रहता है कि समाज का अन्तिम व्यक्ति भी विकास से वंचित न रहे। वैसे हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता में गिरावट आ रही है जिसमें बैंकों का विशेष योगदान रहा है क्योंकि आज निर्धनता दूर करने एवं समाज में समानता लाने के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण कारक है। वंचित और कम आय समूह के उस बड़े भाग को, जो सामान्यतः औपचारिक बैंकिंग माध्यम से बाहर रह जाता है, वहनीय लागत पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन हमारे देश के लिए कोई नयी बात नहीं है क्योंकि यहां पर आज़ादी के बाद से ही बैंकिंग विस्तार का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं नाबार्ड की स्थापना, उदारीकरण एवं निजीकरण के तहत निजी एवं विदेशी बैंकों स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण एवं कस्बों में व्यवसाय एवं शाखा विस्तार, अति पिछड़े क्षेत्रों में शाखायें खोलने की बाध्यता, पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं एवं अति पिछड़े लोगों को ऋण वितरण, शून्य शेष से खाते खोलना आदि वित्तीय समावेशन में शामिल हैं। ऐसे व्यक्तियों, जिनका कोई बचत खाता नहीं है, न ही कोई बीमा कराया है, न उसके पास कोई आस्ति है, बचत करने के स्रोत भी नहीं है साथ ही ऋण की लागत उनकी सहनशक्ति से बाहर है तथा धन प्रेषण की सुविधा तक पहुंच नहीं है, को वहन करने योग्य लागतों पर वित्तीय योजनाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन है। हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं बड़े शहरों में ही विद्यमान है और अधिकांश बैंक लाभप्रदता को ध्यान में रखकर अपना व्यवसाय शहरों में ही बढ़ाते हैं क्योंकि उनकी सोच है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाया तो वहां पर ऋणों के अनर्जक होने की संभावना अधिक है, जबकि हमारी दो तिहाई से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों में जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, उनकी पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं है। उसमें भी कृषि प्रधान परिवारों में जहां शिक्षा का अभाव है, प्रतिशतता और भी अधिक है। देश में अभी भी 31 प्रतिशत लोगों का ही बैंक खाता खुला हुआ है और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज तक भी बैंकिंग सेवाओं से अछूता है।

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं नाबार्ड की स्थापना, उदारीकरण एवं निजीकरण के तहत निजी एवं विदेशी बैंकों स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण एवं कस्बों में व्यवसाय एवं शाखा विस्तार, अति पिछड़े क्षेत्रों में शाखायें खोलने की बाध्यता, पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं एवं अति पिछड़े लोगों को ऋण वितरण, शून्य शेष से खाते खोलना आदि वित्तीय समावेशन में शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन एवं भारत की स्थिति

सरकार भारतीय बैंकों पर वित्तीय समावेशन संबंधी चाहे जितना दबाव बनाये और बैंक चाहें जैसे आंकड़ें एवं दावे प्रस्तुत

करें किन्तु सत्यता यह है कि आज भी गरीब एवं पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उसे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों के चंगुल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बैंक अपनी लागत का विश्लेषण कर, छोटे एवं मझौले किसानों को ऋण प्रदान ही नहीं करते या फिर अनपढ़ किसान एवं अन्य ग्राहक धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक से संपर्क ही नहीं करते। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखावार स्थिति निम्न प्रकार है:-

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंक समूहवार वितरण (प्रतिशत रूप में) वर्ष 2007 के अन्त में

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
राष्ट्रीयकृत बैंक	36.4	21.3	21.4	20.9	100
भारतीय स्टेट बैंक समूह	36.5	29.6	18.2	15.6	100
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	18.6	32.8	28.1	20.6	100
निजी क्षेत्र के नये बैंक	5.2	22.2	33.0	39.6	100
विदेशी बैंक	--	--	16.1	63.2	100

बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय विवरण

क्षेत्र	वर्ष-2006	वर्ष-2007
उत्तरी क्षेत्र	16.8	16.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2.8	2.7
पूर्वी क्षेत्र	17.4	17.2
मध्यवर्ती क्षेत्र	20.0	19.9
पश्चिमी क्षेत्र	15.4	15.5
दक्षिणी क्षेत्र	27.7	27.8
कुल	100	100

बैंकों की शाखा विस्तार के संबंध में उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत एवं भारतीय स्टेट बैंक समूह द्वारा निभाई गयी है जबकि ग्रामीण आबादी 73 प्रतिशत है और शाखा विस्तार मात्र 36.4 और 36.5 प्रतिशत है। इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की अभी भी अपार सम्भावनाएं हैं। राष्ट्रीयकरण के समय जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं 8187 थी वहीं वर्ष 2006 के अन्त में 69081 तथा जून 2007 के अन्त में बढ़कर 71781 हो गयी हैं जिसमें 30633 ग्रामीण शाखाएं, 16310 अर्द्धशहरी शाखाएं तथा 24838 शहरी एवं महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण शाखाओं की संख्या पिछले वर्ष 43.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2006-07 के दौरान 42.7 प्रतिशत रह गयी। यदि क्षेत्रवार बैंक शाखाओं का वितरण देखें तो उसमें भी काफी असंतुलन देखने को मिलता है। बैंकों ने सर्वाधिक शाखा विस्तार दक्षिणी क्षेत्र में किया है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मात्र 2.7 प्रतिशत ही शाखाएं खोली है। जहां वित्तीय समावेशन की सर्वाधिक आवश्यकता है। देश की कार्यशील जनसंख्या में लगभग 41 प्रतिशत लोग निम्न आय वर्ग के अंतर्गत हैं जो मजदूरी पर आधारित है। अतः ये लोग बीमारी, खेती के कार्यों, सामाजिक दायित्वों, मकान एवं जमीन खरीदने तथा दैनिक उपयोग के लिए ऋण लेते हैं। दोपहिया वाहन अथवा शिक्षा के लिए ऋण का प्रतिशत तो बहुत कम है लेकिन जब इन्हें विपदा घेर लेती है तो ये अधिकांशतः आज भी साहूकार एवं महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं क्योंकि वहां पर गांवों में बैंकिंग व्यवस्था नहीं है और जहां पर बैंक की शाखाएं खोली भी गयी हैं उनमें ऋण की औपचारिकताएं इतनी विषम एवं जटिल हैं कि वह उन्हें पूरी नहीं कर पाते तथा चक्कर लगाकर थक जाते हैं और अन्त में महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं। वैसे सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा साहूकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और अब सावधि जमा की ब्याज दर से 4 प्रतिशत अधिक तक ही, साहूकारों की ब्याज दर प्रतिबन्धित की गयी है।

वित्तीय समावेशन एवं बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर, ऋण के रूप में प्रदान कर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और देश के

आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। बैंक कम आय वाली जनता की बचत को अधिक लाभ वाले विनियोगों में लगाकर उनको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन में बैंकों को सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना होगा, भले ही शुरूआती दौर में बैंकों को अधिक लाभ न हो किन्तु कुछ समय बाद बैंकों को भरपूर लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यह तो निश्चित है कि बैंक यह कार्य आधारभूत बैंकिंग के सहारे नहीं कर सकते हैं। अतः बैंकों को ऐसी तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अपनानी होगी जिसके सहारे पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रवेश कर कम लागत पर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें। बैंकों को ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग के साथ-साथ शिक्षा, जमा एवं उधार का महत्व, अपने उत्पादों, कृषि में ऋण की उपयोगिता, आदि के बारे में भी जानकारी देनी होगी। बैंकों को दूरस्थ क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं जैसे सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, ब्लॉक, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से सम्पर्क बनाना होगा। अतः बैंकों को चाहिए कि वह वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित करें:-

- बैंकों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण के साथ अन्य उपभोग ऋण भी प्रदान करें ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ने पर बचत एवं मांग में वृद्धि हो और बैंकिंग गतिविधि में सहभागी बन सके।
- बैंकों को चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में शाखा विस्तार के समय ग्रामीण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करें ताकि वित्तीय समावेशन के समय वहां के वातावरण एवं आवश्यकता के अनुरूप लोगों को शामिल किया जा सके और बैंक अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें।
- बैंकों को चाहिए कि लेन देन की लागतों को घटाकर, शुरूआती दौर में तो लागत से भी कम पर, वंचित लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाये और प्रावधान रखे जायें।
- बैंकों को चाहिए कि वित्तीय समावेशन हेतु जिन जिलों अथवा क्षेत्र को चुना जाये वहां सौ प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जाये।
- बैंकों को चाहिए कि शाखा अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ज्ञान प्रबंधन की अवधारणा को अपनाया जाये तथा पूर्व में प्राप्त अनुभवों एवं ज्ञान के आधार पर वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक अपनाया जाये।
- बैंकों को चाहिए कि विशेषज्ञों की सहायता से वित्तीय समावेशन के उन्नत मॉडल विकसित करें ताकि कम लागत पर लोगों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें।
- बैंकों को चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक उन्नति हेतु औद्योगिक इकाईयों को ऋण प्रदान कर उनको प्रोत्साहित करें ताकि उसमें कार्यरत कर्मी बैंकिंग सुविधाओं से स्वतः ही जुड़ जायेंगे।
- बैंकों को चाहिए कि ऋण प्रबंधन एवं वसूली निष्पादकता की जोखिमों को ध्यान में रखकर कृषि एवं अन्य उत्पादकता वाले क्षेत्रों को यदि ऋण प्रदत्त किये जाये तो कुछ समय पश्चात ये ऋण खाते स्वतः ही जमाखातों में परिवर्तित हो जायेंगे।
- बैंकों को चाहिए कि सरकार द्वारा गरीब एवं निर्धन वर्ग को छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं उसका माध्यम बैंक में खाते खोलकर ही है तो ऐसे खाते प्राथमिकता के आधार पर शून्य शेष के साथ भी खोले जा सकते हैं। अतः स्कूलों, मण्डियों, एवं ब्लॉक व तहसील आदि से सम्पर्क रखना चाहिए।
- बैंकों को चाहिए कि वे जहां सम्भावनाएं हैं, और मध्यस्थ नहीं हैं वहां ग्राहकों से सीधे सम्पर्क कर बैंक सेवाएं प्रदान करें।
- बैंकों को चाहिए कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं के साथ कुछ अन्य गतिविधियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे-कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंकिंग कार्यक्रम से संबंधित पंचायतें, कृषि क्लब, छोटे स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों की स्थापना भी शुरू करें।
- बैंकों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लघु एवं कुटीर

उद्योगों के लिये जैसे डेरी, मुर्गी एवं सुअर पालन, मछली, मधुमक्खी, पशुपालन, दर्जी, नाई, घोबी, कुम्हार, लुहार, छोटे-छोटे परचुनिये आदि के लिए भी लघु वित्तीय योजनाएं बनाकर चलायी जाये और उनको स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाये।

- बैंकों को चाहिए कि अविकसित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जाये और एक अभियान चलाकर लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ा जाये।

वित्तीय समावेशन हेतु बैंकों द्वारा उठाये गये कदम

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 से वित्तीय समावेशन की दिशा में संगठित प्रयास किया गया है और बैंकों को निर्देशित किया है कि वे 'नो फ्रिल्स' खाते ग्राहकों को, जिसमें न्यूनतम या शून्य शेष एवं प्रभार हो, उपलब्ध करायें। अतः बैंकों ने 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने की शुरूआत करते हुए मार्च 2007 के अंत तक ऐसे 60 लाख नये खाते खोले हैं जिसमें अधिकांश सहभागिता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में है। बैंक वित्तीय समावेशन के द्वारा अपने व्यवसाय वृद्धि की सम्भावनाएं तलाश रहे हैं। बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब लोगों को बैंकिंग गतिविधि के दायरे में लाकर वित्त प्रदान किया गया है और बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बैंकों द्वारा बैंक अपराधों को रोकने के लिए ***'अपने ग्राहक को जानिए'*** संबंधी नियम लागू किये हैं किन्तु ***'नो फ्रिल्स'*** खातों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने की बात रखी गयी है ताकि वित्तीय समावेशन आसानी से किया जा सके। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वह ग्रामीण एवं अर्द्ध विकसित शहरों में अपने ग्राहकों को सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करें जिससे आसान तरीके से ऋण खातों पर भी धन आहरित किया जा सके। बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शाखा विस्तार कर यह भी प्रयास किये गए हैं कि गांवों में साहूकार एवं महाजनों से गरीब एवं जरूरतमन्द लोगों को मुक्ति मिल सके और वे बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके जिसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गयी है। बैंकों द्वारा फसल बीमा योजना चलाकर भी गरीब किसानों को बैंकिंग दायरे में लाया गया है तथा चुनिंदा जगहों पर विशेष रूप से कृषि शाखाएं खोली गयी है जो कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को देखती हैं। बैंकों ने मध्यम एवं निम्न स्तर के ग्राहकों को बैंक के साथ जोड़ने के लिए खुदरा बैंकिंग की शुरूआत की है जिसमें अच्छे खासे ग्राहक बैंक के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वित्तीय सुधारों के अंतर्गत बैंक भी आजकल सुपर बाजार की तरह एक छत के नीचे अनेक सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, म्युचुअल फण्ड, आवास ऋण, प्रतिभूति व्यवहार आदि में कारोबार कर रहे हैं, जो वित्तीय समावेशन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

वित्तीय समावेशन की चुनौती का हल

भारतीय बैंकों के समक्ष वित्तीय समावेशन एक चुनौती के रूप में बनकर उभरा है क्योंकि एक तरफ तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग सुधारों के तहत कठोर नियमों एवं मापदण्डों को अपनाने की चुनौती बनी हुई है, दूसरी तरफ सरकार गरीब एवं उपेक्षित वर्गों को और अधिक उपेक्षित नहीं करना चाहती है तथा उनको बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना चाहती है जो कि बैंकों के लिए और भी अधिक जोखिम भरा एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। यद्यपि वित्तीय समावेशन के कार्य में काफी बढ़त दिखायी दे रही है और अधिकांश वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एवं अन्य बैंक भी इस दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं क्योंकि निजी एवं विदेशी क्षेत्र के बैंक इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। इन बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की बाध्यता होने के बावजूद भी इन बैंकों की ग्रामीण शाखाएं नगण्य हैं। अतः वित्तीय समावेशन की अधिकांश जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों के कंधों पर हैं। सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, इन्हीं बैंकों के माध्यम से लागू की जाती हैं, जिससे इन बैंकों की लाभप्रदता भी प्रभावित हो रही है। अतः बैंकों को वित्तीय समावेशन की चुनौती को हल करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगाः-

- सामान्य जनता को बैंक खातों के बारे में एवं उनके लाभों

की जानकारी देना तथा 'नो फ्रिल्स' खाते खोलना।

- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां बैंकिंग का विकास अभी नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में शाखा विस्तार कर ग्रामीण जनता को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकों से जोड़ना एवं इन शाखाओं को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी से लैस करना।
- ग्रामीण एवं अनपढ़ लोगों की खाता खोलने में सहायता करना।
- शाखा विस्तार के साथ-साथ इस बात का भी मूल्यांकन करना कि जो सेवाएं बैंक द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं, वे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों द्वारा अभी तक बैंकिंग सेवा से अछूते ग्राहकों को, विज्ञापन अथवा अन्य तरीकों से सुरक्षा पहलुओं, साहूकारों से मुक्ति, कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता तथा अन्य आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के बारे में, जानकारी दी जा सकती है।
- बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रौढ़ लोगों को बैंकिंग की जानकारी भी दी जाये और इनके 'नो फ्रिल्स' खाते भी खोले जायें।
- सरकार द्वारा ग्रामीणों को भुगतान की सुरक्षा के तहत, पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति और बड़े भुगतान बैंक द्वारा अनिवार्य बनाये जायें, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को खाता खुलवाने का वैधानिक अधिकार भी दिया जाये।
- वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी बैंक जो ग्रामीण जनता के संपर्क में रहते हैं, बेहतर भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि उनकी लागत तुलनात्मक रूप से अन्य बैंकों की अपेक्षा कम आयेगी।
- बैंक, डाक्टर, इंजीनियर, कालेज प्राध्यापक, वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रशासन आदि की भी मदद ले सकते हैं क्योंकि ये सभी जनता के संपर्क में रहते हैं जो गरीब व पिछड़े व्यक्तियों को, जिनका खाता नहीं है, खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा फसल बीमा तथा जनता दुर्घटना बीमा पालिसी को लागू करना।

वित्तीय समावेशन का विचार तो बहुत अच्छा है यदि इसको पूरी नेक-नियति एवं ईमानदारी से लागू किया जाये क्योंकि आज बैंकों का उद्देश्य परिवर्तित होकर लाभप्रदता पर केंद्रित हो गया है। यदि बैंक एवं सरकार वित्तीय समावेशन को लागू करते हैं तो ऐसे सभी वर्गों को लाभ होगा जो अब तक बैंकों की सेवाओं एवं लाभप्रद योजनाओं से अछूते रह गये हैं, साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो जायेगा और वे अपने सभी कार्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे जिनकी उन्हें आशा भी नहीं थी। निजी एवं विदेशी क्षेत्र के बैंकों पर भी यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे भी वित्तीय समावेशन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और देश की गरीब एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें।

31 मार्च 2007 को एसएचजी के प्रति बकाया बैंक ऋण

एजेंसी	एसएचजी की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	प्रति एसएचजी बकाया ऋण(रु)
वाणिज्य बैंक (सरकारी क्षेत्र)	1,810,353	62.5	8,225	66.5	45,435
वाणिज्य बैंक (निजी क्षेत्र)	82,663	2.9	535	4.3	64,719
उपयोग (वाणिज्य बैंक)	**1893,016**	**65.4**	**8,760**	**70.8**	**46,277**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	729,255	25.2	2,802	22.7	38,419
सहकारी बैंक	272,234	9.4	804	6.5	29,546
कुल	**2,894,505**	**100.0**	**12,366**	**100.0**	**42,724**

(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 से साभार)

वित्तीय समावेशन और बैंक लाभप्रदता

विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक
आगरा मुख्य शाखा

नियोजन प्रक्रिया के आरंभिक वर्ष इस सिद्धान्त पर आधारित थे कि विकास का लाभ सभी इलाकों और समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुचें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और समाज का एक बड़ा वर्ग खासकर कमजोर वर्ग विकास चक्र के दायरे से बाहर छूट गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोणपत्र जिसका शीर्षक है 'तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर' में देश की विकास दर वर्ष 2011-12 तक 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दृष्टिकोणपत्र के अनुसार योजना अवधि 2007- 2012 में कृषि क्षेत्र में कमजोरियों को दूर करना उच्च प्राथमिकता होगी। दृष्टिकोणपत्र में 4 प्रतिशत कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जाहिर तौर पर छूटे हुओं को शामिल करने पर विशेष बल दिया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोणपत्र जिसका शीर्षक है 'तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर' में देश की विकास दर वर्ष 2011-12 तक 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दृष्टिकोणपत्र के अनुसार योजना अवधि 2007-2012 में कृषि क्षेत्र में कमजोरियों को दूर करना उच्च प्राथमिकता होगी। दृष्टिकोणपत्र में 4 प्रतिशत कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

यदि किसी समाज में सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की अबाधित पहुंच नहीं है तो इसे पूरी तरह मुक्त एवं सक्षम समाज नहीं कहा जा सकता। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय सेवाओं की वास्तव में जरूरत है, ऐसी सेवाओं से वंचित न रहे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, गरीब लोगों को महाजनों और साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना तथा निचले तबके के लोगों में बचत की आदत डालना था। यह कदम वित्तीय समावेशन की दिशा में ही एक कदम था।

वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी। इसका आशय उन लोगों को वित्तीय सेवाएं (बीमा, म्युच्युअल फंड, पेंशन, बैंकिंग सेवाएं) उपलब्ध कराने से है जिन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली का लाभ नहीं मिल पाता है।

वित्तीय वंचन

सरकार इस बात से चिंतित है कि वित्तीय संस्थाओं के विपुल विस्तार, आधुनिकीकरण तथा स्वामित्व विविधीकरण के बावजूद अतिसंवेदनशील समूहों की एक बहुत बड़ी संख्या आज भी वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं से वंचित है। वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति के अनुसार देश की केवल 31 प्रतिशत जनसंख्या ने बचत खाते खुलवाये हैं। देश की कुल वयस्क आबादी में से 46 प्रतिशत ने ही बैंक खाते खुलवाये हैं। देश की केवल 3 प्रतिशत जनसंख्या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करती है। 5.6 प्रतिशत जनसंख्या एटीएम कार्ड का प्रयोग करती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 59 वें दौर के अनुसार देश के कुल 8.94 करोड़ किसानों में से केवल 26 प्रतिशत किसानों ने ही बैंक ऋण सुविधा का लाभ उठाया है तथा इनमें भी अधिकांश ऋण बड़े किसानों ने लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऋण लेने वाले किसानों में 46 प्रतिशत किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए महाजनों पर निर्भर है।

वित्तीय वंचन का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को या तो बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं है या फिर वो समझते हैं कि वाणिज्यिक बैंक गरीबों का खाता खोलने में आनाकानी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक औपचारिकताओं में बहुत परेशान करते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण लोगों को महाजनों से आसानी से ऋण मिल जाता है। देश की बड़ी जनसंख्या के औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर रहने का एक प्रमुख कारण रहा है आम लोगों को वित्तीय शिक्षा

न मिल पाना अर्थात वित्तीय साक्षरता का अभाव। ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की जनता पर्याप्त तौर पर वित्तीय साक्षर नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह निष्पक्ष, उचित तथा समन्वित तरीके से वित्तीय साक्षरता हेतु लोगों को प्रोत्साहित करे। वित्तीय साक्षरता मिशन की शुरुआत स्कूल स्तर से ही कर देनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु जागरूक बनाती है तथा उन्हें बचत करने की ओर प्रवृत्त करती है तथा विवेकपूर्ण निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करती है। अन्य कारणों में शामिल है खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि का काफी अधिक होना, बैंकिंग सेवाओं की उच्च लागत, 24 घंटे बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता न होना, गरीब किसान संपार्श्विक की प्रतिभूति देने में असमर्थता आदि। इसके अतिरिक्त ग्रामीण आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं बहुत कम संख्या में हैं।

1991 में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्विकीकरण की नीति लागू होने के बाद देश में निर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर में तो आशातीत वृद्धि हुई लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर 2 प्रतिशत रह गई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोज़गारी तथा ग्रामीणों का साहूकारों के चंगुल में फंसना जैसी समस्याएं बढ़ गई अतः यह आवश्यक हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ायी जाए।

वित्तीय समावेशन क्यों?

1991 में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्विकीकरण की नीति लागू होने के बाद देश में निर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर में तो आशातीत वृद्धि हुई लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर 2 प्रतिशत रह गई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोज़गारी तथा ग्रामीणों का साहूकारों के चंगुल में फंसना जैसी समस्याएं बढ़ गई। अतः यह आवश्यक हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ायी जाए। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बैंक के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना। गरीबों को महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना।

वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी

बैंकों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग तथा वैश्विकीकरण ने बैंकिंग को वित्तीय समावेशन से दूर कर दिया है क्योंकि बैंकों में ऐसी प्रथाएं शुरू हो गई है कि बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बस की बात नहीं रही। उदाहरण के लिए बचत खातों तथा चालू खातों में न्यूनतम शेष की अनिवार्यता के चलते गरीब लोग बैंक में खाते खोलना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार खाते में न्यूनतम शेष न रखने पर भारी अर्थदण्ड की व्यवस्था होने से गरीबों पर अनावश्यक आर्थिक भार आ जाता है। खाते में एक निश्चित अवधि तक परिचालन न होने पर बैंक द्वारा वार्षिक सेवा प्रभार लगा देने से गरीबों के खाते में जमा संपूर्ण धनराशि धीरे-धीरे निरंक हो जाती है। इसके अतिरिक्त 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदण्ड थोप देने से बेचारे ग्राहक बैंक की ओर जाने से डरने लगे हैं।

वित्तीय समावेशन हेतु सरकारी प्रयास

कृषि एवं ग्राम्य विकास की दिशा में पहला सरकारी कदम अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति की स्थापना करना था जिसकी सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों तथा 1980 में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और बैंक शाखाओं का विस्तार किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण (खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, कृषि आदि) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इस क्षेत्र को 40 प्रतिशत ऋण प्रदान करने की बाध्यता, नाबार्ड की स्थापना, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना, अग्रणी बैंक योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण आदि अनेक प्रयास किए गये हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना आदि शुरू की गई हैं, जिनके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गरीब लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देशित किया है कि वे एक आधारभूत बैंकिंग वाले 'नो-फ्रिल्स' खाते खोलें जिससे आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच हो। ये नोफ्रिल्स खाते

ऐसे होने चाहिए जिसमें न्यूनतम शेष राशि/ सेवा प्रभार शून्य हो अथवा अत्यन्त कम हो। ऐसे खातों में कोई छिपी लागत नहीं होनी चाहिए। ऐसे खातों में लेनदेन के स्वरूप और संख्या सीमित की जा सकती है लेकिन यह बात ग्राहक को एकदम साफ-साफ पहले ही बता दी जानी चाहिए। बैंकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे खातों की सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिसमें अपनी वेबसाइट पर भी प्रचार शामिल हो। हाल ही में बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 25000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण बकाया राशि को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराने की दृष्टि से 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि को उन खातों के लिए सरल बनाया है जिनमें शेष 50,000 रुपए से अधिक न हो तथा खाते में कुल जमाराशियां एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक न हों। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में कोई प्रलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो भी बैंक ऐसा खाता खोल सकता है बशर्ते उस खाते का परिचयकर्ता ऐसा व्यक्ति हो जिसने 'अपने ग्राहक को जानिए' की पूरी क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित शर्तें पूरी की हैं। परिचयकर्ता का खाता बैंक में कम से कम 6 माह से संतोषप्रद ढंग से परिचालित होना चाहिए। खाता खोलने का प्रस्ताव करने वाले ग्राहक का फोटोग्राफ तथा घर का पता परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा खाता खोलते समय ग्राहक को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि यदि किसी भी समय बैंक उसके सभी खातों की (कुल मिलाकर) शेष राशि 50,000 रुपए से अधिक हो जाती है या खाते में साल भर में कुल जमाराशियां 1,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है तो आगे किसी भी प्रकार की लेनदेन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती। जब शेष राशि 40,000 रुपए तक पहुंच जाए या साल भर में जमा 80,000 रुपए तक हो जाए, तब बैंक अपने ग्राहक को यह सूचित करेगा कि वह उपर्युक्त प्रलेख प्रस्तुत करें अन्यथा खाते में परिचालन रोक दिए जाएंगे।

एस.के.कालिया समिति (गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों पर कार्यदल) की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋणों को कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण के अंतर्गत शामिल करें। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण का प्रवाह तेज़ करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष प्रयास किए हैं। वी.एस.व्यास समिति (कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों को ऋण प्रवाह पर सलाहकारी समिति) की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किये हैं कि ऐसी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार न करें जो विनियामक ढांचे का अनुपालन न करती हों। सूक्ष्म वित्तीयन के क्षेत्र से संलग्न गैर-सरकारी संगठन एक वर्ष में 50 लाख रुपये तक की धनराशि बाह्य वाणिज्यिक उधारों के जरिये जुटा सकते हैं। खान समिति (सूक्ष्म वित्त पर आंतरिक दल) की संस्तुतियों के आधार पर अधिक वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देशित किया है कि वे व्यवसाय सुविधादाता (बिज़नेस फेसिलिटेटर) तथा व्यवसाय संवाहक (बिज़नेस करस्पोंडेट) के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की सेवाएं मध्यस्थ एजेंसी के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। सूक्ष्म वित्त पर कामेसम समिति की संस्तुतियों के आधार पर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विकास हेतु अलग से कानून बनाया गया है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नियमन और पर्यवेक्षण का दायित्व नाबार्ड को सौंपा गया है। जिन उधारकर्ताओं के ऋण खाते में मूल धनराशि 25000/- रुपए से कम है उनके लिए एकसमयी निपटान योजना लायी गयी है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं में सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं। योजना का उद्देश्य बैंकों के ग्राहकों को प्रतिभूति, प्रयोजन या ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर न देते हुए नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर बाधारहित ऋण उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गयी है। इसमें शामिल किए गए किसानों की संख्या की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत जितने किसानों को बीमा आवरण प्राप्त है उनमें से 85 प्रतिशत ऋणी हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करें। ऐसे ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को अल्पावधि ऋणों के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2.5 प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों को 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वाई. वी. रेड्डी समिति की संस्तुतियों के आधार पर बैंकों से कहा गया है कि वे वित्तीय समावेशन हेतु अपने स्टाफ को अभिप्रेरित करें। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गयी है। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के उपाय सुझाने हेतु एस. सी. गुप्ता समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना शुरू की गयी है। 1170 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 80 प्रतिशत निवेश विश्व बैंक करेगा। इस परियोजना को सार्वजनिक संगठन, किसानों के समूहों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूरा किया जाना है।

वित्तीय समावेशन के विस्तार हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से वैद्यराजन समिति का गठन किया गया है। देश के लगभग 50,000 गांवों में बायोमैट्रिक कार्डों के उपयोग की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए आई.डी.आर.बी.टी. ने एक पायलट योजना बनायी है। लेनदेन लागत उच्च होने के कारण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से कतराते थे। अब बैंक यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। बैंकों को एजेंसी बैंकिंग की तर्ज पर बैंकिंग करसपोंडेंट के जरिये वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एटीएम स्थापित करने तथा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ एटीएम कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी व्यवसाय करने हेतु अधिकृत बैंकों के एजेंट के रूप में पेंशन/सरकारी व्यवसाय कर सकते हैं। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 लायी गयी है। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जो गरीबी और प्राकृतिक विपदा के सताए हुए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे स्वयं सहायता सदस्यों की सभी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें। स्वयं सहायता समूहों में प्रबंध कौशल विकसित करने हेतु नाबार्ड ने सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मार्च 2008 तक 674 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके थे जिनमें 17671 सहभागियों ने हिस्सा लिया। नाबार्ड ने डाकघरों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की एक प्रायोगिक योजना शुरू की है।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका

1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय बैंक शाखाओं की संख्या 8321 थी जो अब बढ़कर 69500 हो गई है। बैंक कारोबार की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां तथा कुल अग्रिम बढ़कर क्रमशः 3354888 करोड़ रुपए तथा 2642109 करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंक समाज के कमजोर एवं पिछडे वर्गों को न्यून ब्याज दरों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। वाणिज्यिक बैंक 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋण मात्र 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर प्रदान कर रहे हैं जिससे वे महाजनों के चंगुल में फंसने से बच सकें तथा देश की कृषि विकास दर बढ़ाने में सहयोगी बनें। बैंक बचतकर्ताओं और निवेश के लिए पूंजी की मांगकर्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं। बैंक जनता की बचतों को प्रोत्साहित करके तथा उन्हें बेहतर निवेश- अवसर में लगाकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बैंक छोटे बचतकर्ताओं से कम लागत वाली निधियां जुटाने के साथ ही अनेक उत्पादों की क्रास सेलिंग भी कर रहे हैं।

बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋणों की मात्रा 1993 में 29 लाख रुपए थी। अब तक बैंकों ने कुल 34 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को 17000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए हैं। वर्ष 2006 में बैंकों द्वारा खोले गए नोफ्रिल्स खातों की संख्या 5 लाख थी जो अब बढ़कर 150 लाख से अधिक हो गई है। इंडियन बैंक ने मुंबई के धारावी (जो एशिया की सबसे बड़ी

झुग्गी बस्ती है) में एटीएम लगाई है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक पायलट योजना बनाई है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों में बैंकिंग आदत विकसित करने हेतु देशभर में 5000 ग्रामीण कियोस्क लगाए जाएंगे। यह योजना उन गांवों के लिए बनायी गई है जहां कोई बैंक शाखा नहीं है। केरल का पालक्कड जिला पूर्ण वित्तीय समावेशन वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस जिले में प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता है। वित्तीय समावेशन के संवर्द्धन हेतु भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण शक्ति नामक एक सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत बैंक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने एक पायलट योजना बनाई है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों में बैंकिंग आदत विकसित करने हेतु देशभर में 5000 ग्रामीण कियोस्क लगाए जाएंगे। यह योजना उन गांवों के लिए बनायी गई है जहां कोई बैंक शाखा नहीं है। केरल का पालक्कड जिला पूर्ण वित्तीय समावेशन वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस जिले में प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता है।

स्वयं सहायता समूह

वित्तीय समावेशन बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीयन है। स्वयं सहायता समूह समरूप ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जिसके सदस्य अपनी छोटी-छोटी बचतों को नियमित रूप से एक सम्मिलित निधि में अंशदान करने तथा सदस्यों की उत्पादक अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमत होते हैं। स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः 10-20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह गरीबों का गरीबों के लिए तथा गरीबों द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है। समूह की कार्यप्रणाली पूर्णतः लोकतांत्रिक होती है। समूह के सदस्यों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने तथा अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। समूह द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने हेतु एक आचार संहिता तैयार की जाती है। समूह द्वारा बचत की जाने वाली धनराशि, इसकी आवधिकता तथा सदस्यों को किन उद्देश्यों हेतु ऋण दिया जा सकता है, इनका निर्धारण समूह द्वारा ही किया जाता है। बचत पर दी जाने वाली ब्याज दर तथा ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण समूह द्वारा ही किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना एक ऐसे लघु बैंक के रूप में की गई है जो अपनी शर्तों पर अपने सदस्यों की बचत और ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस तरह एक ही बार में बैंक और उसके ग्राहक, दोनों के लिए लेनदेन की लागत में काफी कमी आती है। स्वयं सहायता समूह एक लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करता है और सदस्यों को ऐसे मानदंड और व्यवहार अपनाने के अवसर प्रदान करता है जो पारस्परिक आदरभाव पर आधारित होते हैं। स्वयं सहायता समूह एक उद्यमपरक संस्कृति को बढ़ावा देता है जिसमें प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि जहां उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह की सहायता की आवश्यकता है वहीं पर्याप्त उपायों के लिए स्वयं सहायता समूह को भी उसकी आवश्यकता है।

सूक्ष्म वित्त

केंद्र सरकार गरीबों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने पर जोर दे रही है। इन ऋणों को अधिकतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संवितरित किया जाता है। सोच यह है कि इससे महिलाएं छोटे उद्यम कर सकेंगी उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य बैंक अथवा अन्य संस्था की ओर से गरीबों और अत्यधिक गरीबों को उनके छोटे व्यवसायों के विकास के लिए दिए जाने वाले छोटे ऋण से है। सूक्ष्म वित्त लघु ऋण से बृहत अवधारणा है जिसमें लघु ऋण के साथ-साथ वित्तीय सेवाएं (बीमा, पेंशन, आवास ऋण) भी शामिल होती हैं। सूक्ष्म वित्त को वित्तीय समावेशन का एक निहायत कारगर जरिया माना जाता है।

बांग्लादेश, इंडोनेशिया तथा बोलीविया जैसे देशों ने दिखा दिया है कि गरीबों को मांग आधारित वित्तीय सेवाएं प्रदान करके काफी हद तक गरीबी कम की जा सकती है। सूक्ष्म वित्त के बैनर के तहत संगठित संस्थाओं में पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा छोड़ दिए गए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के प्रति एक साझा वचनबद्धता थी। बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. मोहम्मद यूनुस जिन्हें वर्ष 2006 के नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित

किया गया है इस विचार के प्रवर्तक हैं कि गरीबी कम करने में सूक्ष्म वित्त की उल्लेखनीय भूमिका है। मोहम्मद यूनुस ने यह साबित कर दिया है कि यदि अभावग्रस्त लोगों को गम्भीरता के साथ आर्थिक सहयोग करके उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो वे भी अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए खानापूर्ति और कागज़ी कार्रवाई करने के बजाय ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन चलाए जाने चाहिएं। ऐसे आंदोलन बेहद स्थानीय स्तर पर ही चलाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ऋण लेने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। प्रोफेसर यूनुस का कहना है कि सूक्ष्म वित्त से गरीबी दूर की जा सकती है। उनका कहना है कि वे 2030 तक गरीबी को एक म्यूजियम में कैद कर देंगे।

वित्तीय समावेशन और बैंक लाभप्रदता

हमारे देश में जुलाई 1969 से पहले बैंकों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था। अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वे सीमित वर्ग के लोगों को ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते थे। बैंक की शाखाओं का विस्तार पर्याप्त मात्रा में नहीं था। गरीब व कमजोर वर्ग के लोग साहूकार और महाजनों की कृपा पर निर्भर थे।

राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग का आधार विस्तृत हुआ है। भारतीय बैंकिंग में नयी दिशाएं खुली हैं तथा ऋण देने की नीतियों व व्यवहारों में सुधार हुए हैं। भारतीय बैंकों के परम्परागत बैंकिंग व्यवसाय ने एक रचनात्मक रूप ले लिया है। कृषि लघु उद्योग स्वनियोजित व्यक्ति तथा अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के लिए बैंकों द्वारा वित्त व्यवस्था की जा रही है। बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों पर सामाजिक दायित्व का भार डाला गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 40 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र 18 प्रतिशत तथा कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत बैंक ऋण देने की बाध्यता है।

इन सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के अतिरिक्त भारत सरकार ने सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से अनेक विकास व रोज़गार कार्यक्रम लागू किये हैं। विभेदक ब्याज दर योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना आदि के अंतर्गत ऋण प्रदान करना बैंकों का सामाजिक दायित्व है। देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास के लिए बैंकों को जो सामाजिक दायित्व सौंपे गए उन्हें पूरा करने के चक्कर में बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर-अर्थक्षम इकाइयों को भी ऋण प्रदान करने लगे। सरकार द्वारा बार-बार ऋण माफी योजना की घोषणा से ऋणी ऋण चुकाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। इससे बैंकों की लाभप्रदता पर बुरा असर पड़ रहा है।

ऐसा नहीं है कि वित्तीय समावेशन का बैंकों की लाभप्रदता पर सदैव प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की बचत को बैंक जमाराशियों में परिवर्तित करके बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके जहां एक ओर बैंकों की आय में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के ऋणों के गैर-निष्पादक आस्तियों में परिवर्तित होने की संभावना सामान्यतः नगण्य ही होगी।

ऐसा नहीं है कि वित्तीय समावेशन का बैंकों की लाभप्रदता पर सदैव प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की बचत को बैंक जमाराशियों में परिवर्तित करके बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके जहां एक ओर बैंकों की आय में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के ऋणों के गैर-निष्पादक आस्तियों में परिवर्तित होने की संभावना सामान्यतः नगण्य ही होगी। इस प्रकार के ऋणों की वसूली का स्तर भी अच्छा होता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों को एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर लेनदेन लागत कम की जा सकती है। इससे बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीयकरण से पहले भी बैंकों का लक्ष्य अधिकाधिक लाभ कमाना था लेकिन उस समय उन पर कोई सामाजिक दायित्व नहीं थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का मुख्य ध्येय आर्थिक व सामाजिक विकास था और लाभार्जन उनका गौण उद्देश्य था। आर्थिक उदारीकरण व वित्तीय क्षेत्र में सुधार लागू हो जाने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश बना है और बैंक पुनः लाभ पर जोर देने लगे। विकास के फल केवल कुछ लोगों तक ही

पहुंच पाएं तथा समाज का एक वर्ग उनसे वंचित रहा। अब बैंकों पर सामाजिक दायित्व का भार भी है। अब बैंकों के समक्ष सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने की भी चुनौती है तथा अपनी लाभप्रदता बढ़ाने की भी चुनौती है। ऐसी स्थिति में बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी व्यूहरचना तैयार करें जिससे एक ओर वे सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सकें और दूसरी ओर अपनी लाभप्रदता को अधिकतम कर सकें कही ऐसा न हो कि गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के चक्कर में बैंकों की अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए।

भावी रणनीति

वित्तीय समावेशन के संवर्धन हेतु बैंकों को अपनी सेवाओं की पहुंच के विस्तार हेतु विशेष रणनीति तैयार करनी चाहिये। बैंकों को अपनी रणनीति की पुनर्संरचना करनी चाहिये और इसे व्यवसाय अवसर तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों मानते हुए इसमें न्यून आय समूह के वित्तीय समावेश के संवर्धन हेतु विशेष योजनाएं समामेलित करनी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के साथ तारतम्य बैठाने के लिए अपनी मौजूदा कारोबारी पद्धतियों की समीक्षा करें। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागतवाले, सौर-उर्जा चालित बायोमैट्रिक एटीएम स्थापित किए जाए। इससे कार्डों का उपयोग बढ़ेगा तथा प्रौद्यागिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचेगा। मोबाइल फोन तथा एटीएम के जरिए पूर्ण वित्तीयन समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 'नो-फ्रिल्स' आवर्ती जमा खाते खोले जाने चाहिए। न्यून आय समूह के लोगों की मीयादी जमाओं (एक सीमा तक) पर उच्चतर ब्याज देना चाहिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक बाधाओं को कम करके वित्तीय क्षेत्र की पहुंच इन अतिसंवेदनशील समूहों तक विस्तृत कर देने से और अधिक लोग क्षेत्र की परिधि के अंदर आ सकेंगे। अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक –सहबद्धता के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता के जरिये जनसाधारण को उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समर्थ बनाया जा सकता है। सूक्ष्म वित्त एवं ग्रामीण साख पर आंतरिक समूह (खान समिति) ने संस्तुति की है कि बैंकों को अनुमति दी जाए कि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सेवाएं व्यवसाय सहायक तथा व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त कर सकें। सूक्ष्म वित्त संगठनों को विकसित करने हेतु लाए गए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनिमय) बिल में स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त संगठनों से अलग रखा गया है, जबकि स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त क्रांति का आधार है। अतः स्वयं सहायता समूहों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। एक म्युचुअल फंड जैसा संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जिससे छोटे किसान फ्यूचर मार्केट में हिस्सा ले सकें।

कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून के अनुसार कोई किसान सीधे उपभोक्ता को उत्पाद नहीं बेच सकता है। वह अपने उत्पाद उसी व्यापारी को बेच सकता है जिसने कृषि उत्पाद विपणन समिति से लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। एपीएमी नीलामी प्रणाली के अंतर्गत उत्पाद का मूल्य भी किसान तय नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसान के पास दो ही विकल्प होते हैं कि वह या तो विवश होकर प्रस्तावित मूल्य पर ही अपने उत्पाद बेचे या फिर उत्पाद को अपने गांव वापस ले जाए/लाए और यातायात व्यय वहन करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुछ चुनिंदा शाखाओं में से प्रत्येक को एक जिले में पूर्ण वित्तीय समावेशन का दायित्व सौंपा जाए। किसान सशक्तिकरण योजना शुरू की जाए। इसके अंतर्गत किसानों को बचत, बीमा, केसीसी, सूक्ष्म ऋण आदि के बारे में जानकारी दी जाए/ शिक्षित किया जाए।

यदि हमें उन लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना है जो बैंक सुविधाओं से वंचित हैं तो वित्तीय समावेशन की अपार संभावनाएं हैं। सही अर्थों में वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को मिलकर प्रयास करने होंगे और समाज के वंचित लोगों तक विकासात्मक संस्थागत सेवाएं एवं मूलभूत सेवाएं पहुंचानी होंगी। केवल यह सोचकर कि गरीब व्यक्ति प्रतिभूति (जमानत) उपलब्ध नहीं करा सकते या यह सोचकर कि इस प्रकार के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, उन्हें वित्तीय सेवाओं से दूर रखना ठीक नहीं है। राष्ट्र हित पहले है, बैंक हित बाद में है। अतः वित्तीय समावेशन के जरिये वंचित वर्ग को उत्पादक कार्यों में संलग्न होने, जीविकोपार्जन करने, बचत जुटाने एवं अपने जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

वित्तीय समावेशन हेतु वातावरण निर्माण

● राजेंद्र सिंह
सेवानिवृत्त अधिकारी
इंडियन ओवरसीज़ बैंक

भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली से परिपूर्ण है, जिससे विभिन्न वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करा कर उपभोक्ताओं की नित-नई अपेक्षाओं को तेजी से एवं दक्षतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। तथापि, यह भी सच है कि वित्तीय प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाई है। समाज का एक वर्ग जिसमें निर्धन, सामाजिक दृष्टि से साधनों से वंचित, महिलाएं, अशिक्षित, जातीय अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित है और उनका साधारण बैंक खाता भी नहीं है।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर केवल 31 प्रतिशत लोग भारत में किसी-न-किसी बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे है। जहाँ तक ऋण बाज़ार का प्रश्न है वहाँ, स्थिति और भी विषम है। वयस्क जनसंख्या वर्ग में ऋण खातों की संख्या मात्र 14 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का प्रसार 9.5 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में 14 प्रतिशत है। अतएव यह स्पष्ट है कि जब तक आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचता तब तक 'समावेशन वृद्धि' का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इण्डियन कौंसिल फार रिसर्च आन इण्टरनेशनल रिलेसन्स (इक्रीयर) द्वारा विश्व के 100 देशों का अध्ययन किया गया और वित्तीय समावेशन सूचकांक निकाला गया। इस सूचकांक के आधार पर भारत का 50वां स्थान था, जबकि केन्या और मोरक्को जैसे देश भारत से ऊपर हैं। इस अध्ययन ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की नितांत आवश्यकता है- विशेषकर कमजोर वर्गों के विकास के लिए।

इंवेस्ट इण्डिया एण्ड सेविंग्स सर्वे 2007 के अनुसार मात्र 44.9 प्रतिशत कमाने वालों का खाता बैंकों में है जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। ग्रामीण इलाकों में कमाई करने वालों में मात्र 38 प्रतिशत का ही खाता है जबकि शहरी इलाकों में यह 62 प्रतिशत है।

जहाँ तक संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्धि का प्रश्न है, स्थिति और भी असंतोषजनक है। भारत में कुल परिवारों में से लगभग आधे परिवार जो निर्धन वर्ग के हैं उसमें से लगभग 75 प्रतिशत परिवार अनौपचारिक स्रोतों से लेनदेन कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग तीन-चौथाई परिवारों को संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। इसी तरह कृषि के बेहतर तौर-तरीकों, प्रौद्योगिकी के उपयोग , अवसरों की विविधता, कृषि उत्पाद के मूल्यों, बैंकिंग प्रणाली तथा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी बहुत कम है।

भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार ने वित्तीय सेवाओं से वंचित वर्गों को इसमें शामिल करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में अनेक पहल की गई है जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ 'शून्य जमा शेष' से लेकर 'नो फ्रिल्स' खातों के लिए मूलभूत बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करना, ऐसे खातों के लिए के.वाई.सी. (अपने ग्राहक को जानिए) का सरलीकरण, सामान्य क्रेडिट कार्ड आदि का शुभारम्भ किया गया है।

समाज के बृहत्तर वर्गों को बैंकिंग दायरे में शामिल करने के लिए बिजनेस फेसिलिटेटर/ बिजनेस करसपोंडेंट के उपयोग के हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति एक महत्वपूर्ण पहल है। जहाँ बिजनेस फेसिलिटेटर गैर वित्तीय गतिविधियों को संचालित करता है वहीं बिजनेस कारसपोंडेंट पास-थ्रू एजेन्ट के रूप में जैसे बैंक की ओर से कतिपय बैंकिंग सेवायें प्रदान करता हैं तथा सीमित सीमा तक नकदी का लेन-देन करता है।

बिजनेस फेसिलिटेटर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है- सेवानिवृत्त कर्मचारी/पोस्ट मास्टर/स्कूल अध्यापक/सरकारी कर्मचारी,

छात्र, बीमा एजेंट आदि अथवा कोई संगठन जैसे कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कृषक क्लब, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, डाकघर, पंचायत, कृषक प्रशिक्षण केंद्र आदि। बैंक कारसपोंडेंट ऐसी संस्थायें जैसे कि सोसायटी/ न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, राज्यों की सहकारी समिति के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत समितियां भी हो सकती है।

वित्तीय समावेशन-वातावरण के लिए उठाए गए कदम

भारत सरकार ने जून 2006 में डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया। इस समिति ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी की वित्तीय समावेशन का तात्पर्य मात्र एक बैंक खाता खोलना ही नहीं है। समिति ने वित्तीय समावेशन की परिभाषा बताते हुए कहा कि 'वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वित्तीय सेवाओं को समय से और पर्याप्त मात्रा में समाज के लक्षित वर्ग समूह जैसे गरीब और कम आय वाले व्यक्तियों को कम लागत पर उपलब्ध कराना है।'

बिजनेस फेसिलिटेटर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है - सेवानिवृत्त कर्मचारी/पोस्ट मास्टर/स्कूल अध्यापक/ सरकारी कर्मचारी, छात्र, बीमा एजेंट आदि अथवा कोई संगठन जैसे कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कृषक क्लब, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, डाकघर, पंचायत, कृषक प्रशिक्षण केंद्र आदि।

इस समिति ने वित्तीय समावेशन को गतिशील बनाने हेतु निम्न चार उपाय सुझाये हैं :

- वर्तमान ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाना।
- सीमान्त और गैर कृषक परिवारों में ऋण उपयोग क्षमता में वृद्धि करना
- लक्षित वर्गों तक पहुचने के लिए नये-नये तरीकों को खोजना।
- प्रौद्योगिकी को वित्तीय समावेशन परियोजना के एक मुख्य घटक के रूप में लागू करना।

इस समिति ने मुख्य रूप से निम्न उपायों को सुझाया है-

- सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एक राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना की शुरुआत करना है जिससे व्यापक रूप में वित्तीय सेवाओं को कम से कम कुल वित्तीय वंचित परिवार (55.77 मिलियन) के लगभग आधे परिवारों को वर्ष 2012 तक वाणिज्यिक बैंकों /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया जा सके। शेष आधे परिवारों को 2015 तक वित्त पोषित किया जा सके।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक शाखा को प्रतिवर्ष 250 नए कृषकों एवं गैर कृषक परिवारों को शामिल किया जाना है। इस योजना में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें सीमांत कृषकों, असामी कृषकों और गरीब गैर खेतिहर परिवारों की भागीदारी अधिक से अधिक हो।
- वित्तीय समावेशन समिति ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर योजनायें बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाने पर बल दिया है। इस मिशन के माध्यम से एक निश्चित समयावधि में वित्तीय समावेशन को सर्वव्यापी बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- लेनदेन की लागत भी वित्तीय समावेशन में बड़ी समस्या है क्योंकि इसमें लेनदेन की संख्या अधिक और इनकी राशियां छोटी-छोटी होती हैं।
- ग्रामीण शाखाओं में जमा एवं ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाना।
- सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि की नितांत आवश्यकता है।
- गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने पर बल।

इस दिशा में ऐसे छोटे-छोटे लेन-देनों की समस्या से

निपटने के लिए एक मात्र रास्ता सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इस बारे में समस्या ग्रामीण शाखाओं में ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती की है जो सूचना प्रौद्योगिकी के जानकार हों और कम से कम उनका शाखा कार्यकाल तीन वर्ष का हो।

अतएव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो कुल बैंकिंग परिसम्पतियों में 70 प्रतिशत से अधिक का नियंत्रण रखते हैं, ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी युक्त वित्तीय समावेशन के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। समझा जाता है कि यह समूह सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐसे न्यूनतम पैरामीटर और मानक निर्धारित करेगा जिससे एक मजबूत प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित किया जा सके। इस बारे में निम्न संघटकों पर विचार किया जा रहा हैः-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो कुल बैंकिंग परिसम्पतियों में 70 प्रतिशत से अधिक का नियंत्रण रखते हैं, ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

- गांवों में लोगों को स्मार्ट कार्ड जारी किये जाये जिसमें सभी लेन-देन दर्ज हो।
- गांवों में बिजनेस करसपोंडेंट को लैपटॉप या सिम्प्यूटर प्रदान किया जाए, जिसमें वाई-फाई सुविधा हो।
- एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट से स्मार्ट कार्ड और बिजनेस कारसपोंडेंट टर्मिनल को संबद्ध कर दिया जाए।

यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक लेन-देन का प्रिंट आउट लिया जाये और कृषकों या अन्य ग्राहकों को दिया जाये। इन मॉडलों में परिचालन लागत कम होने की आशा है जिसे बैंक आसानी से लागू कर सकते हैं। जैसे-जैसे लेन-देन की मात्रा बढ़ेगी वैसे-वैसे वृद्धिशील परिचालन लागत कम करने में मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी समाधान में आने वाली लागत में काफी कमी आयेगी क्योंकि आधारभूत सुविधाओं में सहभागिता होगी।

सलाहकार समूह ने वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास फण्ड (टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट फंड) बनाने का सुझाव दिया है जिसके लिए केंद्रीय बजट में भी प्रावधान किया गया है। इस फण्ड को प्रौद्योगिकी के जरिये वित्तीय समावेशन को गतिशील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

उचित वातावरण निर्माण की पहल

असंगठित क्षेत्रों के विकास के लिए गठित अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण इलाकों में छोटे-छोटे उद्यमियों को बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती। अतएव वास्तविक समस्या कुछ और ही है। वैसे तो बैंकों का मुख्य कार्य बैंकिंग व्यवसाय है फिर भी क्या कारण है कि बैंक ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों एवं कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवायें प्रदान करने में पीछे हैं? इसके कारण निम्नलिखित हैंः-

- ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं की कमी- सड़क, बिजली, उपयुक्त परिसर, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण शाखाएं घाटे में ही चला करती हैं। वैसे तो बैंक अधिकारी/कर्मचारी इन्हीं सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण शाखाओं में जाना नहीं चाहते और यदि जाते भी हैं तो शहर से ही रोज आते-जाते है जिसके कारण ग्राम वासियों के असली जीवन और संस्कृति से रूबरू नहीं हो पाते।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इस समय 15000 शाखायें हैं जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत हैं। यदि हम ग्रामीण इलाकों में सभी अनुसूचित बैंकों के ऋण खातों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी देखें तो यह आकर्षक 37 प्रतिशत है परन्तु ऋणों की बकाया राशि में इनका योगदान मात्र 21 प्रतिशत है। इसका कारण यह है कि इनके ऋण लाभार्थियों में लघु /सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण में अच्छा कार्य किया है। क्योंकि 22.4 लाख स्वयं

सहायता समूहों में से 33 प्रतिशत को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त पोषित किया है।

- इस समय 80 जिले वित्तीय समावेशन योजना में शामिल नहीं किए गए हैं। इन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिजनेस फेसिलिटेटर और बिजनेस कारसपोंडेंट मॉडल वित्तीय समावेशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

- वित्तीय शिक्षण का अभाव- किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करना और एक निश्चित अवधि में उसके उद्देश्यों को पूरा करना हमारे देश में एक चुनौती बन चुका है और वित्तीय समावेशन भी इसका अपवाद नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 'नैतिक संकट' है। वित्तीय समावेशन समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पात्र व्यक्तियों के चुनाव की बात कही है। इस स्थिति में वित्तीय शिक्षण की भूमिका अहम् है।

आर्गेनाईजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट ने वित्तीय शिक्षण की परिभाषा इस तरह से दी है, 'वित्तीय शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों तथा जोखिमों की अपनी समझ को विकसित करते हैं तथा सूचना, अनुदेश अथवा वस्तुनिष्ठ परामर्श के जरिये वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं, समझकर वित्तीय निर्णय लेने में समर्थ बनते हैं, सहायता के लिए कहां और किसके पास जाना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य कारगर उपाय अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं।

'वित्तीय शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों तथा जोखिमों की अपनी समझ को विकसित करते हैं तथा सूचना, अनुदेश अथवा वस्तुनिष्ठ परामर्श के जरिये वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं, समझकर वित्तीय निर्णय लेने में समर्थ बनते हैं, सहायता के लिए कहां और किसके पास जाना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य कारगर उपाय अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं।

वित्तीय शिक्षण के मार्ग में बाधायें भी हैं जिनके निराकरण के लिए सुनियोजित तौर-तरीके जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को समझ कर ही वित्तीय शिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिन इलाकों में लोग घोर गरीबी के बीच जी रहे हैं तब उनके भविष्य के लिए योजनायें बनाने, बचत करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की बातें करना सार्थक नहीं लगता। अतएव वित्तीय शिक्षण के पहले पात्र लाभार्थियों की सही स्थिति की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है।

अतएव वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम वित्तीय क्षमता निर्माण की दृष्टि से तथा विशिष्ट समूहों को लक्ष्य कर बनाया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें यथा संभव व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों को रिज़र्व बैंक ने मई 2007 में यह सूचित किया था कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले किसी एक जिले में प्रायोगिक तौर पर वित्तीय साक्षरता सह-परामर्श केंद्र स्थापित करें। इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर संबंधित अग्रणी बैंकों को भी ऐसे ही केंद्र अन्य जिलों में खोलने के लिए कहा गया था। अनेक बैंकों ने वित्तीय शिक्षण के बारे में पहल की है।

वित्तीय समावेशन को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों के विशेष योगदान की आवश्यकता है क्योंकि मूलभूत सुविधायें प्रदान करना उन्हीं की परिधि में आता है। जैसे-जैसे यह सहयोग एवं समन्वय ग्रामीण इलाकों में फैलेगा वैसे-वैसे इसमें व्यापक जन-सहभागिता होगी और वित्तीय समावेशन की साख बढ़ेगी।

वित्तीय समावेशन से ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल

● सुबहसिंह यादव
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

ग्रामीण सशक्तिकरण की दृष्टि से यदि हम वित्तीय समावेशन की परिभाषा का परीक्षण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी वृद्धि केवल वित्तीय समावेशन तक ही सीमित नहीं है। इसमें बुनियादी ढांचा डिजीटल वैश्विक वातावरण में सामाजिक एवं ग्रामीण समावेशिता भी सम्मिलित है। भारत में हमें सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की दशाओं के लिए समावेशी वृद्धि की आवश्यकता है। जब हम वित्तीय समावेशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके अंतर्गत कमजोर तथा निम्न आय जैसे उपेक्षित वर्ग को उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। वैसे भी बैंक में खाता रखना अपने आप में एक पहचान, प्रतिष्ठा तथा सशक्तिकरण है। बैंकिंग सेवाओं में साख, बचत, बीमा, भुगतान तथा प्रेषण भी शामिल है। अतः बैंक खाता वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है जो अति आवश्यक है तथा इसे सम्पूर्ण जनसंख्या को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना चाहिये। वित्तीय समावेशन केवल एक सामाजिक विकास नहीं है, अपितु बैंकों के लिये एक लाभदायक व्यवसाय भी है। भारत में यह बिना दोहन किया गया बाज़ार हैं। जहाँ बैंक इन लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

वित्तीय समावेशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके अंतर्गत कमजोर तथा निम्न आय जैसे उपेक्षित वर्ग को उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।

वित्तीय की महत्ता

(अ) निम्न आय वर्ग के लिए

1. वंचित तथा निम्न आयवर्गों के मध्य बढ़ावा देना।
2. उन्हें देशी साहूकारों / महाजनों के शिकंजे से मुक्त कराना।
3. दूर दराज के क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों तक फुटकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।
4. उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।

(ब) बैंकिंग समुदाय के लिए

1. बैंकों की आय अर्जन क्षमता में सुधार लाना।
2. उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना।
3. अन्य फुटकर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर उनके व्यवसाय को बढ़ाना।

वित्तीय समावेशन के मॉडल

वित्तीय समावेशन के दो महत्वपूर्ण मॉडल हैं-

बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल

इस मॉडल के अन्तर्गत बैंक गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ. किसान क्लब), सहकारी संस्थाओं, सामुदायिकता आधारित संगठनों, कारपोरेट इकाइयों के फुटकर सूचना प्रौद्योगिकी फुटकर निकासों, डाकघर, बीमा एजेंटों, पंचायत ग्रामीण ज्ञान केंद्रों, कृषि क्लिनिक / बिजनेस केंद्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा निम्न प्रकार की सेवाएं ली जा सकती हैं:-

1. बैंकिंग सेवाओं तथा अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी देना तथा मुद्रा को प्रबंधित करने और ऋण परामर्श जैसी सेवाएं देना।
2. उधारकर्ताओं की पहचान और योजनाओं की उपयुक्तता।
3. आवेदन पत्र एकत्रित करना तथा उनकी प्रारंभिक प्रोसेसिंग करना/ इसमें सूचना आंकड़ों का सत्यापन भी शामिल है।
4. आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग करके बैंकों को प्रस्तुत करना।
5. स्वयं सहायता समूहों / संयुक्त देनदारी समूहों का संवर्द्धन एवं विकास।
6. स्वयं सहायता समूहों / संयुक्त देनदारी समूहों / साख

समूहों / अन्य समूहों की मॉनीटरिंग करना।

7. अनुवर्ती कार्यवाही तथा वसूली करना।

बिजनेस करसपोंडेंट मॉडल

इस मॉडल के अंतर्गत बैंक ऐसे गैर सरकारी संगठनों, लघु वित्तीय संस्थाओं (जो कम्पनी अधिनियम के खण्ड 25 के अंतर्गत स्थापित किये गये हों या फिर ऐसी गैर वित्तीय कंपनियां जो जमाएं स्वीकार नहीं करती), डाकघर इत्यादि को बिजनेस करसपोंडेंट का कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इन माध्यमों के लिये बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिये कि ये सभी सुस्थापित है, इनकी प्रतिष्ठा अच्छी है तथा इनमें स्थानीय लोगों का विश्वास है।

बिजनेस करसपोंडेंट को निम्नलिखित कार्य दिये जाते हैं:

1. छोटे ऋणों वितरण।
2. छोटे-छोटे जमाओं का संग्रहण।
3. मूलधन की वसूली/अतिदेय राशि का संग्रहण।
4. लघु बीमा/म्युचुअल/पेंशन उत्पाद/अन्य तृतीय पक्ष के उत्पादों की बिक्री।
5. छोटे-छोटे का प्रेषण/अन्य भुगतानों की प्राप्ति एवं प्रदायकता।

इन गतिविधियों को बैंक परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर चलाया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि योजनाएं बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन

इसमें कानटैक्ट कार्ड के साथ हैण्ड होल्डिंग विधियां तथा कानटैक्ट रहित कार्ड के साथ फील्ड कम्यूनिकेशन मोबाइल होता है। कई बार बैंक तथा राज्य सरकारें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत गरीब परिवारों को भुगतान देने तथा वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लाभों के लिये इस विधि का प्रयोग करते हैं। कई अवसरों पर परीक्षण के दौर से गुजरने के बाद यह मॉडल अब परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ रहा है।

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के चरण

1. बैंकों को गांवों का आबंटन
2. घरेलू परिवारों के सर्वेक्षण
3. वित्तीय समावेशन की आवश्यकता का मूल्यांकन एवं
4. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत दिये जाने वाले उत्पादों की पहचान

इस प्रक्रिया के मुख्य अवयव हैं

1. शून्य अथवा न्यूनतम शेष के साथ बचत खाता खोलना
2. वैयक्तिक उपयोग के लिये लघु, ओवरड्राफ्ट सुविधा
3. अन्य कृषि आधारित गतिविधि के लिये सामान्य क्रेडिट कार्ड
4. स्वास्थ्य बीमा कवर
5. लचीले आधार पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले अल्पकालीन ऋण तथा
6. बचत को बढ़ावा देने के लिये म्युचुअल फण्ड

वित्तीय समावेशन का प्रभाव

वित्तीय समावेशन के बाद बैंकों में खुलने वाले खातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं और विभिन्न बैंकों में काफी संख्या में खाते खुले हैं। पुणे जिले के एक गांव (मांजरी) में हुए अध्ययन के अनुसार बैंकों से जुड़ने वाले गरीबों की संख्या भी बढ़ी। सामान्य क्रेडिट कार्ड से लिये जाने वाले ऋण की सहायता से गांवों में रहने वाले लोगों का जीवनस्तर भी सुधरा है। उन्होंने बैंकों में या तो पैसा जमा करवाकर अथवा ऋण लेकर लेन-देन चालू कर दिया है। वित्तीय समावेशन का सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। इससे लोगों को वित्तीय सेवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी मिली है। उपर्युक्त गांव में हुए अध्ययन में इंगित किया गया कि बैंकों से जुड़कर अधिकांश लोग बैंकिंग परिचालन के बारे में जानने लगे हैं। जैसे धन जमा करवाना एवं निकलवाना, ओवरड्राफ्ट सुविधा लेना,बिलों की पुर्नकटौती करवाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त बैंक खाता रखना

प्रतिष्ठा का सूचक भी बन गया है। अब बैंक खाता समाज में व्यक्ति की पहचान का कार्य करता है।

जहां तक उधार लेने का प्रश्न है, व्यक्ति विशेष अथवा स्वयं सहायता समूह को विभिन्न उद्देश्यों से ऋण देना व्यक्ति अथवा समूह के विकास को संभव बनाता है। व्यक्ति अथवा समूह के अल्प विश्वास में भी वृद्धि होती है। महिला सशक्तिकरण भी वित्तीय समावेशन का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं अपने दैनिक कार्यों से बाहर आकर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने में समर्थ हुई है। अतः वित्तीय समावेशन अंततः ग्रामीण सशक्तिकरण के आधार को मजबूत करता है।

ग्रामीण सशक्तिकरण का वर्तमान परिदृश्य

यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद हमारी बैंकिंग 'वर्ग बैंकिंग' से 'जन बैंकिंग' की ओर उन्मुख हुई है और इसमें काफी सुधार भी हुआ है। फिर भी यह महसूस किया जा रहा है कि बैंक अभी भी जनसंख्या के एक बड़े भाग विशेषकर समाज के कमजोर एवं वंचित भाग को अपने दायरे में नहीं ला पाये हैं। आज भारत में 31 प्रतिशत जनसंख्या के पास एक भी खाता नहीं है। केवल 51% जनसंख्या ही कर्जदार है जिसमें से केवल 27 प्रतिशत की ही संस्थागत वित्त तक पहुंच हैं। राज्यों के अंतर्गत भी इसमें काफी अंतर है। अधिकृत रूप से देश में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से समावेशित राज्य बताया गया है, यद्यपि उत्तराखण्ड भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गया बताते हैं। केरल में 89 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या के बैंक खाते हैं। दूसरी ओर बिहार में 33 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं तो नागालैण्ड तथा मणीपुर में क्रमशः 21 प्रतिशत और 27 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं। उत्तरी क्षेत्र के हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं दिल्ली जैसे राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में यह अनुपात 84 प्रतिशत है। जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं तो स्पष्ट होता है कि भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बहुत निम्नस्तर पर है और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ज्यादा खराब है।

यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद हमारी बैंकिंग 'वर्ग बैंकिंग' से 'जन बैंकिंग' की ओर उन्मुख हुई है और इसमें काफी सुधार भी हुआ है। फिर भी यह महसूस किया जा रहा है कि बैंक अभी भी जनसंख्या के एक बड़े भाग विशेषकर समाज के कमजोर एवं वंचित भाग को अपने दायरे में नहीं ला पाये हैं।

उदाहरण के लिये हम घरेलू परिवारों की संख्या के प्रतिशत के रूप में जमाओं के कुल खातों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का एक उपयुक्त संकेतक माने तो विदित होता है कि 1991 के सुधारों के बाद भी अन्तर उतना ही बना रहा। ऋण खातों के संदर्भ में तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ी है। वहीं शहरी क्षेत्र में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बैंक खातों में हुई वृद्धि का प्रभाव जनसंख्या में हुई वृद्धि से कम हो जाता है अतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन में कोई महत्वपूर्ण सुधार दिखाई नहीं दिया।

ऐसा कई अवरोधों के कारण हुआ है। जैसे निम्न वित्तीय साक्षरता, संस्कृति, लिंग, आय, आवासीय दूरी, पहचान के साक्ष्य का अभाव इत्यादि। इन अवरोधों को दूर करने के लिये भारत सरकार विभिन्न बैंकों तथा कई स्वैच्छिक संगठनों सहित गरीब, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं वंचित लोगों की बैंकिंग तक पहुंच बनाने के लिये आगे आयी है। इस हेतु सरकार ने वित्तीय जागरूकता एवं अनूठी तकनीक उन्नयन का प्रयोग भी किया है। सरकार तथा बैंकों के माध्यम से इस प्रकार के कदमों से न केवल वित्तीय समावेशन आयेगा, अपितु देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु वित्तीय समावेशन की पूर्व आवश्यकताएं

वित्तीय सेवाओं को गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाने की सफलता ग्रामीण बुनियादी ढांचे, साक्षरता दर तथा बैंक एवं लघु वित्त संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों पर निर्भर करती है। फिर भी लागत प्रभावी लेनदेन करने में प्रौद्योगिकी एक निर्णायक बिंदु है। हम चार प्रमुख उपायों के माध्यम से इसे संभव बना सकते हैं

1. विद्यमान ऋण दात्री मशीनरी के अंतर्गत ही सुधार लाना।
2. ऋण पाने की क्षमता को सुधारने के उपाय सुझाना, विशेषकर सीमांत किसान तथा उप सीमांत किसान तथा गैर कृषि परिवारों में।

3. ऋण तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिये नये तरीके विकसित करना।

4. तकनीकी पर आधारित उपायों को अपनाना।

वित्तीय समावेशन गरीब एवं वंचित लोगों की वित्तीय दशा एवं जीवनस्तर को सही मायने में ऊपर उठाया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि एवं वितरण के माध्यम से प्राप्त ग्रामीण सशक्तिकरण की इस कहानी को नई गति देने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन एक समय पर ही किया जाने वाला प्रयास नहीं है। यह तो एक अनवरत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी विशाल परियोजना है जिसमें भागीदारों के कठिन एवं टीम प्रयासों की आवश्यकता है, चाहे वह सरकार हो या वित्तीय सस्थाएं अथवा नियामक संस्था या निजी क्षेत्र अथवा पूरा समाज। आज वित्तीय समावेशन द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे सीमित प्रयासों को एक आंदोलन का रूप दिया जाये ताकि यह योजना अधिकतम रूप से आगे बढ़े और एक केंद्रीकृत एवं प्रभावी जन अभियान का स्वरूप ले ले। यदि हमें इसे प्राप्त करना ही है तो उसके लिये सभी भागीदारों को उत्साहवर्धक जड़ाव, समर्पण एवं प्रतिबद्धता की अत्यधिक आवश्यकता है। सभी संबद्ध पक्षों को अपनी दिमागी सोच में परिवर्तन लाना होगा और इस प्रकार सभी स्तरों पर जानकारी सृजित करनी होगी।

समाज में सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के समेकन में प्रौद्योगिकी जीवंत भूमिका अदा करती है। लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता, गहनता तथा उपयुक्त लाभ इस बात को निर्धारित करेंगे कि वित्तीय समावेशन निर्धनतम व्यक्ति का भी सशक्तिकरण करता है तथा उसके भाग्य में नाटकीय परिवर्तन ला सकता है।

समान सोच, समान दृष्टिकोण, समान वितरण, समान भाव ही समाज में समानता ला सकता है और वित्तीय समावेशन इस दिशा में एक सशक्त कदम है।

पुरस्कृत निबंध

वित्तीय समावेशन-बैंकों की भूमिका*

सुंदर दास
भारतीय स्टेट बैंक,
आंचलिक कार्यालय, कानपुर

भारतीय मनीषा ने मानव जीवन के चार लक्ष्य अर्थात पुरूषार्थ चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष निर्धारित करके उनकी प्राप्ति की कामना की है। इनमें अर्थ को समाविष्ट किया जाना इस बात का प्रतीक है कि संसार की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय सभ्यता ने जीवन में अर्थ के महत्व को आदिकाल से ही स्वीकार किया है। जहां भारतीय चिन्तनधारा में -

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत'

कहकर लोक-कल्याण की कामना की गयी है वहीं लोक में सुख की अवधारणा यूं व्यक्त की गई है-

'पहला सुख निरोगी काया,दूजा सुख घर में हो माया,
तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
पंचम सुख स्वदेश में वासा ,छटवाँ सुख राज में पासा,
सातवाँ सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मनीषा ने विपन्नता अथवा दारिद्रय अथवा साधन-हीनता को जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मानते हुए 'बुभुक्षितो किं न करोती पापं' जैसे सूत्र वाक्य में उसके दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। इन पापों में आत्महत्या जैसा जघन्य पाप किये जाने की घटनाएं हमारे समाचार पत्रों में आये दिन छपती रहती हैं। कहीं किसी ने गरीबी से तंग आकर तो कहीं किसी ने फसल खराब हो जाने कारण कर्जदारों का सामना न कर पाने की आशंका के चलते आत्म-हत्या कर ली। पढ़े-लिखे किन्तु बेरोजगार युवकों द्वारा किये जा रहे छोटे-बड़े अपराधों के प्रति तो समाज में भाव शून्यता की स्थिति धीरे-धीरे आम होती जा रही है।

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को कल्याणकारी राज्य घोषित करके उसके सर्वतोमुखी विकास के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का चयन किया। समय ने सिद्ध कर दिया कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के योगक्षेम का सारा दायित्व सरकार का हो जाने से व्यक्ति कहीं न कहीं काहिल अथवा अत्यंत निश्चिंत हो जाता है जिससे समर्थ होकर भी अक्षम बने रहना बहुतों का स्वभाव बन जाता है। इसके विपरीत शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रधान हो जाने से मानव गौण हो जाता है। हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति स्वीकार की गयी है जहाँ मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था परिचालित हो न कि अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्य। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने विशेष आर्थिक अधिकारों के प्रतीक प्रीविपर्स समाप्त किये, दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा बीस-सूत्रीय कार्यक्रम लागू किये, जीवनोपयोगी विविध वस्तुओं पर परिदान (सब्सिडी) की व्यवस्था की। इतना ही नहीं एक तर्कसंगत काल्पनिक गरीबी रेखा की परिकल्पना करके उसके नीचे जिनका जीवन-स्तर है, उनके कल्याण के लिए अन्त्योदय जैसी न जाने कितनी योजनाएं अलग-अलग प्रान्तों में तथा अलग-अलग नामों से चलायी। किन्तु क्या हम गरीबी का उन्मूलन कर सके? नहीं। न्यूनतम वेतन को वैधानिक चोला पहनाकर भी क्या हम गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले किसी परिवार को आर्थिक निश्चिंतता दे सके? नहीं।

सबको सुलभ बैंकिंग अथवा वित्तीय सुविधाओं की बात करते समय हमें अपनी बैंकिंग व्यवस्था का विहंगावलोकन करना होगा। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने विकास के पथ पर निश्चय ही लम्बे डग भरे हैं परिणामस्वरूप यद्यपि वाणिज्यिक तथा

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अंतर बैंक निबंध स्पर्धा वर्ष 2006-07 में क्षेत्र 'ग' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध। पत्रिका के अनुरूप संपादित।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या, जो 1969 में 8321 थी, बढ़कर मार्च 2005 में 68,282 हो गयी है। फिर भी आम आदमी को साथ लेकर चलने अथवा वित्तीय समावेशन की दृष्टि से स्थितियां उत्साहवर्धक नहीं हैं। अंग्रेजी पत्रिका 'द इंडिया टुडे' के 16 अक्तूबर 2006 के अंक में श्री एस. एस. जीवन ने अपने लेख 'बैंकिंगःलिमिटेड एक्सेस' में भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर तथा प्रधानमंत्री की वित्तीय मामलों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री सी. रंगराजन, जो वित्तीय समावेशन समिति के प्रमुख भी हैं, के हवाले से लिखा है कि 'मुश्किल से देश की एक तिहाई जनता ही बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग करती है। यह संख्या अल्प आय समूहों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कम है क्योंकि वहाँ संस्थागत साख की स्थिति कमज़ोर और गैर-संस्थागत साख अर्थात महाजनों की स्थिति अपेक्षाकृत मज़बूत होती जाती हैं।

आँकड़ों की भाषा में बात करें तो जहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा कराये गये नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार वहां की 92 से 94% आबादी बचत अथवा चालू खाता धारक है वहीं भारतीय संदर्भ में 2001 की जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए 31 मार्च 2004 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल वयस्क आबादी का 59% या कुल आबादी का 31% ही ऐसा था जिसका किसी बैंक में बचत या चालू खाता हो। फेड बैंक हार्मिस मेमोरियल फाउण्डेशन, अर्णाकुलम में 2 दिसंबर 2005 को दिये गये स्मृतिभाषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री. वी. लीलाधर द्वारा कही गयी उपरोक्त बात सारणी के रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (अंग्रेजी संस्करण) जनवरी 2006 में पृष्ठ 77 पर छापी गयी है जिसका सार आगे दी गयी सारणी -1 में दिया गया है'।

खातेदारों की संख्या में क्षेत्रवार विषमता एवं जमा तथा अग्रिमों के मात्र कुछ केंद्रों पर ही केंद्रित हो जाने के कारणों का विश्लेषण करने पर हमें इसके विविध कारण मिलेंगे। पहला, क्षेत्रानुसार वहां के अधिकांश निवासी शिक्षा की दृष्टि से अपनी-अपनी भाषा में साक्षर-मात्र हैं। दूसरा, विभिन्न प्रान्तों में साक्षरता की दर में पर्याप्त अंतर है। तीसरा, प्रान्त दर प्रान्त परिवार के सदस्यों की पारम्परिक निर्भरता का अनुपात अलग-अलग है। चौथा, हर प्रान्त में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं में भी पर्याप्त अंतर है। पांचवां, अलग-अलग क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का घनत्व भिन्न-भिन्न हैं। छठा, अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग होने से वहां की अर्थोपार्जन की गतिविधियां भिन्न-भिन्न हैं। इन विशिष्ट परिस्थितियों के चलते लोगों में वित्तीय मामलों के प्रति जागरूकता तथा उपयोग की क्षमता का स्तर भी भिन्न-भिन्न है। परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाओं से उनके जुड़ाव का स्तर भी अलग-अलग है।

परिणाम तथा गुणवत्ता की दृष्टि से समाज के एक अच्छे खासे वर्ग को वित्तीय दृष्टि से आर्थिक विकास की मुख्य धारा में समाविष्ट करने के यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने की इस निरंतर चेष्टा ने हमें 'वित्तीय समावेशन' पर एक समाधान उपलब्ध कराया है। आज वित्तीय समावेशन एक बहुचर्चित वाक्यांश अथवा पदबंध (फ्रेज) बन गया है। अतः हर तरफ इस शब्द युग्म की गूंज सुनाई देती है। आखिर इसका अर्थ क्या है? भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री वी. लीलाधर के अनुसार *'अल्प आय समूह तथा अब तक लाभ से वंचित समूह को वहन कर सकने योग्य कीमत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना ही वित्तीय समावेशन है।'* उनके अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं तक सब की निर्बाध पहुंच होना किसी खुले तथा कुशल समाज के लिए

सारणी- 1

क्षेत्र	प्रति 100 जनसंख्या पर खाताधारकों की संख्या	प्रति 100 वयस्क जनसंख्या पर खाताधारकों की संख्या
उत्तर क्षेत्र	43	84
पूर्वोत्तर क्षेत्र	19	37
पूर्वी क्षेत्र	22	41
मध्य क्षेत्र	26	51
पश्चिमी क्षेत्र	35	61
दक्षिणी क्षेत्र	39	65
राष्ट्रीय औसत	**31**	**59**

अनिवार्यता है। चूंकि बैंकिंग सेवाओं की प्रकृति सार्वजनिक हित की है। अतः यह आवश्यक है कि बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं की सार्वजनीन तथा भेदभाव रहित उपलब्धता सार्वजनिक नीति का प्रमुख उद्देश्य हो। (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन - अंग्रेजी-संस्करण, जनवरी 2006)

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि सिंगापुर ने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण अभियान (जिसे 'मनीसेन्स' नाम दिया गया है) चलाया है। (द इकॉनॉमिक टाइम्स-2 अक्तूबर 2006) भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री वाई. वी.रेड्डी ने वित्तीय शिक्षण (फ़ाइनेंशियल एजूकेशन) पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए कहा था कि 'आज स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकलने वालों को वित्तीय साक्षर बनाना ज्यादा जरूरी है अपेक्षाकृत उनके माता-पिता के।'(द इकॉनॉमिक टाइम्स-2 अक्तूबर 2006) उनके अनुसार वित्तीय शिक्षा मुख्यतः व्यक्तिपरक होनी चाहिए क्योंकि 'व्यष्टि' के रूप में उसके सीमित संसाधन होते हैं जिन्हें उसे निपुणतापूर्वक जटिल वित्तीय परिस्थितियों से जूझते हुए, निवेश करना होता है। अतः इस स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय शिक्षण के प्रति जागरूक होना समय की मांग है।

इस संदर्भ में किए गए विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि वित्तीय समावेशन के अभाव में अथवा बैंकिंग व्यवस्था से लोगों के विरत रहने पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) में एक प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है। अतः वित्तीय समावेशन केवल सामाजिक-राजनैतिक आवश्यकता ही नहीं वरन् देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति के प्रकटीकरण के संदर्भ में आर्थिक आवश्यकता भी है। अतः वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के प्रति अनभिज्ञता के संदर्भ में इंडियन बैंक के अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक श्री के. सी. चक्रवर्ती का कथन कि 'गरीबी में तथा वित्तीय समावेशन से स्थायी रूप से दूरी में चोली-दामन का साथ है' से वित्तीय साक्षरता के व्यावहारिक पक्ष का महत्व और बढ़ जाता है।(द इंडिया टुडे-16-10-2006)

वित्तीय साक्षरता के सुपरिणामों से परिचित हो जाने के फलस्वरूप विकसित देशों में जनप्रिय सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों के निर्देशों के अनुरूप बेसिक बैंकिंग अर्थात् आधारभूत बैंकिंग तक पहुंच एक आन्दोलन का रूप ले रही है। फ्रांस में बैंक में खाता खोलना व्यक्ति का सांविधिक अधिकार है। इंग्लैंड में वित्तीय समावेशन कार्यदल ने वित्तीय समावेशन हेतु तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया है- बैंकिंग, वहनीय (वहन करने योग्य ब्याज दर पर) ऋण तथा निःशुल्क आर्थिक सलाह। अमेरिका में कम्यूनिटी रीइन्वेस्टमेंट एक्ट के माध्यम से अल्प तथा मध्यम आय वर्गों में भेदभाव पर रोक लगायी गयी है। द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क बैंकिंग डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि वह बेसिक बैंकिंग एकाउण्ट खोलने की अनुमति दे जिसमें प्रारंभिक निवेश 25 डालर से किया जा सके तथा न्यूनतम बैलेन्स 0.10 डालर रखने की अनुमति हो तथा जिसमें किसी काल-अवधि में 8 लेनदेन निःशुल्क कर सकने की अनुमति हो। इन खातों में सरल शर्तों पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुंच और बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध कराकर बैंक जमाकर्ताओं को अधिकार सम्पन्न बनाएं। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2005 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समाज के गरीब तबके से संबंध रखने वाले उधारकर्ताओं को बैंकिंग प्रणाली से इसलिए दूर न रखा जाए कि बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक 'अपने ग्राहक को जानिए' अपेक्षाओं को पूरा करने में परेशानियां आ रही हैं। खाता खोलने के लिए के.वाय.सी. प्रक्रिया उन लोगों के लिए और सरल कर दी गई है जो अपने सभी खातों में एक साथ मिलाकर 50,000/- रुपये से अधिक नहीं रखना चाहते हैं और सभी खातों को एक साथ मिलाकर जिनका कुल निक्षेप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये से अधिक न हो। ग्राहकों को इन सीमाओं का अतिक्रमण करने की छूट तभी होगी जब वे के.वाय.सी. मानकों का पूरा अनुपालन करेंगें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु 'नो-फ्रिल' खातों का खोला जाना वित्तीय समावेशन का प्रथम चरण है जिसे बैंक बखूबी अंजाम दे रहे हैं। फ्रिल शब्द का कोषीय अर्थ है 'झालर' तथा निहितार्थ है 'तामझाम' अथवा 'प्रदर्शन' अथवा 'दिखावा'। इस प्रकार 'नो-फ्रिल' पद का अर्थ हुआ प्रदर्शन से परे अथवा दिखावे से दूर।

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कुछ राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) ने आगे बढ़कर एक-एक जिले के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खोलने का अभियान चला दिया है। इनमें सर्वप्रथम केरल के पालक्कड जिले के मार्गदर्शी बैंक केनरा बैंक ने अपना लक्ष्य-भेद करने का श्रेय प्राप्त किया है। उसने जिले के सभी बैंकों, सरकारी विभागों तथा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (कुटुम्बश्री) के सहयोग से 23,097 खाते खोलकर जिले को पूर्णतः बैंकिंग जिला बना दिया है। इसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर की जिले में स्थित 28 शाखाओं ने शून्य बैलेन्स से 3 माह में ही 17,038 खाते खोले हैं।(बिजनेस लाइन - 2 अक्तूबर 2006) एक अन्य समाचार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5.5 लाख नो-फ्रिल्स खाते खोले जा चुके हैं। (फाइनेंशियल एक्सप्रेस-26.08.2006)

आंकड़ों के इस मायाजाल को देखकर किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या असीमित संख्या में खाते खोलकर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? वास्तव में उपलब्ध साख तथा वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाकर ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में रिज़र्व बैंक का कहना है कि इन खाता धारकों के मामले में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि 'जमानत पर ज़ोर दिए बिना ही एक सरलीकृत सामान्य उद्देशीय क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिसमें घरेलू आमदनी के आधार पर 25,000 रुपए तक की परिक्रामी ऋण सीमा (रिवाल्विंग क्रेडिट लिमिट) दी जाए ताकि ग्रामीण लोगों को झंझट में पड़े बिना ही ऋण मिल सके। बैंक ऐसे वित्त पोषण को कृषि को प्रदान किए गए अप्रत्यक्ष ऋणों में शामिल कर सकते हैं। 30 सितंबर 2005 तक की स्थिति के अनुसार 25,000 रुपए तक के मूलधन वाले ऐसे ऋणों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीसी) की सरलीकृत प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया जो संदेहास्पद और हानिपूर्ण आस्ति हो गए थे। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए ऋणों के मामले में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा बनाये जाने वाले राज्य विशेष के रुख़ के आधार पर अलग दिशा-निर्देश बनाएं। बैंकों को विशेष रूप से सूचित किया गया कि जो उधारकर्ता एकमुश्त निपटान योजना के तहत अपने ऋण का निपटान कर चुके हैं वे नए ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली का पुनः प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। बैंकों को सूचित किया गया कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वे अपनी सभी शाखाओं को इन उपायों को लागू करने को कहें।'

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यदि इस दिशा में विचार करके प्रोफेशनल संस्थाओं तथा संगठनों को प्रोत्साहित करें तो गरीब वर्ग को वास्तविक सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर बैंकों का प्रयास होना चाहिए कि 'गरीब में इस बात की क्षमता उत्पन्न करें कि वह बैंक जा सके।'

भारत में छोटे ऋण यानी माइक्रो फाइनेंन्स के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की दिशा में विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1990 के दशक में छोटे ऋण प्रदान करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं (माइक्रो फाइनेंन्स इंस्टीट्यूशन्स) तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़कर लगभग 1.5 करोड़ परिवारों तक यह आन्दोलन पहुंच चुका है। देखने-सुनने में यह बहुत प्रभावी संख्या लगती है किन्तु भारत के 7 करोड़ गरीब परिवारों में से केवल 21% तक ही यह आन्दोलन पहुंच सका है। हमारे माननीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने भी इण्डियन बैंकर्स एसोसिएशन की 59 वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए स्वयं सहायता समूहों की सहायता से बैंकों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सराहना करते हुए रिज़र्व बैंक से इन कार्यक्रमों को और सधन बनाने तथा वित्तीय समावेशन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा की।

भारत वर्ष में प्रयासों के विपरीत निजी संस्थानों को लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के प्रयासों में विशेष सफलता मिली है। गुजरात में 'सेवा' (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) द्वारा चलाये गये कार्य तथा बैंक, खेड़ा ज़िला दुग्ध उत्पादक संघ (अमूल दूध के निर्माता) के कार्यों के अतिरिक्त 'इफ्को', 'लिज्जत पापड', तथा केरल के 'कुटुम्बश्री' जैसे संगठनों की कार्यशैली ने हमें स्वयं सहायता समूहों (एस. एच. जी.) तथा गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता के प्रति आश्वस्त किया है। रिज़र्व बैंक की डिप्टी गवर्नर उषा थोरात ने भी 16 जनवरी 2006 को पुणे में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल

बैंकिंग तथा योजना आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ह्यूमन डिवलपमेंट एण्ड स्टेट फ़ाइनेन्स' कार्यक्रम के अवसर पर अपने भाषण में अपनी आँखों देखे अजमेर की मुस्लिम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा क्रोशिया निर्मित टोपी विपणन तथा कोल्हापुर ज़िला परिषद द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय संसाधनों एवं ग्रामवासियों के सहयोग से शौचालय निर्माण की घटनाओं की सराहना की है। भारत में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है।

वित्तीय समावेशन के लिए गहन संभावनाएं तलाशने के लिए कुछ सुझाव उपयोगी होंगे। पहला, भारतीय बैंक संघ को बैंकिंग विहीन क्षेत्रों की पहचान तथा उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क माध्यमों- सड़क, बिजली, टेलीकाम, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जाए। तीसरा, बैंकों को सहकारी संस्थाओं के साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। चौथा, रिज़र्व बैंक द्वारा लघु ऋण हेतु गठित आन्तरिक समूह (खान समिति) की बैंकों को लघु ऋणों हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने की सिफ़ारिश शीघ्र क्रियान्वित की जाये। पाँचवाँ, प्रदत्त ऋण की वापसी के लिए ऋणी की राय से योजना बनायी जाय। छठा, उपलब्धियों की समीक्षा के समय व्यवस्था विरोधी तत्वों को भी ध्यानपूर्वक सुना जाय। सातवां, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आठवाँ, शिक्षा का विस्तार किया जाय।

अंत में बैंकों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों का पुनर्निर्धारण करना चाहिए ताकि सुविधा सम्पन्न जनसंख्या की दृष्टि से (पिरामिड की आधार रेखा) तक बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया जा सके। ऐसा होने पर ही हमारे वित्तीय विनिवेश की यशोगाथा जन-जन के मुख पर होगी। महाकवि कालिदास के शब्दों में यदि धान रोपने वाली बालाएं भी व्यवस्था का यशगान करें तभी वह प्रभावी व्यवस्था है।

'शालिगोप्यो जगुर्यशी' (रघुवंश)

अंतर बैंक निबंध स्पर्धा-2008-09

भाषिक क्षेत्र 'क'

वर्तमान वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव

भाषिक क्षेत्र 'ख'

रिटेल बैंकिंग के खतरे और चुनौतियां

भाषिक क्षेत्र 'ग'

बैंकिंग सेवाओं की बढ़ोतरी में भारतीय भाषाओं की भूमिका

अंतिम तिथिः 15 फरवरी 2009

पुस्तक का नाम	-	वित्तीय समावेशन
लेखक	-	डॉ. रमाकांत शर्मा
प्रकाशक	-	मेधा बुक्स, दिल्ली
मूल्य	-	400/- रुपये
पृष्ठ संख्या	-	319

आमतौर पर गरीबी दूर करने के संबंध में होती चर्चाएं ऐसी भाषा में होती रही हैं, जो गरीबों की पहुंच से बाहर है। ऐसी चर्चाएं बौद्धिक, राजनैतिक आवश्यकताओं और तत्कालिक बहसों के लिए उगती हैं और कालांतर में लुप्त हो जाती हैं। बहुत हुआ तो अकादमिक आवश्यकताओं के लिए इतिहास बयान की भूमिका निभाती हैं। लेकिन डॉ. रमाकांत शर्मा की पुस्तक 'वित्तीय समावेशन' सही समय पर सही भाषा में प्रकाशित ऐसी पुस्तक है, जिसका व्यावहारिक उपयोग अधिक है, साथ ही, अकादमिक संदर्भ-ग्रंथों के लिए वह आने वाली योजनाओं, संकल्पनाओं की मार्गदर्शक का काम करेगी।

डॉ. रमाकांत शर्मा ने अपनी पुस्तक का ताना-बाना बांग्ला देश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार से अलंकृत डॉ. युनूस के वक्तव्य से बुना है कि 'गरीबी दूर करने का आधारभूत मंत्र प्रत्येक गरीब में ही छुपा हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसकी सोयी हुई सृजनशीलता और ऊर्जा जगा दें। उसके बाद गरीबी केवल अजायबघरों में ही देखने के लिए रह जाएगी'। डॉ. शर्मा ने वित्तीय समावेशन की अपनी पुस्तक की भूमिका लिखते समय डॉ. युनूस के बयान को न सिर्फ रेखांकित करते हुए अपनी बात कही है बल्कि जन-सामान्य तक बैंकिंग सेवाएं और बचत की आदतों को विकसित करने के लिए भारत सरकार की अपेक्षाओं और बदलती आर्थिक स्थितियों में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तमाम सुझाव और विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतः अर्थशास्त्र से जुड़ी इस प्रकार की पुस्तकें आंकड़ों का मायका बनकर रह जाती हैं, लेकिन डॉ. शर्मा ने आंकड़ों का सक्रिय, सार्थक और सहज विश्लेषण कर, बैंकिंग संदर्भों का हवाला देते हुए वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिक्षारत शेष जनसंख्या को समाविष्ट करने का उल्लेखनीय आवाहन किया है।

डॉ रमाकांत शर्मा ने वित्तीय समावेशन पुस्तक में जिन विषयों को समाहित किया है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्लेषित करते हुए उन्होंने 1757 से 1947 के कालखंड को उद्योग, व्यापार आदि घटकों से उकेरते हुए आजादी के बाद की पंचवर्षीय योजनाओं के रास्ते आज की स्थिति तक पहुंचाया है। इन चर्चाओं में तुलनात्मक अध्ययन और बृहत संदर्भों के माध्यम से डॉ. शर्मा ने भारत और विकासशील अर्थव्यवस्था का जो मंथन किया है, वह भारत की गरीबी, बेराजगारी की समस्याओं पर बखूबी रोशनी डालता है। स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का सिंहावलोकन और भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा का आंकड़ों के साथ विश्लेषण समस्या की तह में जाकर कई समाधानों तक पहुंचने की सार्थक कोशिश है। जिस समाज को अपना इतिहास मालूम होता है, उस समाज का भविष्य हमेशा उज्जवल ही होगा। देश की परतंत्रता से आज वैश्वीकरण के दौर तक हो रहे परिवर्तनों, प्रयासों और प्रस्तावों का इस पुस्तक में गहन ऊहापोह है।

इस पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि इसमें दिए आंकड़े, स्रोत, तथ्यात्मक सामग्री अद्यतन है। 'वित्तीय वंचन' अध्याय में बैंकर्स कॉफ्रेंस 2006 में दिये गये व्याख्यान को रेखांकित करते हुए लेखक ने वित्तीय वंचन को बहुत सार्थकता से व्याख्यायित किया है। वित्तीय वंचन के प्रकार, उसके कारण, परिणाम का लेखा-जोखा, हमारे देश के पिछड़े वर्ग की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि आम आदमी इसे जानकर लगभग चौंक उठता है कि उसका आसपास का परिवेश वित्तीय पहुंच से इतना वंचित रहा है। इसके अंतर्गत राज्यवार, ग्रामीण और क्षेत्रवार बैंक खातों, ऋण खाता संख्या का ब्यौरा बहुत सटीक और आने वाले समय को आगाह करने की सफल भूमिका निभाता है।

वित्तीय समावेशन विषय को रूपायित करने के लिए लेखक ने एक व्यापक कैनवास का चयन किया है। वित्तीय समावेशन से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी बातों को इस तरह संजोया है कि विषय परत-दर-परत पाठकों के सामने खुलता चला जाता है। सामाजिक विसंगतियों यथा- अशिक्षा, जातिवाद, रूढ़िवादिता, वर्ग-संघर्ष, बंधुआ, मजदूरी, महिला उत्पीड़न, बाल मजदूरी, बालविवाह, अस्पृश्यता जैसी विसंगतियों की चर्चा कर लेखक ने वित्तीय समावेशन की सटीक परिभाषा, इसका लक्ष्य, इसके लिए अपेक्षित प्रयास, लाभ आदि की सविस्तार चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सुपरिणामों का जिक्र किया गया है। विदेशों में जनसामान्य के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख महत्वपूर्ण बन गया है। इस पार्श्वभूमि में भारत में बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेशन अधिक सहज ग्राह्य हो उठा है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति और राष्ट्रीयकरण के बाद के दायित्वों का सार्थक विवेचन इसमें है। वर्तमान स्थिति, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, नवोन्मेष बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा बैंकिंग जैसे विषयों की ब्यौरेवार चर्चा पुस्तक का महत्वपूर्ण अंश है।

वित्तीय समावेशन में सरकार की भूमिका, नाबार्ड की भूमिका और किसान क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका, स्वयं सहायता समूहः वित्तीय समावेशन और बैंकिंग लाभप्रदता के बीच एक कड़ी, वित्तीय समावेशन में अन्य एजेंसियों की भूमिका, वित्तीय समावेशन, प्रभावी कार्यान्वयनः अन्य मुद्दे जैसे विषय इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाते हैं। 'वित्तीय समावेशनः रणनीतियां और भावी परिदृश्य', आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश है।

बैंकिंग, तकनीकी जैसे तमाम क्षेत्रों में, हिंदी में अब काफी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। पर इनमें गिनती की ही ऐसी पुस्तकें हैं जो अनुवाद, उलझनों, भाषा-विसंगतियों से परे हों। 'वित्तीय समावेशन' ऐसी ही एक पुस्तक है जो सहज, स्वाभाविक और प्रवाहमयी भाषा में एक पठनीय कृति के रूप में उभरी है। कही भी दुरुह वाक्य विन्यास नहीं और न कहीं अस्पष्टता। भाषा और प्रस्तुतीकरण के स्तर पर बैंकिंग विषयों पर ऐसी साफ-सुथरी पुस्तकें बहुत कम हैं। इस पुस्तक को लेखक ने पठनीयता, तथ्यों की पारदर्शिता, विश्लेषणों की गहनता और भाषा की प्रवाहमयता सौंपकर यह सिद्ध किया है कि हिंदी में बैंकिंग विषयों का लेखन किसी भी श्रेष्ठ अंग्रेजी लेखन से कतई कम नहीं है। संभवतः इसका एक कारण और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि लेखक एक श्रेष्ठ कथाकार है, एक प्रभावी वक्ता है; परिणामस्वरूप ऐसे लेखक का बयान, ऐसे वक्ता का प्रस्तुतीकरण पाठकों के लिए निश्चित ही एक प्रवाहमय सहजग्राह्य सामग्री परोसने में सफल रहा है। हर अध्याय के अंत में हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय देकर एक और सुविधा और बोधगम्यता का समावेश किया गया है।

डॉ. रमाकांत शर्मा ने 'वित्तीय समावेशन' विषय को सहज भाषा शैली सौंपी है। कई बार देखा जाता है कि पुस्तक में सामग्री तो अच्छी होती है, पर भाषा के मोर्चे पर बात लड़खड़ा जाती है; तो कभी भाषा तो सटीक होती है, पर विषय का ज्ञान भटक जाता है। परंतु, इस पुस्तक में विषय और भाषा की पटरी पर पुस्तक ने उल्लेखनीय गति हासिल की है। लेखक वाणिज्य शाखा में पीएच.डी. हैं और हिंदी के चर्चित लेखक। इस दोहरे ज्ञान का लाभ इस पुस्तक को मिला है। बैंकिंग उद्योग के लिए यह पुस्तक अपने आप में एक उपलब्धि है।

डॉ. दामोदर खड़से
सहायक महाप्रबंधक (सेवाविवृत्त)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पुस्तक का नाम	**: रुग्ण कृषि, विपन्न किसान और कृषि बैंकिंग**
लेखक	**: श्यामलाल गौड़**
प्रकाशक	**: आधार प्रकाशन, पंचकूला**
मूल्य	**: 350/- रुपये**
पृष्ठ	**: 252+8**
प्रथम संस्करण	**: 2008**

'रुग्ण कृषि, विपन्न किसान और कृषि बैंकिंग' भारतीय रिज़र्व बैंक की हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक श्री श्यामलाल गौड़ भारतीय रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक हैं। आप भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के संकाय सदस्य रहे हैं। आपको हिंदी माध्यम से अध्यापन का तथा हिंदी में लेखन का प्रचुर अनुभव है। आप अनेक हिंदी पुस्तकों के प्रणेता हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत प्रकाशित आपकी यह आठवीं हिंदी पुस्तक है।

प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य भारतीय कृषि की रुग्णता तथा किसानों की विपन्नता की पड़ताल करना है। समग्र रूप से इस पुस्तक को भारतीय कृषि व्यवस्था के विकास क्रम का विवेचनात्मक इतिहास कह सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हमारी बहुसंख्य आबादी गांवों में बसती हैं और कृषि ही उसके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन रहा है। देश के आजाद होने के इतने वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या करना कृषि और किसानों संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनर्विचार की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। प्रस्तुत पुस्तक इसी पृष्ठभूमि में लिखी गई है।

पुस्तक कुल दस अध्यायों में विभाजित है। 'भारत में कृषि व्यवस्था' शीर्षक के पहले अध्याय में भारतीय कृषि व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दूसरे अध्याय में भारतीय कृषि की मूलभूत समस्याओं का विवेचन किया गया है। लेखक ने जिन मूलभूत समस्याओं की पहचान की है वे हैं- लघु आकार वाली अनार्थिक जोतें, छोटे किसानों की समस्याएं, वर्षा पर निर्भरता, कम उत्पादकता, भंडारण और विपणन की सुविधाओं का अभाव, बढ़ती लागत और घटता मूल्य लाभ, भू-अभिलेख तथा ऋण सुविधाओं की प्राप्ति में जटिलता व विलंब, ऋण-ग्रस्तता, फसल बीमा की व्यापक और कृषक हितैषी नीति का न होना, कृषि पर अधिसंख्य आबादी की अतिशय निर्भरता, लघु सीमांत कृषकों व कृषि मजदूरों को वर्ष-पर्यंत नियमित रोज़गार की अनुपलब्धता, ग्रामीण युवकों का शहरी जीवन के प्रति आकर्षण तथा कृषि से विमुखता।

तीसरे अध्याय में आज़ादी के बाद की कृषि पर एक नई दृष्टि से विचार किया गया है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि आज़ादी के बाद कृषि की परिभाषा कृषि उपज से जुड़े कार्यकलापों तक ही सीमित न रखकर कृषि से संबद्ध अन्य कार्यकलाप यथा दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, भेड़-बकरी पालन, रेशम पालन, खाद्य अभिसंस्करण तथा कृषि सहायक और संबद्ध गतिविधियों को भी कृषि वित्तपोषण के अंतर्गत शामिल कर उसे व्यापक बनाया गया है। इस अध्याय में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी विविध प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी दी गई है।

पुस्तक का चौथा अध्याय 'कृषि तकनीक में नवोन्मेष-हरित क्रांति' पर केंद्रित है। इस अध्याय में लेखक ने 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति को एक नए अध्याय का नाम दिया है। लेकिन उसने यह भी मत व्यक्त किया है कि वास्तव में हरित क्रांति उन्नत बीज, खाद और पानी के चमत्कार की कहानी है। इस हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले वर्ग सीमित हैं। साधारण किसान विकास के इन लाभों से वचित ही रहा है। हरित क्रांति वस्तुतः धान और गेहूं की पैदावार से बढ़ोतरी तक ही सीमित है। पिछले दशक में कृषि में ठहराव की स्थिति आ गई है। अब देश में एक नयी कृषि क्रांति की आश्यकता है, जिसका फोकस खास तौर पर लघु और सीमांत कृषकों पर होना चाहिए।

पुस्तक के पांचवे अध्याय में कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण संबंधी तंत्र अर्थात कृषि अथवा ग्रामीण बैंकिंग की जानकारी दी गई है। इस अध्याय में आज़ादी पूर्व अर्थात अंग्रेजी सरकार के समय से आज तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयासों तथा कृषि क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा दिया गया है।

इसी अध्याय में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का विवेचन किया गया है।

छठे अध्याय में बढ़ते वैश्वीकरण की चुनौतियों पर विचार किया गया है तथा विश्व व्यापार संगठन के गैट करार के उपबंधों के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्याय सात में कृषि में नये प्रयोग विविधता मूल्य संबंधित उत्पाद में बड़ी कंपनियों द्वारा ठेके पर खेती, जैविक खेती, औषधीय, सुगंध तथा जड़ी बूटियों की खेती, कृषि उपज से बायो डीजल का उत्पादन, रतनजोत की खेती, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही मूल्य संवर्धन और निर्यात, रिटेल विपणन, कृषि सूचना प्रसारण, ई-चौपाल तथा एग्मार्केट जैसे विषयों पर जानकारी दी गई है।

आठवें अध्याय में महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों की कहानी आंकड़ों की जबानी समझाई गई है। इस अध्याय में खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के कुछ चयनित आंकड़े आठ तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। नौवें अध्याय का शीर्षक है- 'रुग्ण कृषि-विपन्न किसान'। वास्तव में यह अध्याय ही पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य है। लेखक के अनुसार इस अध्याय में उसका उद्देश्य देश में हुए समग्र विकास की समालोचना करने का नहीं है, वरन् विकास जनित उपलब्धियों का एक पठनीय विवेचन, मुख्यतः कृषि जगत और ग्रामीण विकास जैसे पक्षों पर केंद्रित करते हुए प्रस्तुत करना है। लेखक के मत से आज़ादी के बाद 60 सालों में संपूर्ण देश में, खासतौर पर ग्रामीण जीवन के हर क्षेत्र में भारी बदलाव आया है। लेखक ने ग्रामीण जीवन में आए आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनैतिक तथा शैक्षणिक परिवर्तन की चर्चा करते हुए कृषि विकास में विसंगतियों/विषमताओं को रेखांकित किया है। इसी अध्याय में विकास के लाभों के असमान वितरण तथा किसानों की ऋणग्रस्तता तथा किसानों की आत्महत्याओं की समस्या का विश्लेषण किया है। इस अध्याय के करुण यथार्थ पर प्रखर चिंतक महात्मा फुले के साहित्य से लगभग 9 पृष्ठों का उद्धरण शामिल किया गया है जो संगत तो है किंतु यदि मूल पुस्तक में न दिया जाकर परिशिष्ट में दिया जाता तो अधिक अच्छा रहता। अध्याय दस में कृषि उद्योग, कृषि कार्यकलापों में आम प्रचलित कुछ प्रमुख शब्दावली का परिचय दिया गया है। इस अध्याय को भी परिशिष्ट में दिया जा सकता था।

पुस्तक की भाषा सामान्यतः सरल तथा आसानी से समझ आने योग्य है क्योंकि पुस्तक मूलतः हिंदी में लिखी गई है। तथापि कुछ स्थलों पर अनुवाद की छाया अवश्य दिखाई देती है। पुस्तक लिखने के लिए लेखक ने गहन अध्ययन किया है। पुस्तक के अंत में दिए गए ग्रंथों, रिपोर्टों आदि की सूची से यह स्पष्ट है। लेखक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की शब्दावली का संदर्भ दिया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रकाशित कृषि बैंकिंग शब्दावली का संदर्भ भी लेखन में सहायक होता।

पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के अंत में अंग्रेजी हिंदी शब्दावली दी गई है जो अच्छी बात है किंतु इनमें ऐसे अति सामान्य शब्द भी शामिल कर लिए गए है जिनकी आवश्यकता नहीं थी- यथा- प्राकृतिक Natural, बाढ़ Flood, अकाल Famine, निर्यात Export, दरिद्रता poverty, आदि।

पुस्तक में कुछ शब्द प्रयोग खटकते हैं यथा अनेक स्थलों पर Credit के लिए 'साख' शब्द का प्रयोग किया है (पृष्ठ 71,75,88) जबकि उसके स्थान पर 'ऋण' उचित शब्द है। इसी प्रकार Central के लिए मध्यवर्ती शब्द का प्रयोग किया गया है यथा पृष्ठ 95,97,98 जो कि मराठी का शब्द है हिंदी में इसके लिए 'केंद्रीय' शब्द ही प्रचलित है। IRDP के लिए संकलित ग्रामीण विकास योजना (पृष्ठ 105) लिखा गया है जबकि सही शब्द है 'समन्वित ग्रामीण विकास योजना'। Case Studies के लिए 'प्रकरण अध्ययन' (पृष्ठ 126) की अपेक्षा 'वृत्त अध्ययन' अधिक उपयुक्त शब्द है। इसी प्रकार Research के लिए 'शोध' शब्द का प्रयोग किया गया है (पृष्ठ 129,130) जबकि 'अनुसंधान' शब्द बेहतर है। कंपोस्ट के लिए 'हरी खाद' शब्द का प्रयोग किया गया है (पृष्ठ 144) जबकि ये दोनों अलग-अलग शब्द हैं। कंपोस्ट वस्तुतः गोबर तथा सूखे पत्तों की सड़ी खाद है तथा 'हरी खाद' Green manure है। 'दाल अनुसंधान परिषद' (पृष्ठ 138) का सही नाम 'दलहन अनुसंधान परिषद' होना चाहिए। 'सूक्ष्म में चर्चा' (पृष्ठ 192) की अपेक्षा 'संक्षेप में चर्चा' उचित शब्द है।

पुस्तक के शीर्षक से यह ध्वनित होता है कि भारतीय कृषि रूग्ण है, किसान विपन्न है और कृषि बैंकिंग इसके लिए उत्तरदायी है। जबकि कृषि और ग्राम्य विकास में केंद्र तथा राज्य

सरकारों की प्राथमिक भूमिका है, बैंकिंग तंत्र उसके बाद में आता है। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय कृषि में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण जीवन में भारी बदलाव आया है। इस तथ्य को स्वयं लेखक ने स्वीकार किया है। इस परिवर्तन में केंद्र तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं तथा बैंकिंग्र तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र तथा राज्य स्तर की कृषि अनुसंधान संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। भारत में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रलय, खाद्य प्रसंस्क्रण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि के अधीन अनेक अनुसंधान संस्थानों, ब्यूरो, परियोजनाओं, संयुक्त उपक्रमों आयोगों और बोर्डों आदि की लंबी सूची है जो इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार के स्तर पर कृषि के प्रति सोच कितनी व्यापक है। राज्यों के स्तर पर भी व्यापक प्रयत्न हुए हैं। इन सबका लेखक ने समुचित मूल्यांकन नहीं किया है। इस वजह से पुस्तक एकांगी लगती है। पुस्तक का शीर्षक 'भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन की समस्याएं' रखा जाता और उसमें कृषि और ग्रामीण जीवन की समस्याओं के विश्लेषण के साथ उनका समाधान भी सुझाया जाता तो बेहतर होता।

जमींदारी उन्मूलन में आज़दी के बाद की एक क्रांतिकारी घटना है। पुस्तक में इसका कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिला, न ही चकबंदी का ही उल्लेख देखने में आया यद्यपि अध्याय दस में शब्दावली में इसे अवश्य शामिल किया गया है। इसी प्रकार कई राज्यों में भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, पुस्तक में इसका जिक्र नहीं है। भारत में परंपरागत बीजों के बचाने के कुछ लोगों ने अभियान चलाये है, उसका उल्लेख भी किया जा सकता था। कृषि उन्नयन में रेबो बैंक, नीदरलैण्ड का उदाहरण दिया गया है किंतु बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से हम क्या सीख सकते हैं इसे भी शामिल किया जाता तो अच्छा होता।

पुस्तक में लेखक ने तथ्यों की पुष्टि के लिए आंकड़ों का प्रचुर प्रयोग किया है। इससे पुस्तक कहीं कहीं आंकड़ों से बोझल हो गयी है। बड़ी तालिकाओं को परिशिष्ट में दे दिया जाता तो अधिक अच्छा होता।

कुल मिलाकर पुस्तक भारतीय कृषि की रूगणता तथा किसानों की विपन्नता की ओर ध्यान आकृष्ट करने में सफल है। इस कार्य के लिए लेखक बधाई के पात्र हैं।

डॉ. बालकरण पाल
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, मुंबई

ज्ञानवर्धक पुस्तकें वित्तीय विकास की प्रथम सीढ़ी होती हैं।

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है । साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं । प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर **मानदेय देने** की व्यवस्था है । ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है ।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है ।
- लेख यदि संभव हो तो **सी. डी. में आकृति / एपीएस फांट** में भेजने की व्यवस्था की जाए ।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है ।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं ।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें ।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए ।***

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तकों की **दो प्रतियां** भिजवाने की व्यवस्था करें ।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप **निःशुल्क** प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए आपको लिखित रूप में " कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " से अनुरोध करना होगा । आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी । आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें । **पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित
नवीनतम हिन्दी पुस्तक

'ग्रामीण और विकासोन्मुख बैंकिंग'

पुस्तक मिलने का पता

मेसर्स आधार प्रकाशन प्रा. लि.
एस. सी. एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला (हरियाणा)

हमारा नया पता

कार्यकारी संपादक
बैंकिंग चिंतन- अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई- 400 018.

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक(राजभाषा) श्री महेंद्रपाल शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा) श्री के. पी. तिवारी और सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री सुबोध मेहरोत्रा का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण संख्या - 47043/88

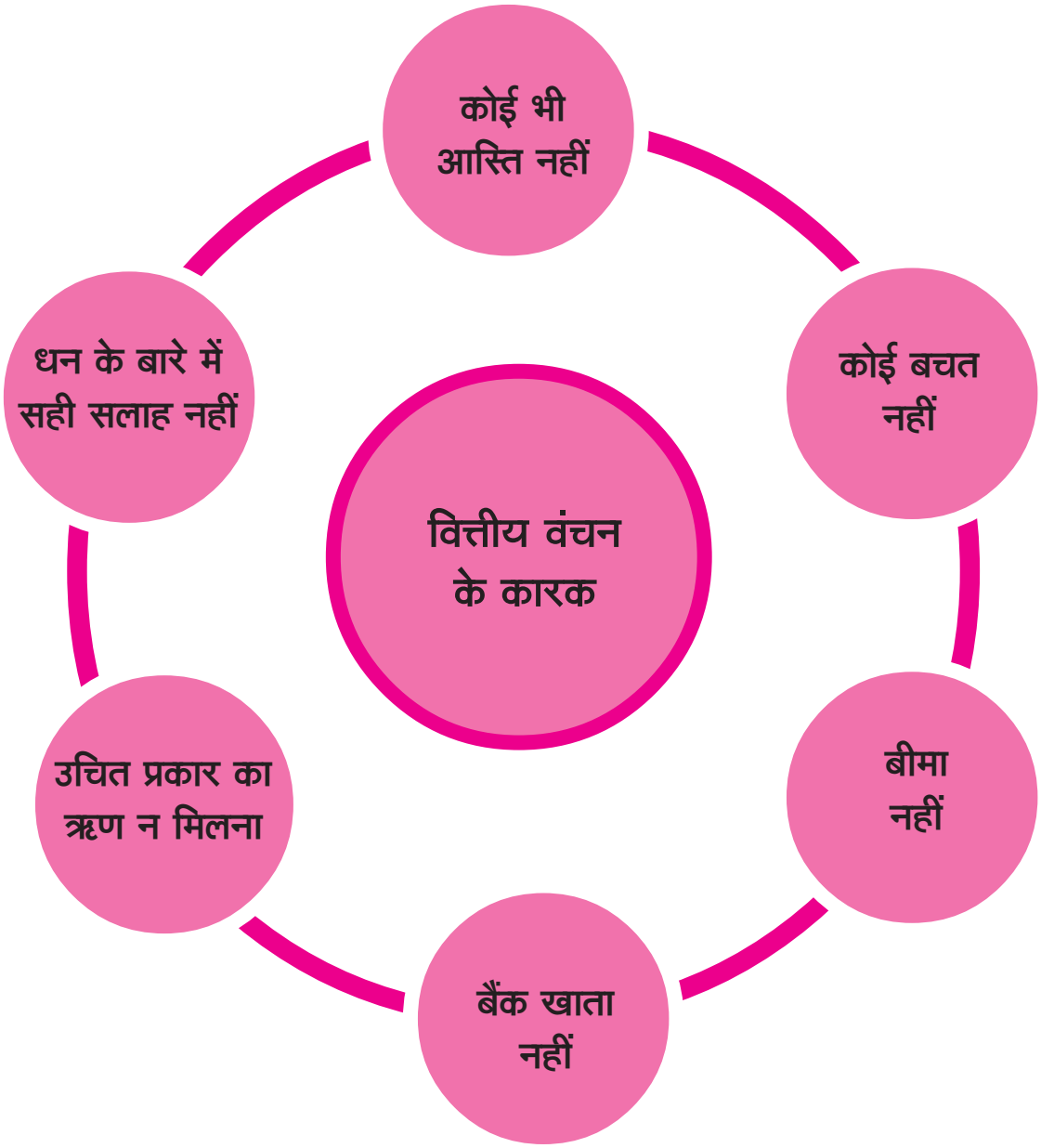

वित्तीय समावेशन

नीतियां → बैंकिंग → वित्तीय शिक्षण

स्व-सहायता समूह → लघु वित्त संस्थाएं → आम आदमी